खण्ड-396, अंक-4
मंगलवार, 29 ज्येष्ठ, शक संवत् 1912
(19 जून, 1990 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 396 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

'क'

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ङ
दिनांक 18 जून, 1990 को सदन में मा0 श्रम मंत्री के व्यवहार से संबंधित उठाये गये प्रकरण को पुनः सुने जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	1–79
राजकीय अतिथि गृह में हुई घटना के लिए सरकार द्वारा खेद प्रकट करने एवं व्यवस्था अधिकारी के निलम्बन को वापस लेने का अनुरोध (जारी) ..	80–86
जनपद मऊ के थाना मधुबन क्षेत्र के सड़कों की सफाई तथा शहीद स्मारक का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	87
बदायूं नगर में पेयजल व्यवस्था करने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	87
जनपद इलाहाबाद के थाना मंझनपुर में प्रधानाचार्य श्री शम्भूनाथ द्विवेदी पर हुए प्राणघातक हमले की सी0आई0डी0 जांच करने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	88
जनपद बलिया के सीयर क्षेत्र में विगत पांच वर्ष के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों के सत्यापन करने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	88
जनपद गोरखपुर में अपर नारायणी नहर के निर्माण में हुई अनियमितता एवं विलम्ब की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	89
जनपद शाहजहांपुर के परगना खेड़ा बझेड़ा में कन्हानी नाला पर पुल बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	89
जनपद फर्रुखाबाद के कन्या हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों की कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा की क्षतिपूर्ति अनुदान भुगतान करने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	89
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	90
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के प्रशासन के संबंध में आख्या वर्ष 1982-83, 1983-84 एवं वर्ष 1985-86 (सदन के पटल पर रखी गयी)	90
विधान सभा के वर्ष 1990 के द्वितीय सत्र (दिनांक 5 मार्च, 1990 से 7 मार्च, 1990 तक) में नियम 301 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	90
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	90–91
राजकीय अतिथिगृह में हुई घटना के लिए सरकार द्वारा खेद प्रकट करने एवं व्यवस्था अधिकारी के निलम्बन को वापस लेने का अनुरोध ..	92–96
सदन को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करने हेतु अध्यक्ष द्वारा आदेश देने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	97

विषय				पृष्ठ-संख्या
सदन द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्व-विद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, रूहेलखन्ड विश्वविद्यालय बरेली, पूर्वान्चल विश्व-विद्यालय जौनपुर, काशी विद्यापीठ वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की सभा में कार्य करने के लिए प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करने हेतु मा0 अध्यक्ष द्वारा आदेश देने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	..		97
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें		(जारी)	..	98
पत्रकारों द्वारा प्रश्नकाल का बहिष्कार किए जाने के प्रकरण में लिए गये निर्णय की जानकारी	..	..	..	99
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	..	..	..	100–106
वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा		(जारी)	..	107–130
नियम 51 के अंतर्गत सूचनायें	..	..	..	131
नत्थियां	..	..	..	132-140

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 19 जून, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री हरीकिशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई। निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अख्तर, श्री	गाजियाबाद
अमर नाथ यादव, श्री	वाराणसी
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अरुण प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार, श्री	बिजनौर
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई
असगर, श्री	देवरिया
इन्दल सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
उमानाथ, श्री	जौनपुर
ओम प्रकाश दिवाकर, श्री	फिरोजाबाद
करन सिंह, श्री	मुरादाबाद
कालीचरण, श्री	मिर्जापुर
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गोवर्द्धन सिंह, श्री	एटा
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
चन्द्र विजय सिंह, श्री	मुरादाबाद
चौधरी शंकर सिंह, श्री	जालौन
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री	मथुरा
तीरथ राज, श्री	सोनभद्र
घनीराम वर्मा, श्री	इटावा
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
बंशीधर, श्री	रामपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बाबूराम यादव, श्री	मैनपुरी
बृजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
महेन्द्र सिंह भाटी, श्री	गाजियाबाद
मास्टर कुंवर पाल, श्री	सहारनपुर
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
रघुवर दयाल वर्मा, श्री	फिरोजाबाद
रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री	बुलन्दशहर
राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
रिछपाल सिंह बंसल, श्री	मेरठ
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
विक्रमादित्य, श्री	बलिया
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
वीरेन्द्र सिंह, श्री	हरिद्वार
शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
श्याम देव राय चौधरी दादा, श्री	वाराणसी
श्याम नारायण तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्री प्रकाश उर्फ ज्ञानू, श्री	आजमगढ़
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सुरजीत सिंह डंग, डा0	मिर्जापुर
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र सिंह, श्री	बिजनौर
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 18 जून, 1990 को सदन में मा0 वन मंत्री के व्यवहार से सम्बन्धित उठाये गये प्रकरण को पुनः सुने जाने की मांग

श्री अरुण कुमार सिंह "मुन्ना"–

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल से पूर्व मैं एक अत्यन्त महत्व का प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं क्योंकि कल सदन की कार्यवाही स्थगित हो गयी थी । उसके कारण बजट भाषण पर सामान्य चर्चा का विरोधपक्ष का जो सबसे बड़ा अधिकार है उससे विरोध पक्ष वंचित रह गया । कल सदन में आपकी पीठ के माध्यम से अर्थात माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित किया गया था । उस पर भी सरकार ने इस सदन की और विधान परिषद् की भावनाओं को जानते हुए जो भी रवैया अपनाया उससे जनतंत्र की सारी मान्यताओं और व्यवस्थाओं पर कुठाराघात हुआ है । मेरा निवेदन है कि आप मेरी बात चाहें तो प्रश्न काल के पहले सुन लें, या प्रश्न काल के बाद मुझे अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल के बाद ही आप अपनी बात कह लें, मैं उस समय आपको सुन लूंगा ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 19 जून, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश सरकार के कार्यालयों में हिन्दी भाषा व देवनागरी लिपि का प्रयोग

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि शासकीय कार्यों से अंग्रेजी का इस्तेमाल हटाये जाने की घोषणा के बाद भी अभी प्रदेश सरकार तथा निगमों के अधिकांश कार्यालयों, अतिथि गृहों शासकीय आवासों में सूचनाएं, नामपट्ट, पत्र संकेत आदि अंग्रेजी भाषा में अंकित है ? यदि हां, तो उन्हें हटाकर हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि में लिखवाने हेतु क्या प्रयास किया जा रहा है ?

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)–

शासनादेश दिनांक 25 अप्रैल, 1990 तथा 26 मई, 1990 में यह आदेश जारी कर दिये हैं कि यदि कोई नाम-पट्टिका, पत्र पैड आदि अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं तो उन्हें तत्काल देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा में परिवर्तित करा दिया जाय ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो शासनादेश दिनांक 25 अप्रैल, 1990 तथा 26 मई, 1990 को जारी हुआ है, क्या सरकार की दृष्टि में उनका सही तरह से पालन हो रहा है ? क्या सरकार उन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री मुख्तार अनीस–

मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि शासन ने राजभाषा के संबंध में जो भी आदेश निकाले हैं उनका अक्षरशः पालन हो रहा है । जहां कहीं इस संबंध में शिथिलता पाई जायेगी वहां दोषी लोगों के खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी कई विभाग और आपके निगम ऐसे हैं जो इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, वहां पर नाम पट्ट (बोर्ड) आदि अभी तक अंग्रेजी भाषा में ही लगे हैं । पिकअप, हार्टिको तथा अन्य कई ऐसे निगम हैं जहां पर अधिकांश अभी भी अंग्रेजी भाषा में हो रहा है । क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ जो इन आदेशों का अभी पालन नहीं कर रहे हैं, कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, शासन के आदेशों के बाद सब जगह नाम पट्ट हिन्दी में करने का कार्य शीघ्रता से किया जा रहा है और इसमें किसी तरह की कोई कोताही बर्दास्त नहीं की जायेगी । जहां तक हिन्दी भाषा में काम करने का प्रश्न है, उसके लिए भी शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि कोई काम अंग्रेजी भाषा में न किया जाये, और हमारी नीति भी यही है । अंग्रेजी भाषा सार्वजनिक इस्तेमाल की भाषा नहीं है । अपने मन से यदि कोई पढ़ना चाहे तो वह पढ़ सकता है । लेकिन शासन का कोई काम अंग्रेजी भाषा में नहीं किया जायेगा । अगर कहीं कोई कमी रह गयी है तो उसको दूर किया जायेगा ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर. शिक्षा विभाग ने एक दिसम्बर को, इनकी सरकार बनने के बाद, आदेश जारी करके एक करोड़ पच्चीस लाख की पुस्तकें खरीदी हैं विज्ञान और गणित की, जिसमें से 70 लाख की अंग्रेजी माध्यम की किताबे हैं हाईस्कूल और इण्टर के लिये । क्या इस मामले की जांच कराके, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें । पहले माननीय पंचानन राय जी का उत्तर तो आ जाने दें ।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, प्रश्न को भी देखने की कृपा करेंगे, शासन ने दो जी0 ओ0 निकाले कि सारा काम हिन्दी में किया जायेगा, उनकी क्या स्थिति है और कठोरता से हिन्दी में हर काम हो, इसका पालन किया जा रहा है । जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है शिक्षा विभाग से संबंधित कि उन्होंने किताबें खरीदी हैं, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक ज्ञान हासिल करने का सवाल है, ज्ञान अर्जित करने का सवाल है, उसमें प्रत्येक भाषा की पुस्तकें इस्तेमाल करेंगे ।

श्री पंचानन राय–

जो किताबें खरीदी गयी हैं उसमें ज्यादा धन की अंग्रेजी की ही किताबें खरीदी गयी हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने और बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें । मैं माननीय ऊदल जी को बुला रहा हूं ।

श्री पंचानन राय–

मैं कह रहा था कि 1 दिसम्बर को 1 करोड़ 25 लाख की किताबें खरीदी गयीं जिसमें लगभग 33 लाख की खरीदी गयी हैं हाई स्कूल की गणित और विज्ञान की हिन्दी माध्यम की और 73 लाख के लगभग की अंग्रेजी माध्यम की खरीदी गयी हैं हाईस्कूल और इण्टर के लिए पढ़ाने के लिए मैं यह जानना चाहता हूं कि वे बराबर-बराबर खरीदी जातीं, इस पर कोई जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें, ऊदल जी खड़े हैं ।

श्री ऊदल–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कल ही मैंने देखा पुलिस विभाग में उनकी गाड़ियों पर अंग्रेजी में पुलिस लिखा हुआ है । और, राज्य विद्युत परिषद् और बहुत से दफ्तरों की गाड़ियों में अंग्रेजी में नाम लिखे हुए हैं, दफ्तरों में नाम लिखे हुए हैं, क्या इसकी जांच करायेंगे ? पूरे प्रदेश में हर विभागों में सख्ती से पुनः निर्देशित करेंगे कि लोग दफ्तरों के नाम हिन्दी में लिखें, गाड़ियों में नाम हिन्दी में लिखें, ऐसे आदेश जारी करेंगे ?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माननीय ऊदल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी की भाषा नीति बता दी सदन को । हम विश्वास करते हैं कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर हमारी इस नीति में सरकार को मदद करेगी । मदद कर रही है और करेगी । दूसरे, मुझे यह कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई बार घोषणा कर दी इस सम्बन्ध में हमने दो जी0 ओ0 निकाल दिये हैं कि यह यथाशीघ्र लागू हो । कोई मंत्री इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके विभाग का कार्य हिन्दी के अलावा, किसी और भाषा में भी किया जाय, इसको बर्दाश्त करने के लिये हम तैयार नहीं हैं । यह वह पार्टी नहीं है जो लगातार 5 साल तक अंग्रेजी में काम करती रही ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि पूरा सदन भाषा नीति पर सहमत है । और, जहां तक कि सरकार को सचेत कर दिया, सावधान कर दिया, जानकारी में लाये ऊदल जी, उनके लिए उनका आभारी हूं । मैं आज ही आदेश देता हूं कि 3 दिन के अन्दर कहीं किसी गाड़ी पर अंग्रेजी नहीं लिखी जायेगी । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों को थपथपाहट) और यदि कोई अधिकारी हो, चाहे मिनिस्टर साहब हों, अंग्रेजी में लिखे होंगे. तो मैं उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा ।

श्री ऊदल–

कम्युनिस्ट पार्टी की भाषा नीति वही है. जो कि सरकार की भाषा नीति है, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं ।

उ0 प्र0 के विभिन्न विभागों में नयी नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध

**2–श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री दौलत राम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के विभिन्न विभागों में नयी नियुक्तियों पर रोक हटाने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो यह रोक कब तक हट जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्प्रति अभी विचार नहीं बना है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इस भीषण बेरोजगारी में नवयुवक परेशान हैं. बेरोजगारी बढ़ रही है । जो पद रिक्त हैं, उन पर भी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, क्योंकि नयी नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । इस भीषण बेरोजगारी के समय में पिछली सरकार ने नई नियुक्तियों पर जो प्रतिबंध लगाया था, क्या उस प्रतिबंध को हटाने का कष्ट करेंगे, साथ ही यह बता दें कि यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया था और इसको कब तक समाप्त कर देंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी ने प्रतिबंध के बारे में कहा है, मैं शीघ्र ही इस प्रतिबंध को हटा दूंगा ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने इस समस्या का वैसे तो समाधान कर दिया है, लेकिन एक प्रश्न पूछने का अवसर मुझे दें ।

श्री अध्यक्ष–

पहले जनार्दन प्रसाद ओझा जी का प्रश्न हो जाने दें, उसके बाद आप प्रश्न पूछ लें ।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रतिबन्ध को उठाने की घोषणा की है । साथ ही मुख्य मंत्री जी में यह जानना चाहूंगा कि प्रतिबन्ध लगे होने के कारण लोगों की 3-4 साल की वायु जो बढ़ गयी है, जो उनकी 3-4 साल की उम्र बेकार चली गयी, उसको ध्यान में रखते हुये क्या उनकी वायु सीमा में उसी अनुपात में छूट देने की घोषणा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय ओझा जी ने यह सवाल उठाया है कि वायु सीमा में क्या छूट देंगे, इसके संबंध में बताना चाहता हूं कि यह जो प्रतिशंध लगा हुआ था, उसके बारे में कई जनप्रतिनिधियों ने और भी कई जनता के लोगों ने मुझसे कहा था, कि इसमें अनियमितताएं हो रही हैं, जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, ये गंभीर अनियमितताएं थीं, जिनकी मुझे जानकारी मिली, इसलिये मैंने प्रतिबंध लगाया था और कुछ जगहों पर दिखाया भी था । जहां तक उम्र बढ़ जाने का सवाल है, तो प्रतिबंध लगे अभी ज्यादा दिन नहीं हुये हैं, जबकि पहले से काफी दरख्वास्तें लगी हुयी हैं, मैं उम्र के सवाल पर विचार कर रहा हूं, केवल इन्हीं नौकरियों के लिये ही नहीं, बल्कि और भी बड़ी-बड़ी नौकरियों के लिये मैं उम्र बढ़ाने पर विचार कर रहा हूं ।

श्री मुईद अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वह प्रतिबन्ध को तो हटाने जा रहे हैं, लेकिन प्रतिबन्ध के दौरान बदनियती से और गलत तरीके से जो नियुक्तियां हुयी हैं और जिनके संबंध में शासन को अवगत कराया जा चुका है, क्या उन नियुक्तियों को भी रद्द करवाओगे ?

श्री अध्यक्ष–

आप उनको शासन के संज्ञान में लावें ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग में, सार्वजनिक निर्माण विभाग में तमाम नियुक्तियां हुयी हैं, क्या उन नियुक्तियों को रद्द करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, वह इस ओर ध्यान देंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, शासन के संज्ञान में जो हैं, उनको देख लिया जायेगा, जो माननीय सदस्य के संज्ञान में हैं, उसको वह लिखकर दे दें, उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद बदायूं तथा शाहजहांपुर की तहसील तिलहर व दातागंज के मालिकों को भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग

*1–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर, परगना खेड़ा बभेड़ा के कुछ गांवों की सरहद तहसील दातागंज, जनपद बदायूं के गांवों से मिलती है जिसके बीच में रामगंगा नदी है, और तहसील तिलहर की हजारों एकड़ जमीन कटकर पार चली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बदायूं तथा शाहजहांपुर की उक्त तहसीलों की भूमि की नाप कराकर मालिकों को भूमि पर कब्जा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

गन्ना विकास एवं राजस्व मंत्री (श्री राम शरण दास)–

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के 24 ग्रामों की सीमा जनपद बदायूं की तहसील दातागंज से मिलती है । इन 24 ग्रामों में से 11 ग्रामों की 1048.107 हैक्टेयर क्षेत्रफल रामगंगा नदी

के कटान से प्रभावित है । इस प्रभावित क्षेत्रफल में से 1476 काश्तकारों की 922.841 हेक्टेयर भूमि रामगंगा नदी के कटान से नदी के उस पार जनपद बदायूं की तरफ चली गयी है। शाहजहांपुर के उक्त 24 ग्रामों में सर्वेक्षण एवं अभिलेखा क्रियाओं के संबंध में अधिसूचना का प्रारूप जनपद से प्राप्त किया जा रहा है जिसके प्राप्त होते ही अधिसूचना जारी कर दी जायेगी और सर्वेक्षण तथा अभिलेख क्रियाओं के उपरान्त वास्तविक भू-स्वामियों को कब्जा दिलाया जायेगा ।

रामगंगा नदी के कटान से ही बदायूं जिले की तहसील दातागंज के 13 ग्रामों का 1402 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित है । इन ग्रामों में अभिलेख क्रियायें पूर्ण हो चुकी हैं और इस संबंध में अधिसूचना के प्रकाशन के उपरान्त वास्तविक भू-स्वामियों कब्जा दिलाया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं कहा है कि 1476 काश्तकारों की जमीन कटकर बदायूं की तरफ चली गई है । यह मामला दसियों साल से चल रहा है । अब तो यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि जिसकी लाठी, उसकी भैंस । लोग जबरदस्ती कब्जा किए जा रहे हैं । आप एक समय सुनिश्चित कर दीजिए कि इस अवधि तक नाप करके कब्जा दिलवा दिया जायेगा ?

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, हम तो जल्दी करेंगे ही । हमने कहां कहा कि हम देर करेंगे । 1980 से इस पर कार्यवाही चल रही है । 1988 तक बदायूं का सर्वेक्षण ही पूरा नहीं हो पाया तो इसमें हमारा क्या दोष ? उस समय तो आपका कार्यकाल था । हम इसे जल्दी कर देंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

माननीय मंत्री जी एक महीना, दो महीना या तीन महीना, कोई तो समय निश्चित कर दीजिए ?

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, यह बहुत बड़ा काम है ।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा नत्थी–ग पर प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर, प्रश्नकर्ता श्री श्याम देव राय चौधरी-दादा जी सदन में उपस्थित नहीं थे । श्री उदल जी ने कहा कि इस प्रश्न पर मेरी रुचि है । इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बाद में यदि समय मिला तो देख लेंगे ।)

[मंगलवार, दिनांक 19 जून, सन् 1990 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाने की मांग

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा) (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर को विगत 7 वर्षों से एक ही प्रशासनिक अधिकारी द्वारा संचालित किया जा रहा है जिनको प्रतिनियुक्ति पर केवल दो वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था ? क्या यह सही है कि श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम 1983 के अध्याय सात की धारा–37 की उपधारा (दो) का उल्लंघन किया जा रहा है तथा मन्दिर में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली व सेवा शर्तें सात वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं बनाई गई ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, परन्तु उनकी नियुक्ति वाह्य सेवा पर प्रथमतः तीन वर्ष के लिये की गई थी ।

सम्प्रति 3 वर्षों (वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85) की प्रशासन आख्याएं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई हैं ।

यद्यपि मन्दिर कर्मचारियों की सेवा नियमावली अभी तक नहीं बनाई जा सकी है तथापि न्यास परिषद् द्वारा उनकी सेवा सुविधाओं में समय-समय पर सुधार किया जाता रहा है ।

सेवा नियमावली की तैयारी हेतु समय-समय पर शासन द्वारा निर्देशित किया गया है ।

बेसिक कोटा निर्धारण हेतु सर्वे तथा गन्ने के अनुपात में पर्ची की व्यवस्था करने की मांग

*2–श्री किशोरी श्याम–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक कोटा निर्धारण हेतु आषाढ़ और भादों में दो सर्वे की व्यवस्था तथा जितना गन्ना उतनी पर्ची की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

प्रश्नांकित व्यवस्था लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, और न सुझाव व्यवहारिक ही है।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कह दिया कि सुझाव व्यवहारिक नहीं है । बेसिक कोटे में कितनी गड़बड़ी होती है जिससे किसान के सामने में बहुत बड़ी समस्या का जाती है । कभी किसान दो एकड़ ईख बोता है तो कभी 4 एकड़ में ईख बोता है । बेसिक कोटे में वी0 एल0 डब्लू0 द्वारा इतना पैसा खाया जाता है कि आज उनकी कोठियां खड़ी हैं । गन्ना देने वाली जो समितियां हैं और उनका जो नियम है, वह ऐसा नियम है ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिए ।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, प्रश्न से ही संबंधित है । जो इसके सचिव होते हैं वह 12 लाख क्विंटल गन्ना तो दे देते हैं, परन्तु किसान के सामने में समस्या आ जाती है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बेसिक कोटे को समाप्त करके किसान की समस्या को आप हल करेंगे कि नहीं ? या फिर उसे इस तरह से पिसवाते रहेंगे ?

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, माननीय सदस्य को इसका ज्ञान है कि नहीं, मैं नहीं जानता । मान्यवर, हमारे यहां मिलों में 33 परसेन्ट के लगभग गन्ना क्रैश किया जाता है । अगर हम तमाम गन्ना मिलों को देने की चेष्टा करेंगे तो बहुत बड़ी परेशानी हो जायेगी ।

इसलिये बेसिक कोटे का आधार बनाया । तीन साल की सप्लाई जो किसान की होती है, उसे तीन से डिवाइड करते हैं और विभाग 20 प्रतिशत और लगाता है उसके आधार पर बेसिक कोटा बन जाता है, उसके आधार पर सप्लाई होती है । कहीं-कहीं यह समस्या आती है लेकिन कहीं-कहीं फक्ट्री को गन्ना ही नहीं मिलता है । जहां गन्ना नहीं मिलता है, वहां पर यह लागू ही नहीं होता है ।

श्री किशोरी श्याम–

मैं जानना चाहता हूं कि हरियाणा में जितनी भी मिलें चलती हैं, वहां पर गन्ना समिति नहीं है । वहां की मिलें इतनी अच्छी चलती हैं, वहां पर मिलें भुगतान कर रही हैं । यहां पर बेसिक कोटे के कारण सारा दुख दर्द है । गन्ना समिति तो अपना कोटा पूरा कर लेती है, बीच में किसान पिसता है ।

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर तो माननीय मंत्री जी ने दे दिया ।

श्री राम शरण दास–

गन्ना समिति से जो तय कर लिया है, उसी के आधार पर लेते रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी । कृपया स्पष्ट कर दें ।

श्री राम शरण दास–

किसान कैसे पिसेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है । जो नियम हैं, उन्हीं के हिसाब से बेसिक कोटा बनता है ।

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

श्री उदल–

आप सक्षम हैं, नियम बदल सकते हैं ।

श्री राम शरण दास–

यह बहुत बड़ा प्रदेश है, कहीं गन्ना बहुत ज्यादा है, कहीं कम है । सरकार की नीति जो बनती है वह हर परिस्थिति पर विचार करके तब बनती है । अगर कहीं आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वयं यह सोचता हूं कि इसमें परिवर्तन करूं जिससे किसानों को सुविधा हो क्योंकि मैं स्वयं गन्ना बोता हूं, काटता हूं और सर पर लेकर चलता हूं ।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जितनी सुविधा होगी, देंगे, मैं कह रहा हूं कि जब तक बेसिक कोटा समाप्त नहीं होगा तब तक सुविधा नहीं हो पायगी ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जिन-जिन स्थानों पर गन्ना ज्यादा है, उन स्थानों पर जो मिलें आती हैं, क्या उनकी क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री राम शरण दास–

वह तो विचार कर ही रहे हैं, आगे आपको बतायेंगे ।

*3–श्री उदल–

[6वें गुरु में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते का भुगतान

*4–श्री रामपाल वर्मा, श्री राजधारी तथा श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1-1-1990 से कितने प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय हो गया है ? उसका भुगतान कब तक शासनादेश निर्गत करके राज्य कर्मचारियों को कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1-1-1990 से निम्नलिखित दर से महंगाई भत्ता देय हो गया है :–

1. 3500 रु0 तक मूल वेतन-----38 प्रतिशत
2. 3501 रु0 से 6000 रु0 तक मूल वेतन----28 प्रतिशत परन्तु कम से कम 1330 रु0
3. 6000 रु0 से अधिक मूल वेतन-----25 प्रतिशत परन्तु कम से कम 1680 रु0

राज्य कर्मचारियों को उक्त दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मालूम पड़ता है कि माननीय मंत्री जी कागज भूल आये हैं, उसे ढूंढ़ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

तो अभी मैं प्रश्न संख्या 5 को लिए ले रहा हूं, बाद में प्रश्न संख्या 4 को ले लूंगा । अच्छा हो गया । तो चलिये पहले प्रश्न संख्या 4 का ही आप उत्तर दें ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा के द्वारा प्रश्न का मूल उत्तर पढ़ा गया ।)

श्री राजधारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को क्या केन्द्र के ही समान घोषित महंगाई भत्ता की राशि नकद रूप से भुगतान किये जाने के आदेश देंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है जहां विसंगतियों को देखा जा रहा है और उनका समाधान किया जा रहा है ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता था कि जो देय महंगाई भत्ते का भुगतान होने जा रहा है उसका नकद भुगतान केन्द्र सरकार के ही अनुरूप क्या राज्य सरकार करेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां, जो माननीय सदस्य की भावना है उसी के अनुरूप आदेश दिए गए हैं ।

श्री पंचानन राय–

केन्द्र सरकार महंगाई भत्ते की घोषणा के बाद तुरन्त अपने कर्मचारियों को देय धनराशि के नकद रूप से भुगतान कर दिया करती है । जबकि जनवरी की किश्त अब जून में आपने घोषित की है तो क्या जैसे ही केन्द्र सरकार अपने यहां घोषणा करती है उसके बाद तुरन्त राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की किश्त की घोषणा भविष्य में करने की कृपा करेगी क्योंकि जब बराबर ही देना है तो इतना विलम्ब क्यों ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप कृपया उत्तर दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

(अपने स्थान पर बैठे ही बैठे) हर बात का जवाब नहीं होता है ।

जनपद मथुरा की तहसील मांट में चीनी मिल लगाने की मांग

*5–श्री सरदार सिंह (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद, मांट तहसील में गन्ना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हुए भी अभी तक कोई चीनी मिल नहीं है ? क्या सरकार इस क्षेत्र की आवश्यकता एवं पिछड़ेपन को देखते हुए इस तहसील में एक चीनी मिल लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जनपद मथुरा के मांट स्थल में निजी क्षेत्र में 2500 टी0 सी0 डी0 क्षमता की नई चीनी मिल स्थापित किए जाने का प्रताव भारत सरकार को भेज दिया गया है ।

जनपद बरेली की तहसील में चीनी मिल स्थापित करने की मांग

*6–श्री श्याम बिहारी सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली की तहसील आंवला में कोई चीनी मिल न होने के कारण वहां के गन्ना किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या किसानों की परेशानी को देखते हुए आंवला तहसील में एक चीनी मिल स्थापित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम शरण दास–

जनपद बरेली की तहसील आंवला में नई चीनी मिल स्थापित करने के बारे में अपेक्षित परीक्षण कराया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों को स्थायी करने की मांग

*7–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिट सं0 1880/86 में उत्तर प्रदेश सचिवालय के अवर वर्ग सहायक के पदों पर स्थायीकरण किये जाने के संबंध में दिये गये स्थगन आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18-8-89 द्वारा संशोधित कर दिया है तथा शासन को अवर वर्ग वर्ग सहायक के पदों पर कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की छूट दे दी है ? यदि हां, तो उक्त निर्णय के उपरान्त भी अवर-वर्ग सहायक के पदों पर स्थायीकरण न किए जाने के लिए कौन दोषी है ? ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और उत्तर प्रदेश सचिवालय के रिक्त अवर वर्ग सहायक के स्थायी पदों पर कार्मिकों का स्थायीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । जिन अवर वर्ग सहायकों की स्थायीकरण हेतु निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण हो गयी हैं, उन्हें स्थायी कर दिया गया है । शेष कर्मचारियों का स्थायीकरण उनसे सम्बन्धित औपचारिकताएं पूर्ण होने पर हो सकेगा । किसी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, यह औपचारिकतायें कब तक पूरी हो जायेगी और जो स्थान रिक्त है वह कब तक भर दिये जायेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह औपचारिकतायें शीघ्र ही पूरी कर ली जायेंगी ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1978 की परीक्षा के आधार पर नियम 19 ए के अनुसार जो 20 प्रतिशत की सीमा में आये अवर वर्ग सहायक हैं उनको ज्येष्ठता के आधार पर क्या स्थायी किया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

1978 में जो स्थायी रूप से भर्ती हुए थे उसी को स्थायी किया जा रहा है और नियमानुसार किया जा रहा है, कुछ में सभी औपचारिकतायें शेष हैं वह भी पूरी की जा रही हैं ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

जो औपचारिकतायें अभी तक पूरी नहीं की गयी हैं इसके प्रति कौन जिम्मेदार है और उस जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? उस अधिकारी को हटा कर क्या उसके स्थान पर अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में ही बतला दिया है कि कार्यवाही नियमानुसार हो रही है ।

जनपद लखनऊ में नया बाजार को पुनः चालू करने की मांग

*8–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित नया बाजार बन्द किए जाने के क्या कारण है ? नया बाजार में कार्यरत कर्मचारियों को कब से वेतन भुगतान नहीं किया गया है ? उक्त नया बाजार के बन्द होने के कारणों की जांच करके कब तक उसे पुनः चालू कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

दूषित कार्यप्रणाली, व्यवसाय में निरन्तर भारी हानि, भण्डार के सम्भार के दुरुपयोग/अपहरण के फलस्वरूप परिसम्पत्तियों से अधिक दायित्व के हो जाने तथा व्यवसाय हेतु धनाभाव एवं अधिष्ठान व्यय वहन करने की अक्षमता आदि कारणोवश लखनऊ स्थित नया बाजार बन्द हो गया ।

माह जनवरी, 1987 का, तथा मार्च 1987 से कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं हो सका ।

नया बाजार लखनऊ के कार्य-व्यवसाय, अभिलेखों तथा परिसम्पत्तियों आदि का विस्तृत निरीक्षण उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 66 के अधीन वर्ष 1985 में कराया गया, जिसमें बाजार को चालू रखना सम्भव नहीं पाया गया । अतः निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर नया बाजार के परिसमापन के आदेश पारित किए गए जिसके विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर है । न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही नया बाजार के परिसमापन अथवा जैसा निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, 40 महीने हो गये हैं, लखनऊ का नया बाजार बन्द पड़ा है । नये बाजार के परिसमापन के आदेश के विरुद्ध वहां के कर्मचारी हाईकोर्ट में चले गये और 29 अप्रैल को हाई कोर्ट के न्यायाधीश मिस्टर जस्टिस डी0 एन0 झा और मिस्टर जस्टिस बृजेश कुमार ने उनकी रिट याचिका पर क्या आदेश दिये । क्या उन आदेशों का पालन किया गया है ।

दूसरा प्रश्न है . . .

श्री अध्यक्ष–

आप एक एक प्रश्न कर लें ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

29 अप्रैल को हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है क्या उस फैसले को माना गया है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिये थे और उनका परिपालन किया जा रहा है ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या जब तक हाई कोर्ट का फैसला न हो जाये तब तक व्यवसाय बन्द रहेगा ?

श्री अध्यक्ष–

इसकी सूचना की आवश्यकता पड़ जायेगी ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, आप इसको स्थगित कर दें । 40 महीने कर्मचारियों को तनख्वाह न मिलने के कारण कई लोग मर गए हैं । 10 जनवरी, 1989 को लेबर कोर्ट ने फैसला दिया, वह फैसला क्या है, क्या उस फैसले का पालन किया गया ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में ही कह दिया है कि हाई कोर्ट में रिट याचिका लम्बित है और मामला सब जुडिस है । इसलिए इस पर यहां पर विचार करना उचित न होगा ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

29 अप्रैल को आदेश हो गया. उसका पालन नहीं हुआ । 5 कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी । 40 महीनों से 54 परिवार परेशान हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कार्यवाही करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, रिट याचिका विचाराधीन है । एक करोड़ 22 लाख के घाटे के कारण रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसइटीज ने परिसमापन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी । इसके विरुद्ध वहां के कर्मचारी हाई कोर्ट चले गए । हाई कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है, उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, क्या जो घाटे के कारण हैं उनकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने आदेश दे दिया है, कि इसको वह देख लें । मेहरोत्रा जी आप बैठ जायें ।

आप कृपया बैठ जायं ।

आपातकाल में मीसा तथा डी0 आई0 आर0 के बन्दियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करने की मांग

*9–श्री कल्यान सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1975, 1976, 1977 में आपात काल में मीसा तथा डी0 आई0 आर0 के बन्दियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करने और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्राप्त सुविधायें प्रदान करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस–

विचाराधीन है ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रश्न विचाराधीन है । इसमें केवल दो छोटे-छोटे अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं । पहला यह है कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975, 76 तथा 77 के आपातकाल के दौरान मीसा बन्दियों तथा डी0 आई0 आर0 बन्दियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की श्रेणी प्रदान करते हुए जनता शासन में उनको कोई सुविधा दी गयी थी ? यदि हां, तो वह क्या थीं और यह सुविधाएं कब से बन्द कर दी गई ?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, जनता शासन ने दूसरी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जो लोग जेल गये, उनके बारे में केन्द्र सरकार ने एक स्पष्ट नीति बनायी थी और वह नीति यह थी कि जो लोग जेल में मर गये या यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि जो लोग जेल में शहीद हो गये या जो लोग जेल से छूटने के बाद इस दुनिया में नहीं रहे या उन्हें पुलिस के द्वारा शहीद किया गया उन्हें सभी ऐसे लोगों के बारे में तय किया गया था कि 5 हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जायेगा । दूसरी बात यह थी कि 57 लोगों के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने. क्योंकि तब हमारे सामने 57 लोगों का ही मामला आया था, लिस्ट बनायी थी, उनमें 25 लोगों को हम लोगों ने अनुदान देने की बात कही थी, उनको अनुदान दिया था । चूंकि 1980 में

जब कांग्रेस सरकार आई तो उसने इन लोगों की जो भी सहायता की जा रही थी केन्द्र सरकार से और राज्य सरकार से, दोनों ने इसे वापस ले लिया और कोई सहायता नहीं दी गई ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कृपया यह बताने का का कष्ट करें कि वर्तमान शासन उन सभी मीसा और डी0 आई0 आर0 बन्दियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानकर क्या-क्या सुविधाएं देने पर विचार कर रहा है यह निर्णय शासन कब ले लेगा ?

श्री मुख्तार अनीस–

निश्चित रूप से यह सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं ।

(मेजों की थपथपाहट)

जहां तक इन लोगों को सहायता देने की बात है इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि एक हफ्ते में हम इस काम को करना चाहते हैं, हम शीघ्रता कर रहे हैं, अभी हम लोग इस संबंध में नीति बना रहे हैं और विचार कर रहे हैं । इस संबंध में जो भी बातें प्रकाश में आयेंगी वह हम आपको बतायेंगे ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न किया था कि वर्तमान शासन मीसा और डी0 आई0 आर0 बन्दियों को क्या-क्या सविधा देने पर विचार कर रहा है । जैसा कि आपने स्वीकार भी किया है कि इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जायेगा तो आप कृपया यह बता दें कि वर्तमान शासन इन मीसा और डी0 आई0 आर0 बन्दियों को क्या-क्या सविधाएं देने पर विचार कर रहा है और यह कब तक पूरा हो जायेगा ? साथ ही यह भी बता दें कि शासन उन्हें क्या-क्या सुविधाएं देगा ?

श्री मुख्तार अनीस–

इस संबंध में अभी कोई बात-चीत नहीं हुई है मामला विचाराधीन है । उसके बारे में कोई नीति बनायेंगे ।

श्री भोला पाण्डेय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह तीसरा स्वतंत्रता संग्राम क्या है ? जो लोग मीसा में बन्दी थे, जो राष्ट्रविरोधी लोग अपराध कर रहे थे और उन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जेलों में बन्द किया गया था क्या वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की श्रेणी में आते हैं..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी पाण्डेय जी के प्रश्न का उत्तर आप दे दें ।

(व्यवधान)

श्री भोला पाण्डेय–

एक संवैधानिक रूप से गठित सरकार को हटाने के लिये कुछ अपराधिक प्रवृत्ति के लोग तोड़ फोड़ में लगे हुये थे उनको मीसा में जेल में बन्द किया गाा था तो क्या उनकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की श्रेणी में रखते हैं (व्यवधाम) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वह है जो भारत मां को आजाद कराने के लिये लडाई लड़े थे । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की परिभाषा क्या है ? इनको उस श्रेणी में रखना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उपहास होगा ।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, इस प्रश्न के दो हिस्से हैं । आपका पहला सवाल यह है कि क्या यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं ? तो यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसलिये है कि देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दी गयी थी (व्यवधान) देश के संविधान की रक्षा की यह लड़ाई थी (व्यवधान) जो वह लड़ रहे थे ।

श्री भोला पाण्डेय–

आपको स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषा नहीं मालूम. कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग....

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिये ।

श्री भोला पाण्डेय–

पहले आप स्वतंत्रता सेनानी की परिभाषा बता दें ।

श्री अध्यक्ष–

पहले पूरा उत्तर तो आ जाने दें ।

श्री मुख्तार अनीस–

मैं आपका उत्तर दे दूंगा । प्रत्येक स्वतंत्र देश में जहां लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाय, संविधान की धज्जियां उड़ा दी जायं और राजनीतिक लोगों को जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना जीवन लगा दिया हो उनको जेलों में बन्द कर दें और झूठी अफवाहें फैला कर लोगों को जेलों में बन्द कर दिया जाय तो वह स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई है क्योंकि वह लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई थी (व्यवधान)

श्री भोला पाण्डेय–

उस वक्त देश की सेना में बगावत की कोशिश कर रहे थे । यहां पर राजनीतिक भाषण देने का यह मंच नहीं है ।

श्री मुख्तार अनीस–

आप दूसरे प्रश्न का जवाब ले लें । अंग्रेजों के जमाने में बहुत से लोगों पर जिनको हम राष्ट्र की विभूति मानते हैं उन पर भी वही धारायें लगी थी जो इन पर थी जिनको आप अपराधी कह रहे हैं अगर वह अपराधी नहीं थे तो यह भी नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग इस प्रश्न को कोई चर्चा या बहस न बनायें ।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, 1975 से 1977 तक स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद जो लोग वैधानिक रूप से गठित सरकार के विरुद्ध अपराधिक कृत्यों में लिप्त व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिये कानून बनाने का क्या कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । मूल प्रश्न के उत्तर में शासन ने अपने विचार और नीति को स्पष्ट कर दिया है ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

(व्यवधान) श्री गौरी भइया के प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दिया । मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपातकाल के दौरान् मंत्री जी ने सूचित किया कि बहुत ज्यादतियां हुई हैं, उनकी सूचना को सही मानते हुए उनसे आग्रह करूंगा कि आपात्काल की ज्यादतियों के समय आज के प्रधानमंत्री हमारे मंत्री थे और आपके आज नेता हैं, क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? (व्यवधान) क्या आप प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता संग्राम की श्रेणी में रखेंगे ? (व्यवधान) आज जो राष्ट्रीय मोर्चा के नेता हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और इस सदन को सूचित करेंगे ? (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस सवाल के उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनके पास कैसा पारस पत्थर है कि इनके पास अपराधी जाकर पवित्र हो जाता है ? (व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, सत्ता परिवर्तन से . . .

(विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य अपने स्थान पर एक साथ बोलते रहे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री प्रमोद कुमार–

इसके द्वारा तस्करों और जमाखोरों आदि अपराधियों को सत्ता में भागीदार माना गया है, इस चीज के विरोध में मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री प्रमोद कुमार सदन त्याग कर चले गये ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह ''मुन्ना''–

मान्यवर, माननीय नेता सदन–मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस प्रश्न का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी, तो इस विवादित प्रश्न को जो सदन में उपस्थित किया है और जो सदन का प्रश्नकाल है, उसकी जो महिमा है, गरिमा है, ऐसे प्रश्नों से घटती है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज मीसा बन्दियों के बारे में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कह दिया है कि वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, यह कितनी घटिया और घिनौनी बात है । यह बात अवश्य है कि वह लोग एक पक्ष के थे और सत्ता के विरोध में थे और उन्होंने तत्कालीन सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था । (व्यवधान) . . . . इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए, जिस समय रेल पुल उड़ाए जा रहे थे, अनेक कल कारखानों में आग लगाई जा रही थी, वह लोग स्थापित व्यवस्था के खिलाफ भारी चोट कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को बन्द किया गया था, और यदि ऐसे लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्थिति में रखा जाएगा, तो इसके विरुद्ध में अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग करता हूं ।

(उपनेता विरोधी दल श्री अरुण कुमार सिंह ''मुन्ना'' अपने दल के सभी सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

उ0 प्र0 परिवहन निगम के प्रशिक्षण प्राप्त शिशिक्षु को नौकरी में रखने की मांग

*10–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 परिवहन निगम के शिशिक्षु जिन्होंने अलीगढ़ में क्षेत्रीय परिवहन निगम के पत्र संख्या क्षेप्र0/अली0/शिशिक्षु/96–1628/दिनांक 24, मार्च, 86 के अनुसार परीक्षा देकर प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर लिया है, में से कितनों को नौकरी दी गयी है ? शेष को कब तक सेवा में रख लिया जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस–

क्षेत्रीय प्रबन्धक, अलीगढ़ के पत्र द्वारा एक वर्ष का शिशिक्षु प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय शिशिक्षु परीक्षा में सम्मिलित होने की केवल सूचना भेजी गयी थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का परिवहन निगम में नियुक्ति से कोई संबंध नहीं है कारण कि शिशिक्षु अधिनियम 1961 की धारा 22 के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त शिशिक्षुओं को सेवा में लिये जाने के लिये परिवाहन निगम बाध्य नहीं है । अतः अलीगढ़ क्षेत्र में न तो किसी शिशिक्षु को नियुक्त किया गया है और न ही नियुक्ति देने का प्रश्न उठता है ।

(शोर-गुल के मध्य मंत्री जी द्वारा मूल उत्तर पढ़ा गया)

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । मंत्री जी का उत्तर इस सदन ने नहीं सुना है, अतः आप इसको पुनः सुनवा दें तो हमें सुविधा होगी ।

(मूल उत्तर पुनः पढ़ा गया ।)

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मैं मान्यवर, मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो ट्रेनिंग शिशिक्षु को सरकार ने दी, शिशिक्षु ने एक साल परिश्रम करके वह ट्रेनिंग प्राप्त की है और उसने परीक्षा दी और उसके उपरान्त उसने उसका प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया था, तो यह किस लिए दिया गया ? इस ट्रेनिंग का उसके जीवन में और क्या उपयोग है ? आज सरकार बिलकुल इन्कार कर रही है कि उनको नौकरी ही नहीं है । यह बहुत ही हास्यास्पद बात है यह ट्रेनिंग किस काम में आ सकेगी । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि में शिशिक्षु, जो इतने इन्तजार के बाद नौकरी नहीं पा पाये तो क्या सरकार उनको कोई बेरोजगारी भत्ता, कोई और नौकरी दिलाने की सुविधा प्रदान करेगी ?

श्री मुख्तार अनीस–

माननीय नवमान जी के प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे अवगत कराना है कि 24 मार्च, 86 को जो परीक्षा ली गयी थी उसमें 50 लोगों को ट्रेनिंग दी गयी और 50 ने ट्रेनिंग प्राप्त की । जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका अर्थ यह होता है कि इनको ट्रेनिंग देने के बाद विभिन्न कम्पनियों में, जो गैर सरकारी क्षेत्र हैं वहां पर यह काम तलाश करें । इनको ट्रेनिंग हम देंगे, काम यह तलाश करें । प्रश्न में मैंने स्पष्ट कर दिया है कि यहां शिशिक्षु अप्रेन्टिस अधिनियम, 1961 की धारा 22 में यह साफ उल्लेख कर दिया गया है कि ट्रेनिंग हम देंगे, रोजगार देने की जिम्मेदारी नहीं होगी । जहां तक दूसरा प्रश्न है, उनको हम भत्ता देंगे इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है । ऐसा कोई नियम नहीं है ।

श्री कल्यान सिंह–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि परिवहन निगम ने प्रशिक्षण तो दे दिया, प्रमाण-पत्र दे दिया । नौकरी देने की गारंटी उनकी नहीं है । उन्होंने यह भी कहा कि शासन का यह दायित्व है कि प्रमाण पत्र वालों को नौकरी देंगे । मैं इस विषय पर विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं । मेरे इस सवाल पर क्या मंत्री जी बतायेंगे कि परिवहन निगम में जो नियुक्तियां होने वाली हैं, जिनको ट्रेनिंग लड़कों को दी गयी है, इन ट्रेन्ड लड़कों को इन रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए प्राथमिकता देंगे ?

श्री मुख्तार अनीस–

इसमें समस्या है । इन अप्रेन्टिस शिशिक्षुओं ने अपनी यूनियन बनायी और यूनियन बनाने के बाद हाई कोर्ट में गये । वहां केस किया । उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय से परिवहन निगम ने स्टे लिया है । मामला विचाराधीन है । जब तक उस पर स्पष्ट आदेश नहीं हो जाते तब तक परिवहन निगम कुछ नहीं कर सकता ।

मांझा लपेटने वाली चर्खियों पर से बिक्री कर समाप्त करने की मांग

*11–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 30 जून, 88 से मांझा धागा पर बिक्री कर समाप्त कर इस उद्योग में लगे हजारों लोगों को राहत दी गयी थी ? यदि हां, तो अभी भी चर्खियों जिन पर मांझा लपेटा जाता है, पर बिक्री कर वसूल करने का क्या औचित्य है? क्या सरकार मांझा लपेटने वाली चर्खियों पर से भी बिक्री कर समाप्त करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

मामला परीक्षणाधीन है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मांझा, चर्खी और पतंग यह तीनों ही कुटीर उद्योग हैं । 1988 में मांझा धागा पर बिक्रीकर हटा दिया गया लेकिन चर्खी से नहीं हटाया गया । सेल्स टैक्स विभाग के लोग चर्खियों पर टैक्स लगाते हैं । मांझे पर सेल्स टैक्स नहीं है, लेकिन चर्खी पर है । मंत्री जी यह चीजें कुटीर उद्योग में आती हैं इसलिए चर्खी पर सेल्स टैक्स माफ करने की घोषणा करेंगे ? ये बहुत छोटे लोग हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हम मामले का निरीक्षण करा रहे हैं । चर्खी के व्यापारी, जिनका कारोबार 50 हजार वार्षिक से कम होता है । सेल्स टैक्स के रिकार्ड में उनका नाम नहीं है । हमने इस सम्बन्ध में सूचना मांगी है । सूचना आने पर बिक्रीकर समाप्त करने पर विचार किया जायेगा ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर. आपने शायद पतंग नहीं उड़ाई है । मैंने तो बहुत उड़ाई हैं । पतंग से आप सेल्स टैक्स हटाने पर विचार करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मांझा चर्खी के बारे में प्रश्न था और यह पतंग को भी बीच में ले आए अगर इस संबंध में भी इनको जानकारी करनी थी तो अलग से कोई प्रश्न कर लेते । जहां तक मांझा चर्खी का सवाल है इस पर सरकार का टैक्स लगाने का कोई विचार नहीं है, इससे संबंधित जानकारी मंगाई गई है ।

मथुरा वृन्दावन तीर्थ नगरों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्तावित योजना

*12–श्री रविकान्त गर्ग–

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा वृन्दावन तीर्थ नगरों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री तथा राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

जी हां । प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित/प्रस्तावित की गई हैं :–

1–ब्रजभूमि परिक्रमा मार्ग-मथुरा परिक्रमा मार्ग का विकास एवं पर्यावरण सुधार योजना ।

2–पोतरा कुण्ड सौन्दर्यीकरण योजना ।

3–भगत सिंह पार्क का सौन्दर्यीकरण ।

4–गांधी पार्क [वृन्दावन] का सौन्दर्यीकरण ।

5–विद्युत शवदाह गृह योजना ।

6–मथुरा नगर में मुख्य धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों की प्रकाश व्यवस्था ।

7–वृन्दावन में मुख्य धार्मिक स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों की प्रकाश व्यवस्था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रविकांत गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी. मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं का प्रस्ताव किस-किस वर्ष में किया गया था, और इन प्रस्तावों पर कितनी-कितनी राशि व्यय होना अनुमन्य था इसमें से किन-किन योजनाओं को मंजूरी देकर कार्योन्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है । माननीय मंत्री जी, बहुसंख्यीय योजना का कार्य प्रारम्भ हुआ है. तो जिन योजनाओं पर स्वीकृति सरकार ने नहीं दी है उसे स्वीकृति प्रदान कराकर कार्यान्वित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

ब्रजभूमि परिक्रमा मार्ग मथुरा परिक्रमा मार्ग की विकास एवं पर्यावरण योजना के संबंध में 19.88 लाख धनराशि दी गई है तथा शासन द्वारा प्रथम किस्त 10.00 लाख 29-3-85 को तथा द्वितीय किस्त 9.88 लाख दिनांक 18-10-89 को प्राप्त हुई है । प्रथम किस्त का कार्य पूर्ण हो चुका है द्वितीय किस्त का कार्य प्रगति पर है । पोतरा कुण्ड सौन्दर्यीकरण योजना 1984-85 में भेजी गई है । इस योजना का कुल मूल्य 14.59 लाख है यह 1985 में स्वीकृति की गई है । प्राप्त धनराशि 9.54 लाख है । 16-12-85 को धनराशि प्राप्त हुई शेष धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । प्राप्त धनराशि रुपये 9.54 लाख का कार्य सा0 नि0 विभाग, निर्माण इकाई मथुरा द्वारा करा दिया गया है । शेष कार्य धनराशि प्राप्त के बाद होगा जो कि सा0 नि0 वि0 निर्माण खण्ड द्वारा किया जायेगा ।

भगत सिंह पार्क का सौन्दर्यीकरण योजना के बारे में बताना चाहूंगा कि यह योजना 1986-87 में भेजी गयी । योजना का कुल मूल्य 20.915 लाख है । 28-7-87 को इस योजना को स्वीकृति मिली है । 12.00 लाख धनराशि प्राप्त हुई है तथा प्रथम किस्त के रुप में 12.00 लाख दिनांक 28-7-87 को प्राप्त हुयी । शेष धनराशि आनी है । रुपये 12.00 लाख से कार्य करा दिया गया है शेष धनराशि प्राप्त होने पर शेष कार्य कराये जाएंगे ।

वृन्दावन का सौन्दर्यीकरण (गांधी पार्क) के बारे में बताना चाहूंगा कि इस योजना का कुल मूल्य 13.06 है । यह 19-12-84 को स्वीकृति हुई है । प्राप्त धनराशि 13.06 है । विद्युत शवदाह गृह पुनरीक्षित आगणन जो है यह योजना 8-10-87 तथा 26-7-89 को भेजी गई । योजना का कुल मूल्य 38.78 लाख तथा 42.83 लाख है । शासन इसमें विचार कर रहा है ।

मथुरा नगर में मुख्य धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों की प्रकाश व्यवस्था संबंधी योजना 26-8-1987 को भेजी गई योजना का कुल मूल्य 41.81 लाख है । वृन्दावन में मुख्य धार्मिक स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों की प्रकाश व्यवस्था संबंधी योजना 26-8-1987 को भेजी गई । योजना का कुल मूल्य 16.74 लाख है । जो योजनायें स्वीकृत नहीं हुई हैं उन पर विचार किया जाएगा ।

श्री रविकांत गर्ग–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो धन जिन योजनाओं के लिये पूर्व में दिया गया है उसमें पूर्व सरकार, जनप्रतिनिधियों व सरकारी अधिकारियों ने घपले किये हैं । क्या इसकी जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ब्रज विकास एवं संरक्षण समिति जो ब्रज भूमि के समग्र विकास के लिये बनायी गयी थी उसके द्वारा लिये गये निर्णयों पर विचार करके उनको कार्यान्वित करने की कार्यवाही की जायगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर; जहां तक घपलों का संबंध है, माननीय विधायक-जी से मैं निवेदन करूंगा, आपके माध्यम द्वारा की इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करा दें । घपलों की जांच अवश्य करा ली जायगी । दूसरी बात जो आपने विकास समिति की कही है तो उसको देख लेंगे कि उसमें क्या कार्यवाही हो रही है । जैसा होगा वह मैं आपको सूचित करा दूंगा ।

श्री अमरमणि–

मान्यवर, कपिलवस्तु एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसके लिए अगली सरकार ने कई करोड़ रुपये उसके विकास के लिये दिये थे । क्या कपिलवस्तु के विकास के लिये सरकार धन देगी जिससे वहां का विकास किया जा सके ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, कपिलवस्तु कहां और ब्रज भूमि कहां है । मूल प्रश्न से इसका संबंध ही नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1985-89 के बीच में योजना स्वीकार हुयी और उसके लिये धन दिया गया । लेकिन मेरी निश्चित् जानकारी है कि इस बीच जो धन उपलब्ध कराया गया उससे उन स्थानों का विकास नहीं कराया गया जिससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं किसी प्रकार का घपला भ्रष्टाचार अवश्य किया गया जिससे पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि माननीय विधायक जी यदि इसकी सूचना शासन के संज्ञान में ले आयेंगे तो निश्चित ही इसकी जांच करायी जायगी ।

जनपद लखनऊ में सहकारी समितियों द्वारा अवैध निर्माण को रोकने की मांग

*13–श्री राम कुमार शुक्ला–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में सहकारी समितियां अवैध तरीके से नजूल की जमीनों पर कालोनियां बना रही हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या यह सही है कि लखनऊ में सरफराजगंज में 158 बीघा भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सन् 1981 में अधिग्रहीत की थी परन्तु उसे भी कुछ सहकारी समितियां बांच रही हैं ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जिन सहकारी समितियों द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है उनके विरुद्ध न्यायालय में विकास प्राधिकरण द्वारा वाद दायर किया गया है । सरफराजगंज में 1981 में कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

माननीय मुख्य मंत्री जी को हमने इस संबंध में स्पष्ट प्रार्थना-पत्र दिया था और उसकी जांच कराने की मांग की थी । यह बड़े लोक महत्व का प्रश्न है । मैं इस संबंध में दो प्रश्न करना चाहता हूं । मान्यवर, पूरे प्रदेश में जितनी सहकारी आवास समितियां हैं वह ग्राम समाज की भूमि हो या सीलिंग की भूमि हो, उन जमीनों पर अवैध कालोनियां बना रही हैं । सीलिंग विभाग, नजूल विभाग यह सब विभाग उनमें लिप्त हैं । यह जो अवार्ड आया है यह अधूरा है और बचकाना है । यह अवार्ड उन्हीं लोगों द्वारा दिया गया है जिन लोगों के खिलाफ हमने सवाल किया है, शिकायत की है । रोज सैकड़ों मकान गिराये जा रहे हैं । अगर सहकारी समितियों के इन अवैध कार्यों पर रोक नहीं लगायी गयी तो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जायगी । लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 33 सहकारी आवास समितियों को अवैध घोषित किया है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है । दूसरा प्रश्न मैंने पूछा है कि कितनी ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनके ऊपर मुकदमें चलाये गये हैं । क्या सरकार इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच करवायेगी क्योंकि जिस स्तर पर जांच हो रही है उससे कुछ होने वाला नहीं है । लखनऊ के आलावा पूरे प्रदेश में सहकारी आवास समितियों द्वारा बड़े लम्बे घपले हो रहे हैं । अगर सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लेती है तो यह जनहित में होगा, प्रदेश के हित में होगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि किन समितियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । श्रीमन् ये 12 समितियां हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है:–

(1) नोटिस संख्या 1/एल0डी0ए0/दो (गं) दिनांक 6-4-89 श्री जहूर अहमद ।
(2) नोटिस सं0 2/एल0डी0ए0/दो (गं) दिनांक 6-4-89 श्री फारूक सिद्दीकी ।
(3) नोटिस सं0 3/एल0डी0ए0/दो (गं) दिनांक 6-4-89 श्री सज्जाद हसन ।
(4) नोटिस सं0 4/एल0डी0ए0/दो (गं) दिनांक 6-4-89 श्री डोरी लाल ।
(5) नोटिस सं0 5/एल0डी0ए0/दो (गं) दिनांक 6-4-89 श्री एस0 सी0 सिंह ।
(6) नोटिस सं0 6/एल0डी0ए0/दो (गं) दिनांक 6-4-89 श्री नत्था लेखपाल ।
(7) नोटिस सं0 7/एल0डी0ए0/दो (गं) दिनांक 6-4-89 श्री आशिक अली ।
(8) नोटिस सं0 8/एल0डी0ए0/दो (गं) दिनांक 6-4-89 श्रीमती शाहजहां ।
(9) नोटिस सं0 33/एल0डी0ए0/दो (गं) दिनांक 11-8-89 श्री राजा राम
(10) नोटिस सं0 92/एल0डी0ए0/दो (गं) दिनांक 26-10-89 कनीज फातमा ।
(11) नोटिस सं0 94/एल0डी0ए0/दो (गं) दिनांक 26-10-89 श्री रमेश निगम ।
(12) नोटिस सं0 137/एल0डी0ए0/दो (ग) दिनांक 26-10-89 श्रीमती शाहजहां, पत्नी इस्लाम अहमद ।

उपरोक्त समस्त धारा 27(1) की नोटिस वाद लिपिक द्वारा विहित प्राधिकारी न्यायालय को भेजी गयीं, जहां पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

श्री राम कुमार शुक्ला–

मान्यवर, इन नामों को देखते हुए पता लगता है कि कोई ऐसी समितियां नहीं है । मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी गुमराह किया गया है । ये जो नाम हैं, व्यक्तियों के नाम हैं, उनको सहकारी समितियों से जोड़ना ही गलत है । सहकारी समितियों के खिलाफ बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

श्रीमन् जहां तक मुझे जानकारी है उनके सचिव जो हैं, उनके नाम से ही नोटिस भेजी जाती है । आप कह रहे हैं, तो मैं पुनः इसको दिखवा लेता हूं । अगर इसमें कोई त्रुटि हुई है, तो उससे आपको अवगत करा दूंगा ।

श्री राम कुमार शुक्ला–

मान्यवर, जांच उस स्तर के बजाय, शासन स्तर पर कोई ऐसी जांच करायेंगे, जिससे कि घोटाले पर अंकुश लग सके ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

यह तो नीति की बात है, इस पर विचार करने में कोई एतराज नहीं होगा । मान्यवर, सुरकराजगंज के बारे में प्रश्न किया गया था, उसके बारे में मैंने बता दिया और कहीं पर यदि कोई जानकारी हो, तो वह आप बता दें, मैं आपको जानकारी करा दूंगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, बंजर भूमि सरकारी समितियों को दे दी जा रही है । जबकि शासन की यह नीति है कि गरीब और निर्बल वर्ग के लोगों को निःशुल्क अथवा सस्ते दर पर पट्टा कर दिया जाय। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जो नजूल की जमीनें हैं, उसको कमजोर और निर्बल वर्ग के लोगों को निःशुल्क अथवा सस्ते दर पर आवासीय प्रयोजन हेतु प्रति परिवार 100 वर्ग गज भूमि आवंटित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय सदस्य को धैर्य रखना चाहिए, प्रश्न संख्या–20 तो वह किये हुए हैं ।

*14–श्री केसरी नाथ त्रिपाठी–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

*श्री हरद्वार दूबे एडवोकेट, श्री छोटे लाल, श्री ओम प्रकाश तथा श्री केदार नाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*16–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

[3 रे मंगलवार के लिए स्थगित]

उ0 व0 सचिवालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को टेलीफोन आपरेटर के पद पर पदोन्नति किये जाने की मांग

*17–श्री ओम प्रकाश गुप्ता (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समूह ''ग'' के निम्नतम पद टेलीफोन आपरेटर के पद पर प्रोन्नति की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं. तो क्यों, ? क्या उक्त पद की शैक्षिक एवं प्राविधिक योग्यता पूरी करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को टेलीफोन आपरेटर के पद पर पदोन्नति दिये जाने पर विचार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नियमों में प्राविधान नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियमों में प्राविधान नहीं है ।

उ0 प्र0 सहकारी संघ लि0 (पी0 सी0 एफ0) के कर्मचारियों व अधिकारियों के स्थानान्तरण संबंधी नियम

*18–श्री हनुमन्त सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी संघ लि0 (पी0 सी0 एफ0) में लगभग 4,000 कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में कोई नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उसके आधार पर स्थानान्तरण की कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री हनुमन्त सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 4,000 कर्मचारी व अधिकारी उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लि0 में कार्यरत हैं और उनके बारे में स्थानान्तरण के जो नियम बने हैं उसके विपरीत काम हो रहा है, उसका पालन नहीं हो रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी उन स्थानान्तरण नियमों का पालन कराने का प्रयास करेंगे और जो नियम का पालन नहीं हुआ है तो सरकार इसके खिलाफ कोई कदम उठायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, पी0 सी0 एफ0 के बारे में जो सूचना हमारे पास है उसके अनुसार जो स्थानान्तरण नीति बनायी गयी थी उसी के अनुसार स्थानान्तरण हुए हैं लेकिन फिर भी माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो वह दे दें, मैं उसको दिखवा लूंगा ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, अगर उसका पालन नहीं हुआ है तो संबंधित अधिकारी को दंडित करेंगे और उसके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है उसमें श्री पी0 सी0 एफ0 की स्थानान्तरण नीति है उसी के अनुसार ही स्थानान्तरण हुए हैं, फिर भी अगर माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो उसे दे दें, मैं दिखवा लूंगा । दिखवाने के बाद कोई प्रश्न पैदा होगा, मैं तो कह रहा हूं कि मैं उसे दिखवा लूंगा ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मैं लिस्ट देना चाहता हूं, अगर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहते है तब तो लिस्ट देने को तैयार हूं । मान्यवर, यह स्पष्ट उत्तर आना चाहिए कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही तो करेंगे वह कह रहे हैं ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मा0 वह यह नहीं कह रहे हैं । या तो आप उनको निर्देशित करें या मा0 मंत्री जी से ही स्पष्ट उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस संबंध में कोई निर्देश तो दे नहीं सकता, माननीय मंत्री जी इस संबंध में कह तो रहे हैं कि अगर मेरे संज्ञान में कोई मामला लाते हैं तो निश्चित ही कार्यवाही करेंगे और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, यह नहीं कह रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश में नये जनपदों की सृजन की योजना

*19–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में नये जनपदों के सृजन की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने नये जिलों एवं कितनी नई तहसीलों का सृजन किन-किन जनपदों में विचाराधीन है ?

श्री राम शरण दास–

उत्तर प्रदेश में नये जनपदों एवं नई तहसीलों के सृजन का मामला अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति के विचाराधीन है जिसकी संस्तुति अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुई है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समिति का गठन कब हुआ और इस समिति की आख्या कब तक शासन को प्राप्त हो जायेगी और इस समिति की जो आख्या देने को कहा गया है उसके लिए कुछ जनपदों के नाम दिये गये हैं या नहीं ?

श्री राम शरण दास–

यह समिति बहुत पुरानी है. इसमें चेन्ज होते रहते हैं, यह 76 की समिति है और अब मैं निवेदन करूंगा कि आप जून, 1991 तक इंतजार करिये क्योंकि जून, 91 तक कोई नया जनपद, नयी तहसील, नया ब्लाक नहीं बनेगा, इस पर भारत सरकार से प्रतिबन्ध हो गया है । भारत सरकार से प्रतिबन्ध लगने के कारण 30 जून, 1991 के बाद ही यह सदन और मैं आपकी सेवा कर सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

नोट:–नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या-19 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

जनपद इलाहाबाद में नजूल की भूमि का पट्टा देने की योजना

*20–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में नजूल भूमि पर काफी अरसे से रह रहे भूमिहीन मध्यम कमजोर एवं हरिजन वर्ग के लोगों को आवासीय प्रयोजन हेतु प्रति परिवार 100 वर्ग गज भूमि निःशुल्क अथवा सस्ते दर पर पट्टा करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और कब तक लागू कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्या मुख्य मंत्री जी ऐसी योजना बनायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

वर्तमान शासनादेशों के अन्तर्गत सम्भव नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

उ0 प्र0 सचिवालय के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

1–श्री भगवानदीन कुशवाहा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के वित्त विभाग में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जो कि विगत 5 वर्षों या अधिक समय से एक ही अनुभाग में कार्यरत हैं? क्या सरकार ऐसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वित्त विभाग में 07 अनुभाग अधिकारी पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि से एक ही अनुभाग में कार्यरत थे, जिनमें से 06 को स्थानान्तरित कर दिया गया है;

01 अनुभाग अधिकारी की आसन्न सेवा-निवृत्ति को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरित नहीं किया गया है । इसी प्रकार कर्मचारियों में 67 प्रवर वर्ग सहायक, 32 अवर वर्ग सहायक, 09 सन्दर्भ लिपिक तथा 04 लेखाकार पांच वर्ष या अधिक समय से एक ही अनुभाग में कार्यरत थे । इनमें से 54 प्रवर वर्ग सहायकों को स्थानान्तरित कर दिया गया है । अवर वर्ग सहायकों, सन्दर्भ लिपिकों एवं लेखाकारों को अभी लोकहित में स्थानान्तरित नहीं किया गया है ।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0 प्र0 के वर्तमान निदेशक तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव बी0 एल0 मनचन्दा के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

2–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0 के वर्तमान निदेशक तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव, बी0 एल0 मनचन्दा के विरुद्ध एक शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 26-7-89 को और उसके बारे में अनुस्मारक 21-9-89 जो रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र में मुख्य शिकायतें क्या हैं और अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही न होने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । वस्तुतः प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-3-90 के साथ श्री चन्द्रशेखर का वित्त विभाग के भूतपूर्व संयुक्त सचिव श्री बी0 एल0 मनचन्दा तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान निदेशक के विरुद्ध शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ।

मुख्य शिकायतों निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0 प्र0 के विरुद्ध बिना अनुमति के लखनऊ विकास प्राधिकरण से भूखण्ड क्रय किए जाने, श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी, वरिष्ठ सम्परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को नियमों के विरुद्ध भवन मरम्मत अग्रिम स्वीकृत किए जाने तथा वित्त विभाग के भूतपूर्व संयुक्त सचिव, श्री बी0 एल0 मनचन्दा के विरुद्ध श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी, वरिष्ठ सम्परीक्षक, स्थानीय विधि लेखा परीक्षा विभाग की सांठ-गांठ से लखनऊ विकास प्राधिकरण से नियमों के विरुद्ध आवंटित भवन के साथ अतिरिक्त भूमि आवंटित कराने तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के लखनऊ स्थित मण्डल कार्यालय की जीप का निजी प्रयोग करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

सहकारी क्षेत्र में बदायूं जनपद में कार्यरत चितरोई विनको फैक्ट्री को वनस्पति घी उत्पादन का लाइसेंस

3–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहकारी क्षेत्र में बदायूं जनपद में कार्यरत चितरोई विनको फैक्ट्री को वनस्पति घी के उत्पादन का लाइसेंस प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो वहां कब से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के ग्राम गढ़ी में निवासियों को अवैध रूप से किए गए पट्टों की जांच

4–श्री फकीरे लाल वर्मा, श्री रवीन्द्र कुमार सिंह तथा श्री खुर्शीद–

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि ग्राम गढ़ी थाना-शिवगढ़, मजरा-देहली, तहसील-महराजगंज, जनपद-रायबरेली में पूर्व प्रधान (श्री छंगा) द्वारा वर्ष 1988-89 में ग्राम सभा की भूमि का आवंटन फर्जी नसबन्दी के आधार पर कराकर ग्राम-बाजितपुर मजरा-देहली, तहसील-महराजगंज, जिला-रायबरेली के निवासियों को अवैध रूप से पट्टे करवा दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त अवधि में किए गए पट्टों की जांच कराकर ग्राम समाज की भूमि को अवमुक्त करायेंगे तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामशरण दास–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के ग्राम पूरेलीला के निवासी श्री राम खेलावन की कृषि योग्य भूमि को हड़पने के संबंध में शिकायती-पत्र

5–श्री फकीरे लाल वर्मा, श्री रवीन्द्र कुमार सिंह तथा श्री खुर्शीद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम खेलावन निवासी ग्राम-पूरे लीला, ग्राम सभा कोर्टवा मोहम्मदाबाद थाना–शिवरतन गंज जिला-रायबरेली का प्रार्थना-पत्र जो कतिपय व्यक्तियों द्वारा उनको मृत घोषित कर उनकी कृषि योग्य भूमि हड़प लिये जाने के संबंध में है, सदस्य, विधान सभा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह के उपरिपत्र के साथ उन्हे दिनांक 19-12-1989 को प्राप्त हुआ है ? क्या प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा उसके आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह विधायक के पत्र के साथ नहीं बल्कि श्री अनुग्रह नारायण सिंह, विधायक के पत्र दिनांक 19-12-89 के साथ श्री राम खेलावन का पत्र प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

जांच से विदित हुआ कि ग्राम मोहम्मदाबाद कोटवा के खाता संख्या 495 पर राम जेलावन पुत्र राम भरोसे का नाम संक्रामणीय भूमिधर अंकित था परन्तु उसकी मां द्वारा पुनर्विवाह करने के फल-स्वरूप वर्ष 1984 में मु0 कौशल्या उर्फ सुखिया विधवा पंचम द्वारा प्रस्तुत मुकदमें में नायब तहसीलदार के आदेशानुसार उसका नाम वरासत के आधार पर दर्ज किया गया । इस आदेश के विरुद्ध अपील विचाराधीन थी, जो चकबन्दी प्रक्रिया लागू होने के कारण अबेट हो गयी और अब उक्त भूमि के संबंध में विवाद चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

जांच में कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया इसलिए किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

मु0 जनाका पुत्री हुबलाल, देवा हृदय, निवासिनी बाजितपुर तहसील महराजगंज जिला-रायबरेली की भूमि हड़पने के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

6-श्री फकीरे लाल वर्मा, श्री रवीन्द्र कुमार सिंह तथा श्री खुर्शीद-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के 3रे मंगल के लिये निर्धारित श्री गोपी नाथ वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0-161 के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले में दिये गये आरोप पत्र तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी को दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास-

संबंधित लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्ट देकर दूसरी तहसील को स्थानान्तरित कर दिया गया है । वरासत से संबंधित पत्रावलियों के निस्तारण हेतु सहायक चकबन्दी अधिकारी को दिये गये निर्देशों के अंतर्गत कार्य उनके क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण संबंधित पत्रावलियां चकबन्दी अधिकारी, शिवगढ़ को भेज दी गई हैं । जहां वाद विचाराधीन है ।

श्री ए0 के0 सिंह सिटी मजिस्ट्रेट वाराणसी के विरुद्ध वादकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

7-श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह तथा श्री लालता प्रसाद यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ए0 के0 सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट, वाराणसी के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करने संबंधी प्रश्नकर्ता का दि0 29-3-90 का शिकायती पत्र उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

जिलाधिकारी, वाराणसी से जांच कराई गई । जांच में सभी आरोप निराधार पाये गये । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की ग्राम सभा काजीपुर के बरई मानपुर के भूमिहीनों को पट्टा देने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

8-श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 8-3-90 का पत्र श्री किशुना प्रधान ग्राम काजीपुर तहसील नरैनी जनपद बांदा के पत्र के साथ ग्राम सभा काजीपुर में बरई मानपुर के भूमिहीनों को भूमि का पट्टा देने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

ग्राम सभा काजीपुर तथा ग्राम सभा बरहैं मावपुर दो अलग-अलग ग्राम सभायें हैं । ग्राम सभा काजीपुर में वर्तमान समय में 96 अन्य भूमिहीन खेतिहर हैं तथा वे भूमि पाने की वरीयता में आते हैं । प्राप्त सूचना के अनुसा[ग्रधान, ग्राम सभा, काजीपुर के पात्र व्यक्तियों को भूमि नियमानुसार आवंटित करने के लिये निर्देशित कर दिया है । जब तक ग्राम सभा काजीपुर के भूमिहीनों को भूमि आवंटित नहीं हो जाती, तब तक अन्य गांव सभा के व्यक्तियों में भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता ।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम कोरैंही में अवैधानिक भूमि पट्टों के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

9–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 8-3-90 का पत्र बांदा जनपद तहसील नरैनी ग्राम कोरैंही के श्री अब्दुल खालिक खान अध्यक्ष युवक मंगल दल ग्रा0 कोरैंही के पत्र के साथ ग्राम कोरैंही में हुये अवैधानिक भूमि के पट्टों के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इसमें कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम शरण दास–

जी हां, प्रश्नगत पत्र सचिव, राजस्व परिषद् को जांच हेतु भेजा गया । जनपद स्तर पर [illegible] खालिद खान-अध्यक्ष, युवक मंगल दल, ग्राम कोरैंही के शिकायती पत्र के आधार पर तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा जांच की गयी जिसमें प्रथम दृष्टया लेखपाल, कोरैंही मोहम्मद इलियास एवं भूलेख निरीक्षक श्री तुफैल अहमद दोषी पाये गये । इन्हें निलंबित करके विभागीय कार्यवाही की जा रही है । इनके अतिरिक्त तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री भानु प्रताप शुक्ल एवं तहसीलदार श्री श्याम लाल गुप्ता के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है । मोहम्मद सिद्दीक खां, ग्राम प्रधान, कोरैंही को भी धारा–95 जी पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत आरोपित किया गया है ।

श्री हरनाम चन्द्र सिन्हा तत्कालीन जेलर लखनऊ की अपील का निस्तारण

10–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि 20-9-85 को जिला कारागार लखनऊ से एक कैदी के भाग जाने के लिए कथित दोषी के बारे में कारागार महानिरीक्षक के दंडादेश दिनांक 6 जून, 1986 के विरुद्ध जो अपील तत्कालीन जेलर श्री हरनाम चन्द्र सिन्हा द्वारा अगस्त 1986 में सचिव, गृह विभाग (जेल) उ0 प्र0 को उचित माध्यम से (कारागार महानिरीक्षक) दी गयी उसके निस्तारण की प्रगति क्या है ?

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)–

श्री हरनाम चन्द्र सिन्हा तत्कालीन जेलर की अपील विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत प्रवर वर्ग सहायकों की संख्या

11–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या सरकार उत्तर प्रदेश सचिवालय में वर्ष 1981 से वर्ष 1989 तक (वर्षवार) प्रवर वर्ग सहायक के स्थायी व अस्थायी पदों की संख्या (अलग-अलग) उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के स्थाई/अस्थाई पदों की संख्या वर्ष 1981 से 1989 तक [वर्षवार] की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 132)

जनपद बिजनौर में नई चीनी मिल खोलने की मांग

12–श्री सुखवीर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई बिजनौर की गन्ना पेराई की क्षमता को बढ़ाने के संबंध में सरकार अब तक क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वर्तमान समय में कोई और नयी चीनी मिल खोलने की घोषणा करेगी ? यद हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई बिजनौर की क्षमता विस्तारीकरण 2500 टी0 सी0 डी0 हो चुकी है ।

जनपद बिजनौर में वर्तमान में नई चीनी मिल खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

13–श्री कल्यान सिंह–

[2रे शुक्र में अता0 प्र0 सं0 114 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मेरठ निवासी श्री जी0 के0 जौहरी के अवशेष वेतन आदि के भुगतान की मांग

14–श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ निवासी जी0 के0 जौहरी, सहकारी निरीक्षक वर्ग प्रथम, जो 22 अप्रैल, 1975 से सेवा निवृत्त किये गये थे के 13 महीने 8 दिन की पेंशन भविष्य निधि के शेष (ब्याज सहित) वेतन का मुल बकाया धन का भुगतान 25–30 वर्ष के पश्चात् भी क्यों सम्भव नहीं हो सका है ? उक्त बकाये का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री जी0 के0 जौहरी द्वारा पेंशन प्रपत्र 13 महीने 8 दिन विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण उन्हें शासनादेशानुसार पेंशन 13 महीने 8 दिन के पश्चात स्वीकृत की गयी है । उनकी भविष्य निधि तथा अवशेष वेतन क्रमश: रू0 1881–00 तथा 414–20 पैसे का भुगतान किया जा चुका है । शेष 1994–18 रू0 के अवशेष वेतन के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है जिसका भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा ।

जनपद बाराबंकी की तहसील राम सनेही घाट के ग्राम बहेरलाडीह में स्थित चक मार्ग पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की मांग

15–श्री तीरथ राज–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बहेरलाडीह तहसील राम सनेही घाट परगना सूरजपुर जनपद बाराबंकी में स्थित चकमार्ग नं0–201 गत वर्षों से बन्द है ? क्या यह सत्य है कि हरिजन बस्ती राम आधार का पुरवा मजरे बहेरलाडीह से आवागमन का मार्ग एकमात्र चकमार्ग नं0–201 ही है ? यदि हां, तो चकमार्ग पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

मामले की जांच और चकमार्ग का सीमांकन कराया गया जिस पर 9 व्यक्तियों का अवैध कब्जा पाया गया । इन अवैध काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122 बी के अंतर्गत बेदखली के बाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

16–श्री तीरथ राम–

[3रे मंगल में अता0 प्र0 सं0 187 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम नवाबगंज गोण्डा पर किसान के बकाये धन का भुगतान करने की मांग

17–श्री रमापति शास्त्री–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम नवाब गंज, गोण्डा पर किसानों एवं श्रमिकों का कितना पैसा बकाया है ? उक्त बकाये का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री राम शरण दास–

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की इकाई नवाबगंज, [गोण्डा] पर, मिल अधिग्रहण के उपरान्त किसानों का देय गन्ना मूल्य रुपये 66,98,993·06 भुगतान हेतु शेष है । मिल अधिग्रहण के उपरान्त श्रमिकों का देय भुगतान अवशेष नहीं है ।

किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्र करा दिया जायेगा ।

सहकारिता अनुभाग–2 में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

18–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारिता सचिव–शाखा के अनुभाग-2-3 में कितने कर्मचारी 5 वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत हैं ? क्या यह भी सत्य है कि कुछ कर्मचारी लगभग 10 वर्षों से लेकर 30 वर्षों तक की अवधि से उक्त अनुभाग में ही कार्यरत है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सहकारिता अनुभाग–2 एवं 3 में केवल एक कर्मचारी पांच वर्षों से अधिक की अवधि से कार्यरत है । वह विगत 30 वर्षों से सहकारिता अनुभाग–2 में कार्यरत है । प्रश्नगत कर्मचारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

प्रदेश के कतिपय जिलों एवं मुख्यालयों पर अपर तहसीदार के पदों का सृजन

19–डा0 सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुछ जिलों के मुख्यालय एवं तहसीलों में 14 अपर तहसीलदारों के सृजन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री राम शरण दास–

14 जनपदों की सदर तहसीलों के लिये अपर तहसीलदार के एक-एक अस्थाई पद के सृजन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है, जिस पर परीक्षणोपरांत यथोचित निर्णय यथा शीघ्र लिया जायेगा ।

20–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

[दिनांक 14-6-90 को अता0 प्र0 सं0 68 द्वारा उत्तारित]

जनपद मेरठ के उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम मुजफ्फरनगर डिपो में मृतक श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह के आश्रित श्री किरन पाल सिंह को नौकरी में लिये जाने की मांग

21–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह नि0 ग्रा0 लुम्ब, जनपद मेरठ, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम मुजफ्फरनगर डिपो में क्लीनर के पद पर कार्यरत थे और दिनांक 15-8-1987 को उनकी हत्या कर दी गयी थी ? क्या मृतक के पुत्र किरनपाल ने आश्रित होने के नाते अनेक प्रार्थना-पत्र विभाग में उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दिये जाने के संबंध में दिये थे ? यदि हां, तो मृतक आश्रित श्री किरनपाल को अभी तक विभाग में नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह डिपो कार्यशाला, उ0 प्र0 परिवहन निगम मुजफ्फरनगर में क्लीनर के पद पर कार्यरत थे तथा दिनांक 15-8-87 को इनकी मृत्यु हो गयी थी । श्री किरनपाल का मृतक आश्रित होने के नाते नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक, कार्यालय उ0 प्र0 परिवहन निगम, मेरठ में प्राप्त हुआ है ।

मृतक कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनायी गयी है, जिसके अनुसार प्रत्येक तिमाही में निर्धारित संख्या में नियुक्तियां प्रदान की जा रही हैं । इस क्रम में श्री किरनपाल की नियुक्ति जुलाई–सितम्बर, 1990 त्रैमास में की जायेगी ।

जनपद बुलन्दशहर, स्व0 श्री पद्म सिंह के आश्रित श्री वेद प्रकाश को नौकरी में लिये जाने की मांग

22–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि श्री पद्म सिंह सहा0 चकबन्दी अधिकारी, बुलन्दशहर का सेवाकाल में दिनांक 31-8-82 को निधन हो गया था ? क्या मृतक आश्रित श्री वेद प्रकाश ने अनेक प्रार्थना-पत्र समय-समय पर चकबन्दी कर्ता के पद पर नियुक्ति के लिए विभाग को दिये थे ? यदि हां, तो चकबन्दी कर्ता के पद पर उन्हें नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ? उन्हें कब तक नियुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

जी हां ।

मृतक राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों में से चकबन्दी कर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु उपर्युक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने हेतु सूचना श्री वेद प्रकाश को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के माध्यम से निदेशालय के पत्र सं0–7838/ई-803/83, दिनांक 25-10-89 द्वारा भेजी गई थी, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण उनकी नियुक्ति चकबन्दीकर्ता के पद पर नहीं की जा सकी है ।

भविष्य में भी चकबन्दी कर्ता के पद पर मृतक आश्रितों से नियुक्ति हेतु ऐसी परीक्षा तथा साक्षात्कार आयोजित होने पर श्री वेद प्रकाश उसमें सम्मिलित हो सकते हैं तथा उपयुक्त पाये जाने पर उनकी नियुक्ति चकबन्दी कर्ता के पद पर की जा सकेगी ।

जनपद बुलन्दशहर के श्री पद्मा सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह की कारागार में निरुद्ध रखने की अवधि

23–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पद्मा सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह नि0 बीरखेड़ा, थाना–सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर सन् 1962 से 1980 तक कब-कब और किस-किस मामले में बुलन्दशहर कारागार में निरुद्ध रहे हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

श्री पद्मा सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह निवासी बीरखेड़ा, थाना–सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर सन् 1962 से 1980 तक की अवधि में वर्ष 1973 में धारा 144 द0 प्र0 सं0 का उल्लंघन करने पर धारा 188 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत दिनांक 15-3-73 को विचाराधीन बन्दी के रूप में बुलन्दशहर जेल में दाखिल हुए थे और दिनांक 17-3-73 को जमानत-मुचलका पर जेल से रिहा हुए थे ।

जनपद फैजाबाद में आबादी का बन्दोबस्त कराने की मांग

24–श्री जयशंकर पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशोक कुमार दुग्गल भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद् ने अ0 शा0 पत्र संख्या 5129/9-26/87 दिनांक 24 नवम्बर, 1983 द्वारा जिला अधिकारी फैजाबाद को कोई पत्र आबादी का बन्दोबस्त करने संबंधित पूर्व विधायक, श्री प्रियदर्शी जेतली, अकबरपुर, फैजाबाद के सुझाव के आधार पर लिखा था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

यह पत्र आबादी का बन्दोबस्त कराने के सुझाव से संबंधित था । वर्तमान अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा आबादी का बन्दोबस्त किए जाने का प्राविधान नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना के ग्राम-कचनाव में भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में श्री राम स्वरूप वर्मा स0 वि0 स0 के पत्र पर कृत कार्यवाही

25–श्री गजराज सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री महंगूदास तथा श्री सम्पत्ति पुत्रगण श्री गुरूचरन पिछड़ी जाति (लोनिया) ग्राम-कचनाव, परगना-जगदीशपुर, तहसील-मुसाफिरखाना, जनपद-सुल्तानपुर का दिनांक 28-2-90 का प्रार्थना पत्र भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर तथा श्री रामस्वरूप वर्मा, सदस्य , विधान सभा के पत्रांक 275/रा0/90/15-3-90 के साथ मा0 राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम शरण दास–

जी हां, परन्तु श्री महंगूदास आदि का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-2-90 का न होकर दिनांक 6-3-90 का है ।

उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच से पाया गया कि ग्राम कचनाव, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना में चकबन्दी प्रक्रिया के अंतर्गत अन्तिम अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और आकार पत्र 45 के खाता सं0-508 पर श्री मंहगूदास पुत्र श्री गुरूचरन ग्रामवासी के नाम नई गाटा संख्या-1498 की 1 बीघा 1 विस्वा 9 विस्वांसी एवं गाटा संख्या-1535 की 8 विस्वा 2 विस्वासी कुल 1 बीघा 9 विस्वा 11 विस्वांसी भूमि दर्ज है । इसी प्रकार खाता संख्या-858 श्री सम्पत्ति पुत्र श्री गुरूचरन, ग्रामवासी के नाम नई गाटा संख्या-1497 की 1 बीघा 4 विस्वांसी एवं गाटा संख्या-1436 एवं गाटा संख्या–1436 की 7 विस्वा 7 विस्वांसी कुल दो किता 1 बीघा 7 विस्वा 11 विस्वांसी भूमि दर्ज है । इसी इन्दराज के आधार पर चकों के कब्जा परिवर्तन के समय प्रार्थीगण को कब्जा

दिया जा चुका है । चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित सम्बन्धित आदेश के विरुद्ध श्री गंगादीन आदि ने अपील दायर कर रखी है, जो वर्तमान समय में बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), सदर, सुल्तानपुर के न्यायालय में लम्बित है ।

ग्राम कचनावं की धारा-52 का प्रकाशन हो चुका है । अतएव अभिलिखित खातेदार को अनाधिकृत कब्जे की दशा में नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए ।

जनपद देवरिया के मुख्यालय सलेमपुर में बस डिपो खोलने की मांग

26-श्री सुरेश यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार देवरिया जनपद के सलेमपुर मुख्यालय पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बस डिपो खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

देवरिया जनपद के सलेमपुर मुख्यालय पर राज्य सड़क परिवहन निगम का बस डिपो खोलने का प्रस्ताव परिवहन निगम की आठवीं पंच वर्षीय योजना में नहीं है । अतः वहां डिपो स्थापित करना प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर में मुंसिफी अदालत स्थापित करने की मांग

27-श्री सुरेश यादव-

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद की सलेमपुर तहसील के लिए मुंसिफ अदालत स्वीकृत है और स्थानाभाव में स्थापित नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थान उपलब्ध कराकर उक्त मुंसिफी अदालत को स्थापित कराने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना के प्रश्न पर माननीय उच्च न्यायालय से उनका अभिमत/संस्तुति मांगी गयी थी जिस पर उन्होंने सूचित किया कि जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर में न्यायालय कक्ष एवं पीठासीन अधिकारियों के लिए उपयुक्त आवासीय व्यवस्था न होने तथा हवालात, मालखाना एवं सबजेल आदि के अभाव में उक्त न्यायालय को सम्प्रति स्थापित करना संभव नहीं है ।

जनपद गोरखपुर के राजकीय पालीटेक्निक के अधिकारियों/कर्मचारियों को माह की पहली तारीख को वेतन देने की मांग

28-श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अध्यापकों को उनके प्रतिमाह के वेतन का भुगतान गत वर्ष से प्रत्येक माह की पहली तारीख को नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा इस लापरवाही के लिए कोई कदम उठाया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

गत वर्ष कुछ माह को छोड़कर प्रत्येक माह की पहली तारीख को भुगतान किया गया ।

भविष्य में वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की पहली तारीख को करने हेतु कार्यवाहक प्रधानाचार्य को निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा कड़े निर्देश दिये गये है ।

जनपद लखनऊ के ग्राम व पो0 एेन के निवासी श्री यदुनाथ सिंह पुत्र श्री भोरी लाल की भूमि का कब्जा दिलाने की मांग

29–श्री सुबास–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री यदुनाथ सिंह पुत्र श्री भोरी लाल निवासी ग्राम व पोस्ट एेन, जनपद लखनऊ की सन् 1976 में भूमि संख्या 744 में एक बीघा 19 बिस्वा भूमि का आवंटन/पट्टा दिया गया था, जिसका कब्जा न मिलने पर कब्जा दिलाए जाने के संबंध में पूर्व सांसद श्री रामप्यारे पनिका व श्री रामआसरे वर्मा पूर्व विधायक के पत्र दिनांक 12-1-89 व 26-7-89 प्राप्त हुये तथा उक्त पत्रों पर कार्यवाही के क्रम में कब्जा दिलाये जाने हेतु परगनाधिकारी सदर लखनऊ द्वारा पत्रांक मेमो/आवंटन/आ0 लि0 89 दिनांक 9-8-89 तथा मेमो/आवंटन/कब्जा/आ0 लि0/89 दिनांक 31 सितम्बर, 1989 द्वारा आदेश दिये गये ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि का कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो सितम्बर, 89 से अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ? आवंटी को कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा ।

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री यदुनाथ सिंह के अलावा श्रीमती कुआरा विधवा विपत, निवासी ग्राम–एेन, परगना बिजनौर, तहसील लखनऊ को भी वर्ष–1976 में भूमि संख्या–744/2948 रकबा एक बीघा पांच बिस्वा आवंटित हुई थी परन्तु उसने श्री यदुनाथ सिंह को आवंटित भूमि संख्या–744/6 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा 15 बिस्वांसी पर भी अनाधिकार कब्जा कर रखा है । श्रीमती कुआरा ने अपनी आवंटित भूमि का विनिमय श्री यदुनाथ सिंह को आवंटित भूमि से कराने हेतु परगनाधिकारी, लखनऊ के न्यायालय में जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–161 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर रहा है । मामला न्यायालय में विचाराधीन है जिसके निर्णयोपरान्त कब्जा दिलाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

30–श्री निरवेन्द्र कुमार–

[1ले बुध में अता0 प्र0 सं0 164 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ, गोमती नगर आवासीय योजना में आवंटित भूमि को भूस्वामियों के पक्ष में रजिस्ट्री कराने की मांग

31–श्री रामपाल वर्मा–

क्या आवास मंत्री कृपा बतायेंगे कि गोमतीनगर आवासीय योजना के अंतर्गत विभव खण्ड से संबंधित भूमि लखनऊ विकास प्रधिकरण के कब्जे में किस तिथि को आयी थी ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे जिन आवंटित व्यक्तियों से किस्तों में पूर्ण धनराशि जमा करायी जा चुकी है उनके पक्ष में कब तक रजिस्ट्री करवा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत भूमि का कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण को तीन चरणों में क्रमशः मार्च, 85, मार्च, 86 एवं फरवरी, 87 में प्राप्त हुआ था । भूमि अध्याप्ति के विरुद्ध दायर याचिका में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उक्त भूमि का विकास कार्य रूका हुआ है ।

अतः आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री करना संभव नहीं है ।

खसरा संख्या-185 ग्राम इरादत नगर (सीतापुर रोड) परगना व तहसील सदर जनपद लखनऊ की भूमि कलेण्डर वर्ष में दर्ज करने की मांग

32-श्री रामपाल वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि खतौनी व इन्तखाब खसरा संख्या 185 ग्राम इरादतनगर (सीतापुर रोड) परगना व तहसील सदर जनपद लखनऊ की भूमि कलैण्डर वर्ष 1974 से 1980 (अर्थात सन् 1381 फसली से सन् 1390 फसली तक) के मध्य राजस्व अभिलेख खतौनी/इन्तखाब खसरा (कालम 18 व 19) में किस प्रकार की भूमि श्रेणी के रूप में दर्ज है ?

श्री राम शरण दास-

प्रश्नगत ग्राम के खसरा फसली 1381 तथा 82 विनष्ट किये जा चुके हैं । 1383 फसली से 1390 फसली तक के खसरा के कालम 18 व 19 में प्रश्नगत गाटा के सम्मुख कोई प्रविष्टि अंकित नहीं है ।

खतौनी 1394 फसली के अनुसार प्रश्नगत गाटा पर कैलाश नाथ, विश्वनाथ पुत्रगण महादेव प्रसाद उर्फ बाबा जी निवासी जौहरी मो0 लखनऊ का नाम सीर मालिकाना के रूप में दर्ज है ।

तहसील अकबरपुर के हरिजन श्री अलगू के पत्र पर जांच तथा आर0 पी0 सुमन के पत्र पर कृत कार्यवाही

33-श्री माता प्रसाद पाण्डे-

विधान सभा के 1988 द्वितीय सत्र के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-8 के उत्तर के संदर्भ में राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच समाप्त हो गयी ? जांच में क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम शरण दास-

इस संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा की गई जांच में कोई निश्चयात्मक तथ्य प्रकाश में नहीं आये । प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रकरण की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा भी की गई है, जिसकी जांच रिपोर्ट राजस्व विभाग को अभी प्राप्त नहीं हो पाई है ।

जनपद चमोली में पोखरी एवं गैरसेंण स्थानों में तहसीलें स्थापित करने की मांग

34-श्री कुंवर सिंह नेगी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में पोखरी एवं गैरसेंण स्थानों में तहसील खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यह तहसीलें स्थापित हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास-

जी नहीं ।

प्रदेश में नये जिलों, मंडलों तथा तहसीलों के सृजन एवं पुनर्गठन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है । उक्त समिति द्वारा यदि प्रश्नगत तहसीलों के सृजन की संस्तुति प्राप्त होगी तो शासन द्वारा यथा समय यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद चमोली में नारायण बगड़ एवं देवाल में उप कोषागार खोलने की मांग

35-श्री कुंवर सिंह नेगी-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में नारायण बगड़ एवं देवाल में उप कोषागार खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यह उपकोषागार खुल जायेंगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद चमोली में नारायण बगड़ स्थान पर उपकोषागार खोले जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

प्रदेश में नगरीय सहकरी बैंकों में स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की मांग

36–श्री बसन्त लाल गुप्ता–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्रदेश में नगरीय सहकारी बैंक हैं जिसमें स्टाफिंग पैटर्न लागू है ? ऐसे कितने उक्त श्रेणी के बैंक हैं जिनमें उक्त व्यवस्था नहीं लागू है ? समस्त नगरीय सहकारी बैंकों में उक्त व्यवस्था लागू न किये जाने के क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश में इस समय 6 नगरीय सहकारी बैंकों में स्टाफिंग पैटर्न लागू है ।

प्रदेश में 21 नगरीय सहकारी बैंकों में उक्त व्यवस्था अभी तक लागू नहीं है । उन्हें स्टाफिंग पैटर्न लागू करने हेतु दिनांक 27-1-90 को पुनः निर्देश दिए गये हैं ।

समस्त नगरीय सहकारी बैंकों में स्टाफिंग पैटर्न लागू करने हेतु निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा दिनांक 27-1-90 को पुनः निर्देश दिये गये है ।

सुल्तानपुर केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छटनी किए जाने की जांच

37–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की छटनी की गयी है जबकि सेवा नियम–सी 52/1976 के प्राविधानों के तहत संस्था के फायदे में चलते रहने पर संबंधित कर्मचारियों की छटनी किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सेवा नियम के प्राविधानों के तहत ही छटनी की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली के कस्बा आंवला में शीतगृह के शिविर निर्माण के भुगतान के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

38–श्री श्याम बिहारी सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 वर्ष पूर्व समाप्त हुए, कस्बा आंवला जनपद बरेली के सहकारी शीतगृह के शिविर निर्माण कार्य के अन्तिम भुगतान के संबंध में प्रश्नकर्ता को तत्कालीन सहकारिता राज्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 3-7-89 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रकरण की जांच करायी गयी जिससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि ठेकेदार को अब कोई धनराशि देय नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी आवास समितियों को गठित करने के संबंध में सदस्यों की संख्या कम करने की मांग

39–श्री श्याम बिहारी सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि सहकरी आवास समितियों को गठित करने के संबंध में पूर्व में कम से कम 25 सदस्यों की अनिवार्यता थी परन्तु कुछ समय पूर्व नियमों को संशोधित करके कम से कम सदस्यों की संख्या 50 कर दी गयी है जिससे नई सहकारी आवास समितियों के गठन में परेशानियां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या पूर्व की भांति ही सहकारी आवास समितियों के पंजीकरण के लिए कम से कम 25 सदस्यों की व्यवस्था को लागू रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सहकारी आवास समितियां सुव्यवस्थित रूप से कार्य करें इस हेतु 25 सदस्यों की अनिवार्यता को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है । संख्या बढ़ाने के कारण समिति के गठन में परेशानी होने का कोई प्रकरण निबन्धक सहकारी आवास समितियों को प्राप्त नहीं हुआ ।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर में स्थित नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लि0 में नियमित किए गए कर्मचारियों की संख्या

40–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नन्दगंज जनपद स्थित सिहोरी शुगर कम्पनी लि0 में कितने कर्मचारी दैनिक एवं नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं ? दैनिक कर्मचारियों को नियमत करने में किन नियमों को आधार मानकर नियमित किया जा रहा है ? अब तक कितने कर्मचारियों को नियुक्ति नियमानुसार की गयी है तथा उसका आधार क्या था ? वर्ष 1987-88, 88-89, 89-90 में कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया है ?

श्री राम शरण दास–

दैनिक कर्मचारी को नियमित करने का कोई नियम नहीं है ।

चीनी मिल के कार्य को सुचारु रूप से करने की आवश्यकता ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में सीलिंग अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि का निर्धारण

41–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के किन-किन व्यक्तियों की सीलिंग अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि का निर्धारण 31 मार्च, 90 तक नहीं हुआ है ? इस विलम्ब के क्या कारण है और अतिरिक्त भूमि का निर्धारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राम शरण दास–

तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ के तीन मामले सर्वश्री इन्द्रभूषण गुप्त, दरियाल राय तथा हरिजन शरफकुल (संस्था) की सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का निर्धारण दिनांक 31-3-90 तक नहीं हो पाया है ।

यह तीनों वाद नियत प्राधिकारी (न्यायालय) के समक्ष विचाराधीन है जिनकी स्थिति निम्न प्रकार है :–

(1) श्री इन्द्र भूषण गुप्त, ग्राम अजमतगढ़ तहसील सगड़ी जनपद आज़मगढ़ के सीलिंग वाद में नीलामदारों ने पक्षकार बनने तथा सरकार की ओर से संशोधित दावा दाखिल करने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

(2) श्री दरियाल राय, ग्राम मसौना के सीलिंग वाद में निर्णय की तिथि नियत है ।

(3) हरिजन गुरुकूल संस्था ग्राम मानिकपुर तहसील सगड़ी का वाद रिमाण्ड होकर नियत प्राधिकारी आजमगढ़ के न्यायालय को वापस किया गया है । पक्षों को नोटिस भेजी गई जिस पर पक्षगण न्यायालय में उपस्थित हो चुके हैं ।

अतिरिक्त भूमि का निर्धारण न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही किया जायेगा ।

42–श्री राजधारी–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जिगर कालोनी आवास विकास परिषद् मुरादाबाद में पंजीकृत व्यक्तियों को भवन आवंटित करने की मांग

43–श्री रिफाकत हुसैन–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिगर कालोनी आवास विकास परिषद् मुरादाबाद में एम0 आई0 जी0 भवन आवंटित करने हेतु 1986 में कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण हेतु 10 हजार रुपये की धनराशि जमा की थी ? पंजीकृत व्यक्तियों में से जिगर कालोनी में कितने व्यक्तियों को भवन आवंटित हुआ ? क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में गैर पंजीकृत व्यक्तियों को भी भवन आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? शेष पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक भवन आवंटित कर दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

1986 में, 30 व्यक्तियों ने पंजीकरण हेतु प्रत्येक ने 10 हजार रुपये की धनराशि जमा की थी ।

7व्यक्तियों को भवन आवंटित हुआ ।

जी हां ।

उक्त योजना में मध्यम आय वर्ग के केवल बहुमंजिले भवन आवास हेतु उपलब्ध थे । इनके आवंटन हेतु पंजीकृत व्यक्तियों से सहमति मांगी गई थी । वांछित सहमति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण परिषद् सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु अपंजीकृत व्यक्तियों से भी विज्ञापन के माध्यम से सहमति मांगी गई । जिन पंजीकृत/अपंजीकृत व्यक्तियों की सहमति प्राप्त हुई उनको परिषद् नियमानुसार भवन आवंटित किये गये जिसमें पंजीकृत व्यक्तियों को वरीयता दी गई ।

वर्तमान समय में जिगर बिहार मुरादाबाद में मध्यम आय वर्ग का कोई भवन आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है ।

44–श्री राजधारी सिंह तथा श्री अर्जुन सिंह यादव–

[3 रे बुध में अता0 प्र0 सं0 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के मुख्यालय पर स्थित राजस्व अभिलेखागार में ग्राम जिल्दबन्दोबस्त में श्रीमती शोभा देवी के नाम गलत इन्द्राज करने के आरोप में संबंधित कार्मचारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही

45–श्री विनोद कुमार चौधरी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के सातवें मंगलवार को श्री शारदानन्द अंचल द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या-177 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील-बांसी, जनपद-बस्ती को प्राप्त कराये गये जिल्दबन्दोबस्त चकबन्दी के द्वितीय प्रति पर श्रीमती शोभादेवी के नाम चौपारा लाइन के ऊपर फर्जी पट्टे का अमलदरामद उल्लेख उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या उसे निरस्त किया गया ? यदि नहीं, तो उसे निरस्त न करने के क्या कारण हैं ?

श्री राम शरण दास–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती की तहसील बांसी में हुए फर्जी पट्टे के गलत इन्द्राज को दुरुस्त करने की मांग

46–श्री विनोद कुमार चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल ग्राम–मनैतापुर, तहसील–बांसी (बस्ती) ने 17-2-86 को कोई रिपोर्ट तहसीलदार बांसी को, किसी फर्जी पट्टे के गलत इन्द्राज को दुरुस्त करने हेतु 33/39 के अन्तर्गत की थी ? यदि हां, तो क्या फर्जी पट्टों का दुरुस्तीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के शिक्षा अनुभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

47–श्री लालता प्रसाद यादव, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री भगवान दीन कुशवाहा, डा0 शमीम अहमद खां, श्री कासिम अली, श्री मारकण्डेय चन्द्र–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में शिक्षा अनुभाग-11, 12, 13 में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जो विगत 5 वर्षों या उससे अधिक समय से एक ही अनुभाग में कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्य अनुभाग में स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शिक्षा अनुभाग–11, 12, 13 में एक अनुभाग अधिकारी, छः प्रवर वर्ग सहायक, दो संदर्भलिपिक एवं चार अवर वर्ग सहायक, विगत पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि से कार्यरत थे । इनमें अनुभाग अधिकारी एवं सभी छः प्रवर वर्ग सहायकों को स्थानान्तरित कर दिया गया है । प्रश्नगत संदर्भ लिपिकों एवं अवर वर्ग सहायकों को अभी जनहित में स्थानान्तति नहीं किया गया है ।

नंदगंज सिहोरी शुगर क0 लि0 में हुए घाटे से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

48–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जबसे नंदगंज सिहोरी शुगर क0 लि0 खोली गयी है तबसे 31-3-90 तक यह कम्पनी कितने रुपये घाटे में चल रही है ? घाटे का कारण क्या है ? कम्पनी को घाटे से बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाये है ? घाटे में योग्यदान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

नंदगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लि0, में दो इकाईयां है, पहली जनपद गाजीपुर में स्थित और दूसरी दरियापुर जनपद–रायबरेली में है । दोनों इकाईयों द्वारा अपना उत्पादन पेराई सत्र 1978-79 में शुरू किया गया तबसे दिनांक 31-3-90 तक उक्त मिलों के घाटे का विवरण निम्न प्रकार है :–

अनुमानित घाटा (करोड़ रुपये में)

1–नन्दगंज [गाजीपुर]	18.74
2–दरियापुर [रायबरेली]	11.08
कुल हानि	29.82

कम्पनी के घाटे का प्रमुख कारण नन्दगंज [गाजीपुर] एवं दरियापुर [रायबरेली] दोनों जिलों के 6 सुरक्षित क्षेत्रों में पर्याप्त गन्ने की अनुपलब्धता है, जिसके कारण यह मिलें अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाती हैं । इसके अतिरिक्त दूर क्षेत्रों से गन्ना लाने में ढुलाई पर होने वाले व्यय से भी घाटा होता है ।

कम्पनी को घाटे से बचाने के लिये सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये गये हैं :-

1-उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के माध्यम से सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं के बकाया ऋणों का भुगतान कराया गया है, जिससे कम्पनी पर ब्याज का बोझ कम हुआ ।

2-गन्ने की उपज को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल डेवलपमेंट फण्ड के अन्तर्गत कम ब्याज पर कृषकों को पम्पिंग सेट, नलकूप एवं डनलप आदि खरीदने के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया ।

3-गन्ना मूल्य का भुगतान समय से कराने का प्रयास किया गया है । दरियापुर [रायबरेली] इकाई में वर्ष 1989-90 में 98 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है और गत वर्षों का कोई अवशेष गन्ना मूल्य नहीं है ।

घाटे के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भागवत एवं श्री राम सुभग वर्मा को ताम्रपत्र दिये जाने की मांग

49-श्री हरवंश सहाय-

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व0 श्री भागवत एवं श्री रामसुभग वर्मा भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा, उ0 प्र0 धारा-143 35, 149 डी0 आई0 आर0 के अंतर्गत दिनांक 21-10-1942 तक जिला कारागार गोरखपुर के जेल रजिस्टर-7 के अनुसार जिला कारागार गोरखपुर में बन्द रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अभी तक ताम्रपत्र न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री शत्रुद्र प्रकाश-

जी हां ।

ताम्रपत्र केवल जीवित सेनानी को ही प्रदान किया जाता है । चूंकि स्व0 श्री भागवत भगत का स्वर्गवास ताम्रपत्र योजना के पूर्व ही हो गया था, अतः उनको ताम्रपत्र दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है । श्री रामसुभग वर्मा, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा को ताम्रपत्र वर्ष 1973 में प्रदान किया जा चुका है-।

विकास नगर कुर्सी रोड लखनऊ के साइट एवं सर्विसेज योजना की समस्याओं के निदान हेतु श्री शारदा नन्द अंचल स0 वि0 स0 के पत्र पर कृत कार्यवाही

50-श्री हरवंश सहाय-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास नगर कुर्सी रोड लखनऊ के साइट एवं सर्विसेज योजना सेक्टर-6 की समस्याओं के निदान हेतु श्री शारदानन्द अंचल, विधायक का पत्र दिनांक 18-1-90 आयुक्त उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ एवं दिनांक 12-1-90 नगर विकास मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां । माननीय विधायक जी का पत्र दिनांक 18-1-90 प्राप्त हुआ है जिसमें इंगित समस्याओं का निदान करा दिया गया है ।

दिनांक 12-1-90 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद देवरिया में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या का विवरण

51–श्री हरवंश सहाय–

क्या कारागार मंत्री कृपया बताएंगे कि जनपद देवरिया में कुल कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तथा उनके नाम एवं पता क्या हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जनपद देवरिया में कुल–331 स्वतंत्रा संग्राम सेनानी ऐसे हैं जिन्हें राज्य अथवा केन्द्र से या दोनों जगह से स्वतंत्रा संग्राम सेनानी पेन्शन स्वीकृत है । इन सेनानियों के नाम व पते की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे माननीय सदस्य महोदय किसी भी कार्य दिवस पर देख सकते हैं ।

जनपद गोण्डा के विकास क्षेत्र बभनजोत के ग्राम सभा सिंगारघाट के ग्राम प्रधान द्वारा भूमि पर किए गये अनाधिकृत रूप से कब्जे के संबंध में कार्यवाही

52–श्री रमापति शास्त्री–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सिंगारघाट विकास क्षेत्र बभनजोत जनपद गोण्डा के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम के गाटा संख्या–756 क्षेत्रफल लगभग 5 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर ग्राम प्रधान का कब्जा न होकर 5 अन्य व्यक्तियों का अनधिकृत कब्जा पाया गया है ।

अनाधिकृत काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध धारा–122 बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील टाण्डा, परगना–विड्हर के ग्राम सभा आदमपुर में अपात्र व्यक्तियों को आवंटित भूमि के पट्टे को निरस्त करने की मांग

53–डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा आदमपुर परगना विड्हर तहसील–टाण्डा जनपद फैजाबाद में हरिजन एवं अन्य वर्ग के लोगो को आवासीय पट्टे देकर भूमि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो क्या वे सभी आवंटन पात्रता के आधार पर दिये गए है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम सभा ने पात्रता सूची बिना बनाये तथा पात्रता का उलंघन करते हुए आबादी की भूमि को अवैधानिक ढंग से अपात्र लोगों को बांट दिया है ? यदि हां, तो इस अवैधानिक आवंटन के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राजस्व मंत्री फर्जी और अवैधानिक कार्यवाही रद्द करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

54–श्री भोला पाण्डेय–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

उ0 प्र0बचत निदेशालय द्वारा बचत प्रचारकों को बोनस दिये जाने की मांग

55–श्री रवीन्द्र सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बचत निदेशालय, उ0 प्र0 में बचत प्रचारकों को उनकी लक्ष्य पूर्ति पर दिया जा रहा वार्षिक बोनस वर्ष 86-87 अभी तक मात्र चार बचत प्रचारकों को दिया गया है जबकि इसके पात्र अन्य बचत प्रचारक भी है ? यदि हां, तो ऐसे प्रचारकों को बोनस से अभी तक क्यों वंचित रखा गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उ0 प्र0 के अन्तर्गत संविदा पर रखे गए बचत प्रचारकों को बोनस अनुमन्य नहीं है । वार्षिक लक्ष्य से अधिक निर्धारित मानक की उपलब्धि प्राप्त करने पर प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त धनराशि के भुगतान का प्राविधान है । वर्ष 86-87 में केवल 4 बचत प्रचारक ही लक्ष्य से अधिक निर्धारित मानक की उपलब्धि प्राप्त कर सके थे । तद्नुसार उन्हें अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया गया । शेष बचत प्रचारक अतिरिक्त भुगतान के पात्र नहीं पाये गये । अत: पात्रता श्रेणी के आधार पर किसी को वंचित रखने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गाजीपुर की तहसील–मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा–लट्ठडीह के कागजात चकबन्दी विभाग द्वारा तहसील मुख्यालय को भेजने की मांग

56–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील–मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा लट्ठडीह का धारा–52 का प्रकाशन कब हुआ ? क्या इस संबंध में कागजात तहसील–मुहम्मदाबाद मुख्यालय पर चकबन्दी विभाग द्वारा नहीं भेजा गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके अतिक्ति इस तहसील की किन-किन ग्राम सभाओं का धारा–52 का प्रकाशन होने के बाद भी अब तक कागजात तहसील में नहीं भेजे गये है ? कब तक यह कागजात तहसील मुहम्मदाबाद मुख्यालय पर भेज दिए जायेंगे ?

श्री राम शरण दास–

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम लट्ठडीह का जा0 च0 अ0 की धारा-52 [1] के अंतर्गत प्रकाशन दिनांक 24-9-88 को हुआ ।

जी नहीं, इस ग्राम के अभिलेख दिनांक 13-6-90 को भेजे जा चुके हैं ।

उपरोक्त के अतिरिक्त तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम–अवधही बसन्त, खारडीहा का भी जा0 च0 अ0 की धारा–52 [1] के अंतर्गत प्रकाशन दिनांक 24-9-88 को हुआ है । इन ग्रामों के भी अभिलेख तहसील मुहम्मदाबाद मुख्यालय पर दिनांक 13-6-90 को भेजे जा चुके है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा अवधही की 20 बीघे भूमि स्कूल के नाम दर्ज होने के संबंध में कार्यवाही की मांग

57–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में तहसील मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा अवधही में चकबन्दी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी धारा–52 का प्रकाशन अब तक नहीं हुआ यदि हां, तो क्यों ?– इस ग्राम सभा के अंतर्गत मौजा चिलबिली व चतुरसाल व अवधही

बसन्त में गांव समाज की आबादी खलिहान सुरक्षित हरिजन आबादी, परती एवं बंजर तथा खेती करने योग्य कुल कितनी जमीन सुरक्षित की गयी और ताल गड़ही, पोखरी एवं भीठे के मद की कितनी-कितनी भूमि सुरक्षित की गयी ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस गांव सभा में लगभग 20 बीघे भूमि का एक प्राइवेट हाई स्कूल के नाम से दर्ज कराकर खारिज दाखिल करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस अनियमित इन्दराज को खारिज कराकर ज़मीन सुरक्षित करवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी नहीं, जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम अवधही में जोत चकबंदी अधिनियम की धारा–52 (1) व्व प्रकाशन दिनांक 24-9-88 को हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अवधही बसन्त ग्राम सभा के अन्तर्गत ग्राम चिलबिली पट्टी, मकसूदन, अवधही व चतुरसाल में सार्वजनिक आबादी हेतु रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 18 धूर व हरिजन आबादी हेतु 2 बीघा 19 बिस्वा 9 धूर जोत में तथा खालिहान हेतु 1 बीघा 14 बिस्वा 8 धूर जोत से व 6 बीघा 8 बिस्वा 3 धूर ग्राम समाज से सुरक्षित किया गया है । इसके अतिरिक्त गड़ही से 2 बिस्वा रकबा कब्रिस्तान हेतु व भीटा से 2 बीघा 10 बिस्वा 5 धूर रकबा खालिहान हेतु सुरक्षित किया गया है । ताल व पोखरी से भूमि सुरक्षित नहीं की गयी है ।

चकबन्दी अधिकारी ने मुकदमा संख्या–506 धारा 9 अ [2] तारीख फैसला 3-11-79 द्वारा बचन्त भूमि से रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा 1 धूर खारिज करके श्री प्रबल ब्रह्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अवधही के नाम कृषि फार्म दर्ज करने तथा मुकदमा संख्या–9अ [2] तारीख फैसला 28-6-79 द्वारा ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर बंजर के खाते से खारिज करके रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा 4 धूर उक्त विद्यालय के खेल के मैदान हेतु तथा 6 बिघा 6 धूर रकबा विद्यालय के नाम भूमिधारी अंकित करने का आदेश पारित किया है ।

आदेश न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पारित किया गया है अतएव जिलाधिकारी गाजीपुर को मामले का परीक्षण कराकर नियमानुसार चकबन्दी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी दाखिल कराने की कार्यवाही तत्काल कराने के लिये निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद गाजियाबाद में लाइनपार क्षेत्र में चलचित्र निगम द्वारा एक छविगृह बनाये जाने की मांग

58–श्री सुरेन्द्र कुमार ''मुन्नी''–

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 व 1984 के बीच तत्कालीन सूचना मंत्री ने आदेश दिया था कि चलचित्र निगम द्वारा विजय नगर, लाइन पार क्षेत्र, गाजियाबाद के अन्दर एक छविगृह का निर्माण कराया जाये ? यदि हां, तो अभी तक निर्माण संबंधी कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? सरकार कब तक निर्माण कराने की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ0 प्र0 चलचित्र निगम को समाप्त करने के निर्णय के कारण निगम कार्यालय में तत्कालीन सूचना मंत्री जी के प्रश्नगत आदेश उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं । चूंकि निगम को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है अतः प्रश्नगत स्थान पर निगम द्वारा सिनेमा गृह का निर्माण कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर की सहकारी चीनी मिल सरसांवा के प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध की गई शिकायतों के संबंध में कृत कार्यवाही

59–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल सरसांवा जिला सहारनपुर के प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध अक्टूबर, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक कुल कितनी शिकायत स्थानीय राजनैतिक कार्यकर्ताओं, कर्मचारी नेताओं तथा विधायकों से सरकार को मिली ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

दो शिकायतें प्राप्त हुई ।

नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी चीनी मिल सरसांवा जनपद–सहारनपुर के प्रधान प्रबन्धक श्री ए0 के0 सिंह द्वारा राजकीय आवास न खाली करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

60–श्री शारदानंद अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ के ज्ञाप संख्या–374501, दिनांक 11 सितम्बर, 1989 द्वारा श्री ए0 के0 सिंह की नियुक्ति सहकारी चीनी मिल सरसांवा जिला–सहारनपुर कर दी गई ? क्या यह सही है कि लखनऊ स्थित 2/6, डालीबाग राजकीय आवास वे अब तक खाली नहीं किये ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

जी हां ।

नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

61–श्री सुबास–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ में कार्यरत परगनाधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

62–श्री सुबास–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ के अंतर्गत कितने परगनाधिकारी पांच वर्ष की अधिक अवधि से तैनात है ? सामान्य स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत इनको किन परिस्थितियों में स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है ? कब तक उक्त परगनाधिकारियों को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ के अन्तर्गत सम्प्रति कोई भी परगनाधिकारी पांच वर्ष से अधिक अवधि से तैनात नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुख्य मंत्री सचिवालय के अंतर्गत विभिन्न अनुभागों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

63–श्री सुखवीर सिंह तथा श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री सचिवालय के अंतर्गत विभिन्न अनुभागों में ऐसे कितने तृतीय वर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं, जो पांच वर्ष से अधिक अवधि तक निरन्तर एक ही अनुभाग में तैनात हैं ? क्या ऐसे कर्मचारियों को शासनादेश के अनुसार सचिवालय के अन्य विभागों में स्थानान्तरित किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मुख्य मंत्री कार्यालय में केवल एक प्रवर वर्ग सहायक प्रश्नाधीन पांच वर्ष से अधिक की अवधि से कार्यरत हैं । उक्त के अतिरिक्त दो प्रवर वर्ग सहायकों के स्थानान्तरण सम्प्रति स्थगित हैं । प्रवर वर्ग सहायकों अतिरिक्त छः संदर्भ लिपिक, सत्ताइस अवर वर्ग सहायक प्रश्नाधीन अवधि से अधिक की अवधि से मुख्य मंत्री सचिवालय में कार्यरत हैं जिन्हें अभी लोक हित में स्थानान्तरित नहीं किया गया है ।

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर की साधन सहकारी समिति खेड़ा रठ पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की मांग

64–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जिला–शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर की साधन सहकारी समिति खेड़ा रठ पर पिछले 6 महीनों से आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या मंत्री जी कपड़ा, चीनी व अन्य आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराने हेतु आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

शासनादेश संख्या–5935/29/खाद्य-6-9(34)/89, दिनांक 21-7-89 द्वारा आवश्यक वस्तुएं (चीनी व मिट्टी के तेल) के वितरण का कार्य ग्राम सभाओं को दे दिया गया है ।

समिति में कपड़ा तथा अन्य अनियन्त्रित उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था है । चीनी का वितरण अब समिति के पास नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर में नगर बस सेवा उपलब्ध कराने की मांग

65–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में नगर राजकीय बस सेवा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वहां नगर बस सेवा उपलब्ध करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

शाहजहांपुर नगर की भौगोलिक स्थिति के अनुसार नगर की सड़कें संकरी होने के कारण बसों का मुड़ना सम्भव नहीं है । घनी आबादी तथा संकरी सड़कें होने के कारण यदि नगर बस सेवा संचालित की जायेगी तो यातायात अवरुद्ध होने के साथ-साथ दुर्घटना की संभावनायें भी बनी रहेंगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया कलां, सम्पूर्णानन्द, निघासन व सिंगाही कस्बों में आवास विकास परिषद् द्वारा कालोनियों के निर्माण की मांग

66–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया कलां, सम्पूर्णानन्द, निघासन व सिंगाही कस्बों में आवास विकास परिषद् की आवास कालोनियों के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र वर्ष 1990 में सचिव नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्रो-लिखित मामले में कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब एवं क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

वर्तमान में प्रश्नगत क्षेत्र आवास एवं विकास परिषद् के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं । अतः सम्प्रति इन क्षेत्रों में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा कालोनियों का निर्माण कराया जाता सम्भव नहीं है । तथापि इन नगरों को परिषद् कार्य क्षेत्र में शामिल करने के उद्देश्य से सर्वे-क्षण आरम्भ कर दिया गया है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के थाना पलिया के ग्राम सभा पटीहन में सीलिंग की भूमि, भूमिहीनों को उपलब्ध कराते समय प्रभावित व्यक्तियों द्वारा कब्जा तथा पुलिस बल न दिये जाने के संबंध में कार्यवाही की मांग

67–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा पटीहन थाना पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी में सीलिंग से प्रभावित व्यक्तियों ने भूमिहीन पट्टादारान को कब्जा दिलाने गये चकबंदी कर्ताओं की व्यर्थवाही में 22 मार्च से 26 मार्च, 90 तक व्यवधान डाला व चकबंदी कर्ताओं द्वारा मौके पर पुलिस की मांग किये जाने पर उन्हें पुलिस फोर्स सुलभ नहीं हुई ? यदि हां, तो पुलिस बल न दिए जाने के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां, पट्टेदारों की भूमि पर कब्जा दिलाने की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ किन्तु चकबन्दी कर्ता द्वारा कब्जा दिलाने के लिए पुलिस दल की मांग नहीं की गयी और न तो उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को कोई आख्या ही प्रस्तुत की ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सतांव के ग्राम सभा मलिक मऊ चौबारा में स्थायी बस स्टाप की मांग

68–श्री ओम प्रकाश दिवाकर–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा मलिक मऊ चौबारा विकास खण्ड सतांव, जनपद-रायबरेली में अमेठी-आगरा बस के लिए स्थायी स्टाफ तथा सुलभ यातायात उपलब्ध कराने के संबंध में विधायक श्री राम सेवक के उपरिपत्र दिनांक 10-1-90 के साथ उपर्युक्त ग्राम सभा के निवासियों का प्रार्थना-पत्र सचिव, परिवहन उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मांग पत्र के क्रम में अमेठी-आगरा बस सेवा का प्रयोगात्मक रूप से मलिक मऊ चौबारा में बस स्टाप घोषित कर दिया गया है तथा एक नवीन बस सेवा रायबरेली से खीरी संचालित कर दी गयी है । इस प्रकार वर्तमान में रायबरेली से मलिक मऊ चौबार–खीरी–सतांव मार्ग पर 9 अप एवं 9 डाउन सेवायें संचालित की जा रही हैं, जो यात्रियों को देखते हुए पर्याप्त हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली की तहसील सदर के सेवा निवृत्त संग्रह अमीन की मथुरा प्रसाद द्विववेदी के अवशेष देयों की भुगतान की मांग

69–श्री ब्रह्मा शंकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सदर, रायबरेली, जनपद-रायबरेली में संग्रह अमीन श्री मथुरा प्रसाद द्विववेदी जो 30 सितम्बर, 1987 में सेवा निवृत्त हो चुके हैं, का सभा अवशेष देयों का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

तहसील सदर, रायबरेली, जनपद, रायबरेली के संग्रह अमीन श्री मथुरा प्रसाद द्विववेदी, जो 30 सितम्बर, 1987 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं, को सभी अवशेष देयों का भुगतान किया जा चुका है । जी0 पी0 एफ0 मद के अंतर्गत कुल जमा धनराशि का 10 प्रतिशत भुगतान होना शेष है । यह भुगतान सेवा निवृत्त कर्मचारी द्वारा फार्म 425-सी भरे जाने पर महालेखाकार इलाहाबाद के स्तर से होना है ।

फार्म 425–सी अभी तक श्री द्विववेदी ने नहीं भरा है ।

जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा अनुमोदित टेलीप्रिन्टर आपरेटरों की नियुक्ति की मांग

70–श्री सन्त बख्श रावत तथा श्री सुन्दर लाल (उन्नाव)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी फतेहपुर ने अपने आदेश दिनांक 23-6-80 के द्वारा टेलीप्रिंटर आपरेटर की नियुक्तियां अनुमोदित की थीं ? यदि हां, तो क्या अनुमोदित अभ्यार्थियों को नियुक्ति दे दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

जिलाधिकारी, फतेहपुर के आदेश दिनांक 23-6-80 द्वारा टेलीप्रिन्टर आपरेटर की नियुक्तियां अनुमोदित की गई थी और उसमें यह अंकित कर दिया गया था कि नियुक्ति आदेश टेलीप्रिन्टर के स्थापना के बाद जारी किये जायेंगे अभी तक टेलीप्रिन्टर की लाइन लखनऊ से नहीं जुड़ी है ।

इसलिये इन पदों पर नियुक्ति नहीं की गई हैं ।

प्रदेश के पूर्वान्चल के विकास हेतु विशेष योजना की मांग

71–श्री सुरेश यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वान्चल के विकास के लिये कोई विशेष योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला सेक्टर परिव्यय बांटते समय जनपदों के पिछड़ेपन का ख्याल रखकर धन उपलब्ध कराया जाता है, अतः विशेष योजना की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम नेवादा में ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अवैध कब्जे को हटाने तथा उच्चस्तरीय जांच की मांग

72–श्री हर नारायन तथा श्री रामपाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तहसीलदार सण्डीला जनपद हरदोई ने श्री सरजू पुत्र श्री दुर्गा ग्राम नेवादा नरपति को धारा 122 नियम 115 सी के अंतर्गत ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अवैध कब्जे को हटाने तथा 5888 रुपए क्षति पूर्ति स्वरूप जमा करने की नोटिस दिनांक 5-1-90 को जारी की है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कब्जा श्री सरजू का नहीं बल्कि उनके पुत्र सुरेन्द्र पाल का है जो पात्रता की श्रेणी में आता है और अनुसूचित जाति का है और उसने तहसील में पट्टे हेतु आवेदन पत्र भी दिया है ? क्या सरकार इस नोटिस को वापस लेते हुये पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच करायेगी और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम सभा भूमि पर कब्जा श्री सरजू पुत्र श्री दुर्गा का ही पाया गया है । श्री सुरेन्द्र पाल पुत्र श्री सरजू अवयस्क और कक्षा 11 का छात्र है उसके नाबालिग होने तथा पिता के पास 1.712 हैक्टेयर भूमि होने के फलस्वरूप भूमि प्रबंधक समिति ने अपने प्रस्ताव द्वारा उसे पट्टा हेतु अपात्र माना है ।

तहसीलदार, संडीला के न्यायालय से श्री सरजू पुत्र श्री दुर्गा के विरुद्ध पंजीकृत वाद निर्णित हो चुका है और अध्यासी पर रु0 5880 क्षति पूर्ति निर्धारित की गयी है ।

अतः नोटिस वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता इस आदेश के विरुद्ध नियमानुसार निगरानी की जा सकती है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी की तहसील नवाब गंज के ग्राम टेरा खुर्द में पुनः चकबंदी कराये जाने की मांग

73–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम टेराखुर्द त0 नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में चकबंदी में की गयी अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8-1-90 जिसकी प्राप्ति उनके निजी सचिव द्वारा 140-वी0 आई0 पी0/90, दिनांक 10-1-90 स्वीकार की गई थी पर क्या कार्य-वाही की गई ? उस पर जांच किसके द्वारा की जा रही है ? क्या मंत्री जी वहां पर पुनः चकबंदी कराये जाने के आदेश देंगे ?

श्री राम शरण दास–

प्रश्नगत पत्र में बाग टेराखुर्द के चकबन्दी कार्य में कथित अनियमितताओं के संबंध में वर्ष 1988 में पहले ही प्राप्त शिकायती पत्रों पर जांच की जा चुकी है उक्त ग्राम की चकबन्दी क्रियायें वर्ष 1988 में ही समाप्त हो चुकी है, अतएव पुनः जांच की आवश्यकता नहीं पाई गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त ग्राम में पुनः चकबंदी कराने का प्रश्न नहीं उठता । जांच से चकबंदी अभिलेखों में जो फर्जी इन्द्राज पाये गये हैं उनकी दुरुस्ती के संबंध में कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ।

तहसील राम सनेही घाट, जनपद बाराबंकी के श्री गुरुदीन पुत्र श्री गंगादीन के पट्टे की बकाया धनराशि की वसूली

74–श्री प्रदीप कुमार यादव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि शेष धनराशि वसूली हेतु बाकीदार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारन्ट का आदेश कब जारी किया गया ? गिरफ्तारी वारन्ट की कार्यवाही के पश्चात अब तक कितनी धनराशि वसूल की गई ?

श्री राम शरण दास–

बाकीदार के विरुद्ध तहसील राम सनेही घाट से दिनांक 21-8-89 को गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया गया, जिसके आधार पर कोई धनराशि वसूल नहीं हुई । दिनांक 7-10-89 को तहसील राम सनेही घाट का विभाजन हुआ और कथित ग्राम बरावा नवसृजित तहसील रुदौली में आ गया ।

तहसील रुदौली से पुनः दि0 28-2-90 को गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया, जिसके पश्चात् रु0 9900/- की वसूली की जा चुकी है और वसूली हेतु कोई धनराशि अवशेष नहीं है

75–श्री प्रदीप कुमार यादव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि पट्टे की बकाया धनराशि जमा न करने के कारण राधेश्याम पुत्र श्री गुरुदीन के नाम का गाटा संख्या 8 का पट्टा निरस्त कर पुनः उसे राधेश्याम के ही पिता गुरुदीन पुत्र गंगादीन के नाम आवंटित करने का क्या औचित्य है ? उक्त आवंटन को निरस्त कर उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राम शरण दास–

प्राप्त सूचनानुसार कथित ग्राम में मछुआ समुदाय का कोई सदस्य न होने के कारण भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्तावानुसार एवं श्री गुरूदीन पुत्र गंगादीन, जो अनुसूचित जाति का है और तत्समय तैयार की गई पात्रता सूची में अकेले दर्ज है, की इच्छानुसार गाटा संख्या–8 का पट्टा श्री गुरुदीन पुत्र श्री गंगादीन के नाम किया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

76–श्री प्रदीप कुमार यादव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर के संदर्भ में राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1987 से वर्ष 1990 तक गुरुदीन पुत्र गंगादीन के नाम से पट्टे को कुल कितनी धनराशि देय होती है ? अब तक उन्होंने कुल कितनी धनराशि जमा की है ? कितनी धनराशि अवशेष है और अवशेष धनराशि की वसूली हेतु कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम शरण दास–

प्राप्त सूचना के अनुसार पट्टे के अनुमोदन के दिनांक 5-4-88 से 1990 तक श्री गुरुदीन पुत्र गंगादीन के नाम से पट्टे की कुल 1100 रुपये की धनराशि देय होती है । अब तक इनके द्वारा 550 रु0 की धनराशि अवशेष है । अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में किये जाने के लिए भूमि प्रबन्धक समिति का निर्धारित रूपपत्र में अनुरोध पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

ग्राम सभा उदयराजपुर, परगना कसवार राजा, वाराणसी में नये सिरे से चकबन्दी कराये जाने की मांग

77–श्री राज किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा उदयराजपुर, परगना कसवार राजा, वाराणसी में नये सिरे से चकबन्दी कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के उत्तर में उनके पत्रांक 1304-बी0 आई0 पी0/एम0 आर0/89, दि0 26-5-89 में दिये गये निर्देशों का चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0, लखनऊ ने अनुपालन किया है ? यदि हां, तो कार्यवाही में कितनी प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

सन्दर्भित पत्र दिनांक 26-5-89 का नहीं बल्कि दिनांक 26-4-89 का है जिस पर दिए गए आदेशों का अनुपालन किया गया है ।

प्रश्नगत मामले की जांच से यह पाया गया कि उक्त ग्राम सभा में धारा-52 का प्रकाशन वर्ष 1988 में हो चुका है अतएव नियमानुसार पुनः चकबन्दी कराना समाप्त नहीं पाया गया । यथावश्यक पुनः सीमांकन कराने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के ग्राम कचनार (राजा तालाब) परगना कचनार की वर्ष फसली 1963 से 1365 तक की खतौनियों को उपलब्ध कराने की मांग

78–श्री राज किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के ग्राम कचनार (राजा तालाब), परगना कसवार सरकारी में वर्ष 1975 से चकबन्दी की प्रक्रिया चल रही है और उक्त गांव की वर्ष फसली 1363 से 1365 तक की खतौनी गायब हो जाने से चकबन्दी के कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो उक्त फसली के खतौनियों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

जी नहीं ।

1385-87 फसली की खतौनी उक्त चकबन्दी कार्य हेतु आधार वर्ष की खतौनी उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के श्री नन्द किशोर पुत्र राजाराम को लाक अप में बन्द करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

79–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के बिक्री कर अधिकारी बांदा ने तहसीलदार नरैनी को पत्रांक 114, दिनांक 1-12-89 द्वारा मेसर्स भरत जी व्यास जी स्टोन मिल भरतकूप (बांदा) वर्ष 84-85 के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी किया है और तहसीलदार अतर्रा ने सन्दर्भित फर्म के मालिकान को छोड़कर श्री नन्द किशोर पुत्र राजाराम को गलत बल्दियत बद्री प्रसाद दिखाते हुए दिनांक 23-1-90 को पकड़ कर सिविल लाक अप तहसील नरैनी में बन्द कर दिया ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट, बांदा को 28-1-90 को इस अनुचित बन्दी एवं उस पर कार्यवाही के लिए लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, बिक्रीकर अधिकारी, बांदा ने प्रश्न में संदर्भित समसंख्यक पत्र दिनांक 10-12-1989 द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी किया । वसूली प्रमाण पत्र पर प्रश्नगत फर्म के स्वामी/भागीदार का नाम नन्द किशोर पुत्र बद्री प्रसाद ग्राम पहरा, पोस्ट भरतकूप (बांदा) अंकित था जिसके अनुसार नन्द किशोर पुत्र बद्री प्रसाद के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई ।

जिलाधिकारी, बांदा द्वारा दी गई सूचनानुसार प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 28-1-90 उन्हें प्राप्त नहीं हुआ । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया की तहसील तमकुही राज के ग्राम मधुरिया के ग्राम प्रधान द्वारा हरिजन आबादी के आवंटन के संबंध में शिकायतों की जांच

80–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मधुरिया, तहसील तमकुही राज, जनपद देवरिया ग्राम प्रधान की हरिजन आबादी के आवंटन खेल के मैदान सामान्य आबादी के आवंटन से संबंधित शिकायतें दिसम्बर, 89 में शासन एवं जनपदीय अधिकारियों को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतों की जांच किस अधिकारी से करायी गयी जांच के क्या परिणाम निकले और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम शरण दास–

ग्राम मधुरिया, तहसील तमकुहीराज, जनपद देवरिया के ग्राम प्रधान की हरिजन आबादी, खेल के मैदान तथा सामान्य आबादी के आवंटन से संबंधित कोई शिकायत माह दिसम्बर, 1989 में प्राप्त होना नहीं पाया जाता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के क्षेत्र भरावन के ग्राम कुआं बोझ में आवंटित चकों की पुनः पैमाइश कराने की मांग

81–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला, चकबंदी अधिकारी क्षेत्र भरावन के अंतर्गत ग्राम कुआं बोझ में वर्ष 1988 से की जा रही चकबंदी में उक्त ग्राम के निवासी छोट्टा पुत्र मुस्तफा को आवंटित चक का, फार्म 23 के अनुसार रकबा कितना है ? क्या उसको आवंटित चक का रकबा पैमाइश में कम है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि माह फरवरी अथवा मार्च, 1989 में पूर्व राजस्व मंत्री द्वारा चकबन्दी आयुक्त को यह आदेश भी दिए गये थे किन्तु किसी अन्य अधिकारी से पुनः पैमाइश करायी जाय ? यदि हां, तो अब तक पैमाइश न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार चक की पैमाइश पुनः कराकर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

श्री छोट्टा पुत्र मुस्तफा, निवासी ग्राम कुआबोझ, चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र भरावन, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई का जां च0 आ0 पत्र–23 के अनुसार आवंटित रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा 13 बिस्वांसी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

श्री छोट्टा ने ही पुनः चक नापने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रार्थना पत्र दिये थे ।

श्री छोट्टा की मौजूदगी में तीन बार उनके चक की पैमाइश करायी जा चुकी है । पैमाइश में रकबा सही होने की पुष्टि में उसने हस्ताक्षर किये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के तहसील के क्षेत्र भरावन के ग्राम कुआं बोझ में कार्यरत सहायक चकबन्दी अधिकारी के स्थानान्तरण की मांग

82–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला चकबन्दी अधिकार क्षेत्र भरावन में कार्यरत सहायक चकबंदी अधिकारी, ढिकुनी द्वारा कुंआ बोझ में चकबन्दी के दौरान चकों की कम पैमाइश, अच्छी भूमि के बदले ऊसर भूमि पर चक देने के संबंध में कितने शिकायती पत्र माह जनवरी, 1989 से दिसम्बर, 1989 तक जिलाधिकारी, हरदोई, आयुक्त, चकबंदी विभाग तथा राजस्व मंत्री को वहां की जनता द्वारा प्राप्त हुए ? उस पर अब तक जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार को ऐसे भ्रष्ट सहायक चकबन्दी अधिकारी को जनपद से बाहर स्थानातरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत ग्राम के निवासी छोट्टा पुत्र मुसतफा द्वारा चक का रकाा कम होने तथा पुनः पैमाइश के संबंध में अक्तुबर, 1989 में प्रार्थना पत्र बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी को दिया गया था । इसके पूर्व 1988 इस आशय के कई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे ।

जांच से यह पाया गया कि चक आवंटन के संबंध में चकबंदी अधिकारी के आदेश के उपरान्त किसी काश्तकार द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी । कृषक अपने चकों से संतुष्ट पाये गये और अच्छी भूमि के बदले ऊसर भूमि देने के संबंध में शिकायत निधाराधार पाई गयी । छोट्टा पुत्र मुस्तफा के प्रार्थना पत्रों पर सहायक चकबंदी अधिकरी द्वारा उसकी मौजदूगी में उसके चक की पैमाइश स्थल पर तीन बार की गयी और रकबा सही पाया गया जिसकी पुष्टि में उसके हस्ताक्षर भी कराये गये ।

सहायक चकबंदी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । चक निर्माण कार्य में कोई अनियमितता नहीं पाई गयी है । अतः सहायक चकबंदी अधिकारी को स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

83–श्री दशरथ सिंह–

[3रे बुध में अता0 प्र0 सं0 183 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया के रसड़ा व मऊ रजिस्ट्री कार्यालय में अनियमितताओं में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

84–श्री राम बचन धुसिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बलिया के रसड़ व मऊ रजिस्ट्री कार्यालय में अनियमितताओं में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण व दण्ड दिये जाने विषयक प्रश्न-कर्ता का पत्र दिनांक 30-1-90 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

कथित शिकायत की जांच करायी जा रही है ।

जनपद बस्ती की तहसील-सदर के विकास खण्ड बनकटे के ग्राम व पो0 कराह पिठिया में स्थित चकरोड पर हुए अनाधिकृत कब्जे को हटाने की मांग

85–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बजहा पोस्ट कराह पिठिया तहसील सदर विकास खण्ड बनकढ़ी जनपद बस्ती के उत्तर पश्चिम स्थित चकरोड को गांव के ही कुछ लोगों ने अनधिकृत रूप से जोत लिया है जिससे आवागमन बाधित होने से ग्रामवासियों को अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त चकरोड पर अनधिकृत कब्जे को समाप्त करके बाधित आवागमन को मुक्त करायेगी और दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पी0 एम0 बी0 पालीटेक्निक मथुरा के सेवानिवृत्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों के निजी अंशदान का ब्याज देने की मांग

86–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 एम0 बी0 पालीटेक्निक, मथुरा के सेवानिवृत्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पेंशन एवं भविष्य निधि के निजी अंशदान के ब्याज का भुगतान उनकी सेवानिवृत्त के पश्चात् अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार उनकी सेवा निवृत्ति के बाद ब्याज भुगतान की तिथि की अवधि का भी अतिरिक्त ब्याज देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भुगतान किया जा चुका है ।

नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

जनपद बलिया में राजकीय महिला पालिटेक्निक खोले जाने की मांग

87--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में राजकीय महिला पालिटेक्निक की स्थापना संबंधी पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय से जो पत्रांक--सी0 एम0 (वि0 को0) एम-1-व/257-393/90, दिनांक 29-3-90 द्वारा सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग को प्रेषित किया गया है, पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद बलिया में राजकीय महिला पीलीटेक्निक की स्थापना संबंधी माननीय सदस्य विधान सभा का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय से पत्रांक--सी0एम0 (वि0को0 (एम-1-व/257-393/90, दिनांक 24 मार्च, 1990 द्वारा प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा से आख्या प्राप्त की गई ।

सम्यक विचारोपरान्त बलिया जनपद में राजकीय महिला पालीटेक्निक खोले जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के विकास हेतु योजना की मांग

88--श्री रवीन्द्र कुमार सिंह--

क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर उ0 प्र0 का सबसे पिछड़ा जनपद है ? यदि हां, तो जनपद के विकास कार्य हेतु कम धन की स्वीकृति किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार गाजीपुर के सर्वांगीण विकास हेतु उसे पिछड़ा जिला मानकर उसके विकास के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

अभी तक ऐसा कोई सर्वमान्य सूत्र निर्धारित नहीं हो सका है जिसके आधार पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों को उनके समग्र पिछड़ेपन के अनुसार श्रेणीवद्ध किया जा सके । अतः निश्चित रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि जनपद गाजीपुर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जनपद है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि समग्र रूप से किसी भी जनपद को पिछड़ा जनपद घोषित नहीं किया गया है । अतः सर्वांगीण विकास हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जिलाधिकारी बलिया (मुख्यालय) व तहसील स्तर पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

89--श्री राम वचन धुसिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी बलिया के कार्यालय (मुख्यालय) व विभिन्न तहसीलों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं, कितनों पर आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप नियुक्तियां हुई हैं ? पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति विकलांग व सेनानी कोटे के कुल कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं ? आरक्षण कोटा न पूरा किये जाने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है व उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास--

जिलाधिकारी, बलिया के कार्यालय (मुख्यालय) व विभिन्न तहसीलों में तृतीय श्रेणी के 131 एवं चतुर्थ श्रेणी के 152 पद स्वीकृत हैं । उक्त पदों में से आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप तृतीय श्रेणी में अनुसूचित जाति के 24, पिछड़े वर्ग के 20 तथा विकलांग के 2 कर्मचारियों के तथा

चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति के 33, पिछड़े वर्ग के 51 व विकलांग के 2 कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई हैं। इस समय तृतीय श्रेणी के 5 तथा चतुर्थ श्रेणी के 2 पद रिक्त हैं।

पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व विकलांग का कोटा पूरा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा जनजाति का कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। आरक्षण कोटा पूरा न करने के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः उनके विषय में कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

जनपद बांदा तहसील कर्वी के अन्तर्गत ग्रामवासी हरिजनों के पट्टों पर वन विभाग द्वारा कब्जा करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

90–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के तहसील कर्वी अंतर्गत ग्रामवासी हरिजन पट्टेदार निवासी गढ़चपा के गोबर्धन आदि सोलह लोगों ने दिनांक 8-9-89 को जिलाधिकारी बांदा, कमिश्नर, झांसी, राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश एवं अध्यक्ष राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय की शिकायत की है कि पट्टाशुदा नम्बरान खतौनी में उनके नाम हैं, जिस पर वन विभाग ने अपना भी नाम दर्ज करा लिया है तथा वन विभाग कर्मचारी उनकी जोती बोयी जमीन पर हस्तक्षेप कर रहे हैं? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी? क्या वन विभाग के कर्मचारियों को जबरन कब्जा करने से रोका जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास–

जी हां। शिकायत की जांच कराई गई जिससे राजस्व अभिलेखों में डबल इन्द्राज पाया गया जिसकी दुरुस्ती की कार्यवाही तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन है। मौके पर आवंटित भूमि पर पट्टेदारों का ही कब्जा है।

91–श्री राम प्रसाद सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम भरावन निवासी श्री गंगादीन पुत्र श्री पूरन की खाता संख्या–110 पर अवैध कब्जा हटाने की मांग

92–श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

विधान सभा, 1990 के द्वितीय सत्र के प्रथम मंगलवार को पूछे गये श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह स0 वि0 सा0 के अत0 प्रश्न सं0–28 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि संबंधित भूमि खतौनी सं0–110 में प्रश्नगत गाटा सं0–1055 क्षे0 फ0 एक बीघा (जो संक्रमणीय भूमि के रूप में अंकित है। जिसमें तालाब भी है पर अभी तक गंगादीन पुत्र श्री पूरन निवासी-भरावन, गोड़वा, सण्डीला, हरदोई का कब्जा नहीं है? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण प्रकरण की जांच पुनः कराकर गलत सूचना देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा उक्त व्यक्ति को कब्जा दिलाया जायेगा?

श्री राम शरण दास–

जी नहीं, राजस्व अभिलेखों में खतौनी संख्या-110 में गाटा सं0-1055 के क्षेत्रफल 1-0-0 बीघा पर श्री गंगादीन का ही कब्जा है। भूचित्र में त्रुटिवश इस गाटे का क्षेत्रफल 1-0-0 बीघा से अधिक दिखलाया गया है। जिसकी दुरुस्ती हेतु कलक्टर के न्यायालय में वाद पंजीकृत किया गया है और इसकी जांच के पश्चात आख्या/संस्तुति प्रस्तुत करने के लिए तहसीलदार, सण्डीला को आदेश दिये गये हैं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में पी0 सी0 एफ0 द्वारा आवंटित गेहूं, खाद व यूरिया का भुगतान सहकारी बैंक से करने की मांग

93–श्री दशरथ सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जिला गोण्डा में पी0 सी0 एफ0 द्वारा जिला सहायक निबन्धक की मांग पर दिये गये वर्ष 1989 के खाद यूरिया व बीज गेहूं का भुगतान अभी तक कोआपरेटिव बैंक गोण्डा द्वारा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जनपद गोण्डा में सहकारी बैंक तथा समितियों में वसूली न होने के कारण जिला सहकारी बैंक में त्वरित पूंजी का अभाव हो गया था जिसके कारण वर्ष 89 में वितरित खाद बीज के मूल्य का भुगतान पी0 सी0 एफ0 को नहीं किया जा सका ।

अब स्थिति में सुधार हो गया है और बकाया धनराशि भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार के ग्राम सभा सकृत में चकबन्दी के दौरान की गई अनियमितताओं के संबंध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

94–डा0 सरजीत सिंह डंग–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सकृत, तहसील-चुनार, जनपद-मिर्जापुर की चकबन्दी होने बाबत प्रकाशन 10 जुलाई, 1982 को हुआ था ? यदि हां, तो क्या चकबन्दी कार्यवाही पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राजस्व मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चकबन्दी के दौरान अनेक अनियमिततायें पाये जाने की जांच आख्या उप संचालक चकबन्दी, मिर्जापुर ने जिलाधिकारी के माध्यम से वर्ष 1987 में आयुक्त चकबन्दी कार्यालय लखनऊ को भेजी थी ? क्या उस आख्या के तहत दोषी कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब और क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम के कृषकों द्वारा दी गई शिकायतों की जांच में अनियमिततायें पाई गई ।

जी हां ।

जी हां ।

आदेश दिनांक 18-11-87 द्वारा संबंधित स0 च0 अ0 को निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गया । सम्बन्धित चकबन्दीकर्ता तथा दो लेखपालों के विरुद्ध भी आरोपित करके विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी ।

दोषी पाये गये दो चकबंदी लेखपालों को विभागीय कार्यवाही में प्रतिकूल प्रविष्ट दी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के श्री तेजपाल सिंह त्यागी अधिशासी अभियन्ता के संबंधी में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

95–श्री राम कुमार शुक्ला–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का एक पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक-सी0 एम0/वि0 को/एम-1-ल/55-286/90 द्वारा श्री तेज पाल सिंह त्यागी अधिशासी अभियन्ता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के संबंध में मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इस प्रकरण में जांच करा ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली नगर में आई0 बी0 आर0 आई0 के सामने उदयपुर खास में आवास विकास योजना द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने की मांग

96–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर में आई0 बी0 आर0 आई0 के सामने उदयपुर खास में आवास विकास की योजना नम्बर–6 के लिए गजट नोटिफिकेशन नं0 984/एस0 ए0 सी0 दिनांक 27-8-79 द्वारा 27-8-79 को भूमि अधिग्रहीत करने का नोटिस दिया गया था ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन सी भूमि शामिल है ? क्या नगर विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस भूमि का मुआवजा किस रेट से दिया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली के निवासी नन्हे पुत्र श्री मन्शाराम (मृतक) के परिवार को मुआवजा देने की मांग

97–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि एक बालक नन्हें पुत्र श्री मन्शाराम निवासी फालतूनगंज, बरेली दिनांक 9-2-90 को थाना बारादरी के अन्तर्गत रोडवेज की बस से दबकर मर गया था ? यदि हां, तो क्या मृतक के परिवार को मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा-140 के अन्तर्गत मृतक के परिवार को मुआवजा की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु जिलाधिकारी बरेली को दिनांक 3-5-90 को 25,000/- का चेक उपलब्ध करा दिया गया है ।

जनपद बरेली में आवास विकास परिषद् द्वारा अर्जित की गई भूमि को मुक्त कराने की मांग

98–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर में आवास विकास परिषद् इज्जतनगर की योजना संख्या-2 में अर्जित की जा रही खसरा नम्बर-138 की भूमि पर पहले से मकान बने हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि को अर्जन से मुक्त करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की इज्जतनगर योजना संख्या-2 बरेली में खसरा नम्बर-138 की भूमि पर परिषद् अधिनियम की धारा-28 के गजट के प्रकाशन के पहले से मकान नहीं बने थे, बल्कि परिषद् अधिनियम की धारा-28 की विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशन होने के बाद तथा भूमि का कब्जा लेने के पहले अनाधिकृत निर्माण किये गये थे । इन निर्माणों के विरुद्ध पी0पी0एक्ट में सात वाद दायर किये गये थे । वादों का निर्णय परिषद् के पक्ष में होने के कारण अनाधिकृत निर्माण कर्ताओं द्वारा मा0 जिला जज, बरेली के यहां अपीलें दायर की गई हैं। उक्त अपीलें मा0 न्यायालय अतिरिक्त जिला जज के यहां अन्तिम बहस हेतु नियत है ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की कालोनी विकास नगर में सभी पार्कों को सुसज्जित कराने की मांग

99–श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की कालोनी विकास नगर लखनऊ के सभी निर्मित पार्क अत्यन्त जीर्णशीर्ण स्थिति में हैं ? यदि हां, तो इनको सुसज्जित न कराये जाने के क्या कारण हैं ? इन पार्कों को कब तक सुसज्जित कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की विकास नगर योजना लखनऊ में 22 पार्क लोहे की रेलिंग सहित बाउन्ड्रीवाल बना कर विकसित किये गये हैं । इन पार्कों को सुसज्जित करने के लिये पेड़ एवं पौधे भी लगाये गये हैं । परिषद् आवंटियों से भवन कर इत्यादि लेने के लिये अधिकृत नहीं है जिसके फलस्वरूप पार्कों का रख रखाव परिषद् अपने सीमित संसाधनों से यथा सम्भव कर रही है ।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की कालोनी विकास नगर में सड़क एवं मार्ग व्यवस्था को ठीक कराने की मांग

100–श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की कालोनी विकास नगर लखनऊ में सड़क एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था जीर्णशीर्ण स्थिति में है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की विकास नगर कालोनी लखनऊ में सड़कों की स्थिति एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था ठीक है । विभिन्न कारणों से जब कभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो उनकी मरम्मत आवास एवं विकास परिषद् द्वारा करायी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

101–श्री सन्त बख्श रावत–

[3 रे मंगल में अता0 प्र0 सं0 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज में चकबन्दी कार्य पूर्ण ग्रामों के कृषकों को आकार-पत्र 35 उपलब्ध कराने की मांग

102–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ में किन-किन ग्राम सभाओं में चकबन्दी का कार्य पूर्ण हो चुका है और उनमें किन-किन ग्राम सभाओं में चकबन्दी आकार पत्र 35 नहीं बांटा गया है ? विलम्ब का दोषी कौन अधिकारी है ? सरकार चकबन्दी कार्य पूर्ण ग्रामों के कृषकों को आकार-पत्र 35 कब तक उपलब्ध करवा देगी ?

श्री राम शरण दास–

तहसील मोहनलाल गंज जनपद लखनऊ के 195 ग्रामों सूची संलग्न है में कब्जा परिवर्तन का कार्य सम्पन्न हो चुका है । संलग्न सूची के क्रम सं0 152 से 195 तक अंकित 44 ग्राम ऐसे हैं जिनमें जो0च0अधि0 पत्र-35 क नहीं बांटा जा सका है । मुख्य रूप से संबंधित स0च0अ0, चकबन्दी कर्ता एवं लेखपाल दोषी हैं । ब0अ0च0 लखनऊ को आवश्यक निर्देश दे दिए गये हैं कि वे संबंधित कृषकों को आकार पत्र-35 क शीघ्र उपलब्ध करा दें ।

(देखिए नत्थी भ आगे पृष्ठ 133–135 पर)

जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के परगना निगोहा के ग्राम भद्दी सिर्स में श्री पुत्ती लाल के चक के लिए चकरोड की मांग

103–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा भद्दी सिर्स परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में चकबन्दी कर्ताओं ने गाटा सं0-868 से 991 के मध्य चकरोड मात्र पांच कड़ी का छोड़ा था जिसे वर्ष 1988 में उपसंचालक, चकबंदी, लखनऊ के आदेशानुसार दस कड़ी का करवा दिया गया था किन्तु इसी सेक्टर के हरिजन कृषक पुत्तीलाल पुत्र दुलारे के खेतों के लिए चकरोड नहीं छोड़ा गया और करीब 3 बिस्वा जमीन जो बड़ी थी उसे किसी अन्य किसान को ज्यादा नापकर दे दिया गया है ? यदि हां, तो उसके लिए दोषी चकबन्दी कर्मियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री राम शरण दास–

जी हां । श्री पुत्तीलाल के चक के लिए पहले चकरोड नहीं दिया गया था परन्तु उप संचालक चकबन्दी के स्तर से चक रोड की व्यवस्था कर दी गयी है, जिससे संबंधित चकदार संतुष्ट हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा खण्ड विकास अधिकारी के चयन में आयु सीमा में छूट देने की मांग

104–श्री राम कुमार वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की विज्ञापन सं0-ए-2/ई-111/88-89 के अंतर्गत खण्ड विकास अधिकारी के पदों के चयन में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में दो वर्षों की छूट दी गयी है जबकि उक्त विज्ञापन के अंतर्गत समान पद, सबरजिस्ट्रार के पद के लिए जिन वर्षों में परीक्षा आयोजित नहीं की गयी उन वर्षों के लिए आयु सीमा में छूट नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो आयु सीमा में छूट न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

खण्ड विकास अधिकारी के पदों हेतु आयु में छूट उनकी सेवा नियमावली में दिए गये प्राविधानों के आधार पर दी गयी है, जबकि सब रजिस्ट्रार पद के लिए उनसे संबंधित उत्तर प्रदेश उपरजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

105–श्री सुखवीर सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

किसान सहकारी चीनी मिल लि0 सम्पूर्णानगर एवं खीरी में दैनिक वेतन कर्मचारियों की नियमितीकरण प्रक्रिया

106–श्री निरवेन्द्र कुमार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0-14 के उत्तर के संबंध में क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विचाराधीन नियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी नहीं । नियुक्तियों पर रोक लगी होने के कारण कार्यवाही स्थगित है ।

जी नहीं ।

कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

सहकारी शुगर मिल मलियाना को बालैनी जनपद मेरठ में स्थानान्तरित करने की मांग

107–श्री साहब सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी शुगर मिल, मलियाना को दूसरी जगह स्थानान्तरित किए जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्या इसे बालैनी , जनपद मेरठ जहां पर जगह एवं गन्ना उपलब्ध है, लगाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

सहकारी क्षेत्र की कोई चीनी मिल मलियाना में स्थित नहीं है । उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की मेरठ इकाई को दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । स्थल चयन हेतु गठित कमेटी के निरीक्षण के उपरान्त जो स्थान चीनी मिल के स्थापन हेतु प्रत्येक दृष्टि से उपयुक्त पाया जायेगा उसी स्थल पर चीनी मिल को स्थानान्तरित किया जा सकेगा ।

विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा स्थापित कालोनियों में किरायेदारों को मालिकाना अधिकार दिए जाने की मांग

108–श्री सुरेन्द्र कुमार ''मुन्नी''–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा स्थापित कालोनियों में किराये पर रह रहे लोगों को भवन का मालिकाना अधिकार दिए जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त भवनों का लागत निर्माण लागत को ही आधार मानकर निर्धारित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

भवनों की निर्माण लागत 1500/- प्रति वर्गमीटर मानकर 25 वर्ष पीछे का ह्रास अनुमन्य करते हुए निर्माण मूल्य आंगणित किया जाता है । भूमि का मूल्य वर्तमान सेक्टर रेट के अनुसार लगाये जाने की व्यवस्था है ।

जनपद गाजियाबाद के किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान की मांग

109–श्री सुरेन्द्र कुमार ''मुन्नी''–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गाजियाबाद के लगभग 52 गांवों की भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1960-1962 तक किया गया था, जिसमें कुछ गांव के लोगों को अधिक दर से मुआवजे का भुगतान किया गया परन्तु अधिकांश लोगों को कम दर पर मुआवजा दिया गया ? क्या सरकार सभी किसानों को नियम 28ए के तहत बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर कराने की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम हेतु भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4(1) की अधिसूचना संख्या-2138-एच/37-50(26) एच-59 दिनांक 16-7-60 एवं संख्या-2449-पी/37-204 एच-59 दिनांक 18-7-60 के अंतर्गत जनपद गाजियाबाद के क्रमशः 50 एवं 1 ग्राम की भूमि, अर्जन हेतु प्रस्तावित थी । कालांतर में उक्त अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए विज्ञप्ति संख्या-4482-एच-/37-62 (गा0बाद) 62, दिनांक 18-8-62 द्वारा पांच ग्रामों एवं संख्या-545-एच/37-50(58) एच-60 दिनांक 9-2-62 द्वारा 22 ग्रामों की भूमि अधिग्रहण के लिए विज्ञप्तियां जारी की गयीं । इन दोनों विज्ञप्तियों में कैला, नासिरपुर, घुकना जटवाडा कलां, की भूमि अलग-अलग शामिल है । इस प्रकार कुल 23 ग्रामों की भूमि अर्जित की गयी ।

उक्त 23 ग्रामों में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-11 के अंतर्गत पृथक-पृथक तिथियों में अलग-अलग ग्रामों के लिए भिन्न-भिन्न दरों पर अभिनिर्णय किए गये थे। कलेक्टर के इन एवार्डों से क्षुब्ध होकर धारा-18 के अंतर्गत कुल 9 संदर्भ जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में दायर किए गये। इन संदर्भों में से आठ पर जनपदीय न्यायालय में प्रतिकर को बढ़ा करके भुगतान के निर्देश दिए। जनपद न्यायाधीश के इस निर्णय के आधार पर उक्त ग्रामों में धारा-28-ए के अन्तर्गत 1529 प्रार्थना पत्र प्रतिकर के पुनर्निर्धारण हेतु प्राप्त हुए।

संदर्भ संख्या-22, 23, 91/79 राम किशन आदि बनाम सरकार में दिए गये निर्णय दिनांक 23-5-87 के आधार पर ग्राम जटवाडा कलां के 50 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर भुगतान किया गया। ग्राम सिहानों डुण्डाहेडा तथा साहपुर बम्हेटा के प्रभावित काश्तकारों के कुल 107 प्रार्थना पत्रों पर धारा 28-ए के अंतर्गत प्रतिकर का पुनर्निर्धारण दिनांक 8-6-89, 9-6-89 में किया गया। परन्तु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने दिनांक 11-7-89 एवं 28-9-89 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिकायें प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। फलस्वरूप घोषित अभिनिर्णय की धनराशि का भुगतान लम्बित है एवं तद्नुसार यह प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्तर पर विचाराधीन है।

जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा नजूल की भूमि नीलाम करने के संबंध में श्री अकबर हुसैन बाबर स0वि0स0 के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

110–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध वर्ष 87-88, 88-89 में नजूल भूमि नीलामी के संबंध में प्रश्नकर्ता एवं सदस्य, विधान सभा, अकबर हुसैन बाबर के कुल कितने शिकायती पत्र प्राप्त हुए ? क्या उन पर जांच करायी गयी ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा और जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आयुक्त फैजाबाद मण्डल द्वारा जांच करायी जा रही है।

बाल कल्याण एवं अनुसंधान परिषद् की भूमि का प्रतिकर धनराशि तथा ब्याज आवास विकास परिषद् द्वारा भुगतान करने की मांग

111–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल कल्याण एवं अनुसंधान परिषद् की भूमि संख्या-47 इस्माइल गंज, लखनऊ क्षेत्रफल 1-8-14 जो आवास विकास द्वारा ली गयी थी उसकी प्रतिकर धनराशि 1,11,960 तथा ब्याज तय होने पर भी जिला अधिकारी कार्यालय से भुगतान नहीं किया जा रहा है ? उक्त धनराशि का कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बाल कल्याण अनुसंधान परिषद् की भूमि संख्या-47 स्थित ग्राम इस्माइलगंज लखनऊ क्षेत्रफल 1-0-14-0 है न कि 1-8-14। इसके प्रतिकर की धनराशि रु0 1,11,960,99 का भुगतान दिनांक 26 अप्रैल, 1990 को तथा ब्याज की धनराशि रु0 52,442.46 का भुगतान दिनांक 11 जून, 1990 को किया जा चुका है।

चूंकि भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, सहकारी चीनी मिल, तिलहर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पद के अनुसार वेतन दिये जाने की मांग

112–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को उनके पद के अनुसार वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी नियमानुसार पद एवं कार्य के अनुसार वेतन/मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

नियमानुसार पद एवं कार्य के अनुसार निर्धारित वेतन/मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है ।

जनपद गाजियाबाद के कस्बा मोदी नगर में नव सृजित तहसील के भवन निर्माण की मांग

113–श्री सुखवीर सिंह गहलौत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा मोदी नगर, जनपद गाजियाबाद में नई तहसील भवन की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह भवन किस स्थान पर कब तक बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

नवसृजित तहसील मोदीनगर के भवन निर्माण की योजना विचाराधीन है जिसके लिए जिला स्तर पर भूमि के चयन की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण द्वारा प्राइवेट बिल्डरों को कम कीमत पर भूखण्ड देने के सम्बन्ध में कार्यवाही

114–श्री सुखवीर सिंह गहलौत–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण के जिन अधिकारियों ने वर्ष 1989 में कोशाम्बी योजना के अन्तर्गत प्राइवेट बिल्डरों को बिना नीलामी के 3 होटल बनाने हेतु भूखण्ड कम दरों पर आवंटित करके प्राधिकरण को लगभग ढाई करोड़ की क्षति पहुंचायी है, उनके विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मामले की जांच की जा रही है ।

जनपद अल्मोड़ा के मुख्यालय पर नव सृजित भिकियासैंण तहसील हेतु अधिग्रहीत भूमि के भूस्वामियों के परिवार को रोजगार देने की मांग

115–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव निर्मित भिकियासैंण तहसील मुख्यालय, जनपद अल्मोड़ा के लिए भूमि अधिग्रहीत की गई है ? यदि हां, तो क्या जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत की गई है, उन व्यक्तियों के परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी नहीं, प्रस्ताव विचाराधीन है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की बीसलपुर सेमीखेड़ा, सितारगंज आदि सहकारी चीनी मिलों का विस्तारीकरण

116–श्री हरीश कुमार गंगवार–

क्या गन्ना मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश की बीसलपुर, सेमी खेड़ा, सितारगंज आदि किसान सहकारी चीनी मिलों का विस्तार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से और यह विस्तार कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री राम शरण दास–

जी हां । सहकारी चीनी मिल बीसलपुर, सेमीखेड़ा और सितारगंज का विस्तार कार्य क्रमशः सितम्बर, 1988, दिसम्बर, 1988 व नवम्बर, 1988 से प्रारम्भ किया गया है । विस्तारीकरण का कार्य पेराई सत्र 1990-91 के शुरू होने से पहले पूरा हो जाने की आशा है ।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर की सहकारी चीनी मिल में मशीनों के क्रय में की गई धांधली के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय जांच की मांग

117–श्री हरीश कुमार गंगवार–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बीसलपुर, जिला पीलीभीत की सह0 चीनी मिल के विस्तार के लिये मशीनें पुर्जे साजसज्जा आदि के लिए कितना धन खर्च किया गया ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मिल के लिए करोड़ों रुपये का सामान ब्लैक लिस्टेड फर्मों से खरीदा गया और टेण्डर भी नहीं मांगे गये जिसके कारण पहले की पेराई क्षमता भी घट गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच करायेगी ?

श्री राम शरण दास–

बीसलपुर सहकारी चीनी मिल के विस्तारीकरण हेतु मशीनों के मद में अब तक लगभग 7 करोड़ रुपये व्यय हो चुका है । इस चीनी मिल के विस्तारीकरण हेतु मशीनों की आपूर्ति जिन फर्मों से की जा रही है, उनमें से कोई भी फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं है । चीनी मिल के विस्तारीकरण हेतु मिल हाउस की मशीनों के अतिरिक्त सभी मशीनों की आपूर्ति के आदेश, टेण्डर मांगने के उपरान्त ही दिए गये हैं । केवल मिल हाउस की मशीनों के आदेश मिल हित में एक ऐसी फर्म को दिये गये हैं जिसने पूर्व में इन्हीं दरों पर सहकारी चीनी मिल बेलरांया को मिल हाउस मशीनों की आपूर्ति की थी । जहां तक मिल की पेराई क्षमता का संबंध है, यह कहना सही नहीं है कि मिल की पेराई क्षमता घटी है अतः उच्चस्तरीय जांच का कोई औचित्य नहीं है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम सभा ससपना के प्रधान द्वारा अवैध कब्जा कराने के संबंध में भू0 पू0 विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही

118–डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद की ग्राम सभा ससपना के प्रधान के विरुद्ध वर्ष 1986-87 में ग्राम समाज की भूमि को बगैर पट्टा दिये अवैध कब्जा कराने विषयक ग्राम वासियों व पूर्व विधायक प्रियदर्शी जेतली एवं सांसद श्री रामपियारे सुमन के पत्रों के आधार पर जांच कराई गई ? यदि हां, तो प्रधान के विरुद्ध मुख्य आरोप क्या थे और जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ? उस आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

प्रधान के विरुद्ध आरोप भूमि आवंटन में अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग के थे । जांच में प्रधान के विरुद्ध उक्त आरोप सिद्ध नहीं पाये गये । परन्तु जांच में आवंटन में कतिपय अनिमितताऐं पाई गई जिसके लिये नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिये गये हैं ।

जनपद बस्ती में भूमि के पट्टे का पृष्ठांकन लेखपाल एवं चकबंदीकर्ता द्वारा किए जाने की जानकारी

119–श्री विनोद कुमार चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक चकबंदी अधिकरी, बस्ती ने दिनांक 21-1-76 को मुकदमा नं0 2096 धारा–12 -क के अंतर्गत किस भूमि सं0 का किस ग्राम व तहसील के किस व्यक्ति के नाम पट्टे हेतु आदेश पारित किये थे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उस पट्टे का पृष्ठांकन किस लेखपाल एवं चकबंदीकर्ता द्वारा किया गया ?

श्री राम शरण दास–

सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा पट्टा हेतु आदेश पारित नहीं किया गया है बल्कि भूमि प्रबंधक समिति अलीनगर द्वारा दिये गये पट्टे के आधार पर मुकदमा नं0 2096 धारा-12 क जोत चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत लौटू पुत्र अलगू का नाम गाटा संख्या 131 क रकबा 0-16-0 जांच चकबंदीकर्ता श्री नान्हू द्वारा की गयी ।

उक्त पट्टा श्री रामशंकर लाल लेखपाल द्वारा सत्यापित किया गया था । सहायक चकबंदी अधिकारी के आदेश का अमल दरामद चकबंदी लेखपाल श्री हदी उल्ला द्वारा किया गया तथा इसकी जांच चकबंदी कर्ता श्री नान्हू द्वारा की गयी ।

जनपद गाजियाबाद की असंक्रमणीय भूमि को नियम के विरुद्ध बेचने के संबंध में कार्यवाही की मांग

120–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सूरजपुर, दादरी, जनपद गाजियाबाद की असंक्रमणीय भूमि नम्बर 8 म-1-4, 9 म–0-0-14, 10 म–0-3-0 कुल रकबा 1-9-18, असंक्रमणीय भूमिधर प्रह्लाद पुत्र श्री बाली निवासी ग्राम सूरजपुर दादरी, जनपद गाजियाबाद ने दिनांक 21-1-89 को बेच दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार असंक्रमणीय भूमि को नियम के विरुद्ध बेचने के संबंध में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां. प्रश्नगत गाटे जो असंक्रमणीय भूमिधरी के हैं, का विक्रय-पत्र श्री प्रह्लाद पुत्र श्री बाली द्वारा दिनांक 21-1-89 को निष्पादित किये गये जिनका पंजीकरण दिनांक 22-5-1990 को हुआ । उक्त विक्रय कानून के विरुद्ध होने के फलस्वरूप प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत भूमि को नियमानुसार राज्य में निहित करने की कार्यवाही व्करने के निर्देश दे दिये गये हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम बादलपुर दादरी की असंक्रमणीय भूमि को नियम विरुद्ध बेचने के संबंध में कार्यवाही की मांग

121–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बादलपुर दादरी, जनपद गाजियाबाद में खसरा नम्बर 556 रकबा 1-13-10 की असंक्रमणीय भूमि को नियम विरुद्ध दिनांक 23 मार्च, 1989 को बेच दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

ग्राम बादलपर तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद का खसरा नम्बर 556 रकबा 1-13-0 अभिलेखों में रामसरन, रामरिख, हरीगुलाल व किशोरी लाल, जयचन्द, राजवीर, आदि के नाम संक्रमणीय भूमिधरी में अंकित है ।

खातेदारों द्वारा उक्त भूमि का हस्तान्तरण बैनामा द्वारा दिनांक 12 जूलाई, 1989 को एशिया आहार लिमिटेड 7/35 अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली के पक्ष में किया गया । विक्रेता खातेदार हरिजन हैं और उनके द्वारा विधी की अपेक्षानुसार कलक्टर की अनुमति के बिना भूमि का विक्रय किया गया । इस अवैध विक्रय के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं ।

महानगर गोरखपुर में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि के पूर्व भू-स्वामियों द्वारा बेची नामा लिखा देने संबंधी जांच की मांग

122–श्री केदार नाथ सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर गोरखपुर में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा पटेल नगर भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना गोरखपुर की आवासीय सुविधा हेतु अधिनियम संख्या 1/1966 की धारा 28 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु नोटिस जारी की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नोटिस जारी होने के बाद कुछ भू-स्वामियों ने अपने नाम नोटिस जारी होने के तिथि से पूर्व की तिथि में बिना रजिस्ट्री नामा किए भूमि का फर्जी बेचीनामा लिखकर जमीन को अधिग्रहण से मुक्त करा लिया ? यदि हां, तो सरकार इसकी विस्तृत जांच करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

मूलरूप में योजना 400 एकड़ के लिये प्रस्तावित थी । अब यह योजना मात्र 100 एकड़ के लिये प्रस्तावित है ।

जनपद रायबरेली की तहसील महराजगंज के ग्राम बाजितपुर मजरे देहली के स्व0 श्री हुबलाल के वारिसों के नाम भूमि दर्ज कराने की मांग

123–श्री सधेश्याम भारतीय, श्री मूल चन्द्र तथा श्री फौजदार–

क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाजितपुर मजरे देहली, तहसील-महराजगंज, जिला-रायबरेली में हुबलाल पुत्र स्व0 श्री बदल के उत्तराधिकारी कौन-कौन व्यक्ति हैं ? क्या यह सही है कि उसकी मृत्यु के बाद दर्शन व मैकू पुत्रगण किशन ने लेखपाल कानूनगो की साजिस से फर्जी उत्तराधिकारी बनाकर इन्तखाब खतौनी तथा भूमि संबंधी अन्य अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा दिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर मृतक हुबलाल के मूल वारिसों के नाम भूमि दर्ज करायेंगे तथा दोषी पाये गये व्यक्तियों एवं कर्मचारियों/अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम शरण दास–

श्री हुबलाल पुत्र स्व0 श्री बदल के उत्तराधिकार के संबंध में विवाद है । श्री हुबलाल की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार के संबंध में तहसीलदार महराजगंज के न्यायालय में वाद चल रहा था जो चकबंदी क्रियाओं के प्रारम्भ होने के कारण दिनांक 26-7-86 को अबेट हो गया । इसी बीच लेखपाल तथा क्षेत्रीय कानूनगो ने श्री शिवदर्शन व श्री मैकू के नाम खतौनी में प0 का0 11 के द्वारा दर्ज कर दिया । मुकदमा दौरान उत्तराधिकार अंकित करने के लिए दोषी लेखपाल को प्रति-कूल प्रविष्टि देकर दण्डित किया जा चुका है । कानूनगो सेवा निवृत्त हो चके हैं । श्री हुबलाल के सही वारिसों के नाम भूमि दर्ज कराने के संबंध में कार्यवाही चकबंदी अधिकारियों द्वारा की जायेगी ।

लखनऊ–कुर्सी–महमूदाबाद मार्ग पर बसों के संचालन की मांग

124–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ-कुर्सी-महमूदाबाद मार्ग पर बसों के संचालन के विषय में मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र, जिसकी प्राप्ति अनुसचिव श्री हंसराज द्वारा अर्ध शा0 प0 सं0–17 बी0 आई0 पी0/30-3-90 (62) परिवहन अनुभाग-1, दिनांक 27-3-90 द्वारा स्वीकार की गयी पर बिन्दवार क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लखनऊ-कुर्सी-महमूदाबाद मार्ग पर बसों के संचालन के संबंध में मा0 विधायक का उल्लिखित पत्र दिनांक 16-2-90 प्राप्त हुआ । इस पत्र में उल्लिखित अन्य पत्रों में दिए गये सुझावों पर विचार किया गया । राष्ट्रीयकरण की योजना के अनुरूप इस मार्ग पर प्रतिदिन निगम की बसों का 13 अप 13 डाउन संचालन किया जा रहा है । कभी-कभी बसों के आफ रोड हो जाने अथवा खराब हो जाने या चालकों/परिचालकों के अनुपस्थित हो जाने के कारण सेवाओं का स्थगन अवश्य हुआ । योजना के अनुरूप निजी बसों के संचालन हेतु संभागीय परिवहन अधिकारी को कार्यवाही हेतु लिखा गया है ।

माननीय विधायक जी के उपर्युक्त पत्र में सीनियर फोरमैन, स्टेशन अधीक्षक, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, कैसरबाग तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (संचालन) के विरुद्ध योजना को सही रूप से क्रियान्वित न किए जाने का जो उल्लेख किया है उसके विषय में अवगत कराना है कि संचालन में किसी भी अधिकारी/उपाधिकारी द्वारा जानबूझकर व्यवधान नहीं पहुंचाया गया है ।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा श्री धर्मवीर को आवंटित भवन की डीड समाप्त करने की मांग

125–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, लोक नि0 वि0 धर्मवीर ने इन्दिरानगर स्थित लेखराज मार्केट के पीछे अपना भवन बनवाया है जिसे उन्होंने लोक निर्माण विभाग को कार्यालय हेतु किराये पर दिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को मालूम है कि आवास विकास के डीड के नियमों के अधीन कोई व्यक्ति भवन का उपयोग स्वयं ही कर सकता है ? क्या मंत्री जी उक्त भवन की डीड निरस्त करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री धर्मवीर, प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 (अब लोक निर्माण विभाग) ने प्रश्नगत भवन स्वयं निर्मित नहीं कराया है अपितु उन्हें आवास एवं विकास परिषद् द्वारा उच्च आय वर्ग का निर्मित भवन संख्या–ए-377 किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किया गया है, जिसमें 57वां वृत्त लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 का कार्यालय स्थापित है ।

जी हां ।

भवन की डीड अभी निष्पादित नहीं हुई है, फिर भी नियमों के विपरीत भवन का उपयोग किये जाने के संबंध में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा आवंटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है ।

केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार सुल्तानपुर में गबन की जांच तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

126–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 से अब तक केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार सुल्तानपुर में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अधिकारियों द्वारा लाखों रुपये का गबन का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार सुल्तानपुर में वर्ष 1985 से अब तक अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा गबन का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया, तथापि भण्डार के पांच विक्रेताओं द्वारा वर्ष 1985 से समय-पर कुल रु0 2,42,853.30 पैसे के सम्भार की कमी का प्रकरण प्रकाश में आया ।

उपरोक्त प्रकरणों के प्रकाश में आने की जांच कराकर दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराकर धन की वसूली हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 70 के अधीन आर्बीट्रेशन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई । साथ ही सभी दोषी विक्रेताओं की सेवायें भी समाप्त की जा चुकी हैं ।

क्षेत्रीय गन्ना कृषकों की समस्याओं के निदान हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

127–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय गन्ना कृषकों की समस्याओं के निदान विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-12-89, जो गन्ना आयुक्त को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्रोल्लिखित समस्याओं के समाधान हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित समस्याओं के निराकरण हेतु जिला गन्ना अधिकारी सलीमपुर खीरी को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद ललितपुर में सरकारी वकील के पद पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने की मांग

128–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के आदेश संख्या-डी-3195/सात वि0 म0-98-77 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों को सरकारी वकीलों के पद पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति का प्राविधान है ? यदि हां, तो जनपद ललितपुर में सरकारी वकील के पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देते हुए नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत विषय पर प्रश्न में उल्लिखित संख्या का कोई शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है। कदाचित प्रश्नकर्ता का तात्पर्य इस विषय से संबंधित शासनादेश संख्या-डी-3196/सात-वि0 मं0 88/77, दिनांक 19-10-77 व शासनादेश संख्या-डी-284/सात-वि0 मं0-15/90 दिनांक 6 फरवरी, 1990 से है । पहले शासनादेश में जिलाधिकारियों/जिला जजों से इस बात की अपेक्षा की गई है कि शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में शासन को संस्तुति भेजते समय यह भी सुचित किया जाय कि संबंधित पदों पर नियुक्ति हेतु संस्तुत पैनल में कितने और कौन-कौन अधिवक्ता अनसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के हैं । दूसरे शासनादेश में यह अपेक्षा की गयी है कि सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की संस्तुति करते समय स्पष्ट रूप से यह इंगित किया जाय कि कौन-कौन अधिवक्ता अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ी जाति व अल्प संख्यक वर्ग के हैं ।

जनपद ललितपुर से यदि पैनल में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के अधिवक्ताओं का नाम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा जाता है तो उन पर उक्त दोनों शासनादेशों के अनुसार अवश्य विचार किया जायेगा । यह भी उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी ललितपुर से प्राप्त सरकारी वकील दीवानी तथा राजस्व के पैनल में कोई अधिवक्ता उक्त वर्ग का नहीं है ।

129–श्री किशन गोपाल–

[3 रे मंगल में अता0 प्र0 सं0 183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

130–श्री श्याम बिहारी सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में वर्ष 1989-90 में भर्ती प्रशिक्षण शुदा गार्डों को सेवारत रखने की मांग

131–श्री मयंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 में प्रदेश में भर्ती अशिक्षण शुदा होमगार्ड को निकाला जा रहा है ? यदि हां, तो इनकी कितनी संख्या है तथा उन्हें क्यों निकाला जा रहा है ? क्या शासन उन्हें कार्यरत रखेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

प्रदेश में केवल लोक सभा/विधान सभा निर्वाचनों को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से 60263 होमगार्डों की भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया था । निर्वाचन समाप्त होते ही उनकी तैनाती स्वतः समाप्त हो गयी । अतः उनको निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद बदायूं की चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने की मांग

132–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद की चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाये जाने एवं बचे माल शारा व खोई से केमिकल्स फैक्ट्री व सत्ता फैक्ट्री लगाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उनको माह फरवरी, सन् 1990 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम शरण दास–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ है । सहकारी चीनी मिल बदायूं की क्षमता विस्तार का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है ।

शीरे व खोई से केमिकल्स फैक्ट्री व गत्ता फैक्ट्री लगाए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में विश्व बैंक परियोजना द्वारा निर्मित गोदामों के पूर्ण होने की अवधि

133–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर ग्रामीण गोदामों का निर्पाण किया गया है और किन-किन स्थानों पर ग्रामीण गोदाम कब-कब से निर्माणाधीन है ? इन निर्माणाधीन ग्रामीण गोदामों का निर्माण समय पर पूर्ण न किए जाने के कारण क्या हैं ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? कब तक इन गोदामों का निर्माण पूर्ण किए जाने की सम्भावना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पौड़ी में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित 44 स्थानों पर ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया गया है और 7 स्थानों पर ग्रामीण गोदामों में उनके सामने अंकित तिथि से निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया किन्तु निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका ।

इन निर्माणाधीन गोदामों का निर्माण समय पर पूर्ण न किये जाने का कारण अनुबन्ध की शर्तों के अनसार ठेकेदारों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण न करना तथा तत्कालीन अभियन्ताओं की शिथिलता है और वे ही इसके लिये उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिए नत्थी ''ख-1'' आगे पृष्ठ 136-137 पर)

यथाशीघ्र इन ग्रामीण गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद उन्नाव के क्षेत्र पुरवा से मवई कस्बे तक बससेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

134–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा (उन्नाव) के मवई कस्बे तक बस सेवा उपलब्ध कराने विषयक माह मार्च, 90 में उनको प्रेषित प्रश्नकर्ता के मांग-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? बस सेवा उपलब्ध कराने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा0 विधायक जी के मांग पत्र मार्च 90 के अनुसार मवई-कानपुर एवं मवई-लखनऊ मार्ग पर बस सेवाओं का संचालन आरम्भ कर दिया गया है ।

मुख्य लेखा परीक्षा सहकारी समितियां मुख्यालय में कार्यरत (वर्तमान एवं भूतपूर्व) अधिकारियों/कर्मचारियों के अवशेष देयों का भुगतान

135–श्री अमर मणि–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतलायेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां मुख्यालय के समस्त (वर्तमान एवं भूतपूर्व) कर्मचारियों का समता समिति की रिपोर्ट के अनुसार अवशेष धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा एवं प्रश्नगत भुगतान में विलम्ब हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के अभिलेख विभाग में कार्यरत चकबन्दी लेखपाल के शैक्षिक प्रमाण-पत्र फर्जी होने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

136–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केशव कुमार शर्मा, सदस्य, विधान परिषद् का अभिलेख विभाग, गोरखपुर में कार्यरत किसी चकबन्दी लेखपाल के शैक्षिक प्रमाण-पत्र फर्जी होने से संबंधित शिकायती-पत्र जुलाई/अगस्त, 89 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम शरण दास–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के ग्राम इरादतनगर (सीतापुर रोड) की नजूल भूमि की पैमाइस करने की मांग

137–श्री रामपाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि लखनऊ शहर की सीमा वृद्धि सम्बन्धित अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या-4516-ए/11-7-86/क-(87)/83, दिनांक 3-2-1987 के अधीन अब शहरी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम-इरादतनगर (सीतापुर रोड) परगना व तहसील सदर व जनपद-लखनऊ की कौन-कौन सी भूमि नजूल भूमि है ? प्रत्येक नजूल भूमि का इन्तखाब खसरा संख्या पैमाइश, क्षेत्रफल व चौहद्दी क्या-क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम इरादतनगर (सीतापुर रोड) की भूमि अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या 4516-ए/11-7-86-1क-(87)/83, दिनांक 3 फरवरी, 1987 से शहरी क्षेत्र में नहीं लाया गया ।

138–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

[1 ले बुध में अता0 प्र0 सं0 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज, परगना गोरिन्दा के ग्राम-देवीपुर ग्रामवासियों द्वारा चकरोड पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग

139–श्री राम पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चक रोड के नाजायज कब्जे पर ग्रामवासी-देवीपुर, परगना-गोरिन्दा, परनन्दन, तहसील-हसनगंज, जनपद-उन्नाव के शिकायती पत्र पर नायब तहसीलदार अजगैन ने जांच वर्ष, 1988 में की थी ? यदि हां, तो क्या जांच में नायब तहसीलदार अजगैन ने भूमि की नाप करके नाजायज कब्जा पाया था जिसको हटाने के लिए दिनांक 15-6-1988 को पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने हेतु थानाध्यक्ष असोहा को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो क्या नाजायज कब्जा हटा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

जी हां । अनधिकृत कब्जा हटाये जाने हेतु राजस्व कर्मचारियों की मांग पर परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 29-12-88 को पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश थानाध्यक्ष, असोहा को दिये गये थे ।

अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122 बी के अन्तर्गत की गई है जो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद गाजीपुर में वर्ग-4 का इन्दराज कराकर अवैध कब्जा करने को बेदखल करने की मांग

140–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में कितनी जमीनों पर वर्ग-4 का इन्दराज कराकर अवैध कब्जा है ? कब तक इन जमीनों पर दर्ज वर्ग-4 खारिज करके बेदखली की कार्यवाही की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जनपद गाजीपुर में वर्ष 1988-89 (1396 फसली) में कुल 504 हेक्टेयर भूमि पर वर्ग-4 के अन्तर्गत अवैध कब्जे का इन्दराज है ।

वर्ग-4 का इन्दराज खारिज करने और अवैध कब्जे की बेदखली की कार्यवाही धारा-122 बी जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में सीलिंग की भूमि को बचाने हेतु फर्जी व्यक्तियों के नाम आवंटित किए जाने के संबंध में कार्यवाही

141–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद की किन-किन ग्राम सभाओं में सीलिंग की कितनी-कितनी भूमि है ? क्या सीलिंग में प्राप्त अतिरिक्त भूमि आवंटित कर दी गयी है ? क्या यह सही है कि बहुत से भू-स्वामी अपनी भूमि सीलिंग से बचाने हेतु फर्जी व्यक्तियों के नाम से दर्ज कराकर उसका उपयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः इस तहसील में ऐसे प्रकरणों की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के 74 ग्राम सभाओं में 391-72 एकड़ सीलिंग भूमि अतिरिक्त घोषित हुई है (सूची संलग्न है) जिसमें से 246-80 एकड़ भूमि पात्र व्यक्तियों को आवंटित की गयी है तथा 19.30 एकड़ भूमि उद्यान विभाग को दी गयी है । 12.50 एकड़ अकृषिक भूमि ग्राम सभा में निहित की गयी है । 0.65 एकड़ भूमि का औपचारिक कार्यवाही पूर्ण होना शेष है, 112-47 एकड़ भूमि न्यायालय द्वारा स्थगित है । ऐसे किसी खातेदार का मामला प्रकाश में नहीं आया है जो अपनी भूमि सीलिंग से बचाने के लिए फर्जी व्यक्तियों का नाम दर्ज कराकर उपयोग कर रहा है । अतः किसी जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 138-139 पर)

जनपद फैजाबाद के कलेक्ट्रेट कार्यालय में नियुक्त किए गये कर्मचारियों की वल्दियत व मूल निवास की सूची उपलब्ध करने की मांग

142–श्री राम लखन वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा प्रतिबन्धित अवधि 31 अगस्त, 1987 से अब तक कलेक्ट्रेट कार्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने रिक्त स्थानों पर किन लोगों की नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या मंत्री जी 31 अगस्त, 1987 से मार्च, 1990 के बीच नियुक्त किए गये कर्मचारियों की वल्दियत व मूल निवास के ब्यौरा सहित सूची उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

दिनांक 31 अगस्त, 1987 से मार्च, 1990 के बीच कलेक्ट्रेट कार्यालय फैजाबाद में तृतीय श्रेणी के पूर्ण कालिक पदों पर 12 कर्मचारी नियुक्त किए गये जिनमें से 8 कर्मचारी अनुसूचित जाति, 2 कर्मचारी पिछड़ी जाति, 1 कर्मचारी अल्प संख्यक तथा 1 कर्मचारी सामान्य जाति के हैं । नियुक्त किए गये कर्मचारियों की ब्यौरा सहित सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 140 पर)

बनपद फजाबाद की तहसील-जलालपुर के सेवा निवृत्त श्री सैय्यद नजमूल हसन की पेंशन आदि के भुगतान की मांग

143–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सैय्यद नजमूल हसन जो कि 28 फरवरी, 1990 को फैजाबाद की तहसील-जलालपुर से वासिल बाकी नवीस के पद से सेवानिवृत्त हुए, की पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य अवशेष का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया ? प्रश्नगत-भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री राम शरण दास–

श्री सैयद नजमूल हसन , वासिल वाकी नवीन तहसील जलालपुर, अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 28-2-90 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं । श्री हुसन के पेंशन प्रपत्र दिनांक 23-3-90 को राजस्व परिषद् के पेंशन सेल अनुभाग को प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु प्रेषित किए गये थे ।

राजस्व परिषद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि नये वेतनमान में श्री हसन का वेतन निर्धारण जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा गलत किया गया था, अतः परिषद् द्वारा उक्त पेंशन प्रकरण पुनः जिलाधिकारी को वापस करते हुए यह निर्देश दिए गये हैं कि सही वेतन निर्धारित कर पेन्शन प्रकरण पुनः राजस्व परिषद् को प्रेषित किया जाय । जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा सही वेतन निर्धारण करके जैसे ही पेंशन प्रपत्र राजस्व परिषद् को प्रेषित किए जायेंगे, परिषद् स्तर से प्राधिकार पत्र जारी करने के बाद पेन्शन, ग्रेच्युटी व अन्य अवशेष का भुगतान यथा शीघ्र किया जायेगा ।

गन्ना संघ लखनऊ के समस्त संवर्गों को गन्ना आयुक्त कार्यालय के समान वेतन देने की मांग

144–श्री हरवंश सहाय–

क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना संघ में सहायक लेखा अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय-अधीक्षक संवर्ग के वेतनमान गन्ना आयुक्त कार्यालय के पद के आधार पर पुनरीक्षित वेतनक्रम में पुनरीक्षित किए गये हैं अथवा वेतनमान के आधार पर ? यदि पद के आधार पर पुनरीक्षित किए गये हैं तो उसी भांति क्या आशुलिपिक (गन्ना आयुक्त) तथा वैयक्तिक सहायक (पी० ए०) के पद के आधार पर गन्ना संघ में आशुलिपिक (प्रबन्ध-निदेशक) तथा वैयक्तिक सहायक संवर्ग के वेतनमान पुनरीक्षित किए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन संवर्ग के वेतनमान सहायक लेखा अधिकारी वरिष्ठ सहायक तथा कार्यालय अधीक्षक संवर्ग की भांति समान आधार पर वेतन-क्रम संशोधित करते हुए पुनरीक्षित किए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक?

श्री राम शरण दास–

उ० प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लि०, लखनऊ के कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहायक तथा कार्यालय अधीक्षक के पदों के वेतनमान गन्ना आयुक्त कार्यालय संगठन के इन्हीं पदों के अनुरूप पुनरीक्षित किया गया है ।

जी नहीं ।

विभागाध्यक्षों से सम्बद्ध वैयक्तिक सहायकों एवं आशुलिपिकों के वेतनमान विभागाध्यक्षों के स्तर के अनुसार पुनरीक्षित किए गये हैं ।

जी नहीं ।

सहायक लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहायक और कार्यालय अधीक्षक सामान्य पद हैं और इनका वेतनमान पदनाम के अनुसार निर्धारित है जबकि विभागाध्यक्ष के आशुलिपिक एवं वैयक्तिक सहायक के पदों का स्तर विभागाध्यक्ष के स्तरानुसार निर्धारित होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना संघ लखनऊ के सभी संवर्गों को एक समान पुनरीक्षित एवं संशोधित वेतनमान देने की मांग

145–श्री हरवंश सहाय–

क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना संघ में कितने संवर्गों का वेतनमान 470-735 है ? क्या 470-735 वेतनमान के सभी अलग-अलग संवर्गों का पुनरीक्षित वेतनक्रम समान रखा गया है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर और क्यों ? क्या अब इन्हें समान वेतनक्रम में संशोधित करते हुए वेतनक्रम पुनरीक्षित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम शरण दास–

उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ में 470-735 वेतनमान में 6 संवर्ग हैं ।

जी नहीं ।

समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर ।

जी नहीं ।

समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन सभी संवर्गों को एक जैसा वेतनमान देय नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

146–श्री हरवंश सहाय–

क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने संवर्गों का वेतनमान 625-1245 गन्ना संघ में हैं ?क्या इस वेतनमान के सभी अलग-अलग संवर्गों का पुनरीक्षित वेतनक्रम समान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और किस आधार पर ? क्या अब समान वेतनक्रम में पुनरीक्षित संशोधन किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम शरण दास–

उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ में 625-1240 के वेतनमान में 4 संवर्ग हैं ।

जी नहीं ।

समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन सभी संवर्गों को एक ही जैसा वेतनमान देय नहीं है ।

जी नहीं ।

इन सभी संवर्गों को एक समान वेतनमान देय नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

147–श्री हरवंश सहाय–

क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना संघ में कितने संवर्ग 570-1100 वेतनमान के हैं ? क्या इस वेतनमान के सभी संवर्गों का पुनरीक्षित वेतनक्रम समान रखा गया है ? यदि नहीं तो क्यों और किस आधार पर ? क्या इन्हें समान वेतनक्रम में संशोधन करते हुए वेतनक्रम पुनरीक्षित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम शरण दास–

उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ में 570-1100 के वेतनमान के 4 संवर्ग हैं ।

जी नहीं ।

समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन सभी संवर्गों को एक ही जैसा वेतनमान देय नहीं हैं ।

जी नहीं ।

इन सभी संवर्गों को एक समान वेतनमान देय नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के मोहल्ला देवीपुरा में अवैध निर्माण कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

148–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का नगर विकास मंत्री को सम्बोधित दिनांक 12-1-89 का पत्र श्री घनश्याम दास के दिनांक 27-12-88 के प्रार्थना-पत्र के साथ जिसमें मोहल्ला-देवीपुरा प्रथम शहर बुलन्दशहर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अवैध निर्माण कराये जाने की शिकायत की गयी है, मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण से जांच करायी जा रही है । अभी आख्या प्रतिक्षित है ।

जनपद व तहसील गोण्डा के ग्राम उज्जैनी कलां के प्रधान द्वारा अवैध पट्टा देने तथा पेड़ काटने के संबंध में कार्यवाही की मांग

149–श्री दशरथ सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री भगौती प्रसाद व श्री जगदम्बा प्रसाद आदि ग्राम उज्जैनी कलां तहसील गोण्डा द्वारा ग्राम उज्जैनी कलां के प्रधान द्वारा अवैध रूप से पेड़ काटे जाने व अपात्र व्यक्तियों को पट्टा दिए जाने संबंधी दिनांक 10-1-90 को मा0 मुख्य मंत्री जी तथा परगना अधिकारी गोण्डा को दिया गया पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम शरण दास–

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार सर्व श्री भगौती प्रसाद व जगदम्बा प्रसाद आदि के संयुक्त प्रार्थना पत्र परगनाधिकारी गोण्डा को 12-6-89 तथा 13-1-90 को प्राप्त हुए हैं तथा मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से भेजा गया उनका प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-4-89 को प्राप्त हुआ है ।

उक्त प्रार्थना पत्रों की जांच से ग्राम के 144 व्यक्तियों को स्वीकृत किए गये कृषि योग्य भूमि के पट्टों में से दो पट्टे अनियमित पाये गये, जिनके निरस्तीकरण के संबंध में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है ।

पेड़ों के अवैध कटान के संबंध में जांचोपरान्त अभियुक्तगण याकूब उर्फ मिर्जा व कासिम पुत्र अम्दुल हसन के विरुद्ध धारा-379 भा0द0सं0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया है । साथ ही याकूब के विरुद्ध धारा-122बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपर तहसील, गोण्डा के न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री हरिहर प्रसाद तिवारी ग्राम असावर जि0 गाजीपुर को राजनैतिक पेंशन स्वीकार करने के संबंध में

150–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिहर प्रसाद तिवारी ग्राम असावर जिला-गाजीपुर को राजनैतिक पेन्शन स्वीकृत करने के संबंध में उनके कार्यालय से प्रेषित सी एम (वि0को0) एम-1-व/25-29/89 दिनांक 1-1-90 पत्रांक जो सचिव राजनैतिक पेन्शन विभाग को भेजा गया है पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जी हां ।

इसके पूर्व इनकी प्रार्थना विचारोपरान्त दिनांक 4-3-89 को अस्वीकार कर दी गयी थी । पुन: इनके प्रश्नगत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया और उन्हें दिनांक 17-1-90 को सूचित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम सिकरोहर में सीलिंग से बचाने हेतु फर्जी सोसाइटी बनाये जाने के मामले पर कार्यवाही

151–श्री सुरेन्द्र कुमार ''मुन्नी''–

विधान सभा प्रथम सत्र 1989 के चौथे मंगलवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न-संख्या-11 के उत्तर के संबंध में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्जी रूप से सोसाइटी के गठन के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या फर्जी सोसाइटी को समाप्त किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

''दी सोसाइटी आफ फ्रांसिसकन ब्रदर्स माउन्ट पाइनियर बाम्बे'' द्वारा सीलिंग से अपनी भूमि बचाने के लिए फर्जी तरीके से ''दी सिकरोहर चन्दनपुर फ्रांसिसकन ब्रदर्स सामूहिक कृषि सहकारी समिति का गठन करके उसके नाम दिनांक 22-11-73 को भूमि हस्तान्तरित कर दी गयी थी । दोनों ही समितियों को सीलिंग क्षेत्र अवधारणा के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम की धारा-10(2) के अंतर्गत नोटिस जारी की गयी है एवं मामला न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के पूर्व समिति के गठन तथा उनके गठन से सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील-बीकापुर परगना पश्चिम राठ के ग्राम पूरा उर्फ समेरपुर में खसरे की भूमि सं0 520 में अंकित खातेदारों के नाम तथा फलदार पेड़ों के नाम

152–श्री विश्वनाथ सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम-पूरा उर्फ समेरपुर, परगना-पश्चिम राठ, तहसील-बीकापुर, जनपद-फैजाबाद के खसरे की भूमि संख्या 520 खतौनी क्रमांक-299 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, सम्मिलित खाता है ? उक्त भूमि के खातेदारों के क्या नाम हैं ? क्या उक्त खसरे की भूमि में फलदार एक कटहल का पेड़ स्थित सरकारी अभिलेखों में अंकित है ? यदि हां, तो कब से और किन-किन प्रजातियों के पेड़ों के ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

श्री रामसमुझ, दुखीराम, रामअौतार, बालिग व रामराज नाबालिग आयु 13 वर्ष संरक्षक रामभरोसे पिता स्वयं व ग्राम नेवल पत्र राम नाथ साकिन धरौली ।

जी हां । सन् 1394 फसली से केवल कटहल का पेड़ सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रजातियों के पेड़ अंकित नहीं हैं ।

जनपद बाराबंकी की तहसील नवाबगंज परगना-देवा के ग्राम-रामपुर जोगा में अवैध भूमि आवंटन को निरस्त करने की तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

153–श्री शारदा प्रताप शुक्ल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर जोगा परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जिला-बाराबंकी के ग्रामवासियों सर्वश्री श्याम सिंह, मगरे चमार, केशन चमार आदि ने दिनांक 19 फरवरी 1990 को ग्राम-रामपुर जोगा की भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये अवैध भूमि आवंटन के विरुद्ध कोई प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी बाराबंकी को दिया है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में क्या कार्यवाही हुई है ? क्या मंत्री जी अवैध भूमि आवंटन निरस्त कराकर व संबंधित दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कराई गयी जिसके फलस्वरूप 9 व्यक्तियों के पक्ष में किए गये भूमि आवंटन/पट्टे अनियमित पाये गये ।

अनियमित पट्टों के निरस्तीकरण संबंधी वाद समक्ष न्यायालय में दायर कर दिये गये हैं तथा दोषी लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सहकारिता विभाग को वापस करने की मांग

154–श्री चन्द्रभान सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहकारिता विभाग के ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जो कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के सहकारिता अनुभाग में 5 वर्ष या उससे अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को वापस बुलाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों, यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में एक सहकारी निरीक्षक वर्ग-1 तथा दो सहकारी निरीक्षक वर्ग-2, 5 वर्ष से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रत्यावर्तित करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

जनपद गाजियाबाद के न्यायालय परिसर में वकीलों के चेम्बर निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

155–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजस्व परिषद् से अनुमोदित, गाजियाबाद न्यायालय परिसर में वकीलों के चैम्बर के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का दिनांक 15 जनवरी, 1990 का एक प्रस्ताव समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद जिलाधिकारी गाजियाबाद के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हो गया है, किन्तु प्रस्तावित भूमि के किराये का आधार स्पष्ट न होने के कारण राजस्व परिषद से सुस्पष्ट आख्या/संस्तुति मांगी गयी है ।

156–श्री चन्द्रभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई जरबल रोड बहराइच में गन्ने की ढुलाई में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में कार्यवाही की मांग

157–श्री अजय प्रताप सिंह–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, जरबल रोड-बहराइच में गन्ने की ढुलाई का ठेका तत्कालीन विधायक कर्नलगंज जनपद-गोण्डा श्री उमेश्वर प्रताप सिंह द्वारा उसी फैक्ट्री के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कर्मचारी के नाम लिया गया ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि तत्कालीन प्रबन्धक द्वारा इसके विरुद्ध धोखाधड़ी, बिना गड्डम टैक्स जमा किये फैक्ट्री से गुड़ का टैक्स लेने, समर्पित भारी वाहन द्वारा गन्ने की ढुलाई करने आदि अनियमितताओं का मामला प्रकाश में लाया गया, जिसकी जांच मुख्य गन्ना विकास सलाहकार द्वारा की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या थी तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी नहीं ।

तत्कालीन सामान्य प्रबन्धक द्वारा तत्कालीन विधायक कर्नलगंज जनपद गोण्डा श्री उमेश्वर प्रताप सिंह द्वारा श्री माधो राज पाण्डेय के नाम पर गन्ने की ढुलाई का ठेका अनियमित रूप से दिलाने इत्यादि शिकायतें प्रकाश में लायी गयी थी जिनकी जांच तत्कालीन मुख्य गन्ना विकास सलाहकार द्वारा की गयी ।

शिकायतें आंशिक रूप से सिद्ध होना पाई गई एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जा चुका है ।

बरेली महानगर में ट्रांसपोर्ट तथा बाई पास बनाने की मांग

158–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महानगर में ट्रांसपोर्ट नगर व बाई पास बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजनाएं कब तक आरम्भ कर दी जायेंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । प्रस्ताव बरेली विकास प्राधिकरण स्तर पर विचाराधीन है ।

भूमि अध्याप्ति के उपरान्त ही योजनाओं का कार्यान्वियन सम्भव हो सकेगा ।

जनपद अलीगढ़ के श्री नूर बक्स, सचिव, क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0, मलहपुर, विकास खण्ड अतरौली के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

159–श्री कल्यान सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री नूर बक्स, सचिव, क्षेत्रीय सहकारी समिति लिमिटेड, मलहपुर, विकास खण्ड अतरौली, जिला अलीगढ़ के विरुद्ध मुख्य मंत्री उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के दिनांक 8-2-90 के पत्र के साथ सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश लखनऊ को सम्बोधित क्षेत्रीय सहकारी समिति मलहपुर, विकास खण्ड अतरौली, जिला–अलीगढ़ के अध्यक्ष श्री चन्द्रपाल सिंह, उपाध्यक्ष श्री बलवीर सिंह, संचालक श्री ज्वाली सिंह, संचालक श्री घनश्याम सिंह, संचालक श्री मुरली सिंह का दिनांक 23-1-90 के शिकायती प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

शिकायती पत्र दिनांक 23-1-90 प्राप्त हुआ है जिसकी जांच करायी जा रही है । अन्तरिम जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है । सचिव को मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है ।

जनपद मऊ में जिलाधिकारी तैनात करने की मांग

160–श्री यशवन्त सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1990 में किन माहों में मऊ जनपद में कोई जिलाधिकारी तैनात नहीं रहा है ? वहां जिलाधिकारी की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । दिनांक 23-12-89 से दिनांक 19-2-90 तक जिलाधिकारी, मऊ का पद रिक्त रहा । पद का कार्य अपर जिलाधिकारी द्वारा देखा गया । दिनांक 20-2-90 से एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी जिलाधिकारी, मऊ के पद पर तैनात हैं ।

जनपद फिरोजाबाद में नाले की पुलिया सदर बाजार शिकोहाबाद गेट पर अग्नि से प्रभावित व्यक्तियों के पुर्नस्थापन की मांग

161–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 21 जनवरी, 1990 को 1 बजे दिन में नाले की पुलिया, सदर बाजार, शिकोहाबाद गेट, जनपद--फिरोजाबाद स्थित सर्वश्री हाजी नूरमोहम्मद अन्सार हसन, अब्दुल जब्बार बनी हासिम और राशिद की दुकानों में अचानक आग लग गई और दुकानों में रखा उनका लाखों रुपयों का कीमती सामान जल कर राख हो गया ? यदि हां, तो अग्नि पीड़ितों के पुनर्स्थापन और पुनः रोजगार देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

दिनांक 21 जनवरी, 1990 को 1 बजे दिन में अग्निकाण्ड की घटना घटित हुई, अग्निकांड का कारण अज्ञात है । अग्निकांड से लगभग 1,67,000/- का नुकसान हुआ है । प्रभावित व्यक्तियों को अहेतुक सहायता प्रदान करने हेतु शासनादेशों की परिधि में न आने के कारण उन्हें अहेतुक सहायता वितरित नहीं की जा सकी । उनकी आर्थिक दशा अच्छी थी, इस कारण अग्निकांड के बाद इन लोगों ने अपनी-अपनी दुकानों को पुनः निर्माण कर लिया है और अपना पूर्व व्यवसाय कर रहे हैं । प्रभावित व्यक्तियों को बैंकों से व्यवसाय हेतु आवश्यक पूंजी उदार शर्तों पर उपलब्ध कराने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा सम्बन्धित बैंकों को निर्देश दे दिये गये हैं । प्रभावित व्यक्ति बैंकों के निरन्तर सम्पर्क में हैं ।

परिवहन कर्मचारियों की सेवा में बहाली के लिए प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

162–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-12-89 व 10-1-90 जो अध्यादेश/अधिनियम-15/1987 से प्रभावित परिवहन कर्मचारियों की सेवा में बहाली विषयक है, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्रोंलिखित मामले में अपेक्षित कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यादेश/अधिनियम–15/1987 से प्रभावित परिवहन कर्मचारियों की सेवा में बहाली विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-12-89 तथा यू0 पी0 रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति, बहराइच के संयोजक मोहम्मद हकदाद खां का पत्र दिनांक 10-1-90 शासन को प्राप्त हुआ है ।

उक्त पत्र में जो बातें कही गयी हैं उन पर पहले ही विस्तार में परीक्षण किया जा चुका है और उक्त अधिनियम संख्या-15 सन् 1987 के लागू होने के उपरान्त निकाले गये कर्मचारियों को सेवा में लिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित गन्ना समिति पलिया में जांच में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

163–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना समिति, पलिया, जनपद--लखीमपुर खीरी का वार्षिक आडिट कब से नहीं हुआ है तथा आडिट के अभाव में हाल में हुई जांच में पायी गयी अनियमितताओं के लिए कौन दोषी है ? दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कौन सी कानूनी कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

गन्ना समिति पलिया, जनपद लखीमपुर का वार्षिक आडिट वर्ष 1985 से नहीं हुआ । जांच दल मुख्यालय द्वारा, दिनांक 22-12-89 को की गई जांच में सर्वश्री गजराज सिंह, जे0 पी0 पाठक, एम0 एम0 खां, तथा आर0 डी0 यादव, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (क्र0)/सचिव, गन्ना समिति, पलिया दोषी पाये गये । श्री गजराज सिंह को दिनांक 2-3-90 को निलम्बित करके, जांच कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी । निलम्बन के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है और प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है । शेष कर्मचारियों (सर्वश्री जे0 पी0 पाठक, एम0 ए0 खां, तथा आर0 डी0 यादव) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, रानीखेत में घाटे से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

164–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, रानीखेत गत तीन वर्षों से घाटे में चल रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, रानीखेत में वर्ष 1986-87 एवं 1988-89 में हानि हुई एवं वर्ष 1987-88 में लाभ रहा है ।

(1) औद्योगिक अशांति एवं श्रमिकों की हड़ताल के कारण कम उत्पादन ।

(2) पी0 सी0 एफ0 द्वारा पूर्व वर्ष में खोले गये डिपो बनारस, हापुड़ एवं कानपुर द्वारा पूर्व वर्षों के खर्चों एवं स्टाक वापसी आदि से हुई हानि को समाधानीकरण के बाद वर्ष 1988-89 में एकाउन्ट फार किया जाना ।

(3) पी0 सी0 एफ0 की विभिन्न शाखाओं से कालातीत दवाओं की वापसी ।

(4) पी0 सी0 एफ0 प्रेस द्वारा वर्ष 1981 से 88 तक भेजे गये स्टेशनरी लेबिल आदि के खर्चों का समाधानीकरण के बाद वर्ष 88-89 में एकाउन्ट फार किया जाना ।

जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के सिकन्दरपुर में हरिजनों हेतु आरक्षित खलिहान पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

165–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दरपुर तहसील सगड़ी जनपद–आजमगढ़ में हरिजनों के लिए आरक्षित खलिहान पर अवैध कब्जा किये जाने की शिकायतें वहां के निवासियों से जिला अधिकारी, आजमगढ़ एवं परगनाधिकारी, सगड़ी आजमगढ़ को अक्तूबर, एवं दिसम्बर, 1988 में प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

ग्राम सिकन्दरपुर, तहसील सगड़ी, जनपद, आजमगढ़ के गाटा संख्या–23/115 रकबा 0.081 हेक्टेयर [200 कड़ी] जो हरिजन खलिहान हेतु सरकारी अभिलेखों में अंकित है, पर अनाधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122 बी के अंतर्गत की गई है, जो अपर तहसीलदार, सगड़ी के न्यायालय में विचारधीन है ।

जनपद बाराबंकी की तहसील-नवाबगंज ग्राम–रामपुर जौगा, पोस्ट-बरौली जाटा में परती की भूमि के संबंध में पन्द्रह 'सी' के अंतर्गत कार्यवाही

166–श्री राज किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–रामपुर जौगा, पोस्ट-बरौली जाटा त0 नवाबगंज, जिला-बाराबंकी की परती भूमि पर वर्ष 1985-1986 में पन्द्रह सी के अंतर्गत कार्यवाही चली थी ? यदि हां, तो उक्त पन्द्रह सी में किन व्यक्तियों को जुर्माना हुआ था ? जुर्माना वसली आज तक क्यों नहीं की गयी ? उक्त जुर्माना न वसूल करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और अवैध काबिज व्यक्तियों से जमीन कब तक छुड़वा ली जायेगी ?

श्री राम शरण दास–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत ग्राम की परती भूमि के संबंध में वर्ष 1985-86 में नियम 11 सी के अंतर्गत बेदखली की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियागंज की आसीवन साधन सहकारी समिति लि0 द्वारा अपनी किताब में श्री यदुनाथ सिंह द्वारा सहयोग न करने के संबंध में कार्यवाही की मांग

167–श्रीमती सिया दुलारी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि आसीवन साधन सहकारी समिति लि0 विकास खण्ड मियागंज जनपद-उन्नाव ने अपनी किताब कार्यवाही में श्री यदुनाथ सिंह को सचिव पद पर योगदान न कराने हेतु जनवरी 90 से मार्च 90 तक कोई प्रस्ताव पारित करके उसकी सत्य प्रतिलिपि जिला–सहायक निबन्धक, सह0 स0 उन्नाव को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उन्नाव द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड औरास की साधन सहकारी समिति लि0 भकरा के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

168–श्रीमती सिया दुलारी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि भूतपूर्व सचिव साधन सहकारी समिति लि0 भकरा विकास खण्ड औरास जनपद-उन्नाव द्वारा रु0 30,000 के गबन किए जाने की विभागीय रिपोर्ट तथा संबंधित समिति के सदस्यों के लिखित शिकायती पत्र फरवरी/मार्च, 1990 में जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां उ0 प्र0 उन्नाव को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त सचिव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । परन्तु विभागीय रिपोर्ट एवं शिकायती पत्र में गबन का कोई उल्लेख नहीं है ।

ग्राम अलहादादपुर भटौली ग्रामसभा विरसिंगपुर परगना अमृतपुर तहसील सदर फर्रुखाबाद में चकबन्दी करने की मांग

169–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अलहादादपुर भटौली ग्राम सभा विरसिंगपुर परगना अमृतपुर तहसील सदर फर्रुखाबाद में स्वीकृत चकबंदी करने का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

ग्राम अलहादादपुर भटौली (अहलेदपुर भटौली) ग्राम सभा विरसिंगपुर परगना अमृतपुर, तहसील सदर जनपद-फर्रुखाबाद के भू-अभिलेख तहसील सदर से दिनांक 1-6-90 को प्राप्त हो गये हैं । ग्राम में जोत चकबंदी अधिनियम की धारा-4(2) का प्रकाशन दिनांक 4-6-90 को करा दिया गया है ।

चकबंदी समिति का गठन दिनांक 6-6-90 को हो चुका है । इस प्रकार उक्त ग्राम में चकबंदी कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा मा0 विधायकों के साथ प्रोटोकाल का पालन न करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

170–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के अधिकांश जिला स्तरीय अधिकारी मा0 विधायकों के साथ प्रोटोकाल का पालन नहीं कर रहे हैं ? क्या मुख्य मंत्री को उन्नाव के जिलाधिकारी के द्वारा प्रोटोकाल का उल्लंघन करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र माह अप्रैल, 90 के दूसरे सप्ताह में मिला है ? यदि हां, तो पत्र की जांच किसने की और उसका निष्कर्ष क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिलाधिकारियों द्वारा प्रोटोकाल का पालन किया जाता है इस संबंध में शासन ने कड़े निर्देश जारी किये हैं । किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर शासन द्वारा कार्यवाही की जाती है । जिलाधिकारी, उन्नाव के विरुदध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 9-4-90 शासन को प्राप्त हुआ था, जिस पर आयुक्त, लखनऊ मण्डल द्वारा जांच कराई गई । आयुक्त ने प्रश्नकर्ता को इस संदर्भ में वार्ता के लिए आमंत्रित किया है परन्तु अभी तक उनसे भेंट नहीं हो सकी है । आयुक्त की रिपोर्ट दिनांक 15-6-90 का परीक्षण किया जा रहा है ।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम हरदोई द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान न होने के संबंध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

171–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की इकाई हरदोई ने वर्ष 1988-89 में जजवासी व मलिहामऊ सेन्टर के तमाम काश्तकारों का लाखों रुपये का भुगतान नहीं किया? क्या यह सत्य है कि भुगतान न करने का कारण मिल के कर्मचारियों की अनियमितताऐं हैं ? यदि हां, तो किस कानून के अंतर्गत गन्ना काश्तकारों का भुगतान रोका गया तथा इसके लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम शरण दास–

जजवासी सेन्टर के कुछ काश्तकारों का लगभग रु0 2,25,950/- का भुगतान नहीं किया गया ।

जी हां । भुगतान न करने का कारण मिल के कर्मचारियों की अनियमितताऐं भी हो सकती हैं ।

प्रश्नगत प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता की धाराए 409/420/468/471/120 बी के अंतर्गत विचाराधीन है तथा मिल पर्चियों व अन्य संबंधित अभिलेख पुलिस विभाग से वापस प्राप्त न होने के कारण भुगतान की कार्यवाही लम्बित है ।

श्री अशोक कुमार वर्मा, तौल लिपिक व श्री पारस नाथ सिंह, समिति लिपिक को निलम्बित किया गया है ।

जनपद हरदोई के ब्लाक सरसा के ग्राम सभा फतियापुर के ग्राम प्रधान द्वारा बिना स्वीकृति के जमीन बेच देने के संबंध में कार्यवाही की मांग

172–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ब्लाक सुरसा जनपद हरदोई की ग्राम सभा फतियापुर के प्रधान ने सेमरा चौराहा स्थित तमाम जमीन बिना स्वीकृति के लाखों में बेच दी ? क्या यह भी सत्य है कि नायब तहसीलदार ने उपरोक्त मामले की जांच की थी और प्रधान के विरुद्ध शिकायत सत्य पाये जाने की रिपोर्ट दी थी ? यदि हां, तो उक्त प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम प्रधान फतियापुर ने ग्राम समाज की भूमि 17 व्यक्तियों को अनियमित रूप से बाजार मूल्य पर पट्टे पर दिये जाने का प्रस्ताव कराकर भूमि पर कब्जा दिला दिया था ।

जी हां, नायब तहसीलदार की जांच आख्या के आधार पर भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया और अनियमित पट्टों के आधारपर काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122 बी के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की गयी है, जो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है । मामले में दोषी पाये गये ग्राम प्रधान एवं लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

173–श्री संगम लाल शुक्ल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विभिन्न योजनाओं में जनसभाओं को शामिल करने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

174–श्री मोती लाल दहेलवी–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि योजनाओं में प्राथमिकता देने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11 जनवरी, 90 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में किन-किन जनसमस्याओं की योजना में शामिल किये जाने का अनुरोध किया गया है और सरकार उनमें से किन-किन जनसमस्याओं को योजना में शामिल करने पर विचार कर रही है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जी हां ।

पत्र में उठाये गये बिन्दुओं से संबंधित योजनाएं वार्षिक योजना 1990-91 में सम्मिलित हैं और सीमित संसाधनों के परिपेक्ष्य में विभिन्न योजनाओं का यथासम्भव क्रियान्वयन किया जाता है ।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में मुन्सिफ न्यायालय स्थापित करने की मांग

175–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना के आदेश दिए गये हैं ? यदि हां, तो आदेश किस तिथि को किए गये ? क्या न्यायालय में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद व तह0 वाराणसी के गांव पिंडरा 40 कोल असला में आराजी नं0 2987 को आबादी हेतु छोड़ने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

176–श्री उदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पिंडरा 40 कोल असला तह0 व ज़िला वाराणसी की आराजी नं0–2987 में 50 वर्षों की आबादी की मालियत चकबन्दी विभाग वाराणसी ने चकबन्दी की धारा-4 के प्रकाशन के बाद लगाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि वहां बहुत से मकान 50 वर्षों के हैं ? यदि हां, तो जो चकबन्दी सर्वेक्षण तथा धारा-4 प्रकाशन के पूर्व आबादी छोड़ी गयी थी क्या उसको आबादी बहाल किया जायेगा ? क्या यह भी सही है कि चक काटते वक्त मालियत लगायी गयी है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र जिलाधीश, वाराणसी को 28-3-90 व मा0 मुख्य मंत्री को 5-4-90 को दिया है ? इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम करण दास–

प्रश्नगत ग्राम का गाटा सं0=2987 के 07 एकड़ का विनिमय बन्धपाल सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा लगाया गया था । तत्पश्चात चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 5-8-76 द्वारा उक्त गाटे के .17 एकड़ का मुल्यांकन निर्धारित कर सार्वजनिक आबादी हेतु सुरक्षित किया गया । मूल्यांकन लगाने की कार्यवाही जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–4(2) के प्रकाशन के बाद की गयी है ।

इस संबंध में तथ्यों की जांच हेतु जिलाधिकारी द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को आदेश दे दिये गये हैं ।

जांच सम्पन्न होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । खातेदार द्वारा इस आदेश के विरुद्ध नियमानुसार बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

जी नहीं ।

जी हां ।

चकबन्दी आयुक्त को जांच कराने के आदेश दे दिये हैं ।

जनपद वाराणसी के गांव पिंडरा 40 कोल असला के बांके व हंसराज के चक नं0 3281 की मालियत तथा चक के निर्धारण के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

177–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पिंडरा 40 कोल असला ह0 व जिला–वाराणसी में बांके व हंसराज के चक एवं नम्बर-3281 की पूरी मालियत को ऋषि नारायण वगैरह पिंडरा के रेफेरेंस में टाइम बीत जाने के बाद अभी हाल में चकबन्दी विभाग, वाराणसी ने चक बना दिया है जबकि उन्होंने रेफेरेंस की दरख्वास्त देने के पूर्व एवं चकबन्दी प्रक्रिया शुरू होने पर कभी भी वहां चक की मांग नहीं की थी ? क्या यह सही है कि रेफरेंस में किसी के पूरे चक को नहीं हटाया जा सकता है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने जिलाधीश, वाराणसी को 28-3-90 व मुख्य मंत्री को 5-4-90 को पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार ऐसे रेफरेंस को खत्म करने का आदेश देगी ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

चकबन्दी अधिकारी द्वारा कालबधित आपत्ति में जो0 च0 अधि0 की धारा-9 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 21-2-87 के अनुपालन में सन्दर्भ स्वीकार किया गया, जिसमें बांके व हंसराज का चक प्रभावित हुआ है ।

जी नहीं, धारा-48(3) जो0 च0 अधि0 के अंतर्गत रेफरेंस में उपसंचालय चकबन्दी द्वारा समस्त तथ्यों पर विचार कर किसी चक के परिवर्तन के संबंध में औचित्यपूर्ण आदेश पारित किया जा सकता है ।

जी हां ।

चकबन्दी आयुक्त को जांच कराने हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

रेफरेन्स में पारित आदेश के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है ।

गन्ना आपूर्ति की दोहरी नीति समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

178–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना आपूर्ति की दोहरी नीति समाप्त किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-12-89 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रसारित नीति के अनुसार जिला गन्ना अधिकारी, लखीमपुर खीरी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी के साधन सहकारी समिति भीटी से ब्लाक प्रमुख तथा अपने भाईयों तथा पिता के नाम से लिये गये ऋण को माफ करने हेतु पत्रावली भिजवाने तथा अंकुश लगाने की मांग

179–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी के ब्लाक प्रमुख अम्बिका सिंह ने अपने तथा अपने भाइयों रघुनाथ सिंह उर्फ भलखान अशोक सिंह, बृजनाथ सिंह, अमरनाथ सिंह तथा पिता राम लखन सिंह के नाम पर 1983 से आज तक जलालपुर परशरामपुर साधन सहकारी समिति, ब्लाक भीटी से काफी रकम कर्ज में लिया है और उक्त कर्जा को माफ करने के लिए पत्रावली ए0 आर0 आफिस, फैजाबाद में भिजवायी है, जो अभी भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । श्री अम्बिका सिंह, उनके भाइयों व पिता ने अपने-अपने नाम से ग्रेनगत समिति से ऋण लिया है । परन्तु कर्जा माफ करने के संबंध में जिला सहायक निबन्धक, फैजाबाद के कार्यालय में कोई पत्रावली लम्बित नहीं है ।

लखनऊ नगर में डायमण्ड डेरी की आवासीय योजना को पूरा करने की मांग

180–श्री भोला पाण्डेय तथा श्री अतीक अहमद–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर में डायमण्ड डेरी आवासीय योजना की रूपरेखा क्या है और उसमें से योजना का कितना अंश पूरा हुआ है और कितना बाकी है ? क्या उक्त योजना स्थल के पुराने निवासियों हेतु वहां कोई ट्रांजिट हास्टल बनवाया गया था जिसे अब भी बने रहने के कारण उक्त योजना पूर्ण नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो इस योजना को पूरा करने की दिशा में सरकार क्या कर रही है और वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

परिषद् की लखनऊ में डायमण्ड डेरी योजना 3.73 एकड़ (15091.58 वर्गमीटर)की है जिसमें 60 दुर्बल आय वर्ग, 30 अल्प आय वर्ग, 64 मध्यम आय वर्ग, 12 दुकानें तथा 24 स्कूटर/कार गैराज निर्मित किये गये हैं । शेष 946.58 वर्ग मीटर भूमि जहां पर ट्रांजिट कैम्प बने हुए हैं, में 12 मध्यम आय वर्ग भवनों का निर्माण प्रस्तावित था ।

जी हां । योजना को प्रारम्भ करने के लिए वहां पर बसे निवासियों के लिए अस्थायी रूप से ट्रांजिट कैम्प की व्यवस्था की गयी थी । इन निवासियों को परिषद की लखनऊ स्थित अन्य योजनाओं में विस्थापित के रूप में भवन आफर किये गये थे परन्तु किसी भी व्यक्ति ने अन्य योजनाओं में भवन नहीं लिया तथा वह अब भी इन कैम्पों में रह रहे हैं । ग्रेनगत ट्रांजिट कैम्प खाली कराने का प्रयास किया गया परन्तु इनमें निवास कर रहे व्यक्तियों के अंशक्लेश के कारण इन्हें खाली कराकर अब तक हटाया नहीं जा सका है । योजना के अन्य भवन निर्माण एवं विकास कार्य पूर्ण हैं ।

181–श्री किशन गोपाल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री मयंकर सिंह–

[***]

(व्यवधान)

श्री मयंकर सिंह–

[***]

(समय–12 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

आपका भाषण कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा । आपका कोई भाषण कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा । कम से कम इतना तो ध्यान रखिये कि जब मा0 नेता विरोधी दल या उपनेता विरोधी दल कोई बात कहें तो आप लोग सुनें । मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं ।

राजकीय अतिथि गृह में हुई घटना के लिए सरकार द्वारा खेद प्रकट करने एवं व्यवस्था अधिकारी के निलम्बन को वापस लेने का अनुरोध

श्री अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना'–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने प्रश्नकाल में धृष्टता की थी आपके संज्ञान में लाने के लिए एक बड़ा विवादित प्रश्न सदन के संज्ञान में आया था, आपके माध्यम से सरकार से विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस सदन की मर्यादा और सम्मान की रक्षा करें । ऐसे समय में जबकि बजट सत्र है । तमाम हमारे विधायक, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, यहां पर अपनी राय व्यक्त करना चाहेंगे । इस बजट सत्र में अपनी तमाम क्षेत्रीय समस्याओं को उजागर करना चाहेंगे । आप देखें मान्यवर, कि बड़े दुख की बात है कि विरोध पक्ष के इस सदन के सम्मानित सदस्य उससे वंचित रहे । यह तो हम कार्य मंत्रणा में बात करेंगे कि जो हमारा समय गया है, कल जो हाउज एडजोर्न किया गया, वह समय हमें दिया जाय । हमें ज्यादा से ज्यादा समय देंगे तो सरकार को भी सहूलियत होगी । सरकार सही मनोभावना से सोचेगी तो इस प्रदेश के विकास में हम सबका सम्यक योगदान होगा । लेकिन इसके विपरीत आज एक ओर सरकार इस प्रदेश के सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्य मंत्री जी द्वारा दावतनामा देती है कि प्रदेश के विकास में सहभागी बनें, दूसरी ओर जो भी सरकार के अंग हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है ।

यह एक उदाहरण सामने आया, यही नहीं नगर महापालिका बन्द है, इस राजधानी के साये में । किसी दूसरे प्रकरण में देखें, सारे अधिकारी कर्मचारी त्रस्त हैं इस सरकार से और सत्ता पक्ष के लोगों से । वे दुखी हैं इनकी जोर जबर्दस्ती से, गुण्डागर्दी से और बड़ी भयातुर हैं । ऐसे में इस प्रदेश के विकास की कहानी कैसे पूरी होगी । निर्माण योजनायें कैसे चलेंगी, अगर अधिकारी प्रताड़ित किये जाएंगे । उनसे ऐसा व्यवहार किया जायगा तो कैसे प्रदेश का विकास होगा (व्यवधान) इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह जो घटना हुई है, इस घटना पर सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय सरकार ने शक्ति प्रदर्शन किया है । सरकार सत्ता सम्पन्न है । उस अधिकारी को निलम्बित कर सकती है, दण्डित कर सकती है, लेकिन इसके पहले यह जरूर चाहूंगा कि यह देखें कि किन कारणों से सरकार ने इस सदन की मनोभावना जानने के बावजूद, यहां से वहां तक सबकी भावना जानने के बावजूद बर्बरता का रवैया अख्तियार किया है । मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि जैसे जैसे सत्ता पास आती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, वैसे वैसे गरिमा का निर्वाह करना चाहिये । अहंकार की भावना में यह सरकार चल रही है, इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इसके लिए खेद प्रकट करे । अधिकारी का अकारण जो शोषण और निलम्बित कर रहे हैं, सदन की भावनाओं को जानते हुए, उसे देखा कार्य करें ।

[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, एक मिनट मुझे सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें, मेरा निवेदन है कि आप लोग बैठें ।

डा0 ब्रज भूषण मणि त्रिपाठी–

अधिकारी का निलम्बन वापस होना चाहिये और मंत्री को बर्खास्त करना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे ।

श्री प्रमोद कुमार–

इस संदर्भ में ।

श्री अध्यक्ष–

इस संदर्भ में नहीं, आप खड़े हो रहे थे, इसलिये पूछा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, यह जो विषय उठा है .

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री भोला पाण्डेय–श्री गजराज सिंह, श्री राजीव कुमार सिंह व कुछ अन्य सदस्य सदन के पटल पर आ गये और गैर जमानती वारंट माननीय अध्यक्ष को दिखाने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने अपने स्थान पर वापस जायें । एक-एक करके बोलें ।

(श्री भोला पाण्डेय-श्री गजराज सिंह, श्री राजीव कुमार सिंह आदि सदस्य श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना के प्रयास से अपने-अपने आसन पर वापस चले गये)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, कल से जिस तरह से सदन में व्यवधान हो रहा है, श्रीमन् सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी कल तीन बार और उसके बाद आज 11 बजे तक के लिये स्थगित कर दी गयी । यह निश्चित रूप से हम सबके लिये खेद का विषय है । श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से सदन से एक निवेदन करूंगा, अगर लोकतंत्र में हमारी आस्था है तो इस सदन के लिए मंदिर की पवित्रता देनी पड़ेगी । श्रीमन् आप दोनों सदन चलेगा तो नियमों के अधीन चलेगा । मुझे जानकर हैरत हुई कि नियमों के ज्ञाता बहुत से हमारे मित्रों ने नियम 300 और 56 में ऐसे मुद्दे को उठा दिया है, जो नियम 300 और 56 में नहीं लिये जा सकते । मैं श्रीमन् आपकी अनुमति से नियम 56 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री भोला पाण्डेय–

मान्यवर, मुझे नहीं सुना गया, मैंने एक महत्वपूर्ण बात उठानी चाही है । मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत कोई भी विशेष बात रखी जा सकती है ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी व्यवस्था के प्रश्न के तहत बोल रहे हैं या किसी नियम के अन्तर्गत अपनी बात रख रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपके उप नेता जी बोले, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी खड़े हुए, वे बोल रहे हैं, आपको भी मौका मिलेगा । आप लोग बैठें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है, मुझे मौका दें । मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

(व्यवधान)

(इस समय 12 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें । माननीय उपाध्याय जी आप बैठें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय उपाध्याय जी कृपया आप बैठ जायें, सम्मानित रवीन्द्र नाथ तिवारी जी बोल रहे हैं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय रवीन्द्र तिवारी जी व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहे हैं या किसी नियम पर बोल रहे हैं या नियम 300 के अन्तर्गत बोल रहे हैं । मान्यवर, हाउस ऐसे नहीं चलेगा; मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

एक व्यवस्था पर दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती, पहले एक आदमी की बात पूरी होने दें ।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

माननीय विद्यार्थी जी, पांडे जी और उपाध्याय जी आप सभी लोग कृपा करके बैठ जाइये, पहले आप लोग तिवारी जी की बात सुन लें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, हम लोगों ने नियम 300 में सूचना दी है, मुझे भी इस पीठ के संचालन का अनुभव है, पहले मुझे मौका दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

उपाध्याय जी, आप बैठें ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, जिन्होंने आपको लिखकर दिया है, पहले उनको बुलवाइये । तिवारी जी ने तो कुछ लिखकर दिया नहीं है, आप उनको क्यों बुलवा रहे हैं ?

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री मुईद अहमद आदि सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके बैठ जायें, इस सदन को शान्ति से चलने दें, अभी आज के एजेन्डे में बहुत काम करना है, तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर आप लोगों को चर्चा करनी है ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण मामला कल से इस सदन में उठ रहा है, और आप भी इस सदन की भावनाओं से अवगत हैं, हम लोगों ने इसके संबंध में नोटिस दी है, आप उसे पहले सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

सुनेगें, पहले तिवारी जी को बोल लेने दीजिये ।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

नहीं, मान्यवर, पहले आप इधर से सुनें ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, जिन लोगों ने पहले नोटिस दी है, जिन्होंने 300 में प्रश्न उठाया है, उनको आप सुन लें, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, जो कल से इस सदन में चल रहा है, यह मंत्रिमंडल के एक सदस्य से संबंधित मामला है, हम लोग अधिकारियों के न्याय के साथ हैं, आप सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री मुईद अहमद जी आपने अपनी बात पूरी कह ली है, अब आप कृपा करके बैठ जायं ।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर–व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी आप अपनी बात कहिये ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, आप प्राथमिकता किसे देंगे । नोटिस देने वाले को देंगे या न देने वाले को देंगे ?

(शोर)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, यह तो एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार व परम्परा है कि जब कोई मुद्दा इस आदरणीय सदन में उठाया जाता है तो उस पर कोई भी माननीय सदस्य, आपकी पीठ से अनुमति मिलने के बाद अपना विचार प्रकट कर सकता है । यदि श्री उपाध्याय जी जैसे वरिष्ठ सदस्य इस पर आपत्ति करें कि किस नियम के तहत मैं बोल रहा हूं तो मैं उन्हें केवल नमन कर सकता हूं, उनकी विद्वता को नमन कर सकता हूं उसका कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता हूं । कितना ही गम्भीर मामला क्यों न हो, आखिर में नियमावली के तहत ही तो किसी मामले को उठायेंगे । माननीय उप नेता, विरोधी दल ने कहा कि कल हाउस एडजार्न हुआ एक मुद्दे को लेकर तो आज फिर वही व्यवधान हो सकता है । मैं उसकी गम्भीरता से इन्कार नहीं करता, लेकिन, श्रीमन् कल जो नोटिसें आयी थीं, वह नियम-56 व नियम-300 के अन्तर्गत आयी थी । मान्यवर, मेरा आपसे भी निवेदन है और इस सम्पर्ण सदन से भी निवेदन है, और मेरा यह मानना है कि नियम-56 व नियम-300 में ये मुद्दे नहीं आ सकते हैं । क्यों नहीं आ सकते हैं, इसके बारे में मैं चाहूंगा कि . . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाकर अपनी बात स्पष्ट करने का अधिकार है । सदन का कार्य सुचारु रूप से चले, इसके लिए उत्तरदायित्व सम्पर्ण सदन का है । माननीय श्री नकली सिंह जी कृपा करके आप बैठ जायं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

असहमति के लिए सहमति होना, यह भी लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपर्ण पहलू है । हम सभी सदस्यों को नियमावली की एक पुस्तिका दी गई है । जब हम लोगों ने शपथ ली थी । . . . .

(विरोध पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके बैठ जायं । कल भी यह सदन नहीं चला । क्या आप यह चाहते हैं कि आज भी सदन न चले ? . . . .

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं आपका ध्यान नियम 58(4) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि नियम 56 के प्रस्ताव में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायगा ।

(विरोध पक्ष के अनेक मा0 सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से उत्पन्न शोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग नहीं चाहते हैं कि सदन चले । सभी की दिलचस्पी होनी चाहिये कि सदन शान्तिपूर्वक चले । कल भी सदन नहीं चल सका । इस सदन का एक-एक मिनट कीमती है । मेरा अनुरोध है सम्मानित सदस्यों से कि आप भी नियमों के अन्तर्गत आयें, आपको भी सुना जायगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं माननीय उप नेता, विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि अपने माननीय सदस्यों को नियंत्रण में रखें । हमको अपनी बात कहने का अवसर दें । सच बात को सुनने की शक्ति भी होनी चाहिए । तो नियम 58(4) में कहा गया है कि नियम 56 के द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायगा । नियम 300 में भी इसका उप नियम (5) है, जिसके अनुसार अौचित्य प्रश्न विशेवाधिकार का प्रश्न नहीं है । इस प्रकार, हमारी नियमावली में स्पष्ट है कि जिन मुद्दों पर विशेषाधिकार का मामला बनेगा, वे विषय नियम 300 और नियम 56 में नहीं उठाये जा सकते । इन नियमों का दुरुपयोग उनके लिये नहीं किया जा सकता ।

विशेषाधिकार के बारे में प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेण्ट पुस्तक है, कौल और शकधर की उसके पृष्ठ 215 पर दिया हुआ है, लोकसभा में एक सिद्धान्त निरूपित किया है, जिसमें कहा गया है कि–' 'दि कन्डक्ट आफ दि मेम्बर वाज डेरोगेटरी टु दि डिगनिटी आफ दि हाउस''

(विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से शोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं माननीय उप नेता, विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने साथियों को संयमित रखें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं इसका हिन्दी रूपान्तर कर दे रहा हूं, शायद अंग्रेजी सुनने में उन्हें दिक्कत हो रही है । इसमें कहा गया है कि किसी भी सदस्य का आचरण अगर ऐसा हो जो संतोषजनक न कहा जा सके . . . ,

(शोर व्यवधान)

. . . या सदन की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाने वाला अगर कोई आचरण हो । अगर सदन समझता है कि जिस स्तर के आचरण की उम्मीद की जाती है, उससे निम्न स्तर का आचरण किसी सदस्य द्वारा किया गया है तो यह सदन के विशेषाधिकार हनन के परव्यू में आयगा ।

मेज पार्लियामेण्टरी प्रैक्टिस के पृष्ठ 151 पर है, चूंकि अंग्रेजी भाषा से इनको एतराज है, हम तो अंग्रेजी भाषा के नहीं बल्कि अंग्रेजियत के विरोधी हैं, इसलिये इसका भी हिन्दी रूपान्तर कर दे रहा हूं, इसमें है कि अगर कोई माननीय सदस्य या सदन का कोई माननीय अधिकारी अपने उन दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है, जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है, तो यह प्रिविलेज का मामला बनेगा । श्रीमन्, जिस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गयी है नियम 300 में और नियम 56 में वह एक माननीय सदस्य के आचरण से संबंधित है । अगर इस मुद्दे को उठाया जा सकता है तो इसे विशेषाधिकार में उठाया जा सकता है मगर नियम 300 या 56 में इसे नहीं उठाया जा सकता है ।

शोर व्यवधान

श्री उपाध्यक्ष–

पहले आप लोग मा0 तिवारी जी क्या कह रहे हैं, उनके तर्क को सुन लें और फिर आप

तैयार रहें उनके तर्क का उत्तर तर्क से देने के लिये । आप उत्तर जरूर दीजिये परन्तु पहले आप उनको सुन तो लीजिये । आपको मैं समय दूंगा उत्तर देने के लिये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

इन लोगों की लोकतंत्र और संविधान में आस्था है ही नहीं तभी इतना व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, नियमों को भी नहीं जानना चाहते हैं । इसलिये अगर हमारी निष्ठा है लोकतंत्र में, हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली में तो जो नियम है उनके पालन का हमको मन बनाना पड़ेगा । श्रीमन्, यह दुर्भाग्य रहा है पिछली विधान सभा का. नौवीं विधान सभा का कि हमने इस तरह के करिश्में बहुत देखे हैं कि जो सदस्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन ली और माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार भी किया । जिस बात पर उस समय इक्सप्रेस होना चाहिये था उस सदस्य को हमने इक्सप्रेस नहीं किया । उसी का नतीजा है कि हमारी निष्ठा हमारी प्रतिबद्धता में कमी होती जा रही है और यहां सदन को शोरगुल और हुल्लड़ से डामिनेट करने का प्रयास किया जा रहा है । श्रीमन्, कहीं गम्भीर घटना हुई थी, वह गम्भीर घटना है लेकिन अगर उसे हम नियम 300 या 56 में उसे सुनने की सदन में अपेक्षा करें या उसे सुनाने की कोशिश करें तो उससे न तो सदन की प्रतिष्ठा रहती है और न संविधान की न संसदीय परम्पराओं तथा नियमों का पालन ही होता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे नियम 300 और नियम 56 में जो उठाने का प्रयास किया गया है, वह इस नियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं । इसलिये आप इन नियमों के अन्तर्गत इसे उठाने की अनुमति न दें ।

(विपक्ष द्वारा घोर व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, अभी माननीय तिवारी जी ने अपने नियमों के बारे में बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण दिया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बिना आज्ञा के ही बोल रहे हैं यह किस नियम के अन्तर्गत है ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने अभी जैसे माननीय तिवारी जी को बुलवाया उसी तरह से मा0 मुईद साहेब को भी बुलवा रहा हूं । आप कृपा करके उनको बोलने दें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय तिवारी जी तो व्यवस्था के अन्तर्गत बोले थे । उन्होंने बाकायदा माननीय अध्यक्ष जी से व्यवस्था का प्रश्न उठा कर आज्ञा ली थी, तब उस पर वे बोले थे क्योंकि उनकी व्यवस्था पर माननीय अध्यक्ष जी ने उनको बोलने के लिये अवसर दिया था । परन्तु ये तो सीधे सीधे खड़े हो गये और बोलने लगे । इन्होंने कोई व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं उठाया और न आपसे बोलने के लिये आज्ञा ही ली । जब तक सदन में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है, तब आप कैसे इनको बोलने के लिये कहेंगे । पहले इनकी व्यवस्था का प्रश्न उठा लेने दीजिये तभी ये बोल सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब एक मिनट इनको बोल लेने दीजिये क्योंकि हमने अवसर दे दिया है । मा0 गौरी भैया आप बैठ जायं ।

श्री गौरी शंकर भैया–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से कि मा0 तिवारी जी ने तो पहले व्यवस्था का सवाल उठाया था, तब वे बोले थे । पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाने तो दें, उसके बाद आप जिसे चाहें बुलवायें ।

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, तिवारी जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उस पर आपका क्या निर्णय हुआ है । आप पहले उस पर निर्णय दे दें, तब जिसको चाहें बुलवायें ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मेरा यह अनुरोध है कि कल जो महत्वपूर्ण मामला नियम 56 में आया . . . .

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । . . . .

श्री मुईद अहमद–

आपके निर्देशन की अवहेलना हो रही है ।

श्री राम गोबिन्द चौधरी–

[X X X]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें, शान्त रहें ।

(घोर व्यवधान)

किसी का कुछ नहीं लिखा जायेगा । आप लोग कृपया बैठ जायें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[X X X]

श्री उपाध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री मुईद अहमद–

[X X X]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप बोलें ।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी . . . . (व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, यह नहीं होगा । आपने मुझे बुलाया है । आपने मेरा नाम पुकारा है । . . . . (व्यवधान) । क्या आप अपना निर्णय बदल देंगे ?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

आपने मुईद को बुलाया था ।

श्री मुईद अहमद–

आपने मुझे बुलाया है । मुझे सुन लीजिये । मुझे सुनने के बाद दूसरे को मौका दें । . . (व्यवधान) सदन चलने नहीं दूंगा ।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जाइये । सदन की कार्यवाही चलने दें । अब मैं आगे की मद लेता हूँ।

नोट :–[XXX] यह अंश मा0 उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जनपद मऊ के थाना मधुवन क्षेत्र के सड़कों की सफाई तथा शहीद स्मारक का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इनमें बलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये 7 सूचनायें स्वीकार की गई हैं । ये सूचनायें इस प्रकार हैं :–पहली सूचना श्री अमरेश चन्द्र पांडेय की जनपद मऊ के थाना मधुवन क्षेत्र की नाली एवं सड़कों की व्यवस्था के संबंध में, दूसरी श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य की बदायूं नगर में पीने के पानी की कमी के संबंध में, तीसरी श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की जनपद इलाहाबाद के थाना मंझनपुर में जगतनारायन इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य पर प्राणघातक हमले के संबंध में, चौथी श्री शारदानन्द अंचल की जनपद बलिया के सीयर क्षेत्र में वर्ष 1985से 90 के मध्य लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गई सड़कों के सत्यापन के संबंध में, पांचवीं श्री मदन गोविन्द राव की जनपद गोरखपुर में अपर नारायणी नहर के मरम्मत में विलम्ब से नहरों एवं माइनरों में पानी के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में छठी श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के परगना खेड़ा बझेड़ा में सैलाब की स्थिति के संबंध में तथा सातवीं श्री विमल प्रसाद तिवारी की जनपद फर्रुखाबाद के कन्या हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों को कक्षा 1 से 12 तक नि:शुल्क शिक्षा की क्षतिपूर्ति अनुदान भुगतान न किये जाने के संबंध में दी गई हैं ।

(संलग्न सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गईं ।)

*श्री नरेश चन्द्र पाण्डेय–

[मान्यवर, जनपद मऊ के थाना मधुवन हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में अग्रिम भूमिका अदा की थी जिस क्षेत्र की जनता के दिल में आजादी का तूफान उठ गया था । पूर्वांचल में सबसे ज्यादा गोली मधुवन के शहीदों को लगी थी वह भी गोली पीठ में न लगकर सभी के सीने में लगी थी । वही स्थल जिसको हम शहीद स्थली के नाम पर जानते हैं । मधुवन सड़कों पर सुअर घूमते हैं और बरसात के समय सड़कों पर धान की बुवाई की जा सकती है । ऐसी स्थिति वहां की सड़कों की है । मुख्य रूप में वहां सड़क के बगल में नाली बनवाना आवश्यक है । साथ ही आज तक जहां 42 लोगों को एक साथ एक दिन गोली लगी थी वहां उन शहीदों की यादगार में कोई शहीद स्मारक का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है । जहां राष्ट्रीय त्योहारों पर क्षेत्र की जनता एकत्र होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सके ।

अत: इस महत्वपूर्ण मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुए अनुरोध करता हूं कि तत्काल इसकी जांच पर प्रभावी कदम उठाने की कार्यवाही की जाये ।]

बदायूं नगर में पेयजल व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

[मान्यवर, बदायूं नगर में पानी का घोर संकट विद्यमान है, ऊंचाई पर स्थित मोहल्लों में पानी नहीं पहुंच रहा है मई के प्रारम्भ से नगर के अन्य मोहल्लों में जो ऊंचाई पर स्थित नहीं हैं वहां भी पानी पहुंच रहा है जो पानी आ रहा है वह गन्दा आ रहा है ।

इस समय बदायूं नगर में पानी की 4 टंकी तथा 8 नलकूप हैं जिनमें से सदैव 3 नलकूप खराब रहते हैं, पानी की टंकियां भरी ही नहीं जाती, बदायूं नगर में पाईप लाइन बिछी है वह भी सन् 1965 में बिछी थी जो दोषपूर्ण हो चुकी है विभाग ने दुबारा पाईप लाइन बिछाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है जिसमें एक करोड़ की योजना है । गत वर्ष 3 लाख एवं इस वर्ष 6 लाख रुपया मात्र दिया है जो अपर्याप्त है कम से कम इस वर्ष 25 लाख रुपया शासन को देना चाहिए । पानी की समस्या के स्थाई हल के लिए आवश्यक है कि बदायूं नगर में दो नये नलकूप लगाये जायें तथा सन् 1965 में बिछी पाइप लाइन को शीघ्र बदला जाये तथा जब तक यह कार्य नहीं होता कम से कम बड़े इन्डिया-2 के 50 हैण्ड पम्प लगाये जायें तब ही बदायूं नगर की

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनता को पानी मिल सकेगा अन्यथा बदायूं में पीने के पानी का संकट बना रहेगा इस समय पीने के पानी का संकट गहरा हो गया है उससे बदायूं नगर को मुक्ति दिलायी जावे ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मा0 नगर विकास मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि इस संबंध में मंत्री जी वक्तव्य दें ।]

जनपद इलाहाबाद के थाना मंझनपुर में प्रधानाचार्य श्री शम्भूनाथ द्विवेदी पर हुए प्राणघातक हमले की सी0 आई0 डी0 जांच करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[मान्यवर, जनपद इलाहाबाद में विगत 3 माह से प्रधानाचार्यों की हत्या एवं प्राणघातक हमले का क्रम जारी रहा, इसी क्रम में दिनांक 11-3-90 को प्रधानाचार्य श्री शम्भूनाथ द्विवेदी पुत्र श्री जयनारायण द्विववेदी ग्राम चक, थाना मंझनपुर, इलाहाबाद पर प्राणघातक हमला किया गया जिससे घायलावस्था में मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में भर्ती कराया गया । हमलावरों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई । उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद् के नेताओं द्वारा प्राचार्य पर हमले की निन्दा की गयी प्राचार्य की सुरक्षा की मांग की एवं हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की गयी थी ।

उक्त मांग पर जिलाधिकारी इलाहाबाद ने उक्त घायल प्राचार्य को सुरक्षा के लिये दो आरक्षी आर्म गार्ड दिनांक 30 मार्च से 15 अप्रैल तक दिया गया था । खेद है कि हमलावरों की जाति के इन्सपेक्टर थाना मंझनपुर में नियुक्ति होते ही हमलावरों से मिल कर उनकी पूरी-पूरी मदद कर रहा है साथ ही साथ प्रधानाचार्य एवं उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहा है । इतना ही नहीं प्राचार्य को गैंगेस्टर एक्ट में चालान भी कर दिया है जिसमें क्षेत्र में इस प्रकरण को लेकर जनता में भारी असंतोष व्याप्त है तथा इन्सपेक्टर की जाति पक्ष की कार्यवाही से वर्ग संघर्ष की संभावना है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्राचार्य के परिवार का उत्पीड़न बन्द करने, फर्जी गैंगेस्टर एक्ट को वापस करने, हमलावर अपराधियों को गिरफ्तार करने तथा समस्त प्रकरणों की सी0 आई0 डी0 जांच कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद बलिया के सीयर क्षेत्र में विगत पांच वर्ष के दौरान लो0 नि0 वि0 द्वारा कराये गये कार्यों के सत्यापन करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शाश्वतानन्द अंचल–

[मान्यवर, बलिया जनपद के हमारे विधान सभा सियर में कई सड़कों की निर्माण कार्य में धांधली प्राक्लन के विपरीत घटिया निर्माण कार्य के संदर्भ में 1985 से अब तक अनेक शिकायती-पत्र और कई बार नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं माननीय सदन के माध्यम से व व्यक्तिगत रूप से शासन के संज्ञान में लाया । कांग्रेस सरकार में जांच के आदेश भी हुए लेकिन रिश्वतखोरी के चलते जन विरोधी कार्य करने वाले अभियन्ता कार्यवाही से या तो मुक्त कर दिये गये या पत्रावलियों को निरन्तर निलंबित रखा जिससे निर्माण कार्य में अपराध करने वाले तत्वों का हौसला बुलन्द हुआ और वे निरन्तर स्वीकृत प्राक्लन के विपरीत निर्माण कार्य कर रहे हैं । जिससे राष्ट्रीय क्षति हो रही है और शासन की मंशा के अनुसार जनता को सही कार्य व चलने लायक सड़क नहीं मिल रही है । ऐसी स्थिति में जनता में रोष एवं क्षोभ निरन्तर व्याप्त होता है । नयी सरकार की ग्रामीण परक नीति के कारण अपेक्षा है कि वह 1985 से 1990 तक के सियर विधान सभा क्षेत्र में कराये गये सा0 नि0 वि0 (लोक निर्माण विभाग) के कार्यों का सत्यापन कराया जायेगा तथा प्राक्लन के विपरीत कार्य कराने वाले अभियन्ताओं के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी ।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर मामले को आपके माध्यम से मा0 सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाते हुए समाधान की मांग करता हूं ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह बंध पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गोरखपुर में अपर नारायणी नहर के निर्माण में हुयी अनियमितता एवं विलम्ब की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन गोविन्द राव–

[मान्यवर, सिंचाई खण्ड गोरखपुर के कार्य क्षेत्र में अपर नारायणी नहर 22.200 कि0 मी0 सायफन निर्माण में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामकोला के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई का अभाव हो गया है । जिसके कारण गेहूं, गन्ना की फसलों की बर्बादी हुई है तथा धान के बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । पिछले चार माह से कप्तानगंज राजवाहा में पानी ही नहीं छोड़ा गया है । अगर नारायणी नहर के मरम्मत में विलम्ब, ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के चलते कप्तानगंज राजवाहा, मेदनीपुर, नरायणपुर, चौमुखा, घुघली माइनर, बरवा, हरखा-हरखी, पटखौली, मथौली, पचार सिरसिया, आजीजनगर, सकरौली, लक्ष्मीपुर, राजवाहा इत्यादि के सिंचाई क्षेत्रों में किसान तबाह एवं बर्बाद हो गये हैं । राजवाहा एवं नहरों में पानी के अभाव से लगभग 600 गांवों के 40 हजार एकड़ जमीन में सिंचाई प्रभावित हुयी है जिससे राजस्व तथा किसानों का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिसंख्य गांवों में गेहूं तथा गन्ना बर्बाद हुआ है तथा धान की बुआई ही नहीं हुयी है । उक्त नहर से गोरखपुर जिले के भी सैकड़ों गांव प्रभावित हुये हैं ।

मान्यवर, अपर नारायणी नहर के निर्माण में हुये अनियमितता भ्रष्टाचार तथा विलम्ब के कारणों की उच्चस्तरीय जांच करायी जाय तथा क्षतिग्रस्त किसानों को मुआवजा दिलाया जाय । साइफन निर्माण स्थल पर अगर पानी आपूर्ति हेतु वाईपास का निर्माण किया गया होता तो इस प्रकार की स्थित उत्पन्न नहीं होती ।]

जनपद शाहजहांपुर के परगना खेड़ा बझेड़ा में कन्हानी नाला पर पुल बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

[मान्यवर, जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के परगना खेड़ा बझेड़ा की ग्राम सभाएं बरी प्रसिद्धपुर आदि सैलाब आने पर एक तरफ रामगंगा नदी से दूसरी ओर कन्हानी नाला से घिर जाती है और इन 15 हजार की आबादी वाले गांव टापू के समान हो जाते हैं और इनकी सहायता के लिए अधिकारी और कर्मचारी भी सैलाब के दिनों में नहीं पहुंच पाते हैं तथा बच्चे पढ़ने को इस तरफ नहीं जा पाते हैं । व बीमार भी भगवान के भरोसे गांवों में ही रहते हैं । कन्हानी नाला पर पुल के लिए जनता ने अनेक बार मांग की किन्तु कुछ नहीं हुआ । आवश्यक है कि जब तक पुल व बन्धे तक एक कन्हानी नाला पर एक नाव का प्रबन्ध किया जाए । यह कार्यवाही सैलाब आने से पूर्व ही हो रहा है । कन्हानी नाला पर शीघ्र पुल बने ।]

जनपद फर्रुखाबाद के कन्या हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों की कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा की क्षतिपूर्ति अनुदान भुगतान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विमले प्रसाद तिवारी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में इस विलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को लाना चाहता हूं कि वर्ष 1986-1987 शिक्षा सत्र से अब तक जनपद फर्रुखाबाद के समस्त अशासकीय कन्या हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा का क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान नहीं हुआ है जिससे इन संस्थाओं के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि तत्काल इस क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान करने के आदेश पारित करें ।]

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज औचित्य के प्रश्नों की 11 सूचनायें हुई हैं । यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती हैं । अत: अस्वीकार की जाती हैं । जहां तक श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की सूचना जो नियम 301 के अंतर्गत सदन के संज्ञान में लाई गयीं सूचनाओं का उत्तर न दिए जाने के विषय में है, मैं कल दिनांक 18-6-90 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं कि वे नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से दिए जाने की सुनिश्चित व्यवस्था करें । जहां तक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की सूचना का संबंध है उसके संबंध में उनसे विचार-विमर्श कर लिया जायेगा । मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मेरे कक्ष में आ जायं और मेरे साथ किसी समय बात कर लें ।

श्री भोला पाण्डेय–

मान्यवर, नैनीताल में तालाबंदी के संबंध में मैंने भी एक सूचना आपको दी थी ....(व्यवधान)

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के प्रशासन के संबंध में आख्या वर्ष-1982-83, 1983-84 एवं वर्ष 1985-86†

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के प्रशासन के संबंध में आख्या वर्ष 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 को उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 की धारा 37 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री भोला पाण्डेय–

मान्यवर, नियम 300 के अंतर्गत मैंने भी एक सूचना दी थी जो बहुत महत्वपूर्ण विषय था ....(व्यवधान)

विधान सभा के वर्ष 1990 के द्वितीय सत्र (दिनांक 5 मार्च-1990 से 7 मार्च-1990 तक) में नियम 301 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कार्यवाही का विवरण†

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गये प्रक्रिया संबंधी निर्देश (अष्टम संस्करण) के निर्देश 14 (3) के अनुसार विधान सभा के वर्ष 1990 के द्वितीय सत्र (दिनांक 5 मार्च, 1990 से 7 मार्च, 1990 तक) में नियम 301 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 जून 1990 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के कार्यक्रम के संबंध में सिफारिश की है कि दिनांक 19 जून, 1990 से 27 जुलाई, 1990 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप निर्धारित किया जाय :–

जून 1990	
19 जून मंगलवार 20 जून बुधवार	वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (दूसरा, तीसरा तथा चौथा दिन) ।
21 जून गुरुवार 22 जून शुक्रवार	(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (पांचवां तथा अंतिम दिन)

†छापी नहीं गयी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(2) श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर एक घंटे की चर्चा–

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश की सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग का आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भांति प्रदेश में उसकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाय और इसे प्रभावी बनाने के लिए संबंधित चयन बोर्ड के सदस्य उक्त तीनों वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में रखे जायं ।'

23 जून शनिवार
24 जून रविवार — बैठक नहीं होगी ।

25 जून सोमवार — (1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
(2) विधायी कार्य ।

26 जून मंगलवार — वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचा एवं मतदान ।

27 जून बुधवार — (1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
(2) 5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य ।

28 जून गुरुवार — वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

29 जून शुक्रवार — (1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
(2) 5.30 बजे अपराह्न विधायी कार्य ।

30 जून शनिवार — बैठक नहीं होगी ।

जुलाई 1990

1 जुलाई रविवार — बैठक नहीं होगी ।

2 जुलाई सोमवार
3 जुलाई मंगलवार — वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

4 जुलाई बुधवार — ईदुज्जुहा (बकरीद) का अवकाश
बैठक नहीं होगी ।

5 जुलाई गुरुवार — वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

6 जुलाई शुक्रवार — (1) वित्तीय वर्ष 1990 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
(2) 5.00 बजे अपराह्न से विधायी कार्य ।

7 जुलाई शनिवार
8 जुलाई रविवार — बैठक नहीं होगी ।

9 जुलाई सोमवार 10 जुलाई मंगलवार 11 जुलाई बुधवार 12 जुलाई गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
13 जुलाई शुक्रवार 14 जुलाई शनिवार 15 जुलाई रविवार	बैठक नहीं होगी ।
16 जुलाई सोमवार 17 जुलाई मंगलवार 18 जुलाई बुधवार 19 जुलाई गुरुवार 20 जुलाई शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
21 जुलाई शनिवार 22 जुलाई रविवार	बैठक नहीं होगी ।
23 जुलाई सोमवार 24 जुलाई मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
25 जुलाई बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (अंतिम दिन) (2) 4.00 अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1990 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन , इसका विचार एवं इसका पारण ।
26 जुलाई गुरुवार	असरकारी विधेयक-पूरा दिन (6 जुलाई, 1990 और 13 जुलाई, 1990 के स्थान पर)
27 जुलाई शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस आधा दिन तथा आधा दिन (2) जुलाई, 1990 के स्थान पर) । (2) विधायी कार्य ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसका प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा रखा गया है से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राजकीय अतिथि गृह में हुई घटना के लिए सरकार द्वारा खेद प्रकट करने एवं व्यवस्था अधिकारी के निलंबन को वापस लेने का अनुरोध (क्रमागत)

(घोर व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, इस प्रकार सदन नहीं चलेगा ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना'–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय सदस्य फैजाबाद माननीय तिवारी जी ने नियमों

का हवाला दिया (व्यवधान) किस नियम के तहत कार्यवाही का आप संचालन कर रहे हैं यह प्रश्न आपके सामने उठाया गया । तो मैं निवेदन कर रहा था कि नियमों के बारे में हम आपसे पूर्ण रूप से सहमत हैं लेकिन उनका मूल्यांकन करना आपके समक्ष है उस पर प्रश्न उपस्थित किया गया । आप प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के प्रहरी हैं । सदन नियमानुसार चले यह हम भी चाहते हैं । हमारे माननीय सदस्य गोंण्डा ने भी इस संबंध में निवेदन किया . . (व्यवधान) . . . कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किया और नियमों का हवाला दिया, इसलिए हमको भी सुन लें, हमारे श्री मुईद अहमद एवं अन्य सदस्य भी अपने विचार प्रकट करना चाहते थे तो उनकी बात विनम्रता पूर्वक सुन लेते चूंकि नियमों के बारे में किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जो कार्यवाही चलाई जा रही है और जिस तरह शासन पक्ष के लोग व्यवहार कर रहे हैं क्या वह नियमों की परिभाषा में आता है । इसलिए सदन की गरिमा और सदन के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए श्री तिवारी जी ने कहा ।

मेरा निवेदन है कि बजट मत है, एक व्यवस्था का स्वरूप होना चाहिए जिसकी ओर आपको इंगित किया था कि जो प्रकरण इन दोनों सदनों के प्रकाश में आया वह खेदजनक था जिससे सदन की कार्यवाही रुकी और सदन का बहुमूल्य समय बेकार गया जो नहीं होना चाहिए था, इसलिए शासन को खेद प्रकाश करने के बजाए दूसरा स्वरुप निश्चित किया । ऐसी स्थिति में हमारे तमाम विधायक सदस्य रुष्ट हैं चूंकि श्री विमल प्रसाद तिवारी, फर्रुखाबाद जो राज्य अतिथिगृह (आफिसर्स गेस्ट हाउस) में रहते हैं वहां पानी नहीं मिल रहा है, वहां जाने के लिए रास्ता अवरुद्ध है, पुलिस लगी है और एक छोटे अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, तो क्या आफत आ गयी थी कि उसे सस्पेंड करना पड़ा और पुलिस लगानी पड़ी जिससे मैं अपनी गाड़ी से वहां नही जा सका क्योंकि मुझे जो आवास एलाट हुआ है वह निर्माणाधीन है । श्री विमल प्रसाद तिवारी जी अपने आवास में नहीं जा सकते हैं और न वहां से सदन में आ सकते हैं क्योंकि वहां चारों तरफ पुलिस लगी है ।

अत: मेरा निवेदन है कि जो चीज हुई है उसका सरकार जवाब दे क्योंकि घटना अशोभनीय है और उसके लिए खेद सरकार प्रकट करे लेकिन वह न करके दूसरी कार्यवाही की । कल भारतीय जनता पार्टी के लोग वेल में आ गये थे, जिससे सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी थी । इसलिए सदन की भावना को जानते हुए सरकार गड़बड़ रुख अख्तियार करे तो यह सरकार की मर्यादा के खिलाफ है । सरकार में बैठे मंत्री कुछ भी कर सकते हैं तो उसकी जांच करवा सकते हैं लेकिन सदन की भावना का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है । आपने हठवादिता का रास्ता अपनाया है, तो आप सरकार में है आपके लिए यह छोटी बात है किन्तु मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर क्षमा याचना करे और मान्यवर, सरकार क्या करना चाहती है इस पर आप निर्देश दें ।

(व्यवधान)

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री देवी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने बहुत ही विद्वता पूर्वक अपनी बात रखी । उसने और उनके दल के सदस्यों से अनुरोध है कि हमने उनकी बात को सुना है वैसे ही वह हमारी बात को सुनें । श्री तिवारी जी ने नियमों के हवाले से सदन की कार्यवाही चलाने का आपसे अनुरोध किया, तो यह होना चाहिए, हम लोग जनता के प्रतिनिधि है, हमसे उम्मीद की जाती है कि जो नियम कम से कम विधान सभा में बने हैं उनका अवश्य परिपालन हम लोग करें और करेंगे तभी हम अपेक्षा कर सकते हैं कि 13 करोड़ लोग हमारे बनाये नियमों का परिपालन करेंगे ।

मान्यवर, नियमों के साथ ही साथ परम्परा भी लोकतंत्र में स्थान रखती है । कल नेता विरोधी दल का भाषण होना था जो नहीं हो पाया, यह परम्परा रही है कि नेता विरोधी दल, नेता सदन और मान्यवर, आपकी सर्वोच्च मर्यादा यहां हम लोग बनायें रखें लेकिन कल मा0 नेता विरोधी दल का यहां भाषण नहीं हो पाया . . . ।

और जब नेता विरोधी दल या नेता सदन का भाषण होता है, तो उस समय पूरे सदन का कर्तव्य होता है, कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने कार्यों को करटल करके, उनको पूरा और इच्छानुसार समय दे, और वह उनके भाषण में कोई कटौती न करे । इतना ही नहीं, साथ ही यह भी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कि ध्यान से उनके भाषण को सुने । तो ऐसे समय में शून्य प्रहर को भी थोड़ा छोटा कर दिया जाता है और बहुत से छोटे-छोटे काम नहीं किये जाते हैं । इस तरह की घटनाएं तो रोज तमाम होती रहेंगी, आपके शासनकाल में भी हुई हैं और आगे भी होंगी । यह शासन का कर्तव्य है कि वह ऐसी घटनाओं से निपटे, तो इस मामले में भी प्रशासन निपटेगा, ।इसका निस्तारण करेगा.. (व्यवधान) हमारा निवेदन है जो कोई हो–मंत्री हो, चाहे कोई सदस्य हो, हमारे लिए मंत्री और माननीय सदस्य का सम्मान बराबर है । दोनों के विशेषाधिकार बराबर हैं । किसी भी माननीय सदस्य के सम्मान को आघात पहुंचेगा, तो उसके लिए हमें जिस भी कठोर कार्यवाही की जरूरत होगी, हम उस कार्यवाही को करेंगे । ऐसे मामलों में जब हम प्रशासनिक कार्यवाही करते हैं तो हम नेता सदन से परामर्श कर लेते हैं, और कभी-कभी, नेता सदन नेता विरोधी दल से भी कर लिया करते हैं । लेकिन प्रशासन की कही से कमजोर करने की बात न विरोधी दलों की ओर से होनी चाहिए न हमारी ओर से होनी चाहिए । आज बजट की सामान्य चर्चा में महत्वपूर्ण विषय पर नेता विरोधी दल का महत्वपूर्ण भाषण होना है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको संकुचित करके हम सभी लोग धैर्यपूर्वक इनकी बातों को सुनें ।

श्री अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना'–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री की भावना से मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं । हमारी यह मंशा नहीं थी और सारे सदस्यों की भी यही मनोभावना है कि सरकार मजबूती से अपने कार्य का करे । आप जन समर्थन के बल पर शासन में आये हैं । हम आपको क्यों कमजोर करेंगे, हम तो सरकार का पूरा आदर करते हैं, लेकिन जब यह प्रकरण आया था और आपका सदन एडजर्न हुआ था, हम सभी चाहते हैं कि सदन शान्तिपूर्वक चले, उसकी कार्यवाही ठीक से चले । यहां पर हम हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और आपके नेता हैं और बी० एस० पी० के सदस्य हैं– यह सभी आपके मान्यवर, कक्ष में गए थे, वहां सारे विचार विमर्श के बाद भी ऐसी स्थिति आई कि आपको सदन स्थगित करना पड़ा । तो जो भी आप कार्यवाही कर रहे हैं, आप जांच कीजिए, तब किसी को दंडित कीजिए । और जो दोषी अधिकारी हैं, उनके बचाव के लिए उनकी तरफदारी में हम नहीं खड़े हैं । किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही दण्डित करने की आवश्यकता है, तो उसे करने में आप पूरी तरह सक्षम हैं और उस पर हमें कुछ कहना भी नहीं है ।

लेकिन कल तक आपने इस मामले में कुछ नहीं किया था, बाद में उस अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया । इस तरह से ऐसा करके तो आपने जलती आग में घी डाल कर उस आग को और भड़काने का काम किया है । आप इस पर जरा गम्भीरता से विचार करें । ये आपके कर्मचारी हैं, आपके सहगामी हैं, आपकी विकास यात्रा में यह आपके सहयोगी बनेंगे । आप इनको डराइये नहीं, प्रताड़ित न कीजिए । किसी भी मंत्री या सदस्य की गरिमा घटती है, तो मैं पहला व्यक्ति हूं कि उस अधिकारी का विरोध करूंगा । लेकिन उसमें यह देखने की आवश्यकता है कि उसमें वास्तविकता क्या है । आपने तुरन्त उसको निलम्बित कर दिया । इस प्रकरण पर आप बड़ी विनम्रता से फैसला लें । आप अपना फैसला लें और सात की भावनाओं से उसका मुल्यांकन करें । इसमें सदन का समय बर्बाद करने का कोई सवाल नहीं है । कल सदन का समय नष्ट हुआ, इसलिए इस पर मैंने आपके सामने यह बात निवेदन की । इसलिए मैंने कहा कि वह विधायक वहां रहते हैं, पुलिस लगी हुई है, पानी तक नहीं मिल रहा है । अतः बड़ी गम्भीरता से इस पर आप विचार करें और मेरा निवेदन है कि इस पर आप पुनर्विचार करें और इनका निलम्बन भी वापस लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर मैं अपना निर्णय बाद में दूंगा । अभी मैं इसको रिजर्व करता हूं ।

[समय–1 बजकर 20 मिनट]

(व्यवधान)

*श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने बहुत ही उपयोगी और काम की बातें हमारे सामने रखी हैं । हम सब सहमत हैं कि सदन की कार्यवाही नियमों के अंतर्गत चलनी चाहिए । क्यों-कि नियमों के बाहर अगर कार्यवाही चलने लगी तो कार्यसूची में जो विषय हैं, वह पूरे नहीं हो पायेंगे । इस बात से हम सहमत हैं कि सदन के अन्दर सार्वजनिक जीवन को जोड़ते हुए सवालों पर सभी सदस्यों को बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए । इस बजट सत्र के समय में अनेक प्रकार के ऐसे मामले आयेंगे जिस पर सभी माननीय सदस्य उन समस्याओं का जिक्र करना चाहेंगे । शासन को इस बात का अवसर मिलेगा कि वह अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सके । लोकतंत्र का यह तकाजा है कि जो बातें सदन में उठें उनका समुचित निराकरण हो । इन सब बातों से सहमत होते हुए मैं आपके माध्यम से इस सदन में एक बात रखना चाहता हूं और वह यह बात है कि कल जिस प्रकरण को लेकर पूरा सदन स्थगित करना पड़ा । इस स्थगन के बाद जो कुछ महत्वपूर्ण विचार हम लोगों को लाने थे, वह आने से रह गए । आज फिर से उसी प्रकरण पर बात प्रारम्भ हो गयी और काफी समय उसमें चला गया है ।

माननीय तिवारी जी ने एक बात कही कि माननीय सदस्य के आचरण का मामला 300 में नहीं आता, 56 में नहीं आता, वह विशेषाधिकार में आता है । मैं उनकी बात को स्वीकार करके चल रहा हूं । मा0 सदस्य विद्वान तथा हमारे मित्र हैं । लेकिन मान्यवर, क्या यह ऐसा किसी नियम में आता है, कि जो माननीय सदस्य इस सदन में वाद-विवाद में भाग लेने के लिए आना चाहते हैं, यदि कहीं, ऐसी स्थित पैदा हो जाय, वह माननीय सदस्य सदन में उपस्थित न हो सके तो आपके जो नियम बने है, वह नियम वहीं रखे रह जायेंगे । राज्य अतिथि गृह में हड़ताल हो गयी है और हड़ताल के कारण वहां के जो विधायक हैं उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है । स्थिति ऐसी बन गयी है कि बाहर वाले अन्दर नहीं जा सकते हैं और अन्दर वाले बाहर नहीं आ सकते हैं । पीने के लिए पानी नहीं है, चाय की कोई व्यवस्था नहीं है । वहां पर सफाई नहीं हो पा रही है । जो न्यूनतम आवश्यकता की चीजें हैं, उनसे वह वंचित हैं । एक अधिकारी का निलम्बन हो गया । आपको अधिकार है । मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो स्थिति पैदा हो गयी है, विधायकों के सामने, आने जाने की परेशानी हो गयी है, इस बात पर चर्चा होगी या नहीं, सरकार इसका निराकरण करेगी या नहीं । जिस अधिकारी को दो-दो प्रमोशन दिए गये थे उसे आपने तत्काल निलम्बित कर दिया । होगा कोई कारण, आप कर सकते हैं । दो-दो प्रमोशन देने के बाद भी । मान्यवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के एक कर्मचारी श्री अख्तर सलीम को गिरफ्तार कर लिया है । इससे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो गया ।

(शेम-शेम की आवाजें)

यह कार्यवाही जो वहां के मुख्य व्यवस्था अधिकारी के साथ की गयी, मेरी सूचना के अनुसार यह एक तरफा कार्यवाही है । शासन को इसमें पूरी तरह से जांच-पड़ताल करनी चाहिए जबकि इसके अन्दर एक माननीय मंत्री जी इन्वाल्व हैं ।

उन पर आरोप है कि उन्होंने मां बहन की गालियां दीं, अगर नहीं दीं हो वह सदन में कहते कि नहीं दीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर चर्चा नहीं करेंगे ।

(व्यवधान)

*श्री कल्यान सिंह–

इस तरह के अश्लील शब्दों का प्रयोग करने वाले मंत्री को सजा मिलनी चाहिए थी लेकिन अधिकारी को सजा मिल रही है । इसकी वजह से जो माननीय सदस्यों को असुविधा हो रही है उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेताओं ने और जिन माननीय सदस्यों ने, जिस प्रकरण के संबंध में अपनी राय रखी और उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए, इस बारे में मुझे माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मालूम हुआ । मैं उसको नहीं सुन पाया क्योंकि दूसरे सदन में आवश्यक बहस में मुझे जाना था । जहां तक सवाल है कर्मचारी की मुअत्तली का, तो मैं माननीय सदस्यों से और माननीय नेताओं से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस सवाल को बहुत गम्भीरता से लीजिए । इसलिए गम्भीरता से लीजिए क्योंकि मैंने एक वायदा किया था कि किसी भी माननीय सदस्य का मैं सम्मान नहीं गिरने दूंगा तो इस प्रकरण पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । माननीय नेताओं ने जिस तरह से कहा कि गाली-गलौज किया इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, अगर माननीय नेता संतुष्ट नहीं हैं, माननीय अरुण कुमार जी ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है, माननीय नेता भाजपा ने कहा कि वह संतुष्ट नहीं हैं, तो अगर वह जानना चाहते हैं कि क्या किसने किया. तो उनको हम बता देंगे वह हमसे मिल लें । लेकिन इसको इस तरह से बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए ।

नेता भा ज पा से कहूंगा कि आपने हमेशा राय दिया है नौकरशाही पर काबू रखने का, और नौकरशाही पर नियंत्रण रखने के लिए बड़े-बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है आपकी राय के अनुरूप, जो मामला आप उठा रहे हैं, यह लापरवाही का मामला नहीं था । बदले की भावना से कार्यवाही नहीं की गई है । चार महीने लगातार छेद रहना, और जहां पर वी0 आई0 पी0 ठहरते हों, और बड़े से बड़े वी0 आई0 पी0 ठहरते हों वहां चार महीने तक लापरवाही हो, उसके खिलाफ कार्यवाही करना, यह प्रशासनिक मामला है । इस प्रशासनिक मामले में बड़े-बड़े नेता हस्तक्षेप करेंगे तो आज नौकरशाही की जो स्थिति पैदा हो रही है जिस कार्यालय में आप पहुंचेंगे दूसरे दिन आपके खिलाफ रपट लिखा दी जाएगी । चाहे आप विधायक हों, चाहे आप मिनिस्टर हों । जो भी कार्यवाही हम कर रहे हैं, वह अंकुश लगा रहे हैं नौकरशाही पर अगर छोटे कर्मचारी हमारे बड़े अधिकारियों के खिलाफ 32 घंटे बाद रपट लिखाने जाएगा, तो आज प्रदेश का कोई विधायक, कोई नेता, कोई मंत्री ऐसा नहीं रह पाएगा जिनके खिलाफ रपट न लिखी जाए ।

मैं माननीय उप नेता विरोधी दल से और अन्य माननीय सदस्यों से कहूंगा यह कार्य जो किया गया है वह सारे सदन के माननीय सदस्यों के सम्मान के लिये किया गया है । मुअत्तली एक प्रशासनिक मामला है, इस सवाल को यहां न उठायें । इसको आगे न उठाया जाय यही मैं समझता हूं इस सदन का । अगर कोई और गलतफहमी है तो मैं आपसे बातचीत करने के लिये और आपके सुझाव मानने के लिये तैयार हूं ।

(मद सं0 9 पुकारे जाने पर ।)

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(शोर)

श्री भोला पाण्डेय–

मान्यवर, अगर निलंबन के बारे में चर्चा नहीं हो सकती तो माननीय मंत्री के आचरण पर चर्चा हो सकती है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

सदन को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को निर्वाचन करने हेतु अध्यक्ष द्वारा आदेश देने का प्रस्ताव

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा–4 की उप धारा (1) के खंड (ज) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, आपने मुझे अनुमति दी है ।

(शोर)

श्री भोला पाण्डेय–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने मंत्री परिषद् के सदस्य के संबंध में क्या निर्णय लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा–4 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे । "
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

सदन द्वारा लखनऊ विश्व विद्यालय आगरा विश्व विद्यालय, इलाहाबाद विश्व विद्यालय, गोरखपुर विश्व विद्यालय, मेरठ विश्व विद्यालय, कानपुर विश्व विद्यालय, कुमायूं विश्व विद्यालय नैनीताल, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, बुन्देल खण्ड विश्व विद्यालय, झांसी, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व विद्यालय, वाराणसी के सभा में कार्य करने के लिए प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच पांच सदस्यों का निर्वाचन करने हेतु मा0 अध्यक्ष द्वारा आदेश देने का प्रस्ताव

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, निम्नांकित 14 विश्व विद्यालयों :–

1–लखनऊ विश्वविद्यालय,
2–आगरा विश्वविद्यालय,
3–इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
4–गोरखपुर विश्वविद्यालय,
5–मेरठ विश्वविद्यालय,
6–कानपुर विश्वविद्यालय,
7–कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल,
8–हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय,
9–अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद,

10–बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी,
11–रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली,
12–पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर,
13–काशी विद्यापीठ, वाराणसी,
14–सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी,

की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उप धारा (1) के वर्ग 7 में खण्ड (15) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्य का निर्वाचन करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, निम्नांकित 14 विश्व विद्यालयों :–

1–लखनऊ विश्वविद्यालय,
2–आगरा विश्वविद्यालय,
3–इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
4–गोरखपुर विश्वविद्यालय,
5–मेरठ विश्वविद्यालय,
6–कानपुर विश्वविद्यालय,
7–कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल,
8–हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय,
9–अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद,
10–बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झासी,
11–रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली,
12–पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर,
13–काशी विद्यापीठ, वाराणसी,
14–सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उप धारा (1) के वर्ग 7 में खण्ड (15) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्य का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 19-6-90 को नियम 56 के अंतर्गत कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से करण संख्या 13 के अनुसार निम्नलिखित 9 सूचनाएं चयनित की गयीं :–

(1) श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — जम्मू-काशमीर में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त कर रहे उत्तर प्रदेश के लगभग 100 छात्रों का वर्तमान शिक्षा सत्र बेकार हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(2) श्री कुंवर सिंह नेगी — पर्वतीय क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल की भारी कमी होने से परिवहन व्यवस्था ठप्प हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(3) श्री विमल प्रसाद तिवारी — दिनांक 15-6-90 को मरुधर एक्सप्रेस में विधायक श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप पर रायफलधारी सिपाही द्वारा अभद्र व्यवहार एवं उनकी ओर रायफल तान देने के सम्बन्ध में ।

(4) डा0 दिनेश अहीरी, श्री राम सेवक तथा श्री श्याम बिहारी सिंह, श्री शिवबहादुर सक्सेना — सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर मिल, लालकुआं, नैनीताल में लगभग दो माह से मिल कर्मियों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(5) श्री मुईद अहमद — भारतीय कृषि उद्योग प्रतिष्ठान में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले के सम्बन्ध में ।

(6) श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री हरद्वार दूबे, श्री किशन गोपाल तथा श्री रविकान्त गर्ग । — 15 जून, 1990 को आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चे के पदयात्रियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(7) श्री रवीन्द्र शुक्ल — हरिजन विधायक श्री पसगीलाल बहिष्कार एवं उनके परिवार तथा अन्य हरिजन ग्रामवासियों का सवर्णों द्वारा उत्पीड़न किये जाने के संबंध में ।

(8) श्री देवेन्द्र कुमार सिंह — जनपद ललितपुर में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री नकली सिंह — दिनांक 14-6-90 से पूर्व मंत्री श्री हुकुम सिंह तथा उनके साथ अन्य दो पूर्व विधायक एवं 12 किसानों द्वारा अनिश्चित-कालीन भूख हड़ताल किये जाने के संबंध में ।

उक्त 9 सूचनाओं में से अन्तिम चार सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायगा ।

पत्रकारों द्वारा प्रश्नकाल का बहिष्कार किये जाने के प्रकरण में लिये गये निर्णय की जानकारी

*श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, पूरे सदन के संरक्षण का वही आपका एक आसन केन्द्र बिन्दु है । आपकी तरफ से जब कोई आदेश होता है, तो यह अपेक्षा की जाती है कि उसका पूर्णतया पालन होगा । मान्यवर, प्रथम शुक्रवार को आपके द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि आज सायंकाल 4 बजे प्रश्नोत्तर काल में जो प्रेस गैलरी खाली रही है, उसके बारे में इस सदन को निश्चित रूप से अवगत कराया जायगा । मान्यवर, उसके बाद उस दिन कोई जानकारी नहीं मिली । फिर उसे प्रथम सोमवार यानी कल को यह हुआ कि माननीय अध्यक्ष जी जब आ जायेंगे, कल आना है; उनसे यह जुड़ा विषय है, तो माननीय अध्यक्ष जी के आने के बाद इस सदन को अवगत कराया जायेगा । मान्यवर, आप जानते हैं कि प्रश्नोत्तरकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय से यह सदन वंचित है सारे विषय के मामले की जानकारी आपको है लेकिन मान्यवर, हम किसी सदस्य को यह पता नहीं है कि प्रश्नोत्तरकाल में यह गैलरी क्यों खाली रहती है, पूरे प्रदेश की जनता प्रश्नोत्तरकाल की सूचनाओं से क्यों वंचित है ? इसलिए मान्यवर, आपकी पीठ से जो निदेश हुआ है कि जानकारी मिल जायेगी, तो माननीय सभापति जी भी आज आये हैं और उस आसन पर विराजमान रहे हैं इसलिए एक आपसे अनुरोध है कि एक व्यवस्था दें और पूरे सदन को कम से कम आज यह अवगत करा दें कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रश्नोत्तर-काल की सूचनाओं से क्यों वंचित है । आज हम यह अपेक्षा करेंगे कि आपकी पीठ से इस विषय पर टालमटोल न हो क्योंकि निश्चित रूप से इस विषय को पूरा सदन नहीं जानता है, हम स्वयं भी इस बात को पूरी तरह नहीं जानते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें, मैंने आपकी पूरी बात को समझ लिया है । इस सम्बन्ध में मैं सम्मानित सदन को बता देना चाहता हूं कि जैसा कि कल मैंने सदन में घोषणा की थी कि शाम को बातचीत करूंगा । मैंने सम्मानित पत्रकार बन्धुओं को दिखवाया, जो उनका नीचे बैठने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्यालय है वहां पर दो तीन पत्रकार बन्धु मिले तो उन्होंने कहा कि हम बात नहीं कर पायेंगे तो फिर मैंने आपके पत्रकार एसोसियेशन के अध्यक्ष जो श्री आर0 सी0 श्रीवास्तव जी हैं, मैंने उनसे सम्पर्क स्थापित किया, मैंने उनको बुलाया और उनसे बातचीत की, जैसा कि मैंने सदन में घोषणा की थी । मैं इसका हल सम्मानित पत्रकारों को बुलाकर कर लूंगा । इसमें हल नहीं निकल पाया है लेकिन आज मुझे आशा है कि आज शाम को फिर बैठ रहा हूं और आज शाम को निश्चित रूप से पत्रकार बन्धुओं के बहिष्कार का जो मामला चल रहा है इसमें हम कुछ कर सकेंगे और इसमें कोई सम्मानजनक हल आज अवश्य निकल आयेगा । यह माननीय मयंकर सिंह जी ने जो मामला उठाया इसके द्वारा समस्त सदस्यगण को सूचित भी करना चाहता हूं ।

डा0 दिनेश जौहरी–

माान्यवर, एक गम्भीर विषय में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मान्यवर, यह जो "ना" लाबी है इसके बाथरूम में एक बड़ा छेद है, इससे माननीय सदस्यों की बेपर्दगी होती है, इसमें पता नहीं कौन जिम्मेदार है, उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाय ।

(व्यवधान के मध्य)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

जो स्वीकृति प्राप्त समाचार पत्र हैं (व्यवधान) उनके बारे में सम्मानित सदन में हम कब तक जान जायेंगे, इसकी जानकारी चाहती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

जौहरी जी आप क्या कह रहे हैं ?

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर "न" लाबी का जो बाथरूम है उसमें एक बहुत बड़ा छेद है जिससे इधर के माननीय सदस्यों की बेपर्दगी होती है, इसमें आप क्या कार्यवाही करेंगे, इस विषय में आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (क्रमागत)

श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम 56 के अन्तर्गत आज आपने मुझे मौका दिया इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, जम्मू काश्मीर की 6 मास की अनिश्चित स्थिति के बाद जो वहां पर रीजनल इंजीनियरिंग कालेज है उसमें उत्तर प्रदेश के निवासी 53 छात्रों को वहां से आना पड़ा है और उनका सत्र 89–90 बेकार चला जा रहा है । इसके लिए काश्मीर मामलों के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री एम0 जी0 के0 मेनन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें एक निर्णय लिया गया था कि जिन राज्यों से ये छात्र आये हैं, उनके रीजनल इंजीनियरिंग कालेजों में इन छात्रों को प्रवेश दे दिया जाय। इस निर्णय के अंतर्गत राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग कालेजों में वहां के छात्रों को प्रवेश दे दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में वहां के 53 छात्रों को यहां के रीजनल इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश नहीं दिया गया है और वे सड़क पर हैं और उनका सत्र बेकार हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी बात पूरी हो गयी, संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे दें ।

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे और जो अपेक्षित कार्यवाही होगी करने का प्रयास करेंगे ।

*श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, सारे पर्वतीय क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल की बड़ी कमी हो गयी है । इस समय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

वहां पर पर्यटन का सीजन है। देश विदेश के तीर्थ यात्री और पर्यटक उस क्षेत्र में आते हैं। वहां पर पेट्रोल और डीजल की कमी के कारण मोटर गाड़ियां और टैक्सी नहीं चल पा रही हैं, जिससे वहां की आम जनता और पर्यटकों को बहुत असुविधा और परेशानी है। खाद्यान्न नहीं पहुंच पा रहा है, दवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है और इससे हमारे यहां पर्यटन पर बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है। मेरा अनुरोध है कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय और सुनिश्चित प्रश्न पर अवश्य चर्चा करायी जाय।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जो मा0 सदस्य ने सूचना दी है, इसी को जांच के लिए भेज कर जो परिणाम प्राप्त होंगे, उनके अनुसार वहां पर कोई कठिनाई न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

मा0 उपाध्यक्ष जी, मैंने जो नियम 56 में काम रोको प्रस्ताव रखा है, उसकी ग्राह्यता पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया, आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि लखनऊ से मथुरा की छोटी लाइन पर जिस प्रकार की अराजकता व्याप्त है उसके शिकार वैध टिकट लेकर यात्रा करने वाले लोग होते रहते हैं। मान्यवर, यह विषय गम्भीर है, इसलिए चाहता हूं कि पूरा सदन और विशेष रूप से संसदीय कार्य मंत्री जी ध्यान दें। वहां पर पुलिस के सिपाही और दरोगा इतना अन्याय करते हैं कि वैध टिकट लेकर प्रथम श्रेणी से यात्रा करने वाले लोगों को बाहर खड़े रहना पड़ता है और सिपाही बर्थ पर लेटे रहते हैं। मैं बेनी प्रसाद वर्मा जी से विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि इसी 15 तारीख को एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना हुई। हम कई विधायकगण मरुधर एक्सप्रेस से जा रहे थे। श्री श्याम सुन्दर जी, श्री लटूरी सिंह जी, श्री देवेन्द्र सिंह जी, अनिल कुमार सिंह जी, गांधी जी, ज्ञानेन्द्र स्वरूप जी आदि कई लोग एक साथ जा रहे थे। जब गाड़ी 10.40 पर अनवरगंज पहुंची तो एक मस्कटधारी सिपाही और दरोगा आता है और श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप जी विधायक की सीट पर जबर्दस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है और जब उसे लेकर रोकने की बात होती है, तो वह मसकटधारी सिपाही जो नशे में धुत था, माननीय ज्ञानेन्द्र स्वरूप जी की छाती पर राइफल तान ली। एक अन्य सिपाही ने बताया था कि वह राइफल लोडेड थी। यह माननीय ज्ञानेन्द्र स्वरूप जी का भाग्य कहिये या क्या कि उनकी जीवन की रक्षा हो गयी। उस सिपाही को जी0 आर0 पी0 के अन्य सिपाहियों ने मिलकर भगा दिया था। मान्यवर यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम रोको प्रस्ताव है, जो एफ0 आई0 आर0 10-40 बजे लिखी जानी चाहिए थी, वह 12.45 बजे एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई। माननीय विधायक ज्ञानेन्द्र स्वरूप, माननीय श्याम सुन्दर, माननीय लटूरी सिंह, मैं और माननीय गांधी जी, माननीय सुरेश सिंह यादव–हम सब लोग अनवरगंज स्टेशन पर यह प्रयास करते रहे कि एफ0आई0आर0 हो जाय और गाड़ी बढ़े। एफ0 आई0 आर0 लेने वाला कोई नहीं था, 12.45 बजे वह एफ0आई0आर0 लिखी गयी वह भी कब, यह भी बताना चाहूंगा। माननीय श्याम सुन्दर जी ने व अन्य साथियों ने परेशान होकर स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय से टेलीफोन पर वार्ता करने की कोशिश की एस0एस0पी0 कानपुर, एस0 पी0 सिटी से कोई उपलब्ध नहीं। डी0 आई0 जी0 से बात हुई, उनको पूरी बात बतायी गयी कि गाड़ी रुकी हुई है, किसी तरह से माननीय ज्ञानेन्द्र स्वरूप जी के जीवन की रक्षा हुई है, सिपाही का पता नहीं है जो राइफलधारी था। मैं माननीय वर्मा जी से कहना चाहूंगा कि विधायकों के सम्मान की बात कहते हैं मैं आशा करता हूं कि वे अपनी कथनी के अनुरूप इस पर निर्णय लेंगे। मान्यवर, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हुई, डी0आई0जी0 से बात हुई, उन्होंने किसी सी0 ओ0 स्तर के अधिकारी को नहीं भेजा, 10-11 विधायकों का मामला था।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

एक दरोगा को जो रायपुरवा के हैं, उन्हें भेज दिया गया 12-45 बजे जाकर एफ0आई0आर0 दर्ज हुई । उस घटना को 4 दिन हो गये हैं । अधिकारी इसमें प्रयास कर रहे हैं कुछ छोटी मोटी कार्यवाही करके बात दबा ली जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें माननीय तिवारी जी ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

आप आज ही इस पर मंत्री जी से वक्तव्य दिलवायें यह बताया जाय कि वह मसकटधारी सिपाही कौन था, दरोगा कौन था, जिसने शराब पीकर माननीय ज्ञानेन्द्र स्वरूप जी का जीवन लेने की चेष्टा करी ।

*श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, 15 तारीख की घटना का जो संदर्भ माननीय तिवारी जी ने अभी दिया, उसमें कुछ बातें छूट गयी हैं, उन्हें मैं जोड़ना चाहता हूं । मान्यवर, वह कांस्टेबिल जिसने भाई ज्ञानेन्द्र स्वरूप जी पर मसकट ताना ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप उसी को न दोहरायें, यदि कोई बात छूट गयी हो तो उसे कहें ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

उसके बाद जब हम लोग स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय में गये जब बताया गया तो उन कांस्टेबुलों, को बुलाया गया । चार कांस्टेबुल शराब में धुस थे जब हम लोगों ने डी0आई0जी0 से बात की तो एक दरोगा को भेजा गया । हम लोगों ने यह कहा कि इन चारों की परीक्षा की जाय शराब में धुत हैं या नहीं । हमारी संज्ञान में आया है कि सिर्फ एक कांस्टेबुल की परीक्षा की गयी, उसके बाद तीन को छोड़ दिया गया । उस सिपाही का पता नहीं और उस दरोगा का पता नहीं जिसने मसकट भाई ज्ञानेन्द्र जी पर तानी थी । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा, एक गाजियाबाद के प्रकरण में जो सी0बी0आई0 की मांग की गयी थी उसको ठुकरा दिया गया, एक अन्य घटना क्रम मंत्री जी का चल रहा है उसमें अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपने विषय से हट रहे हैं ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, यह उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी तथा दूसरे माननीय सदस्य ने जो नियम-56 में प्रश्न उपस्थित किया है, उसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है और हमारा बराबर यह कहना रहा है कि माननीय सदस्यों के सम्मान को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे । इस मामले की जांच उपाधीक्षक कर रहे हैं और जांच का परिणाम आने पर विस्तृत कार्यवाही की जायेगी । यह समय तक जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार 4 कन्स्टेबिलों को संस्पेंड कर दिया गया है और एक सब इन्स्पेक्टर को भी सस्पेन्ड कर दिया गया है, इसके बाद जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जायेगी तथा माननीय सदस्यों के सम्मान को गिराने का कोई काम हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा आश्वस्त करते हैं ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या उन चारों कन्स्टेबिलों का परीक्षण कराया गया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जब उनको सस्पेन्ड कर दिया गया, तो परीक्षण की क्या बात रह जाती है, सस्पेन्ड किसी आधार पर ही किया गया है ।

श्री विमल तिवारी–

माननीय वर्मा जी ने जो बात कही है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं । मैं माननीय वर्मा जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह जांच अधिकारी को स्पष्ट आदेश दें कि रायफल तानने वाले सिपाही तथा उस दरोगा को जिसने उस सिपाही के भागने में मदद की, उनका निश्चित रूप से पता लगाकर कार्यवाही करेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जांच में सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा, तिवारी जी इसके लिये बिल्कुल आश्वस्त रहें ।

*डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मेरा कार्यस्थगन प्रस्ताव नैनाताल जनपद के लालकुआं स्थित सेन्चुरी पेपर मिल में तालाबन्दी के विषय में है । गत 7 अप्रैल से सेन्चुरी पेपर मिल में स्टाफ एसोसियेशन के तत्वावधान में वहां के लोग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे, इसके बाद 22 मई से सभी मजदूरों ने ओवरटाइम करना बन्द कर दिया और वहां हड़ताल हो गयी । दिनांक 23 मई को माननीय श्रम मंत्री जी ने मजदूरों को, मालिकों को लखनऊ में त्रिपक्षीय वार्ता के लिये बुलवाया, लेकिन यह वार्ता सफल नहीं हुई, क्योंकि मिल मालिकान अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुये थे और उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, उसके बाद मिल मालिकों ने 150 कर्मचारियों को चार्जशीट दे दी, 19 कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया और 40 को नौकरी से निकाल दिया । इस बीच स्टाफ एसोसियेशन के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुये थे, उन्होंने श्रम मंत्री की अपील पर अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी । उसके बाद 40 मई को मालिकों से एक समझौता हुआ और सभी श्रमिक 30 तारीख से काम पर वापस आ गये, लेकिन 1 जून से मिल मालिकों ने फिर फैक्टरी में तालाबंदी कर दी, जबकि श्रम मंत्री का स्पष्ट आदेश था कि तालाबंदी नहीं की जायेगी । आज 18-19 दिन हो गये हैं और 4 हजार श्रमिक जो वहां काम करते हैं तथा 10 हजार अन्य मजदूर जो विभिन्न माध्यमों से इस मिल से जुड़े हैं, कुल मिलाकर 15 हजार मजदूरों के सामने कंगाली की स्थिति पैदा हो गयी है और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं बचा है तथा बहुत से पलायन कर रहे हैं । इस प्रकार श्रम मंत्री के स्पष्ट आदेश के बावजूद इस फैक्टरी में तालाबंदी कर दी गयी है और उनके आदेशों का उल्लंघन हुआ है । मैं मांग करता हूं कि मजदूरों की उचित मांगों को माना जाय, समझौता कराया जाय और इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

*श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, यह सही है और जो प्रकरण माननीय सदस्य ने उठाया है, वह बहुत गंभीर है । इस मिल के बारे में वार्ता चल रही है । और मैंने श्रमिकों को भी आश्वासन दिया था कि यह सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी । कोई भी ऐसा फैसला नहीं होगा जो श्रमिकों के हितों के विरुद्ध हो । उसी दिन यह भी तय हुआ था, माननीय सदस्य भी उसमें शरीफ हुए थे, हमारे काम करने का तरीका व ढंग वह जानते हैं, फलां तारीख को हम पुनः बैठेंगे । श्रमिकों का कहना था कि हम इतने से कम पर काम करने को तैयार नहीं है और मालिकों ने कहा कि हम इतना नहीं दे सकते हैं । कहीं बातों का सिलसिला न टूट जाय, इसलिए मैंने यह मुनासिब समझा कि 4-6-दिन के बाद फिर बैठ जायेगा । इसलिये उसी दिन यह तय हो गया कि सेवायोजक व श्रमिकों के साथ फलां तारीख को बैठक होगी, तिथि भी तय हो गई । इस पर सेवा योजक व श्रमिक तैयार हो गये । सेवा योजकों से यकीनन थोड़ी गलती यह हुई कि जब मैं बीच में पड़ा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुआ था और एक समझौते का रास्ता निकाला जा रहा था, तो उन्होंने मिल बन्द करदी । अब हमारे पास एक ही तरीका शेष रह गया था, या तो हम सेवायोजकों द्वारा जो ताला बन्दी की गई थी, उसे सही मानते या फिर उसे अवैध घोषित कर देते । यदि हम तालाबन्दी को सही मानते तो हम पर यह आक्षेप लगता कि हमने श्रमिकों के हितों की रक्षा नहीं की । जैसे ही मुझे इसकी सूचना मिली तो मैंने तालाबन्दी को अवैध घोषित कर दिया । इसके बाद भी हमने वार्ता कराई । वह जितना देना चाहते थे, उससे हमने ज्यादा ही दिलवाया । यह सही है कि दूसरी जो कागज मिलें हैं, वहां पर श्रमिकों को जितना मिलता है, उससे यहां कम मिलता है । हम इस बात की कोशिश में लगे हैं कि जल्दी से जल्दी यह हड़ताल खत्म हो । मैं त्रिपक्षीय वार्ता भी जल्दी ही बुलाने वाला हूं । मैं समझता हूं कि हम कोई अच्छा समझौता करवाने में कामयाब हो जायेंगे ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, समझौते की बात तो माननीय मंत्री जी ने कह दी है, कह दी है, परन्तु तालाबन्दी को खुलवाने की बात नहीं कही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री जौहरी जी बातचीत के माध्यम से ही तो कोई बात हो सकती है ।

*श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मैं आज नियम-56 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण मामले को इस आदरणीय सदन में उठा रहा हूं । एक संस्था है बी0 ए0 आई0 एफ0 । यह एक रजिस्टर्ड संस्था है । यह उत्तर प्रदेश सरकार से व पशु पालन विभाग से पैसा लेकर 214 गाउ प्रजनन केन्द्र चला रही है । पशुपालन विभाग व डी0 आर0 डी0 से यह संस्था प्रति वर्ष रुपए ले रही है । 1984-85 में 26 लाख 50 हजार रुपए लिये हैं, 1985-86 में 1 करोड़ 78 लाख रुपए लिए हैं, 1987-88 में 1 करोड़ 27 लाख रुपए लिये हैं और 1988-89 में इसने 1 करोड़ 45 लाख 38 हजार रुपए लिये हैं । यह संस्था उत्तर प्रदेश सरकार से व पशुपालन विभाग से तथा डी0 आर0 डी0 ए0 से अभी तक 6 करोड़ 25 लाख रुपए ले चुकी है । जब इस संस्था के खिलाफ घपले का मामला प्रकाश में आया था और जब इस संस्था के ऊपर जालसाजी के आरोप सिद्ध होने लगे तो इस संस्था ने एक दूसरी संस्था बी0डी0आर0एफ0 बनाकर करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया । जबकि इस बीडी0आर0एफ0 संस्था का कोई अनुबन्ध नहीं है । हर केन्द्र को 65 हजार रुपए दिये गये हैं । प्रत्येक वर्ष यह संस्था उत्तर प्रदेश सरकार से पैसा वसूल करती है । जबकि प्रत्येक गाउ प्रजनन केन्द्र पर मात्र 25-30 हजार रुपए का व्यय किया जा रहा है । मूल संस्था बी0ए0आई0एफ0 स्वयं धोखाधड़ी में लिप्त है । मेरी मांग है कि इस पर रोक लगाई जाय । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इसमें पैसा इन्वाल्व है । .. ..

चूंकि इसमें धोखाधड़ी का मामला इन्वाल्व है, अतः काम रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

(श्री गोपीनाथ वर्मा के खड़े होने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें ।

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह स्थगन की परिधि में नहीं आता है । आपने सुनने का अवसर दे दिया है. इसलिये माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि प्रत्येक केन्द्र पर प्रति वर्ष 67 हजार रु0 का अनुदान दिया जाता है, इस समय 74 हजार रु0 प्रति वर्ष अनुदान देने का प्रस्ताव है । बी0 ए0 आई0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एफ0 द्वारा इस धनराशि से गौ पालकों को गामों में संकर प्रजनन विधि द्वारा उन्नत नस्ल के बछियों/बछड़ों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये योजना चलायी जा रही है । इसके अंतर्गत फैजाबाद, देवरिया, बस्ती, गोंडा, जालौन, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गोरखपुर और बांदा जनपद आते हैं ।

किसी प्रकार के घोटाले की सूचना नहीं है । माननीय सदस्य यदि निश्चित सूचना देंगे तो अलग से जांच करा लेंगे ।

(श्री गोपीनाथ वर्मा एवं विरोध पक्ष के अनेक मा0 सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बिना अनुमति खड़े हो जाते हैं । कृपया बैठें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, काश्मीर की स्थिति को लेकर पदयात्रियों पर आगरे में लाठी चार्ज के बारे में मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव है । कश्मीर के प्रश्न पर आज सारा देश चिन्तित है, सभी दल व सरकार एक मत है इसी प्रश्न पर जनजागरण हेतु भारतीय जनता युवा मोर्चे के 30 पदयात्रियों का एक दल इन्दौर से दिल्ली के लिये, चला यह दल 21 मई को चला और 23 जून को दिल्ली पहुंचेगा । 100 कि0 मी0 की यात्रा उनको 34 दिन में पूरी करनी थी । 15 जून को इन्हें आगरा पहुंचना था । यह आगरा पहुंचे इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने उनके कार्य क्रम के विषय में प्रशासन को लिखकर दिया था, शहर में दफा 144 भी लागू नहीं थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जाइए ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई मा0 सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं । कुछ लिखा नहीं जायगा । आपके दल के कई माननीय सदस्य खड़े हैं । आप एक साथ बोल रहे हैं । मैंने सुनने के लिये स्वीकार भी नहीं किया है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

सारी सूचना दिये जाने के बावजूद भी ऐन समय पर 15 जून को पर जिला प्रशासन ने मार्ग बदल दिया । जिला प्रशासन का पत्र मिला कि आपका मार्ग बदल दिया गया है । पूछने पर कारण बताया कि ऐसा इसलिये किया गया है क्योंकि इससे शान्ति भंग और दंगे की आशंका है प्रदर्शनकारियों के बार बार यह कहने पर भी कि यह शान्तिपर्ण जलूस है, इसमें दंगे या शान्ति भंग की कोई आशंका नहीं है, उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया । यह ध्यान आकृष्ट किये जाने का विषय नहीं है । इस पर या तो चर्चा हो या शासन का इस पर वक्तव्य आये । जो लोग देश को बचाना चाहते हैं और देश की अखण्डता व एकता के लिये लड़ रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज किया जाना बहुत गम्भीर व शर्म की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सबने नियम बना रखे हैं, अध्यक्ष पीठ से निर्देश है । इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

ध्यानाकर्षण के बजाय वक्तव्य के लिये स्वीकृत कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप बैठें ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

कोई बात नहीं सुनी जायगी । गम्भीरता को देखते हुए मैंने माननीय विकल जी को सुन लिया है । अब आप लोग बैठें ।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि इसे आप वक्तव्य के लिये आदेशित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस समय निर्णय दे रहा हूं । पहली सूचना जो माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की है जम्मू काश्मीर में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त कर रहे उत्तर प्रदेश के लगभग 100 छात्रों की वर्तमान शिक्षा ढेकार हो जाने की स्थिति के बारे में, इसमें शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

दूसरी सूचना माननीय कुंवर सिंह नेगी जी की है पर्वतीय क्षेत्र में पेट्रोल व डीजल की भारी कमी के बारे में, इस पर भी मैं शासन का आकर्षित करता हूं ।

तीसरी सूचना माननीय विमल प्रसाद तिवारी जी की है विधायक श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप पर सिपाही द्वारा अभद्र व्यवहार के संबंध में, इसे मैं शासन को वक्तव्य के लिये निर्देशित करता हूं ।

चौथी सूचना मा0 डा0 दिनेश जौहरी, मा0 श्याम बिहारी सिंह, मा0 राम सेवक व मा0 शिव बहादुर सक्सेना जी की है पेपर मिल के संबंध में जिस पर अभी मा0 श्रम मंत्री जी ने उत्तर दिया और आश्वासन दिया है कि दोनों पक्षों को बैठा कर समझौता करा देंगी । इस पर उनका आश्वासन हो गया है ।

पांचवीं सूचना मा0 मुईद अहमद की है इस पर मैं शासन को वक्तव्य देने के लिये निर्देशित करता हूं । शेष तीन सूचनायें जो कि सर्वश्री रवीन्द्र शुक्ला, देवेन्द्र सिंह, नकली सिंह की हैं, इस पर भी शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं और आगरा के संबंध में अभी जो मा0 सत्य प्रकाश विकल जी ने सूचना दी है इस पर मैं शासन को वक्तव्य देने के लिये निर्देशित करता हूं ।

(श्री रवीन्द्र शुक्ला तथा श्री नकली सिंह द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें । अब मैं बजट पर समान्य चर्चा आरम्भ करता हूं ।

(व्यवधान)

एक मिनट मेरी बात सुन लें आप सभी लोग । कृपया आप पहले मुझे सुन तो लें । जब हम खड़े हैं तो आप को बैठ जाना चाहिए । देखिए आप सभी सम्मानित साथियों को विदित है कि बजट पर समान्य चर्चा होने जा रही है । जिन सम्मानित सदस्यों ने सूचना द्वारा मामला उठाया है मा0 नकली सिंह जी तथा सम्मानित भा0 ज0 पा0, रवीन्द्र शुक्ला जी, आप लोग बोलना चाह रहे हैं बजट पर चर्चा में आप लोगों को प्राथमिकता के आधार पर मैं आपको अवसर दे दूंगा, उस पर आप अपनी बात को कह लीजियेगा ।

(घोर व्यवधान)

माननीय नकली सिंह जी तथा माननीय रवीन्द्र शुक्ला जी, आप दोनों से मेरा अनुरोध है कि मैं बजट की सामान्य चर्चा में सर्वप्रथम आप लोगों को ही अवसर दे दूंगा । आप सामान्य चर्चा में बोल लीजिएगा । अब चर्चा शुरू हो रही है । माननीय उप नेता विरोधी दल ।

(व्यवधान)

(श्री नकली सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये और माननीय उपाध्यक्ष से बोलने का समय मांगते रहे तत्पश्चात श्री विमल प्रसाद तिवारी के प्रयास से वापस चले गये)

माननीय नेता भा0 ज0 पा0 विकल जी, आप की तो बात अभी सुन चुका हूं । आप कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

*श्री नकली सिंह–

मान्यवर, विगत 14 जून से भूतपूर्व मंत्री श्री हुकुम सिंह तथा उनके साथ के दो भूतपूर्व विधायक एवं 12 किसान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं । उनकी हालत गम्भीर है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी प्रमुख मांगे हैं कि कैराना पानीपत मार्ग पर जमुना नदी पर बने पुल की लागत से ज्यादा वसूल हो गया है । इस कारण उस पर जो टैक्स लिया जाता है, उसको समाप्त किया जाये । सरकार की उदासीनता के कारण पूरे क्षेत्र में गम्भीर तनाव एवं असंतोष व्याप्त हो गया है और स्थिति विस्फोटक हो गयी है । उस पुल से एक करोड़ 26 लाख रुपया वसूल किया जा चुका है । कोई भी सूदखोर मूल से ज्यादा ब्याज लेता है, तो उसे बुरा कहा जाता है, लेकिन सरकार ढाई गुना ब्याज लेने के बाद भी टोल टैक्स को माफ नहीं कर रही है । ऐसी स्थिति में आप सारे कार्य रोक कर इस पर चर्चा करा दें ।

*श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री परागी लाल के परिवार का जीवन खतरे में है । मान्यवर, 8 जून, 1990 को उनका परिवार कहीं जा रहा था । एक गांव में पानी पीना चाहा । कुएं पर बाल्टी रखी हुई थी । उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बाल्टी से पानी पीने पर वहां के जो ठाकुर लोग थे, उन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया । माननीय विधायक जब सदन में उपस्थित होने के लिये आ रहे थे, तो उनको स्टेशन पर घेरा गया ।

मान्यवर, वहां पर कोई कान्ड होने का डर है । हरिजनों का उत्पीड़न हो ररा है, हरिजन विधायकों पर अत्याचार हो रहा है । निश्चय ही यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव है और सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए । यह एक माननीय सदस्य के सम्मान का प्रश्न है । उसके परिवारजनों के जीवन का प्रश्न है, उनकी सुरक्षा का प्रश्न है । मान्यवर, थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट लिखने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की है ।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चत कर दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपने जो निर्देश दिया है, उसका पालन किया जायेगा और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी । आज ही वहां के पुलिस कप्तान को आदेश दे देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नकली सिंह जी ने पुल के टैक्स की वसूली के संबंध में जो बात कही है और उसके संबंध में जो 12 विधायक भूख हड़ताल पर बैठे जिसमें माननीय हकम सिंह भतपूर्व मंत्री भी है । उसमें उन्होंने कहा है कि टैक्स की वसली लवभग 1 करोड़ की हो चुकी है । तो इसको भी आप दिखवा लें और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री उपाध्यक्ष–

अब सामान्य चर्चा पर हम चलते हैं । मैं समय के निर्धारण के संबंध में कहना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल की अनपस्थिति में उप नेता विरोधी दल के लिये कोई समय नियत नहीं होगा । शेष सम्मानित मंत्रियों और दलों के नेताओं के लिये 25-25 मिनट और अन्य माननीय सदस्यों को 10-10 मिनट का समय निर्धारित करता हूं । माननीय उप नेता विरोधी दल बोलें ।

श्री अरुण कमार सिंह मुन्ना–

मान्यवर, बजट भाषण पर चर्चा शरू करने के पहले माननीय मख्य मंत्री जी जो कि मंत्री भी हैं, ने अपना पहला बजट भाषण प्रस्तत किया है । इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं । बजट का मल्यांकन करने के पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पस्तिका में जो बजट भाषण माननीय मख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने दिया है उसमें एक बात शुरुवात में कही है कि यदि देश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को बचाना है तो नेहरूवादी नीति के स्थान पर गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा । मेरा निवेदन है कि माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से है कि या तो आपने नेहरू को ठीक से पढ़ने का प्रयास नहीं किया है या नेहरू को जानने के बाद भी आपने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है । मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं गांधी जी की दृष्टि में नेहरू क्या थे । गांधी ने नेहरू को कैसे देखा था, अगर आप इसका मूल्यांकन करें तो अपने आप स्थिति साफ हो जाती है । गांधी जी ने यह कहा था कि मेरे मरने के बाद जवाहरलाल नेहरू इस देश में मेरी भाषा बोलेंगे । यह गांधी जी के शब्द थे । नेहरू जी के बारे में कि इसका मूल्यांकन करने के लिये मुझे थोड़ा समय अवश्य देंगे । जो मुख्य मंत्री जी ने उद्घोषित किया है उस पर मेरी आपत्ति है ।

नेहरू इस देश की आधारशिला थे । नेहरू आज के इस भारत के प्रवर्तक और निर्माता रहे हैं । अगर आज आप देखें तो नेहरू की कल्पना को साकार करने का प्रारूप देखें । आजादी के बाद नेहरू के साथ गांधी जी को भी देखते तो वह भी नेहरू वाली भाषा में ही रहते । गांधी जी और उनका गांधी दर्शन स्वाधीनता आन्दोलन का दर्शन था ।

आजादी के संघर्ष का दर्शन था और उसके बाद भारत का दर्शन नेहरू ने तैयार किया है आज जो बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण किया वह इस देश के स्तंभ हैं और उस पर इस देश की नीव खड़ी है, चाहे वह भिलाई का कारखाना हो या (भाखरा डैम) बड़े बड़े डैम रहे हों । यह सारी चीजें जो खड़ी की गयी हैं वह भारत को दुनियां के अंतराल में लाने के लिये नेहरू जी ने की हैं यह उन्हीं की देन है कि आज भारत दुनियां की दौड़ में अपना स्थान रखता है उसको और आगे बढ़ाना है यह उन्हीं की ही कल्पना थी । यह बात किसी को गैर मुमकिन लग सकती है । जो उद्योग इस देश के आधार थे अगर उनको बल न दिया होता तो आजादी के बाद देश पीछे चला गया होता ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े बड़े मनीषियों बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया निश्चय ही वे श्रद्धा और सम्मान के पात्र रहे हैं उसमें किसी को एतराज नहीं है चाहे वह गांधी जी का नाम लिया हो या डा0 लोहिया, जय प्रकाश जी का नाम लिया हो या आचार्य नरेन्द्र देव जी का नाम लिया हो यह सब लोग श्रद्धेय रहे हैं, उनकी बड़ी कीर्ति रही है और देश के निर्माण में बड़ा योगदान रहा है इन सब का नाम गांधी जी के नाम में निहित है और गांधी जी का विश्वास नेहरू में था । आप यह मानेंगे चाहे वह डा0 लोहिया हो, चाहे आचार्य नरेन्द्र देव हो इन सब की आस्था गांधी जी में थी और गांधी जी ने अपना स्नेह नेहरू में व्यक्त किया था । इतिहास एक सत्य है उसे स्वीकार करना पड़ता है चाहे इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों सत्य से परे होकर किसी बहस की गुंजायश नहीं होती । इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह देख कर मुझे दुख होता है कि नेहरू जी पर इतना बड़ा आक्षेप किया गया है, यह एक घिनौनी बात है । उस समय दुनिया के अंराल में नेहरू जी ने भारत को दुनिया के विकसित देशों के बीच में रखने का संकल्प किया था यह आज उन्हीं की प्रतिभा और क्षमता थी कि भारत अपने पांव पर खड़ा है ।

आप खजाना खाली करने की बात करते हैं, खजाना खाली था तो क्या कर लगा कर गाड़ी चल रही है । हम आज भी कह सकते हैं कि इतिहास नेहरू जी को महान् मानता रहेगा चाहे आप उधर बैठे या इधर बैठें । लोग उनको महान् मानेंगे आप चाहे माने या न माने यह आपकी राय हो सकती है ।

दूसरी चीज जो मैं निवेदन करना चाहूंगा निश्चय ही आर्थिक स्तर पर जो विचार माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यक्त किये हैं वह सब के लिये चिन्ताजनक हैं, हम सब के लिये वह विचारणीय हैं लेकिन जो तुलना दी है महाराष्ट्र की तमिलनाडु की, हरियाणा की तो वहां पर भी कांग्रेस का शासन रहा है और उसमें कांग्रेस की नीतियों की उपलब्धियां रही है यह स्वीकार करना पड़ेगा । उसमें अगर कहीं कमी है तो उसे मानना होगा । लेकिन इसके पीछे जो मूल स्वरूप है उससे आगे बढ़ने का प्रयास हम सबको करना है । जो रीजनल इंबेलेंसेज हैं, जहां क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर विकास नहीं हुआ है उस पर बल देना होगा और उसके आधार पर उद्योग धंधे

बढ़ाने पड़ेंगे । एक बात आपको मालूम होगी राज्य योजना आयोग की बैठक में यह बात आई है कि आने वाले समय में आपकी आबादी 2 करोड़ और बढ़ने वाली है ।

एसी स्थिति में हमको अपनी उत्पादकता बढ़ानी होगी । मुख्य मंत्री जी ने जो विषय रखा है वह विचारणीय है । हम सदन में बैठकर प्रदेश के विकास का जो संकल्प ले रहे हैं तो बजट के माध्यम से आधारभूत स्वरूप के बारे में हमको सोचना होगा । मुख्य मंत्री जी ने भी विचार किया है और इसीलिए पिछले दिनों जो सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है उसके कुटुम्ब रजिस्टर तैयार करने की योजना चलाई । तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने उसकी शुरुआत करके मानीटरिंग भी किया था कि आखिर वह कौन सी मूलभूत भूलें हैं जिनसे उत्पादकता की बढ़ोत्तरी रुकी है और उस पर आप भी गंभीरता से विचार करेंगे तब जाकर औसत आय के बारे में आप सही मूल्यांकन करा सकते हैं ।

मान्यवर, दूसरा बिन्दु परिव्यय जो आपने रखा है उसके बारे में मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आठवीं योजना के प्रारूप में कहीं हमारा भी योगदान था कि नहीं । निश्चय ही प्रदेश के विकास के लिए जो ध्यान दिया है उसके पीछे, नेता विरोधी दल, जो इस सदन में मौजूद नहीं हैं, जिनके नाम के बारे में मुख्य मंत्री जी ने अपने आदर भरे शब्द उनकी श्रीमती के स्वास्थ्य की कामना भी किया है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है । वह योजनाओं के पुजारी रहे हैं और योजना जगत के, प्रदेश के नहीं बल्कि देश के भारी मर्मज्ञ रहे हैं, उन्होंने योजना बनाई और उसके लिए जो परिव्यय दिया है उसमें उनका योगदान रहा है । इस संबंध में उतनी धनराशि उपलब्ध कराना है जिससे प्रदेश का विकास सुनिश्चित हो सके, इस धनराशि को जिन मदों पर खर्च करना चाहते हैं उनका समयबद्ध अनुपालन करें, इन पैसों का सदुपयोग करें और मानीटरिंग करें कि कहां कितना और कब खर्च करने जा रहे हैं, इसके बारे में जो आपने नीति बनाई है उसके बारे में आप पहल करें तभी इस बजट का सही मूल्यांकन हो सकेगा ।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी का बजट गांव का बजट है, हम भी और मुख्य मंत्री जी भी गांव के आदमी हैं । मुझे एक किस्सा याद आया । गांव की कहावत है कि जब नई बधू आती है तब घर में पकवान नये-नये बनाये जाते हैं और बधू के हाथ से कलछुल डलवा दी जाती है और कहा जाता है कि बधू ने खाना पकवान बनाया है । तो वही हाल इस सरकार का है चूंकि नई-नई सरकार है ।

मान्यवर, आंकड़ों के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं श्री अशोक बाजपेयी, पिहानी, हरदोई के माननीय सदस्य जो इस समय उपस्थित नहीं हैं, पिछली सरकार के बारे में उन्होंने पूछा था, संसदीय कार्य मंत्री को भी ताजुब हुआ कि पिछली सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन दर्शाया नहीं गया बिना उसके आधार पर हम कितना आगे और कितना पीछे हैं आज कैसे पता चल पायेगा । इसलिए उन आंकड़ों को रखें । दूसरे आंकड़े जो प्रस्तुत किये हैं, जैसा बजट की प्रतिक्रिया के समय कहा था "फीगर आफ जगलरी, फीगर छिपाने का प्रयास किया गया था । इसलिए आंकड़ों का मूल्यांकन तभी होगा जब दोनों आंकड़े सामने और साफ-साफ होंगे । मान्यवर, हम यह नहीं कहते हैं कि हमने सारी चीजें पूरी कर ली हैं और इसीलिए योजनाओं का सृजन हो रहा है । योजनाएं तो निर्विवादित और अविरल गति से चलती रहती हैं । आपको बधाई देता हूं कि योजनाओं के (इस समय 12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए) तहत ही यह सरकार आयी है मुझे सन् 77 में भी इस सदन में रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था, यह उस समय हमारे सहकारिता मंत्री रहे हैं । उस समय आपने योजनाओं को लपेट कर ताक पर रख दिया था और रोलिंग प्लान बना दी । कांग्रेस पंचवर्षीय योजनायें चलाती है, आपने कहा हम नहीं चलाएंगे, कांग्रेस जवाहर रोजगार योजना चलाती है, आपने कह दिया कि हम उसे नहीं चलाएंगे । यदि हम योजनायें चलायें और आप उसे खत्म कर दें, बिना विचार किये केवल इसलिए खत्म कर लें कि हमने उन्हें चलाया है, तो फिर हम भी आपकी योजनाओं को खत्म कर दें तो प्रदेश के विकास का क्या होगा । इस

तरह से तो हम भी आप की योजनाओं को खत्म करेंगे, स्थगित करेंगे तो प्रदेश का क्या होगा ।

श्री ऊदल–

ये योजनाएं एक ही खानदान के नाम पर चलेंगी या हिन्दुस्तान के कुछ और भी महान लोगों के नाम पर यह चलेंगी ?

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्य और इस सदन के श्रेष्ठ विधायक ऊदल जी का आदर करता हूं । मान्यवर, नाम काम से चलता है, हमारे चलाने से नहीं चलता है और हम आज जवाहर लाल जी को दफनाना चाहें, तो भी नहीं दफना सकते हैं । आप नहीं मानते हैं तो न मानें । आप उनको गन्दा कह दीजिए, गालियां दे दीजिये, लेकिन उनकी महानता हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता के दिलों में कम होने वाली नहीं है । महानता कार्यों से होती है । देश में ही नहीं विदेशों में आज उनकी महानता और उनके कार्यों का मूल्यांकन हो रहा है । दुनिया भर में उनका मूल्यांकन मौजूद है ।

श्री विजय सिंह राणा–

नेहरू जी को तो आपने दफनाया ?

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

ऐसी बात नहीं है । मैं तो डा0 लोहिया का भी आदर करता हूं । जयप्रकाश जी का भी उतना ही आदर मन में सुनिश्चित करता हूं । मेरी आचार्य नरेन्द्र देव जी के बारे में भी यही राय है (व्यवधान) आपने डा0 लोहिया जी को ठीक से पढ़ा नहीं है । मुख्य मंत्री जी ने पढ़ा है, आप उनसे बात कर लीजिये । हमारे समाजवादी विचारधारा के पुराने साथी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पढ़ा है और उन्होंने प्रयास किया है, आप उनसे पूछिये कि डा0 लोहिया कौन है । यह प्रदेश की उपलब्धियों का बजट है । इसमें कोई विरोध नहीं है और इस तरह की आलोचनाओं प्रत्यालोचनाओं से तो इसको बल प्राप्त होता है, मुख्यमंत्री जी इसके पक्षधर हैं, किन्तु आपको बड़ी तकलीफ हो रही है । उन्होंने जब एक मंत्री जी की तरफ कहा कि वह सो रहे हैं, तो उन्होंने (मुख्य मंत्री) कहा यह आपका काम है उनका जगाना । तो इससे देखें कि उनमें कितनी सहिष्णुता है, और एक आप हैं उनके दल में कि उत्तेजित हो जाते हैं । मैं सभी का आदर करता हूं, किसी का विरोध नहीं करता हूं । यह सब बड़े लोग रहे हैं । इसलिए बड़े लोग रहे हैं कि इन्होंने इस प्रदेश की बड़ी बड़ी योजनाएं दी हैं अपने प्रयासों से प्रदेश का को विकास तब भी कमियां रह गयीं । उन्होंने अपने सत्कर्मों से प्रदेश को विकास की ओर ले जाने का प्रयास प्रदान किया है । चौधरी साहब रहे हैं, गोविन्द बल्लभ पन्त रहे हैं और गुप्ता जी भी रहे हैं । तब भी हम लोग पीछे रहे हैं । तो फिर हम विचार करें कि कैसे हम अपने विकास कार्य को करें, अपनी औसत आय को बढ़ायें और बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण लगायें, लेकिन इसमें उसका कोई कार्यक्रम नहीं है । औसत आपके कम होने के पीछे छोटी जोत का होना भी है ।

क्योंकि मान्यवर, आप सत्य से डरते हैं । सही बात कहने से डरते हैं । आपको धारा के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा । यह चीजें प्रदेश के विकास में अवरोध उत्पन्न करती हैं तो उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास करें, उसे रोकने का प्रयास करें । तीसरी चीज मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 21 सूत्रीय कार्यक्रम दर्शाया है । 20 सूत्री में से शब्द बदल सकते हैं । बजट बनाने में वित्त विभाग के कर्मठ और विशेषज्ञ अधिकारियों का हाथ है । लेकिन वह शब्द बदल सकते हैं, मुख्य बिन्दु तो वही रहेंगे । 20 सूत्र तो हमने बताये हैं । 21वां सूत्र क्या है ? मान्यवर, इसलिए मैं कह रहा था कि ऊदल जी नाराज हो गये ।

मैं निवेदन कर रहा था कि यह आनकी किताब है । (ब्ल्यू बुक) मान्यवर यह आपके नेशनल फ्रन्ट का मैनीफेस्टो है । आपके नेता जो इस समय प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने पं0 जवाहर लाल नेहरू के भाषा नीति से सहमत है स्वीकारा है कि यदि आप कहते हैं उनकी नीतियों पर चलेंगे तो देश

गर्त में चला जायेगा । यह आपकी ब्ल्यू बुक है, जिसमें पन्नों का कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई पेज नम्बर नहीं होता है । ये नम्बर वाइज नहीं होती है । इसकी सामग्री को सरकार ने पूरा तौर पर तैयार किया, उसके बारे में दो तीन बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं । बेरोजगारी दूर करना, काम के अधिकार को मूलाधिकार से जोड़ने का प्रयास, मूल्य वृद्धि रोकने के बारे में, सत्ता के विकेन्द्रीकरण, उच्च स्थानों पर बैठे हुए लोगों के भ्रष्टाचार को दूर करना-यह सब ऐसे मुद्दे थे जिन पर आप चुनकर आये और इस सदन में विद्यमान हैं, शोभायमान हैं । मान्यवर, किसी भी मुद्दे को आपके बजट में देखने के बाद, मैं यह नहीं कह सकता कि इस प्रदेश में मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए आपने कुछ किया । मान्यवर, खाद के दाम कम हुए क्या, सीमेंट के दाम कम हुए क्या, लोहे के दाम कम हुए क्या, खाद्यानों के दाम कम हुए क्या । यह बढ़े हैं, जब से आप शासन में आये हैं । ईंटों के बारे में भी सोचते माननीय मुख्य मंत्री जी जब आप विरोधी दल के नेता थे, आपने कहा था ईंटों के दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है । अब क्या हो इसलिए मैं कहता हूं कि मूल्य वृद्धि हुई है और इसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकारा है । यहां बैठक में विधायकों ने चिन्ता व्यक्त की है कि मूल्यों में वृद्धि हुई है जिसको आपने स्वीकार किया है और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को दोषी बताया और इनके प्रधान मंत्री जी मुख्य मंत्री को दोषी बताते हैं । उन्होंने कहा था, वह एक बैंक के उद्घाटन में आये थे । उस दिन के अखबार की सूचना के आधार पर यह बताना चाहूंगा कि यहां प्रधानमंत्री जी आये थे, उद्घाटन के समय उन्होंने एक बात कही थी । इसमें आपने कहा था कि प्रधान मंत्री 28 अप्रैल को स्माल इन्डस्ट्री डेवलपमेंट आफ इण्डिया के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन करने आए तो उन्होंने कहा कि मूल्य वृद्धि हुई है इससे जनता का गुस्सा बढ़ा है । सीमेंट, लोहा, चीनी, खाद, खाद्यान्न के दाम बढ़े हैं ।

मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि दाम कम किए जाने के लिए उपाय करें । मान्यवर, आपके दाम कम करने के कौन से उपाय हैं यह बजट में दर्शाया नहीं है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बजट में करों का कोई प्राविधान नहीं किया है । सेल्स टैक्स का प्राविधान किया है और जो सेल्स कन्ज्यूमर अगर आपको 15 परसेन्ट देते हैं तो वह 45 परसेन्ट हमसे बाजार में ले लेगा यह चिन्ता टैक्स लगेगा मैं इसलिए कह रहा हूं उसके बारे में आप सोचिए उसका बोझ किस पर पड़ेगा ? का विषय है । इसको कैसे रोकेंगे इसको आपने नहीं दर्शाया है । इन सब चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा मैं इसलिए मान्यवर और तरफ न जाकर आपके विचारों से आपको अवगत कराना चाहूंगा, आपने 5 दिसम्बर, 1989 को मुख्य मंत्री पद की शपथ ली थी आपने पेंशन के बारे में कहा कि पेंशन बढ़ाई है आपने पेंशन बढ़ाई है तो इसके लिए बधाई । लेकिन मान्यवर, आप इसको संज्ञान करें 65 वर्ष से 60 वर्ष आयु आपने कर दी लेकिन इसके लिए जो चुनाव के समय घोषणा हुई थी कि पेंशन से पूरा प्रदेश लाभान्वित होगा ऐसा लगता था सम्पूर्ण प्रदेश के इन्सान इससे लाभान्वित होंगे । आपने सामूहिक तौर से पेंशन देने की घोषणा की थी । आज जो बजट लाया गया है उसमें तमाम चीजों को देखते हुए जो घोषणायें हुई हैं उसका मूल्यांकन नहीं किया गया है । जनवरी से लागू करने के लिए कहा गया था । 1 जनवरी से अगर पेंशन की योजना लागू हो गयी है तो कितने लोग लाभान्वित हो गए ? इसी तरह से मान्यवर, अलग-अलग तारीखों में घोषणायें जनवरी, अप्रैल और जून आदि में 10 हजार ऋण की माफी के लिए घोषणा की गयी है । प्रदेश के किसानों के साथ निर्बल वर्ग के किसानों के साथ अल्पसंख्यक दस्तकार, बुनकर और छोटी जोत के किसानों के साथ मखौल किया गया है 10 हजार ऋण की माफी की बात इस तरह से कह कर आपने गलत प्रवृत्ति को प्रदेश के अन्दर बढ़ावा दिया है इसके लिए (ऋणमाफी) आठ मन्त्रियों ने प्रधान मंत्री जी से बात की थी कि इस पर आपकी क्या दिशा है । इसका क्या आधार है । तो जिस तरह से आपने एलान किया इस तरह से सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से घोषणायें करना आपको शोभा नहीं देता । आपके बजट भाषण में कुछ नहीं है, कि 10 हजार ऋण की माफी के लिए आपने क्या किया है । प्रदेश का जन-जीवन चिन्तित है । दूसरी बात यह है कि आपने 10 हजार ऋण की माफी की जो घोषणा की यह 10 हजार ही क्यों थी, इसकी संख्या 9-10 या 11 भी हो सकती थी । किसी भी सही आदमी की सही उपलब्धता नहीं हो पायी है । नेशनल फ्रन्ट के चुनाव घोषणा पत्र में आपने कहा है, इस तरह से आपने प्रलोभन दिया है

आपने वोट की तस्करी की है आपने वोट खरीदा है यह आपके विश्वास का वोट नहीं है यह प्रलोभन का वोट है । आपने वोट के लिए प्रलोभन दिए चुनाव आयोग ने जिस पर आपत्ति रखी है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने तोहफे के तौर पर हमारे कुछ साथी जो बैठे हैं, पत्रकार बंधुओं के लिए घोषणा की थी । जो वयोवृद्ध हैं उनके लिए 5 हजार और जो 60 वर्षों से ऊपर हैं उनको चाहे वह पत्रकार हों, चाहे रचनाकार हों, चाहे लेखक हों 250 रुपए प्रति माह मासिक पेंशन देने की बात की थी । इस घोषणा को 6 माह बीत चुके हैं, हमको कहीं दिखता नहीं हैं । पहली जनवरी, 90 को घोषणा की थी, 6 महीने में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं इसका भी हमें पता नहीं है, मैं पत्रकार बंधुओं से पूंछ लूंगा लेकिन इसको भी हमें आप बताएं जब आप अपना उत्तर भाषण देंगे ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत सी घोषणायें की हैं जिनके बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन जो बजट से संबंधित घोषणायें हैं उनके बारे में जरूर उनको माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा । उन्होंने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अतिरिक्त वित्तीय संशाधन जुटाने के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी जिसको 2 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । यह घोषणा 6 दिसंबर, को इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ी थी । बजट में 147 करोड़ 4 लाख का घाटा है, नये कर आपने लगाये नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में उस समिति के क्या सुझाव हैं, उसका कहीं बजट भाषण में जिक्र नहीं है । किस आधार पर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, घाटे को कैसे पूरा करेंगे । एक घोषणा आपने की है मितव्ययिता की । आपने अपने ऊपर जो खर्चे हैं उसको कम करने का प्रयास किया है और अपने पर 25 लाख रुपये की कटौती की है । चलिये साहब आपने 25 लाख की कटौती की, पेट्रोल कंजम्पशन कम करने का प्रयास किया है लेकिन मंत्री लोग आप गरुड़ की सवारी पर पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं । हेलीकाप्टर पर लोग ऐशो आराम कर रहे हैं, चाहे हेलीकाप्टर रहे या टूट जाय उसका कोई महत्व नहीं है । कोई भी हेलीकाप्टर धरती नहीं पकड़ पा रहा है आसमान देख रहा है ।

लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह से कितनी मितव्ययिता की जा रही है । पहले एक फाइल और छोटे से पेन से काम चल जाता था आज संसद सदस्यों की बैठक में वी0 आई0 पी0 ब्रीफ केस बांटे जा रहे हैं । एक तरफ आप वी0आई0पी0 ब्रीफ केस दे रहे हैं दूसरी तरफ मितव्ययिता का उदाहरण दे रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी जब विरोध में थे तो उन्होंने जिक्र किया था ।

इस समय जो प्रधान मंत्री हैं और उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनके भवन के बारे में आपने दर्शाया था कि कितना खर्च हुआ है । माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के भवन की साज सज्जा पर हुए खर्च के बारे में आपने कहा था, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जरूर कहूंगा कि आपके जो मंत्री लोग हैं उनके भवन की साज सज्जा में ऐशोआराम में कितना खर्च हो रहा है यह आप पता लगायें । किसी समय आपने मितव्ययिता के नाम पर 1985 में एक कठाराघात किया था जो इस प्रदेश के विकास के नाम पर बड़ा घिनौना सा था । क्षमा करेंगे, आपने मितव्ययिता के नाम पर टेलीविजन सेट्स का विरोध किया था । सन् 85 के बजट भाषण में आपको यह मिल जायेगा, आपने टेलीविजन के बारे में कहा था । टेलीविजन आज टेक्नालोजी के युग में, वैज्ञानिक धरातल पर, प्रदेश के विकास का अंग बन चुका है । कृषि के सारे उपकरण जो हैं, कृषि संबंधी जो गोष्ठियां होती थीं, उससे कृषि का विकास होता था । मान्यवर, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रयास किया था कि टेलीविजन के माध्यम से हम अपने भारत के स्वरूप को देखें । उन्होंने बड़ी तेजी से टेलीविजन का विस्तार किया था ।

गाजियाबाद में जो रंगीन टी0 वी0 का कारखाना खुला था, उसका भी आपने विरोध किया था, जो प्रदेश के विकास के नाम पर जरूरी था । मान्यवर, मितव्ययता की बात आयी, हमारे एक विधायक जो लोहिया जी के अनुयायी हैं, उन्होंने अपनी बात कही थी । 1962 में लोहिया जी ने तत्कालीन प्रधान मंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरु जी पर एक आक्षेप किया था या एक बात कही थी । मेम्बर के खर्चे पर उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया था । मान्यवर, खर्चे उस समय ज्यादा

हो रहे थे, उसके बारे में कहा था । आज जितने खर्चे हो रहे हैं, और आपके ऊपर जितना खर्चा हो रहा है उसके कितने पक्षधर हैं ? आपने एक अरब रुपये की बचत की बात कही थी, लेकिन जिस गति से आप उड़ रहे हैं, हमारे ख्याल से वह खर्च कम नहीं हो पायेगा । आपने एक बड़ी बात कही थी, निगमों के बारे में आपकी राय थी कि जो 10 करोड़ के निगम घाटा देने वाले हैं, उनको बन्द कर दिया जायगा और एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जायेगी, जो निगमों के घाटे के बारे में समीक्षा करेगी ।

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से उत्तर भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन निगमों की रिपोर्ट क्या है ? कहीं पर भी उल्लेख नहीं है । ये जो निगम बने थे, उनके पीछे एक पृष्ठ-भूमि थी, वह अन्यान्य कारणों से घाटे में गये, वह फायदा नहीं कर पाये । आपने घोषणा की कि इनको बन्द कर दिया जाय, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि कैसे इनको गति प्रदान की जायगी । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जो 5 करोड़ से बड़े निगम हैं उनके खर्चे का मुल्यांकन सदन में होना चाहिए । सदन का समय बढ़ाइये । निगम से जुड़े हुए जो एम0 डी0 हैं उनकी समीक्षा कीजिए । ऐसे निगमों के जो एम0डी0 या जो अधिकारी दो-दो पदों पर रह रहे हैं, दोनों पदों पर रह रहे हैं तो मेरा यह सुझाव भी है कि गाड़ी को उपयोग करने वाला एक आदमी है, वह सचिव भी है, किसी बोर्ड का अध्यक्ष भी है और किसी का चेयरमैन भी है, किसी का एम0डी0 भी है । अगर ऐसी जगहों पर है तो गाड़ियों में कटौती कर दीजिए इससे गाड़ी ड्राइवर बचेंगे, उनकी तनख्वाहें बचेंगी तो यह व्यवस्था हो और गाड़ी की मदों में खर्च डालें तो जब कभी गाड़ी खराब हो तो जिसके चेयरमैन हैं उससे बनवा लें, जिसके एम0 डी0 हैं उससे बनवा लें । लेकिन एक ही व्यक्ति के पास 4-4 गाड़ियां हों यह सब खर्च को बढ़ाता है । मेरा यह छोटा सा सुझाव है इसलिए मैंने कहा । इसके बारे में मूल्यांकन करें तो ठीक है लेकिन निगमों को आपने बन्द किया है और जो बन्द हुए हैं उनके ऊपर आपने बहुत बड़ी घोषणा की थी, क्योंकि यह घोषणाओं का बज़ट पर प्रतिक्रिया तो मैं बाद में करूंगा पहले आपकी घोषणाओं को बता दूं ।

मान्यवर, श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के 88 वें जन्म दिवस पर रवीन्द्रालय में 23 दिसम्बर, 89 को राष्ट्रीय मोर्चा की जो बैठक हुई थी, उसमें आपने कहा था कि हम 60 प्रतिशत बजट गांवों पर खर्च करेंगे, यह आपने वहां व्यक्त किया था और बाद में वह घटकर 50 प्रतिशत हो गया । तो आपने कहा था, आश्वस्त किया था कि मैं आने वाले दिनों में बजट का 70 प्रतिशत गांवों पर खर्च करूंगा । जब बजट देखा, तो यह किसानों का बजट है, चलो गांव की ओर 51 प्रतिशत । मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपने 51 प्रतिशत की बात कही है और आपने बड़ी दुन्दुभी बजाई है कि यह किसानों का बजट है ।

मान्यवर, हमारे नेता ने भी बजट रखा था, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 60 प्रतिशत बजट गांव एवं किसानों पर रखा था, 1770 करोड़ का बजट रखा था किसानों के विकास, गांवों के विकास की भावना थी । मान्यवर, किसानों का विकास गांवों का विकास तभी होगा जब खाद सस्ती करेंगे, जो आपने महंगी कर रखी है 51 प्रतिशत बजट से यह नहीं किया जा सकता है, खाद महंगी है । बिजली ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करायें, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करायें, जब बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे तब यह किसानों का बजट होगा, तब यह गांवों के विकास का बजट होगा । आज 70 प्रतिशत तो आया नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भूल यह हो सकती है क्योंकि उस दिन एक मामला आया था मुख्य मंत्री जी अपनी जन्मतिथि भूल गये थे । आंकड़ों के पक्षधर हम नहीं हैं । आंकड़ों के बारे में हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास बहुत आंकड़े हैं, वह हमारे सहयोगी हैं वह एक पक्ष देख लेंगे और दूसरे पक्ष को हम और मुख्य मंत्री जी मिल बैठकर देख लिया करेंगे । यह बात 23 दिसम्बर, 89 को कही थी लेकिन बजट आपका दूसरे ढंग का दिखाई पड़ा । मान्यवर, 31 दिसम्बर, 89 को जो आपने प्रेस वक्तव्य में कहा था, उस समय भी आपने दूसरी बात कह दी थी, नेहरू जी पर आरोप लगा दिए थे. नेहरू पर विरोध प्रकट किया कि नेहरू जी इस देश को गर्त में ले जायेंगे और 7 जनवरी को तिलक हाल में और एक जनवरी को आप दूसरी भाषा बोलते हैं, 7 जनवरी को दूसरी भाषा बोलते हैं । 7 जनवरी

[illegible]

को मोहन सिंह की दो किताबों का विमोचन किया था, तमाम मंत्री आपके साथी थे । नेहरू जी के बारे में जब नेहरू शताब्दी के वर्ग में कांग्रेसियों को स्तुतिगान किया था कि हम नेहरू के सपनों को साकार करेंगे, इसलिए मैंने कहा, अन्तर्विरोध देख रहा हूं, विरोधाभास देख रहा हूं, कथनी और करनी की जो बात कही है उसमें फर्क देख रहा हूं । एक तरफ एक जनवरी को दूसरी बात कहते हैं और 7 जनवरी को ठीक उसके विपरीत कहते हैं । हम नेहरू के सपनों को साकार करेंगे । नेहरू का भारत बनाएंगे । लेकिन बजट में नेहरू की ऐसी की तैसी कर दी । आप धन्य हैं एक घोषणा और की थी प्रमुख सचिव उद्योग के माध्यम से आलू के बारे में, उस पर आधारित उद्योगों की परियोजना के बारे में रिपोर्ट 5 दिनों में मांगी थी । आदेश आपके जनवरी में हुए थे । आपके आदेशों को कितनी कड़ाई से पालन हो रहा है कि जनवरी में आदेश किया और रिपोर्ट क्या आयी, आलू के बारे में क्या हुआ, इसका जिक्र इस बजट में नहीं मिला । हम मानते हैं कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिये उत्पादकता विकास से जुड़े हुए उद्योगों के बारे में । अब उद्योग नीति के बारे में बात करूंगा । कृषि पर आधारित उद्योगों पर बल देना पड़ेगा, अगर गांव का विकास, लघु और कुटीर उद्योग का विकास करना चाहेंगे, उसके लिए चिंतित हैं तो ।

मान्यवर, कोआपरेटिव सेक्टर के लिये स्वावलम्बी बनाने की घोषणा की । मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी सहकारिता मंत्री रहे हैं, आज भी हैं, मुझे भी रहने का सौभाग्य मिला । उन्होंने और हमने दोनों ने सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाने का प्रयास किया । सिंगिल विन्डो सिस्टम को बनाया । आंकड़े बहुत हैं, उनके बारे में इसलिये नहीं कहना चाहता हूं कि पहले ही बहुत कुछ हो चुका है । जो भी आंकड़े आप लाए हैं, वे पिछले शासनकाल में हो चुके हैं। इतना जरूर कहूंगा, बल्कि आरोप लगाऊंगा कि जबसे आप शासन में आए हैं सहकारिता जगत के साथ अन्याय हुआ है । सहकारिता आन्दोलन उपेक्षित हो गया है । आपने 10 हजार की ऋण माफी की नीति की घोषणा स्पष्ट नहीं की है । इसलिये सहकारिता जगत का ढांचा चरमरा गया है । सहकारी बैंकों और समितियों में गरीब आदमी ऋण पाने की स्थिति में नहीं रह गया है । आपने बिचौलियों को फिर से लाने का प्रयास किया है । इसका काम कौन लोग करेंगे । इसलिए कह रहा हूं कि घोषणाओं के आधार पर जो देश और प्रदेश की सरकार आप चला रहे हैं, यह गलत है । अपने धन और साधनों को परखिये । अपनी आर्थिक सीमाओं को परखिए और तब देश और प्रदेश को चलाने का संकल्प कीजिये । आपने पुलिस के बारे में घोषणा की थी कि, मुझे शांति व्यवस्था और पुलिस के बारे में चेप्टर दिखा नहीं, आप उत्तर भाषण में बताएं कि फील्ड भत्ता और वर्दी भत्ता के नाम पर 150 रुपया देने की जो बात थी उसका उल्लेख बजट में नहीं मिला । आप कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन किया । बड़ा-बड़ा नाम है लेकिन कौन सा व्यवस्था परिवर्तन हुआ है । विधान सभा में, विधायिका में, नगरपालिका में, न्यायालय में कौन सा परिवर्तन आया है । स्थानीय निकाय में कौन सा परिवर्तन आया है । पुलिस क्या करे ? आई0 पी0 एस0 सर्विसेज हैं .. (व्यवधान) .. मैं इसलिये कह रहा हूं कि निश्चय ही अपने प्रदेश की पुलिस को सशक्त कीजिये । उसको मजबूत कीजिये, जो आपके डकैती, लूट खसोट, व्यभिचार, दंगे, राहजनी, बलात्कार, हरिजन उत्पीड़न हो रहे हैं उस पर नियंत्रण कीजिए, पुलिस को मजबूत कीजिये ।

(कांग्रेस दल की ओर मेजों की थपथपाहट)

पुलिस को कर्तव्य परायण बनाने के लिये उनकी ट्रेनिंग को मजबूत कीजिये । पुलिस का विश्वास जीतिये । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि एक बार मैंने जिसका ट्रांसफर कर दिया उसको बदला नहीं । लेकिन आप देखें वास्तविकता क्या है ? एक पुलिस कप्तान इटावा गया, उसको बदल दिया गया, इतनी जल्दी उस पर अविश्वास हो गया । उन पर विश्वास कीजिए । 1985 में आपने कहा था, एक एस0 ओ0 हरिजन था उस पर एस0 पी0 दबाव डाल रहा था उसने दबाव को अस्वीकार कर दिया उस समय कोई प्रभावी मंत्री रहा जिनका आपने उल्लेख किया था, कांग्रेस

नेता रहा, डी0 जी0 से कहकर तबादला करा दिया । आज प्रदेश के अन्दर राजनीतिक हस्तक्षेप से कितने तबादले हो रहे हैं । आप इसका बजट भाषण में, उत्तर भाषण में उत्तर दीजिए और स्वीकार कीजिये कि हो रहे हैं तबादले । आप इससे मुकर नहीं सकते इसे स्वीकार कर लें । आप पुलिस की ट्रेनिंग पर बल दीजिये पुलिस को प्रदेश के लिये समर्पण की भावना से तैयार कीजिये । पुलिस के अन्दर अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिये ।

अभी माननीय तिवारी जी ने जो फर्रुखाबाद के विधायक हैं माननीय श्याम सुन्दर और गाजियाबाद के साथी ने बात उठायी. माननीय अरुण कुमार मुन्नी जी ने बात उठायी, पुलिस के अनुशासनहीनता पर नियंत्रण कीजिये, उनकी अच्छी ट्रेनिंग करवायी जाय उनके कार्य का मूल्यांकन करायें। कहीं इस जाति का नहीं इसलिये ठीक नहीं, इस बिरादरी का है इसलिये चलेगा, मान्यवर इससे फोर्स डिमारलाइज हो जाती है । पुलिस और सेना इसको जब आप देखें इस चश्मे से हटकर देखें बिरादरी और जाति की बात नहीं आनी चाहिए, उनकी गुणवत्ता देखिए उनकी कार्य क्षमता देखिए उनकी निष्ठा देखिये । आपके आदेश हुए कि जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी जनता से सम्पर्क करें । आदेश पहले भी थे । हमारे जिले के एस0 पी0 को ले लीजिये, उनका ट्रांसफर आपने कर दिया, मैं आज भी आपसे नहीं कहता हूं यह शासन का दृष्टिकोण है आप मुख्यमंत्री हैं, वह आदमी हमारे यहां बढ़ती हुई गुण्डागर्दी पर नियंत्रण कर रहा था, उस पर नियंत्रण कर रहा था उसका बड़ रिकार्ड है आप उसकर देख लें । वह जनता से पूरी उपलब्धता से मिल रहा था लेकिन नहीं, उनका भी ट्रांसफर हो गया । ठीक है यह आपका काम है । मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन तभी चस्त दुरुस्त होगा जब पुलिस को उस नजर से देखा जाय । (कांग्रेस दल की ओर से मेजों की थपथपाहट) यह हमारे सिपाही रक्षा प्रतिनिधि हैं; इनका मनोबल न गिरायें यह मेरा निवेदन है । मैं इसमें कोई बहस नहीं करना चाहता हूं इनके मनोबल को कम न कीजिये ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय उपनेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या पुलिस मनोबल माननीय विमल प्रसाद तिवारी से पूछकर बढ़ाने को बात कह रहे हैं, जैसा कि वह कह रहे थे पुलिस मनोबल की स्थिति क्या वही रहेगी ?

श्री अकबाल हसन उर्फ अकबाल हसैन–

आप तो पुलिस विभाग के मंत्री रह चुके हैं ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मैं इसलिये कह रहा था कि सम्मानित माननीय सदस्य, इलाहाबाद पहले पुलिस मंत्री भी रहे हैं और अब माननीय मुख्य मंत्री जी के पास बैठे हैं, कल और मंत्री बनेगें, मैं भी उनकी सिफारिश करूंगा कि हमारे पुराने साथी हैं, उनको मुख्य मंत्री जी कोई न कोई जगह दें । तो मैं कह रहा था कि आप इसका मल्यांकन स्वयं करें । आपके डी0 आई0 जी0 और डी0 जी0 ने स्वयं राजनीतिक हस्तक्षेप को स्वीकारा है । मैं डिजिगनेशन और नाम को कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इसे अच्छा नहीं मानता । मैंने पहले भी कहा था कि राजनैतिक हस्तक्षेप से आप पुलिस को दूर रखिये, पुलिस के गरेबान पर लगाम रखिये, ताकि किसी के साथ अभद्र व्यवहार न हो । अभी हमीरपुर में एक हरिजन को थाने में इतना मारा गया कि वह मर गया, भले ही आपने थानेदार को सस्पेंड कर दिया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने थानों का संचालन कैसे कर रहे हैं, इसका आप मल्यांकन करें । मैं आपको हरिजन विरोधी तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आपकी सरकार के क्रियाकलापों से ऐसा लगता है कि वह हरिजन विरोधी है । हरिजन के साथ बलात्कार किया जाय, हरिजन को दिन-दहाड़े जला दिया जाय और आप कहें कि सुधार हो रहा है ।

अभी तक तो मैं मुख्य मंत्री जी की मोटी-मोटी घोषणाओं की बात कर रहा था, उसे मैं बाद में कहूंगा । अभी 12 मई, 90 को मुख्य मंत्री जी ने एक विचार व्यक्त किया था, जब वह दिवियापुर गये थे । एक परियोजना जिसका माननीय राजीव गांधी जी उदघाटन कर चुके थे, उसको मुख्य मंत्री जी ने फर्जी बताया और कहा कि इस परियोजना का शिलान्यास बिना [illegible]

स्वीकृति के हुआ है, ठीक है आप मुख्य मंत्री हैं, हम माने लेते हैं । लेकिन सच्चाई यह है कि इनके शपथ लेने से पहले ही जिला प्रशासन द्वारा 5 करोड़ रुपया भूमि अधिग्रहण के लिये दिया जा चुका था । यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बात को 24 मई को एक प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने स्वीकार किया है, अब हम किसकी बात मानें, या तो वह सही है, या आप सही हैं । पैसा पहले ही दिया जा चुका है, इस बात की जानकारी फाइनेंस विभाग से की जा सकती है, मैं चाहूंगा कि आप जब उत्तर देंगे, तो इसका भी उल्लेख करेंगे । जिलाधिकारी ने सब मिलाकर लगभग 25 करोड़ रुपए की प्राप्ति की बात कही थी, अब या तो आप गलत कह रहे हैं, या वह गलत कह रहे हैं । वैसे तो मुख्य मंत्री जी उद्घाटन में विश्वास करते हैं, लेकिन शिलान्यास में नहीं । परन्तु अगर शिलान्यास नहीं होगा, तो उद्घाटन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्य मंत्री जी ने वहां शिलान्यास को ही अधिक बल दिया और 22 जनवरी को जब पहली बार इटावा गये थे, तो 4 पुलों का, 300 शैया के अस्पताल का उद्घाटन किया । चूंकि शपथ लेने के बाद यह पहली बार इटावा गये थे, इसलिये यह वहां का तोहफा था । शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली 55 विद्यालयों को 27 लाख 85 हजार की धनराशि में से, मात्र इटावा में मुख्य मंत्री जी ने 27 विद्यालयों को 15 लाख, 50 हजार रुपये का अनुदान सुनिश्चित कराया, यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप कितने महान हैं । आपकी महानता पर मुझे याद आया, यह त्रिपाठी जी भी जानते होंगे, जब महावीर प्रसाद जी और जवाहर लाल जी साथ थे, फूलपुर उनका क्षेत्र था, तो महावीर प्रसाद जी ने कहा कि पंडित जी आप प्रधान मंत्री हैं, आपको नलकूप चाहिए, आप जितने चाहेंगे, उतने हो जायेंगे । पंडित जी ने कहा ऐसी बात न करो । अगर हम अपने क्षेत्र को देश के क्षेत्र से अलग दिखाने का प्रयास करेंगे तो देश हमें नहीं देखेगा । इसलिए मैंने कहा कि हम दें, जो पिछड़े इलाके हैं, उन्हें देना चाहिए ।

(सत्ता पक्ष की ओर से कुछ माननीय सदस्यों के खड़े हो जाने पर व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्री जी ने संघर्ष किया है । आज हमारे कुछ मित्र जो कल तक हमारे साथ थे आज उधर जाकर क्रान्तिकारी हो गये हैं । मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, इन सबको एक साथ लेकर कैसे चल रहे हैं । जौनपुर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सही बात कही, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । बजट में स्कूल खोलने की बात कही गयी । परन्तु पिछड़े अंचलों के लिए बजट में हमें कुछ दिखता नहीं है । 30 जून तक 14 हजार प्राइमरी स्कूलों के भवन बनने की बात कही गयी है । [illegible] कैसे बन पायेंगे । आज तक कितने भवन बन चुके हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब उत्तर दें तो इसका जिक्र भी वह अवश्य करें । 13 मार्च को उदयोग बन्धुओं से आपकी मीटिंग हुई । प्रदेश में औद्योगिक विकास की बात हुई । यह विकास कैसे होगा ? बिजली आप देंगे नहीं उद्योग बन्धुओं को । आपकी इस ऋण नीति से बैंक बहुत ही भयावह हैं, वह सब दस्तावेज पलट दे रहे हैं । आपने 12 परसेन्ट से 15 परसेन्ट कर दिया ।

पिछली सरकार ने ही यह इंगित कर दिया था कि हमें 15 परसेन्ट की ओर चलना चाहिए । हम 15.1 परसेन्ट को मानक तैयार करें । माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने पिछले बजट भाषण में इस ओर इशारा किया था । लेकिन आप उसके लिए क्या कर रहे हैं । कितने उद्योग बन्धु आपके साथ आये ? आपकी मीटिंग में क्या आश्वस्त किया गया था । आने वाले समय में कितने उद्योग लगाये जा रहे हैं । आपने जो यह उद्योग नीति वाली पुस्तक दी है, इसको पढ़ा और भी इसका कोई जिक्र नहीं है । इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है, जिससे ऐसा लगता हो कि आपने कोई नया कार्यक्रम लिया हो । आप नये उद्योगों को जमाने का प्रयास करें और उदयोग नीति के सम्यक स्वरूप को निश्चित करें । हमने इशारा किया था 3 लाख लघु कुटीर उदयोग की ओर । 8 ग्रोथ सेन्टरों के संबंध में पिछले शासन में ही बात चल रही थी और हमने पहले भी की थी । अब आपके पास जिम्मेदारी आयी है, उसे आप पूरा करें । उद्योग के अन्दर दूसरी सबसे बड़ी चीज है, पिछली सरकार

ने बड़ी ईमानदारी से उद्योग नीति तैयार की थी, उद्योगों के लिए एक नई रणनीति तैयार की थी. जैसे पूर्वान्चल पिछड़ा हुआ है उसके बारे में नीतियां तैयार की गयी थीं । आप ग्राम्य विकास के पक्षधर हैं, हम भी बहुत बड़े प्रहरी हैं । जो बड़े उद्योग और लघु उद्योग खोले जायं, वे किसानों से जुड़े होने चाहिए, छोटी-छोटी यूनिटें जो हैं, वे कृषि पर आधारित होनी चाहिए । हमारे यहां तो मूली होती है, उसका भी कुछ इलाज कराएं ।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

(हंसी)

विभिन्न क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग खोलेंगे तो उस क्षेत्र का विकास होगा । आपने कहा था कि 27.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, आपने रोजगार नीति के तहत घोषणा की थी लेकिन जो बजट दिया है उसमें 2.30 लाख का ही जिक्र आपने किया है । उद्योग नीति के बारे में कह रहा था, उससे जुड़ी हुई बेरोजगारी की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं जो चार स्तम्भ आपने बताये थे । उसमें है बेरोजगारी, आपने बेरोजगारी का भत्ता देने की बात कही थी, जब आप क्रान्तिरथ पर सवार हुए थे । बेरोजगारी भत्ते के विषय में क्या कुछ बजट में है ? आपकी ये घोषणाएं गलत हैं क्योंकि आपने इनके बारे में बजट भाषण में नहीं दर्शाया है । इन घोषणाओं से आपने गलत ढंग से प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है ।

एक सदस्य–

लगता है बजट भाषण आपने पढ़ा ही नहीं है ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

आप ही पढ़कर बता दीजियेगा ।

कृषि के विकास की बात कही है । मैं चाहूंगा कि कृषि के विकास के लिए कौन सी योजना आपने अख्तियार की है, आप बताएं । अच्छी उपजों की बात आपने कही है, तो कृषि का विकास, गांवों का विकास, ये सब आधारित हैं खाद पर, बिजली पर और सिंचाई पर । आप बताएं कि कौन सी योजना आपने नयी शुरू की है ? बिजली की कौन सी नयी योजना आपने शुरू की है ? जो पुरानी योजनाएं हैं, उनको समय से पूरा कराने का प्रयास करें । योजनाएं नियोजन सचिव के पास हैं, वित्त सचिव के पास हैं, उनको देखें और समय से पूरा कराने का प्रयास करें । यही आपसे निवेदन है । टिहरी डैम के बारे में, हमारे नेता इस समय नहीं हैं, उन्होंने बल दिया था कि इससे प्रदेश को देश को बिजली की उपलब्धता होगी, सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी, उसे जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास करें । पहले तो आप उसको रोक रहे थे, अब शायद कार्य रूप में परिणित करने जा रहे हैं । बताएं कि क्या स्थिति है ? सिंचाई के लिये बिजली दी जानी थी, उसमें कितनी गति आयी है ? तभी आप ग्राम्य विकास की बात कर सकते हैं ।

मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि गांवों के कार्यों के लिए प्रमाण-पत्र प्रधानों से लेंगे और खर्चे का हिसाब वही रखेंगे । जवाहर रोजगार योजना में तो पूरे दस्तावेज ही उनके हाथों में दे दिये गये थे । पंचायती राज का अधिकार आपने हमको दिया ही नहीं क्योंकि वह विधेयक गिर गया, पास नहीं हो सका, आप जीत गये । गांव का बजट जो आप लेकर आये हैं तो उसमें ग्राम पंचायतों के लिए कौन-कौन से अधिकार आप देने जा रहे हैं यह भी आप सुनिश्चित करें । आप गांव की बात करते हैं, मैं इसमें आपका पक्षधर हूं, इस विषय में मैं आपका विरोधी नहीं हूं और आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं लेकिन आप कौन-कौन सी चीजें गांव के लिए करने जा रहे हैं, इसको स्पष्ट करें ।

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी इस समय यहां पर नहीं हैं, उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में सड़कों के निर्माण के बारे में कहा था, उन्होंने सड़कों का जाल बिछाने का प्रयास किया था । जबकि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश की सड़कों का निर्माण हुआ है वह उत्तर प्रदेश

के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ इतनी ईमानदारी से और इतने कम खर्चे में । अब आपको जवाहर लाल से परहेज है तो करें लेकिन मेरा निवेदन है कि कम से कम योजना से परहेज न करें।

श्री विजय सिंह राणा–

जवाहर रोजगार योजना सड़कों के लिए थी ही नहीं ?

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मैं मान्यवर निवेदन कर रहा था कि इस योजना के तहत हमारे गांव को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया इसलिए गांव में सड़कें बनीं या नहीं इसको आप देखें । हो सकता है कि आपके यहां पर न बनी हो ।

श्री विजय सिंह राणा–

जवाहर रोजगार योजना क्या थी ? डी0 आर0 डी0 ए0, एन0 आर0 ई0 पी0 का जो पैसा था–वह पैसा आपने इस योजना में दे दिया था ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मान्यवर, मैं माननीय राणा साहेब का बहुत आदर करता हूं । मान्यवर, यह बात क्यों इस योजना के तहत आयी कि आये दिन शिकायत होती थी कि ब्लाक स्तर पर कार्य का संचालन सही ढंग से नहीं होता है तो हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री ने संकल्प लिया कि गांव के ही प्रतिनिधि को इसकी जिम्मेदारी दें इसलिए उसे डाईवर्ट किया गया था । हमने गांव की सड़कों का विकास किया है । पिछले शासन ने इंगित कर दिया कि सारे गांव को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का प्रयास करेंगे । अब इसको आप पूरा करें, हम इस बात के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस बात का कहीं जिक्र आपके बजट भाषण में नहीं किया गया है ।

मान्यवर, सिंचाई भी एक गम्भीर समस्या है । आप नलकूपों का मूल्यांकन करा कर जैसे कि बुन्देलखण्ड के जिले हैं जहां कि पानी की उपलब्धता दुर्लभ है....

एक सदस्य–

आप बुन्देलखण्ड के बारे में कितना जानते हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मान्यवर, आप ओछे नारों की वजह से उधर बैठ गये हैं नहीं तो आप ही प्रश्न पूछते और हम जवाब देते । आपके ओछे नारों की वजह आज हम इधर बैठे हैं । अगर आप बुन्देलखण्ड से संबंधित हैं तो मेरे सुझाव पर बल दीजिये । आप मुख्य मंत्री जी के सामने अगर अपनी समस्या को रखेंगे तो आप अपने जिले के लिए कुछ कर सकते हैं अन्यथा नहीं । आप ललितपुर, हमीरपुर, उरई और जालौन में सिंचाई की क्षमता को बढ़ाइये । जो योजना आप दे रहे हैं जो ट्यूबवेल आप बतला रहे हैं वह सब पुरानी योजना से संबंधित हैं, उसको आप दूर कीजिये । प्रदेश में पेय जल का संकट है । अखबार भरा पड़ा है कि लखनऊ में पेय जल का संकट है। श्याम सुन्दर जी कहते हैं कि मथुरा में पेय जल का संकट है, बुन्देलखण्ड में पेयजल का संकट है और सरकार [illegible] है ? पेयजल की समस्या है, लोगों की जानें गयी हैं । इसको आप गम्भीरता से लें और पेय जल की समस्या को दूर करने का प्रयास करें । इंडिया मार्क-2 वाले पाइप लगवाने का प्रयास करें ।

मान्यवर, आपने राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणा पत्र में किसानों की फसल बीमा योजना चलाने की बात कही थी । हमने भी अपने शासन काल में इस बात का प्रयास किया था, लेकिन आपकी ओर से इस बारे में कुछ दिखायी नहीं पड़ रहा है । इसलिए मैं कह रहा था कि आज जो स्थिति है, वह बड़ी भयावह है । आज सरकार कहती है कि दस्तकारों को काम देंगे । पिछड़ी जातियों के बारे में आपने कहा था, माइनारटीज के बारे में कहा था । आपने यह भी नारा दिया था, आपने कहा था कि 60 लाख बनकर लोगों को काम देंगे, लेकिन जब बजट देखा तो उसमें केवल 15 लाख लोगों को काम देने की बात कही गयी है । 21 मई को आपने कहा था, गन्ना संस्थान में कहा था कि बजट में 60 लाख बनकरों को सुविधा देने जा रहे हैं; अपनी वाह वाही में । आपकी कथनी और करनी में फर्क है ।

मान्यवर, आपने एक बात और कही है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करेंगे । हमने तो सत्ता का कोई विकेन्द्रीकरण नहीं देखा । सत्ता का विकेन्द्रीकरण तो दूर रहा, आप के तमाम सहयोगी सदस्य मंत्रि परिषद् में आने के लिए परेशान हैं । स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के लिये आप कहते थे कि इतने विभाग अपने पास रखे हैं । आपके ऊपर भी भार है और इस कारण आप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं । यह एक आदमी पर बोझ बना हुआ है आपके तमाम साथी मंत्रि परिषद् में आने के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं, उनका इस बजट से रिस्ता नहीं है, वह तो यह देख रहे हैं कि पकिया आम कब गिरे कि रोक लें ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण को आप सुनिश्चित करें, यह अच्छी बात है, लेकिन इसको आप नहीं करने जा रहे हैं । उस पर आप बल दें । जो स्वायत्त-शासी संस्थायें हैं, स्थानीय निकाय हैं, जिला परिषदें हैं, उन सभी को आप कमजोर कर रहे हैं । आपने अस्थिरता बनाने का प्रयास किया है । सेलेक्ट कमेटी में आप सब की राय लेने की बात कही गयी, चेयर मैन के बारे में । 2 वर्ष का समय रखा गया । आपने उसको घटाकर साल भर कर दिया । आपने विधेयक भी अपना लाकर रख दिया । दूसरे हाउस में उसे प्रवर समिति की बात कही गई लेकिन उसके बाद भी आप रीइंफोर्समेंट करना चाहते हैं । आप सत्ता में हैं, बहुमत में हैं, बहुमत आपके पक्ष में है । सत्ता के विकेन्द्रीकरण के नाम पर अस्थिरता को बढ़ावा दिया जा रहा है । आपने नामजदगी में भी बेइंसाफी की है । 5 साल के लिए कर दिया । जो आप कहें उसका कार्यकाल दूसरा और जो हम करें उसका कार्यकाल दूसरा । मान्यवर, मुझे याद आया इसी सिलसिले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बारे में एक सदस्य नामित हुए हैं । लेकिन वे पहले भी रहे हैं । अभी जो रहे हैं उनके समय में जो जमीन एलाट हुई है, जिनके पास जमीन है, मकान है उनको ही ट्रांसफर कर दिया । वह उसे बेचें या नहीं, इसका पता नहीं है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में आप सोचें ।

आपने कुछ दिन पहले डी0 जी0 सी0 के बारे में कहा कि खतम हो गये । आपका सारा ढांचा चरमरा गया । पहले आप तय कर लें कि आपको क्या करना है फिर आप उसकी घोषणा करें । मान्यवर, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपने सत्ता परिवर्तन का केवल ढोंग किया है । उस पर आप बल दीजिये । जो छोटी-छोटी इकाइयां हैं, ग्राम पंचायत हैं, राज्य का जो स्वरूप है, जो आपके हाथ में है, उस पर बल दीजिये । सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात कहते हैं । केवल ट्रांसफर कर देने से सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होता । उसके नाम पर कुछ नहीं किया गया बल्कि वह और कमजोर हुई है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप ट्रांसफर के बारे में, यह बड़ा ही विवादित विषय है, ऐसा कर रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी राय दी कि यह विभागीय स्वरूप है । आप निर्णय ले सकते हैं लेकिन उसकी कोई नीति होनी चाहिए ।

आज प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी बहुत दुखी हैं । मास-स्केल पर ट्रान्सफर किया जा रहा है । आपने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया है जिसका कोई आधार नहीं बनाया है । आपने माननीय कल्याण सिंह, नेता भाजपा के सवाल के जवाब में यह बात कही है । हमने तो प्रश्न नहीं किया था । आपके मंत्रि-मंडल के सहयोगी जो हैं किस आधार के तहत ट्रांसफर करते हैं । आपने कोई आधार बनाया है ? प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी प्रदेश के विकास में आपके सहयोगी बनें, आप उनको विश्वास में लें । आप डाक्टर लोहिया के पक्षधर रहे हैं, उनके पुजारी रहे हैं । मैंने भी डाक्टर लोहिया की एक किताब देखी थी ट्रांसफर के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं उसमें । उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर इस आधार पर किया जाय जिससे राज्य पर कम भार पड़े । ट्रान्सफर नीति इस तरह की होनी चाहिए । आप मेन अफसर को प्रोडक्टिव जगहों पर उनको रखिये । किन्तु मान्यवर, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आज ट्रांसफर में खुले आम धांधली हुई है। जो आप कहते थे, उसके ठीक विपरीत नंगा नाच यहां पर हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा है । यह बात आज अखबारों में छप रही है आपके सहयोगियों के बारे में । इस तरह से ट्रांसफर के मामलों में खुले आम लूट हुई है । आपने उनकी वर्किंग को नहीं देखा, उनके कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया... (व्यवधान)

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

कोई एकाध नाम आप बता दें ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

नाम भी बता सकता हूं । लेकिन बताना उचित नहीं समझता हूं नाम लेना । मान्यवर, हमारे साथी यहां पर नहीं हैं मैं नाम बता सकता हूं, आप चाहेंगे तो बता दूंगा । मैं नाम लेने का आदी नहीं हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं बीच में बोलना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे बाद में बोलने का मौका मिलेगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप कल तक परसों तक बता दें कि स्थानान्तरण में जितने पैसे लिये गये हैं, या रिश्वत ली गयी है वह बता दें ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

जिस दिन आप अपने दल की बैठक कर रहे थे उसी के बगल से रास्ता निकलता है सीढ़ी से मैं जा रहा था तो आपके दल के विधायक जोर-जोर से बोल रहे थे उनकी आवाज सुनाई पड़ रही थी मैं अपने कान नहीं बंद कर सकता था जो बात हमें सुनाई पड़ी, वह मैं कह रहा हूं । जल निगम के चेयरमैन के संबंध में क्या चीजें कही गयीं आपको मालूम होना चाहिए । अधिकारियों का स्थानान्तरण उनके कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया गया, लोगों को इस बात का क्षोभ है कि जाति के आधार पर, बिरादरी के आधार पर रिश्तेदारी के आधार पर और राजनीतिक दबाव के आधार पर स्थानान्तरण हुये हैं । आये दिन यह बात समाचारपत्रों में आ रही है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, उपनेता विरोधी दल ने जो कहा है ट्रांसफर और पोस्टिंग में जाति के आधार पर कार्य हुआ है एक जाति को बढ़ावा दिया गया है तो वह बता दें कि किस जाति को बढ़ावा दिया गया ।

श्री [illegible] प्रसाद तिवारी–

अगर इस [illegible] टीका-टिप्पणी की जायेगी तो हम भी जब आप उधर से बोलेंगे चुप रहेंगे । आपके मंत्री बोल नहीं पायेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

आप जो बात कह रहे हैं उसका प्रमाण दें । और बजट पर जो आप बोल रहे हैं उसको वित्त सचिव के पास भेज दें कि कितना बजट पर आप बोले हैं ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मैं माननीय मुख्य मंत्री को प्रदेश की भाषा का ज्ञान करा रहा हूं, जो लोग इस सरकार के बारे में कह रहे हैं उसको बता रहा हूं, गली कूंचों में जो बात हो रही है वह कह रहा हूं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं । जो ट्रांसफर से दुखी हैं वह जो कह रहे हैं वह बता रहा हूं ।

(व्यवधान)

महिला कल्याण के बारे में जो बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही उसके बारे में बताना चाहता हूं । आप माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी रथ यात्रा पर जब निकले थे क्रांति रथ पर तो आपके हृदय में महिलाओं के प्रति वेदना थी कि महिलाओं को कमजोर वर्ग में मानते हैं और इस बजट में महिला कल्याण के बारे में दर्शाया है लेकिन उनके अधिकारियों का इसमें संज्ञान नहीं कराया कि वह क्या करेंगी उसका ब्यौरा नहीं आया है । विधान परिषद् में महिला प्रतिनिधित्व की बात नहीं दिखाई दी है । महिला आबादी में भी ज्यादा हैं और कल जहां अधिकार की मांग कर सकती हैं वहां उन्हें उस सूची में मुख्य मंत्री जी ने उनको नहीं रखा । इसलिये नेक सलाह देना

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

चाहता हूं कि पिछले बजट में जो चीजें रही हैं उनके बारे में आप बताया है वह चाहे पेंशन की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे कार्य लेने या उद्योग की बात हो, जो जो उन्होंने कहा था उसका दिग्दर्शन कराया है।

मान्यवर, अब कहना चाहता हूं कि यह बजट गांव का बजट बना नहीं है। सिंचाई के बारे में जो पुरानी योजनाओं का जिक्र किया और विद्युत के बारे में मुख्य मंत्री जी ने बड़ा भाषण दिया कि मैं रहूं या न रहूं लेकिन 14 घंटे प्रदेश को बिजली की आपूर्ति होगी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह 14 घंटे बिजली दे सकते हैं, हमने और हमारे नेता ने भी प्रयास किया लेकिन दे नहीं पाये और न यह दे सकते हैं चूंकि ऊर्जीकरण, इनरजाइजेशन नहीं है। लाईन लासेज के बारे में आपने कहा कि 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कितना हो रहा है इसे आप तय करें।

विद्युत के बारे में मुख्य मंत्री जी से इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने 110 करोड़ रुपये की एक योजना बनायी थी उसे देखें और उसका मूल्यांकन करें। आप उसमें और बल दे सकते हैं और विधायक फाइनेन्स कापोरेशन से पैसा लें और पैसा लेने से डरें नहीं। राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है, आज समाचार पत्रों में पढ़ा है कि पर्वतीय प्रदेश जो हैं उन्होंने प्रधान मंत्री जी से इच्छा व्यक्त किया है कि और ज्यादा धन मांगा है। आपका पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के बराबर है, इसलिये आप भारत सरकार से उतनी ही धनराशि की मांग कर सकते हैं जितनी हिमाचल प्रदेश करता है क्योंकि इस प्रदेश का पर्वतीय खंड उससे कम नहीं है। आप हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, आप इमानदारी से लड़ें और भारत सरकार से मांग करें, दें या न दें यह अलग बात है। इससे हम पर्वतीय अंचल के विकास में सहभागी बनेंगे। मैं यह बात इसलिये भी कहना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल के विकास के बजट में अलग से कोई चीज नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन पर्वतीय अंचल की जो योजनाऐं पिछली सरकार ने बनायी हैं उसे और गति दें और उनको प्रभावशाली बनाऐं एवं उन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरी कराऐं।

मान्यवर, पर्वतीय अंचल में जो सही चीज़ें हैं, जो सही खोजें छिपी है, जड़ी बूटियां हैं, तमाम ऐसी निधियां हैं, उनको आप संजोऐं, बढ़ाए। यही मेरा आप से निवेदन है। इस-लिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जरूरत है बिजली को देने की, यदि आप विकास चाहते हैं, अगर आप उद्योग बढ़ाना चाहते हैं। आप बिजली उतपाद और वितरण पर बल दीजिए। बिजली के बारे में गांव-गांव बिजली पहुंचाने का आपने संकल्प लिया था। बीच में काम बन्द है, आप प्रयास कीजिए। प्रयास करें, मात्र घोषणा से काम यह पूरा होने वाला नहीं है। 14 घंटे बिजली देने की घोषणा के बारे में यह कह सकते हैं कि यह गलत है, यह बिजली नहीं गिर रही है। प्रदेश में 14 घंटे कहीं बिजली नहीं मिल रही है जो बिजली बोर्ड के नीति परिवर्तन के बारे में आपका विचार आया है, उससे एक टकराव की स्थिति अवश्य बन गयी है और कुछ लोगों के मन में जरूर आपने दूसरे ढंग का बना दिया है... (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी जब मुख्य मंत्री नहीं थे, उस समय वर्ष 85 में अभिभाषण में बजट की कटौती पर आपने जो कहा था बिजली की चोरी के बारे में, आज क्या वह बन्द हो गई? वह उसी तरह अब भी है, उस पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। उस समय आपने हमसे कहा था कि किसी इंजीनियर को जेल में डालिये, तो अब तक कितने जेल में डाले हैं? आज भी बिजली चोरी हो रही है, लाईन लासेज हो रहे हैं। इस पर नियंत्रण करिये।

हमने आज समाचार-पत्र स्वतंत्र भारत में देखा कि जो लखनऊ में लैप है वह भी इनकी चलती नीति के कारण खत्म पर है। बिजली इस महानगर में भी जा रही है और बिजली के संकट से पेय जल का संकट सारे महानगरों में आज व्याप्त है। इस संकट को आप देखिए और दूर कीजिए। बिजली पूरा देने का आप प्रयास कीजिए। यह एक दिन में आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन करिए। जो हमारे खाद कारखाने जनपद शाहजहांपुर का बोरोला का जो खाद कारखाना बनाया है, उसका निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है। इसे आप देखिये और वह समय से पूरा हो जाए, इस बात का आप प्रयास करें। किसानों का यह बजट तभी होगा। हमारा कहने का

यही तात्पर्य है आप इसे अन्यथा न लें । मान्यवर, इंडस्ट्रीज के बारे में जो कहा था, जो आलरेडी चल रहे हैं । 337 ब्लाकों में इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन चुके हैं । शेष ब्लाकों में रह गये हैं, आप जल्दी से जल्दी उन शेष ब्लाकों में भी इस कार्यक्रम को पूरा कराएं । पूर्वांचल वास्तव में पिछड़ा हुआ है, उसको सही मायनों में उठाने का आप प्रयास करें । जनपद गोरखपुर के सहजनवा और मेरे जनपद जौनपुर के सहतरिया स्थानों पर जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनने हैं, उसको आप बल प्रदान करें । आप सही यूनिट के पक्षधर हैं । पूर्व में आपने बड़े बड़े पावर हाउजों की स्थापना के विरुद्ध कहा था कि छोटे छोटे पावर हाउज लगाए जाएं, उससे लाभ होगा । लेकिन अब आपने अपने उस विचार की विफलता देख और समझ ली होंगी । बड़े पावर हाउसों से ही छोटे पनप पायेंगे । आप बड़े और छोटे के झगड़े में न आएं । आप बड़ा मन बनाएं और उससे इसका मूल्यांकन करें । और वहां कोई आने के लिए तैयार नहीं है । इसलिए मान्यवर, औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है । मान्यवर, हमारे "पिकप" और "यू0 पी0 फाइनेन्स कारपोरेशन है, इन्होंने जिलों में अच्छा काम किया है । इन्होंने देश के उद्योगपतियों को आकृत किया है, इस प्रदेश में आने के लिए, अपने कामों के तहत । आप इन विभागों में और नियंत्रण रखिये । आप इंडस्ट्रियल डायरेक्ट्रेट को सुसज्जित कीजिये । केवल कह देने से काम नहीं होगा ।

कुटीर उद्योगों की कल्पना को पूरा कीजिये, इंसेंटिव दीजिये । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप काम करना चाहते हैं, लेकिन आप नियमों के विरुद्ध हैं । आप भेड़ नियम का सृजन कीजिये । आप पशुपालन मंत्री भी हैं । जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बनारस के घरों को आप ऊन दीजिए । यह काम लघु उद्योग के हैं, कुटीर उद्योग के हैं । आज हमारी बगल में भदोही में एक बड़ा कारपेट सेन्टर है । कारपेट इंडस्ट्री की आय दुनिया का आय के साथ सीधी जुड़ती है । कारपेट इंडस्ट्री को भदोही में आप देखिये और उसको बढ़ाइये, अपनी नीतियों में, अपने कार्यक्रम में । मैंने पहले निवेदन किया था कि ग्रोथ सेंटर खोलिये । एग्रो के आधार पर इंडस्ट्री लगाने पर ज्यादा बल दीजिये । मान्यवर, शिक्षा के बारे में हमारे विद्वान साथी पंचानन राय जी ने कहा था, शिक्षा मंत्री जी से । आपने कहा है अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में विद्यालय खोलने के बारे में ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

शिक्षा के बारे में पंचानन राय जी पर छोड़िये ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

मान्यवर, नवोदय विद्यालय जो थे उनको और भी खोलिये । मान्यवर, शिक्षा और भाषा को एक साथ लाने का प्रयास आप करेंगे । मेरे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री जी कोई उत्तर (समय 4 बजकर-20 मिनट)दे रहे थे । शिक्षा पर अपने विचार दे रहे थे या किसी अन्य प्रश्न पर, उन्होंने बड़े जोर से हिन्दी की बात कही जैसे कि इसके पहले हिन्दी थी ही नहीं । हिन्दी प्रदेश की भाषा हो और थी । हिन्दी में ही सचिवालय के कार्य कलाप हो रहे थे । मान्यवर, भाषा जो है प्रदेश की उसके अड़ंगे न लगाएं । यह देश का विषय है । इससे देश में अखण्डता का अन्तराल उत्पन्न करने का प्रयास न करिये । यह बहुत बड़ा प्रश्न है । सस्ती लोकप्रियता के लिए अपने प्रदेश को देश के धरातल से दूर न कीजिए । आप पब्लिक स्कूल नहीं खोलना चाहते हैं । देश में पब्लिक स्कूल नहीं चलने देना चाहते हैं । इस प्रदेश की भाषा हिन्दी है । आप यहां अंग्रेजी का काम बन्द कर देंगे, भारत सरकार के काम का आप क्या करेंगे ? उर्दू हमारी दूसरी भाषा है इसे बलवती बनाईए । संस्कृत अन्य भाषाओं की आधार स्तम्भ है । इससे और भाषाओं का निर्माण हुआ है । गीता का संदेश टी0 वी0 के माध्यम से दिखाया जा रहा है । महाभारत में वेद श्लोक हैं इनको आप देखिए । कुरान शरीफ हमारा धर्म ग्रन्थ है यह भाई चारे का परिचायक है । उसको आप देखिए भाषा के विवाद पर प्रदेश को पीछे ले जाने का प्रयत्न न करें । मैं कहना चाहूंगा कि मैं हिन्दी का पुरजोर समर्थक हूं । हिन्दी साहित्यकारों

की, रचनाकारों की भाषा है इसका मूल्यांकन कीजिए । आप अंग्रेजी का विरोध न करें कि दुनिया से आप बाहर हो जाएं । टैक्नालोजी में आप आगे बढ़ रहे हैं यह टैक्नालोजी एवं कम्प्यूटर का युग है ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

आप यह कह दें कि हम अंग्रेजी के विरोधी हैं ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

हम अंग्रेजी विरोधी नहीं हैं हिन्दी के समर्थक हैं और अंग्रेजियत के खिलाफ हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप चाहते हैं कि अंग्रेजी विरोधी नहीं हैं और आप कामकाज में विदेशी भाषा चाहते हैं । लेकिन हम चाहते हैं कि हिन्दी भाषा का सम्मान होना चाहिए ।

(व्यवधान)

आप केवल यह बता दें कि पी0 सी0 एस0 में अंग्रेजी हटाई उसके पक्ष में हैं या उसके विपक्ष में हैं ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

पी0 सी0 एस0 में अंग्रेजी आपने हटा दी लेकिन वही पी0 सी0 एस0 जब आई0ए0 एस0 बन कर देश की परिधि में जाएगा तो उसका क्या मूल्यांकन होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप हां या न में इसका उत्तर दें कि पी0 सी0 एस0 में अंग्रेजी हटाई गई आप उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में ?

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

हम यहां हुंकारे भरने तो आए नहीं हैं अरे हां क्यों, और ना क्यों, आप हमारे विचारों को समाचार पत्रों के माध्यम से उछालने का प्रयास न करें इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश को पीछे ले जाने का प्रयास न करें । मान्यवर, स्वर्गीय सम्पूर्णानन्द जी के समय में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कियागया था आप कोई नई चीज नहीं लाए हैं ।

आप दुन्दुभी बजा रहे हैं ग्राम्य विकास की ग्राम्य विकास के लिए साठ परसेन्ट मैंने गांव के लिए खर्चा किया था और आप इसलिए हिन्दी की दुन्दुभी बजा रहे हैं कि 300 माननीय विधायक गांव से चुन कर आते हैं । आप प्रदेश के काम काज में हिन्दी लीजिए, हिन्दी को बल प्रदान कीजिए प्रदेश की भाषा हिन्दी है उसको आप बलवती बनाइये लेकिन उर्दू जिसको हमने दूसरी भाषा बनाया था उसको भी बलवती बनाइये । आप भाषा विवाद मत पैदा कीजिये । देश के स्तर पर आप भाषा की बात सोचिए । यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की परिधि में आप कैसे जायेंगे । यू0जी0सी0 के बारे में क्या मानता है । यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में हमको जाना पड़ेगा तो आप सोचिये कि क्या होगा ।

इसलिये भाषा के प्रश्न पर सारे पहलुओं को अपनी दृष्टि में रखना पड़ेगा । मैं तो हिन्दी का पक्षधर हूं लेकिन भाषा के विवाद पर सारे इंस्ट्रीट्यूशंस को मत रौंदिये । आज टैक्नालोजी का युग है, वैज्ञानिक धरातल पर आप सोचिये और उसके आधार पर देश की प्रगति को उससे जोड़िये । आज कम्प्यूटर का युग है । आपके चौधरी अजीत सिंह साहब नहीं हैं, आपसे चुनाव हार गये नहीं तो वह मुख्य मंत्री होते । वह कम्प्यूटर साइंस के विशेषज्ञ हैं । उनको आप कैसे अंग्रेजी से अलग कर सकते हैं । ऐसा करके कितना पीछे आप चले जायेंगे ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

वह अंग्रेजी हटाने के पक्ष में हैं । अजीत सिंह अंग्रेजी हटाने के पक्ष में हैं । आपका पता नहीं चलता कि हटाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

हमारी नीति तो साफ है । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनके साहब जादे पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ते हैं । आपके साहब जादे हमारे भतीजे हैं उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूं । यह 6 जून, 90 के समाचार पत्र में नव भारत टाइम्ज में है । यहां कितने ही मंत्री हैं जो पब्लिक स्कूलों का विरोध करते हैं लेकिन अपने लड़कों को लेकर दून स्कूल की लाइन में लगे हैं । मैं भी लड़के वाला हूं लेकिन उसको दून स्कूल तक नहीं पहुंचा पाया । अपने लड़के को अच्छी शिक्षा देने के लिये हर पिता चिंतित रहता है । 17 जनवरी, 90 को आपने कहा है कि मेरे एक ही बेटा है और वहीं है । पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ता है मना कर दिया था । लेकिन मार्च के महीने में एक स्थानीय अखबार में छपा है, मुख्य मंत्री के बेटे का इंटरव्यू छपा है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उसने पब्लिक स्कूल जाने से मना कर दिया था खुद ही । मैं खुद पढ़ा ही नहीं सकता हूं । मिलिटरी स्कूल को अगर आप पब्लिक स्कूल मानते हैं तो मुझे बड़ा तरस आता है । उसकी भाषा हिन्दी है, हिन्दी मीडियम है । अब आपको जानकारी नहीं है तो हम क्या करें ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मेरा निवेदन है कि हमको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए । अन्य विदेशों की भाषाओं की शिक्षा को उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराया जाना चाहिये । तामिल, तेलगू, कन्नड़, यह सारी भाषायें सीखनी चाहिये । आप चले जाइये कर्मोटियों में, चौधरी साहब के लिये बड़ी दिक्कत हो जाती है, अंग्रेजी जानते हैं बोलते नहीं हैं, कर्नाटक में दिक्कत में फस जाते हैं । इसलिए मान्यवर, मैंने कहा कि और भी प्रदेश की भाषाओं को सिखाइये । हम लोग हिन्दी विरोधी नहीं हैं । जहां पर यह काम कम हो रहा है या वहीं पर किसी वजह से नहीं हो रहा है, उसको कराइये । हम तो श्रमिक नेता नहीं हैं । श्रमिकों की भागीदारी के बारे में बजट में कुछ भी नहीं दर्शाया गया है । मान्यवर, श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करें । चाहे मुरादाबाद का ब्रास वेयर कारपोरेशन है, ऐसे ही कुछ और भी जगहें हैं, जहां पर बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है ।

इसलिए हमारा निवेदन है कि यहां पर कोई ऐसी चीज बजट में दर्शायी नहीं गयी है । हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि श्रमिकों के बारे में हम सोचें । लेकिन इस बजट में श्रमिकों के बारे में कोई चीज देखने को नहीं मिली । मान्यवर, वन और पर्यावरण के बारे में श्रीमती मेनका गांधी ने कोई पत्र इनको लिखा । उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वनों का कटाव हो रहा है । हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रश्न करते हैं कि वनों का कटाव हो रहा है । मान्यवर, वन के कटाव को रोकिये, प्रदूषण को रोकिये । आप पर्यावरण की स्थिति को सुधारिये । मान्यवर, माननीया मेनका गांधी जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, वह जो कह रही हैं, उसको तो आप याद कीजिए । मान्यवर, उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया कि इसको रोकिये, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने नाराजगी जाहिर किया ।

मान्यवर, खेल-कूद और युवा कल्याण के लिए पिछले दिनों क्रीड़ा केन्द्रों और स्टेडियम की स्थापना की जा रही थी । स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है और उसका प्रयास किया जा रहा था, बहुत से जगहों पर रह गया था, आपने चूंकि बजट से लिया है, तो आप उसे पूरा कराइये । आपने अपने मुख्य मंत्री होने के बाद यह बड़ी योग्यतापूर्ण ढंग से खेल-कूद और क्रीडा को बढ़ाने की बात कही थी । एशियाड में जमीन ली गयी थी । आप दिल्ली में देखें कि यह जो बड़े-बड़े स्टेडियम हैं ये हमारे देश की अमूल्य निधि है । आपने कहा था कि यह जमीन की बरबादी है । आज आपने महसूस किया कि क्रीड़ा भी खेल-कूद के लिए जरूरी है । यह आपने इसमें स्वीकार किया है कि यह जरूरी है । आप विरोधी दल के नेता रहे, इसलिये आप इसके बारे में गम्भीरता से सोचें । मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा था कि जो काम बाकी रह गये हैं उनको आप पूरा करायें । दूसरी चीज मैं आंकड़ों का पक्षधर नहीं हूं । शान्ति और व्यवस्था जो आपने दिखायी है उसमें

मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा था कि जो काम बाकी रह गये हैं उनको आप पूरा कराइये दूसरी चीज मैं आंकड़ों का पक्षधर नहीं हूं । शान्ति और व्यवस्था जो आपने दिखायी है उसमें मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं अब पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो हैं, यह देखें कि आज भी जनप्रतिनिधियों पर प्राणघातक हमले हो रहे हैं । आप जब यहां पर थे तो आपने बड़े आंकड़े दिखाये थे । मैं इसे उपलब्धि नहीं मानता हूं । इसलिए कि गृह विभाग से आप आंकड़ों को उपलब्ध करा सकते हैं कि जब से आप सत्ता में आये हैं और तब से आज के बीच में अपराध जगत में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है । मान्यवर, मैं तो यह कहना नहीं चाहता हूं कि इंडिया टुडे में आप किसके साथ हैं, कैसे लोगों के साथ हैं, फोटो छपी है । यह देश की सर्वोच्च मैगजीन है । जब अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीतिक संरक्षण पायेंगे तो अपराध को बढ़ाया होगा । आप इसे नियंत्रित करें । आप यहां बैठकर कहते थे आज वही बातें सब भूल गये । आज प्रदेश भर में अपराधी प्रवृत्ति के लोग कहीं न कहीं आपके दल में पनाह पा रहे हैं । आज समाचार पत्र रंगे हुए हैं, आप इसका मूल्यांकन करियेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, माननीय नेता ने अपराधों के संबंध में कुछ बात कही है । श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस आदरणीय सदन की एक कमेटी बना दी जाय जो यह जांच करे कि कितने अपराधी किस दल में हैं ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मैं तो आपके सारे अच्छे कामों से सहमत हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था पराने शासनकाल में जो अच्छे कार्य हैं वह चलते रहेंगे, मुझे विश्वास है कि वह सारे काम अपने समय से पूरे होंगे मैं तो यह कह रहा था आज जो भय का वातावरण व्याप्त है, शान्ति के जीवन में रहने वाले लोग अपनी जानमाल की रक्षा के बारे में चिन्तित हैं । एक तरफ तो मान्यवर, अम्बेदकर जयन्ती वर्ष मनाया जा रहा है, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, अम्बेदकर के नाम से नयी-नयी योजनायें चलाने की बात कही जा रही है और एक तरफ प्रदेश के अन्दर हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार हो रहा है । मान्यवर, यह प्रधान मंत्री के क्षेत्र में हो रहा है, उनके लगे हुए मंडल में हो रहा है, उनके लगे हुए जिले में हो रहा है, उनके जिले में हो रहा है, इलाहाबाद में हो रहा है, इसको देखें ।

मैं आंकड़े नहीं देना चाहता हूं यह प्रदेश की उपलब्धि के आंकड़े नहीं हैं । आपने अपने समय में आंकड़े दिये हैं । हमारे चौधरी साहब ने थोड़े समय में ही परेशान सा कर दिया, सम्मानित सदस्य बलिया । तत्कालीन नेता विरोधी दल ने अपने बजट भाषण और अपने अभिभाषण में इन्हीं बातों का स्तुतिगान किया है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आंकड़े नहीं देना चाहता हूं लेकिन आप इस पर नियंत्रण पाइये । आज जो लोग आपके करीब का दम भरते हैं, ऐसे लोगों को दूर भगाओ, ऐसे अपराधिक लोगों को संरक्षण प्रदान न करिये । यही मेरा निवेदन है । कोई भी राजनीतिक आदमी चाहे इस दल का हो या उस दल का हो ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसके बारे में ईमानदारी से सोचें ।

मान्यवर, कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों समता समिति की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों का मूल्यांकन प्रदेश में हो गया था लेकिन किसी जगह पर स्थानीय निकाय और कुछ ऐसी जगह रही हैं जहां पर रिपोर्ट की प्रतीक्षा में कुछ एनामली रह गयी है । कुछ विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को देखें और दूर करायें, जिससे कि वे उत्साह के साथ आपके कार्यों में भागीदारी दे सकें, हिस्सेदारी दे सकें । मेरा यह आपसे निवेदन है । मान्यवर, अभी कुछ दिनों पहले आपने विचार व्यक्त किए थे उनके तहत मैं चाहूंगा कि आप देखें कि उनको कैसे आप बल दे सकते हैं । मेरा सुझाव है कि आप अपने आधार के बल देने का प्रयास करें । आप जो मूल्यांकन करने जा रहे हैं, प्रदेश के विकास में, बजट में, आप देखें कि उनका आधार क्या होगा और उसकी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें और समयबद्ध कार्यक्रमों को भी सुनिश्चित करें कि कैसे समयबद्ध कार्यक्रमों को पूरा कर सकते हैं ।

मान्यवर, कार्य यदि समय के अन्दर पूरा होगा, तभी प्रदेश का विकास हो पायेगा । अगर समय में कार्य नहीं कर पाए तो प्रदेश विकास यात्रा में पीछे रह जाएगा । जो धन आपको दिया

गया है, इसमें आपका विभागीय तौर पर नियंत्रण बना रहे, क्वालिटी कन्ट्रोल बना रहे, उसमें गुणवत्ता को प्राथमिकता दें । क्वालिटी कन्ट्रोल होना चाहिए तभी विकास हो सकेगा । सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन में हमें समय नहीं मिल पाता है । मेरा अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा हर स्तर पर मानीटरिंग द्वारा नियंत्रण के आदेश देते रहें । हमने इसे शुरू किया था, लेकिन उतना कर नहीं पाए, बीच बीच में तेजी की, लेकिन चुनाव आ गये । पूरी गति से हम काम नहीं कर पाए । आप बड़ी ईमानदारी से इसको सोचिए, तभी जो धनराशि आपको दी गयी है, उसका पूरा उपयोग आप कर पाएंगे । अधिकारियों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था । आज सबसे बड़ी बात अधिकारियों का मन जीतने की है । उनको विश्वास में रखकर उनकी जिम्मेदारी और दायित्व सुनिश्चित करने की बात है । इस बारे में गम्भीरता से पहल करें । गैर जिम्मेदाराना हरकत वालों को दण्डित कीजिए, हम दण्ड के खिलाफ नहीं हैं । लेकिन खामखां अधिकारियों को दण्डित करने से अधिकारियों का मनोबल गिरेगा । इस स्थिति से बचिए । उदाहरण के लिए बिजली बोर्ड से टकराव किया और परिणाम कुछ नहीं निकला । चार दिन पहले डाक्टरों ने हड़ताल की, हम हड़तालों के विरोधी नहीं हैं । लेकिन इससे विकास अवरुद्ध होता है । आप तो हड़तालों के पक्षधर रहे हैं ।

जब हम देश के विकास की यात्रा में लगे थे, आप चक्का जाम कर रहे थे । लेकिन राजनीतिक जीवन में, प्रजातंत्र में यह अधिकार हमको है, अपनी जायज मांगों की मांग करने का । अपनी जायज मांगों की आवाज बुलन्द करने का हमको जनतंत्र में अधिकार है । मैं कहना चाहूंगा कि जो नौजवान जिसके कंधों पर आप सदा स्थापित हुए हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कह रहे थे । जिसको रोजगार उपलब्ध कराने की बात कह रहे थे, आज आज उनको नौकरियां दे रहे हैं या आज वे मारे जा रहे हैं आज हमारे युवकों की क्या स्थिति है, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं हमारे रविदास मेहरोत्रा जी उनसे कहूंगा कि वे मुख्य मंत्री जी को बतायें । कितने छात्राधिकारी लखनऊ विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के लखनऊ शहर में सरकार की नाक के नीचे गोलियों से भून दिए गए । मान्यवर, यह उन्हीं नीतियों का दुश्य है मैं इसलिए कह रहा था जहां कोई आवाज उठती है उसको आप सुनिए ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके मंत्रिमंडल के सहयोगियों से कहना चाहूंगा जनता की आवाज को सुनिए । मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जनता की आवाज जनादेश मिला है वह हमें शिरोधार्य है, आप प्रदेश के अगुआ हैं मुख्यमंत्री हैं आपका आदर है, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं लेकिन इससे टकराइये नहीं, बदले की भावना से टकराये नहीं । आज हमारे दल के विधायक को गोली मारी जा रही है दूसरे विधायक के ऊपर बन्दूक तानी जा रही है एक विधायक ने भूतपूर्व मंत्री ने आवाज बुलंद करनी चाही यह कहते हुए कि ट्रेल टैक्स बराबर की धनराशि ज्यादा दे दी गयी है उस पर हमला किया गया । आप वहां बैठे तब भी सोचें यहां बैठे तब भी सोचें । कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए । असुरक्षा की भावना एक राजनीतिक समाजिक कार्यकर्ता के दिमाग में नहीं होनी चाहिए । आज प्रदेश की साम्प्रदायिक शक्तियों पर नियंत्रण का जो प्रयास कर रहे हैं उसका भूरि-भूरि साधुवाद देता हूं उसका समन्वय भी रखिए । आपके दल में आपके पास रहने वाले भाषण दे देते हैं भड़काऊ वाले, शासन में मंत्री हैं, अपने सूचना विभाग से जानिए कि बहराइच के अखबारों में क्या छप रहा है वे क्या बोल रहे हैं, वह गाज़ी की धरती पर क्या बोले मस्जिदें हैं मंदिर हैं जो शिवालय, गुरुद्वारे हैं यह सबकी धरोहर हैं इसको अलग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए ।

मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज साम्प्रदायिक दंगे जन्म ले रहे हैं, पहले भी लेते रहे हैं, आज भी ले रहे हैं, ईमानदारी के साथ देखें कि किन बिन्दुओं तक पहुंच पाये हैं, जो इन्हें हवा दे रहे हैं आपके साथ बैठकर उनके बारे में भी सोचिए । साम्प्रदायिक भावना किस तरह की जा रही है यह जो अभी विवाद चल रहा है इसका जल्दी से जल्दी निस्तारण हो, विवाद बहुत ही जटिल है, बाबरी मस्जिद हो या राम जन्म भूमि, गम्भीरता से इसको देखें । इधर-उधर के बैठे कुछ लोग जो इसे बहुत ही हल्के ढंग से देखते हैं, इसे हल्के ढंग से कहना चाहते हैं, यह गंदी बात है । इससे समाज में बिखराव आयेगा । प्रदेश की मिट्टी का जो नारा हम भरते हैं जो उसका संकल्प लेते हैं उस पर आंच आयेगी । इसलिए ऐसे विवादों को सम्यक भाव से सोचने

की जरूरत है । आप देखिए तमाम ऐसे लोग हैं, यहां अभी चुनाव हुए हैं हमारे आपके बीच में तमाम लोग राज्य सभा गये, उनके बारे में तमाम तरह की बातें हैं ।

मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों समाज के लोग आपके पास हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे राम जन्म भूमि हो या बाबरी मस्जिद, उनको बिठाकर देखने की जरूरत है । दोनों के भरपूर समर्थन आज भी आपके पास मौजूद हैं, कहीं न कहीं आपसे जुड़े हैं, प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से आपकी उनसे रिश्तेदारी है इसलिए माननीय, कहना चाहूंगा कि यह सारी चीजें आप देखिए ताकि प्रदेश में साम्प्रदायिकता की बात खत्म हो । कानपुर के तनाव के बारे में जांच कराइये कि क्या हुआ है क्यों हुआ उसके लिए कौन लोग दोषी हैं । आपका कठोर प्रयास भी है कि ऐसी चीजें न हो लेकिन आपके पास बैठे हुए लोगों का प्रयास नहीं है । कहीं न कहीं वह भड़काने की बात आवश्य करते हैं यह बातें नहीं होनी चाहिए । अगर ऐसी चीजें होंगी तो विकास कार्य अवरुद्ध होगा । क्योंकि इस समय हम विकास में लगे हैं । हमें प्रदेश के अन्दर शान्ति और व्यवस्था चाहिए और शान्ति और व्यवस्था के मामले में आपने कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं दिखाया केवल आमूल चूल परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन जैसे शब्दों का जाल ये हैं, लेकिन कोई यथार्थ नहीं है ।

इस बजट के अंदर कोई दिशा नहीं है कि आप किस तरफ प्रदेश को ले जाना चाहते हैं । आज डाकुओं की कितनी बड़ी समस्या है, आपने भूमि सेना का क्या कार्यक्रम बनाया है, उसका क्या स्वरूप होगा, यह बजट में कहीं दिखायी नहीं दिया, एक सेना हमारी भी थी उसको आपने खत्म कर दिया, आप भी धन्य हैं और आपके वित्त विभाग के सहयोगी भी इसके लिए धन्य हैं । आपके सहयोगी पर्याय ढूंढने में बहुत माहिर हैं, लेकिन उन्होंने कोई नई चीज दर्शाने का प्रयास नहीं किया । मैं कहना चाहता हूं कि दस्यु उन्मूलन के बारे में प्रभावी कदम उठाये जायें तथा इसके बारे में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सम्यक स्वरूप सुनिश्चित हो, हालांकि अभी तक दोनों में विरोधाभास है क्योंकि आप तमाम अन्तर्द्वन्द में रहते हैं, यह आपकी खूबसूरती है, यह आपकी महानता है । लेकिन यह समस्या ऐसी है, जब आप दोनों इसमें भागीदारी करेंगे, तभी इसका हल होगा । चाहे बुन्देलखंड को लें, चाहे आगरा, मैनपुरी, फरुखाबाद, जालौन को लें, वहां तमाम प्रकार की गिरोहें बन रही हैं और इटावा में भी हैं । इन सब पर आप नियंत्रण कर सकते हैं । आपके यहां एस0 पी0 चले गये, ठीक है नहीं गये, तो एडीशनल से काम चल जायेगा ।

मेरा निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर शान्ति और व्यवस्था को ठीक से जमायें, आपकी शान्ति और व्यवस्था चरमरा रही है और इसके चरमराने का मुख्य कारण यह है कि आपने जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको विश्वास में नहीं लिया है, आप उनका विश्वास अर्जित नहीं कर पा रहे हैं । आपके दल के लोग जहां जायेंगे, जो चाहेंगे, बोल आयेंगे । आप देखिये कि आपके माननीय जनप्रतिनिधियों का क्या व्यवहार है । आज जिलों के कार्यालय मारपीट के कारण रोज बन्द रहते हैं । मैंने इस संबंध में पहले ही इशारा किया कि आप इन सब पर नियंत्रण करिये । अपनी लगाम तो रखें और सवारी जरूर करें, लेकिन क्षोभ न पैदा करें, आपको क्षोभ से बचना है, आक्रोश से बचना है, हठवादिता से बचना है । जम्हूरियत और जनतंत्र में आप जितने नम्र और विनम्र होंगे, उतना ही आप सम्मान के पात्र होंगे, श्रद्धा के पात्र बनेंगे । लेकिन यह चीज देखने में आ रही है । प्रदेश के सारे लोग आते हैं तो यही शिकायत रहती है । मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप इसको गंम्भीरता से सोचें । मान्यवर, आने वाले समय में जब सामान्य प्रशासन बजट आयेगा, तो मैं अपने बहुमूल्य सुझाव देने का प्रयास करूंगा । आज तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो आपने बजट प्रस्तुत किया है और जो मैंने इसके सम्बन्ध में 52 पत्तों का जाल कहा था, क्योंकि यह मात्र शब्दजाल है । बजट जो है, उससे लोगों को बड़ी-बड़ी आशायें थीं, आकांक्षायें थीं, क्योंकि आपने बड़ी-बड़ी घोषणायें की हैं, बड़े-बड़े नारे दिये हैं, बेरोजगारी हटाओं, दस्यु उन्मूलन का नारा है । तमाम तरह की चीजें हैं । सत्ता का विकेन्द्रीकरण, रोजगार एवं पेंशन आदि तमाम तरह की बातें कहीं गई हैं । आज उससे पूरे प्रदेश की जनता को निराशा हुई है । आपकी कथनी और करनी में फर्क आया है । इसलिए मैंने आपसे ये विचार प्रकट किए । आप डा0 लोहिया के पुजारी हैं । मैं भी डा0 लोहिया का भक्त हूं । मेरे दिल में भी उनके प्रति

श्रद्धा व सम्मान हैं, परन्तु उनके विचारों से आज आप भिन्न हैं । इस बजट में आपने उनके विचारों का कहीं पर भी मूल्यांकन नहीं किया है ।

डा0 लोहिया जी की मूर्ति लगाने से कोई विचारों में समानता नहीं आ जाती । विद्यार्थी जीवन में हमने देखा कि डा0 लोहिया जी इस प्रकार मूर्ति लगाने के विरोधी थे परन्तु आपने उनकी मूर्ति लगा दी उन्हें मूर्ति भंजन कहा जाता था । यदि आप उनके समर्थक हैं तो आपको उसी मनोभाव से व उसी विचारधारा से जोड़ना पड़ेगा । डा0 लोहिया जी जाति व वर्ण–दोनों के खिलाफ थे । आप उनका समग्र लोहिया देखें तो वह राष्ट्रपिता गांधी जी से भी इत्तफाक नहीं करते थे, अपनी अलग राय रखते थे । हम तो कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी समाज वादी हैं, परन्तु आप ही की दल के लोग कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी जातिवादी हैं । मैं यह आक्षेप की बात नहीं कर रहा हूं । जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा है कि डा0 लोहिया जी जाति व वर्ण दोनों के खिलाफ थे, उसी चरित्र को दिखाने का आपको प्रयास करना चाहिए । मैं इन छोटी-छोटी घिनौनी बात को नहीं कहता और मैंने व्यक्तिगत सम्पर्क में भी आपको इस ढंग से नहीं देखा । आप हमारे प्रदेश के प्रतिबिम्ब हैं । आपकी कलम से, आपकी लेखनी से जो आदेश, निर्देश हो रहे हैं, उनका मूर्त रूप से पालन हो रहा है या नहीं, इसका आप मूल्यांकन करें । इतनी तो समितियां आपने गठित कर दीं, सचिवों को आपने आदेश दे दिये, उसका क्या प्रतिफल आया, वह हमें इस बजट में कहीं नहीं दिखाई दिया ।

प्रदेश का जनजीवन, प्रदेश का कमजोर वर्ग, श्रमिक, प्रदेश का पिछड़ा वर्ग, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग, किसान, खेतिहर मजदूर, इन सबकी तरह आपकी दृष्टि जानी चाहिए । यह सही है कि राजनैतिक जीवन के नाते कहीं न कहीं आदमी में कमजोरी आ ही जाती है, आदमी दस्तखत कर देता है । आप अपनी लेखनी को देखें । मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं । आप ऐसे दबावों से ऊपर उठकर काम करें, यह मेरा कहना है । वैसे मैं मानता हूं कि आप दबाव में नहीं आते हैं मैं यह मानता हूं कि राजनैतिक जीवन के आदमी को दबना पड़ता है ।लेकिन उन सिद्धान्तों और उन मूल्यों के लिए नहीं, जिससे आपके विचारों में अन्तर आ जाय । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं, प्रदेश के अन्दर, इन्हें आप देखें । प्रदेश के विकास को देखें, श्रमिकों की भागीदारी को देखें, खेतिहर मजदूरों को देखें, दस्तकारों के बारे में देखें, बुनकरों के बारे में देखें यह छोटी-छोटी इकाईयां हैं निर्बल वर्ग के लोगों को ऊंचा उठाने का प्रयास हमारी सरकार का भी था, हम ऊंचा तो नहीं उठा पाये । हमारा प्रयास था, एक प्रयास था । गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊंचा उठाने का भी हमारा प्रयास था । पिछले शासन का भी प्रयास था आपका भी प्रयास है । हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अमीरी की भी सीमा खींचनी चाहिए । यह भी डा0 लोहिया की ही खोज है । अभी विद्युत के बारे में देखा । आपने ही पिछले दिनों टाटा बिडला से बात की आप बिजली को निजी क्षेत्रों में देने की बात कर रहे हैं । दिल्ली के पैमाने पर बैठक होगी, ऊर्जा मंत्री और प्रधान मंत्री तय करेंगे कि बिजली के क्षेत्र में प्राइवेट इण्टरप्रिन्योर्स को लाया जाय । आपने कहा था कि जो नये जिले घोषित किये हैं, उनमें अस्पताल बनवाओगे ।

आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, मर्ज और मरीज बढ़ रहे हैं, तो अस्पताल भी बढ़ने चाहिये, शैय्या भी बढ़नी चाहिये । मेरा सुझाव है कि जो नगरमहापालिकायें हैं प्रदेश की, वहां पर अस्पताल खोलें उसमें हमारा भी क्षेत्र आता है बादशाहपुर का जहां जनसंख्या बढ़ रही है, वहां अस्पताल खोलें । यहां पता चला है कि मैडीकल कालेज को आप ठेकेदारी में देना चाहते हैं, समाचार-पत्रों में हमने पढ़ा । यह कौन सी बात है कि कहीं का काम न चल पाय तो ठेकेदारी में दे दें । यह उचित नहीं है । कहीं गलतियां हो गयी हैं, काम शिथिल पड़ गया है तो आप दिचौलियों के विरोधी हैं और उन्हीं को दिलाना चाहते हैं । उसमें भी मूल्यांकन करें कि क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं । इसके बारे में स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिये ।

(विपक्ष की ओर से ''न्याय के विषय में भी कहिए'' की आवाज आने पर) हमारे सम्मानित विधायक ने कहा कि न्याय की बात भी कहिए । मैंने सोचा था व्यक्तिगत अनुरोध कर दूंगा ।

(बैग से निकालकर कुछ फोटो एवं कागजात अध्यक्ष पीठ की ओर दिखाते हुए)

यह उन्नाव में खून के धब्बे दिखायी पड़ रहे हैं, वकीलों पर लाठी चलती है नीचे से ऊपर तक बनवरत ढंग से । माननीय सच्चिदानन्द राजमेधी को आपने वहां भेजा था कि जायं और देखकर आयें । उनके पहले ही निर्णय ले लिया । हो सकता है कि उनकी राय टेलीफोन से आ गयी हो लेकिन तमाम समाचार-पत्रों में यही कहा गया कि माननीय मंत्री जी लौटकर आये नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी । और न्यायालय के बारे में क्या कहूं, डी0जी0सी0 के बारे में सारा कार्यक्रम किस ढंग से कर रहे हैं । नाम का जो चयन होता है, संस्तुतियां होती हैं, लोग कहते हैं कि उस आधार पर नियुक्तियां नहीं होती हैं । यहां न्याय की रक्षा होनी चाहिये । लोगों के हितों की सुरक्षा होनी चाहिये, लेकिन वह नहीं है । न्यायालय को जहां स्वायत्तता मिलनी चाहिये, वहां न्यायालय पर ही चोट हो रही है । न्यायालय में हमारे विधायक गाजियाबाद जाते हैं यह जानने के लिये कि क्या बात हुई अपने वकील के पास पूछने के लिये जाते हैं, वहां लाठी चार्ज हो जाता है । जहां हम न्याय पाने की आशा करते हैं न्यायालय में अगर लाठियां और गोलियां चलेंगी तो फिर कैसे न्याय मिलेगा ? इसलिये आप इस विचारधारा से न्यायालय को मुक्त रख कर काम करें । जो वकील जिनके पास प्रतिभा है, क्षमता है, जिला समितियों में जो मानक तैयार किये गये हैं, उसको आप देख लें । हालांकि आप खानापूरी करने के लिये कहेंगे कि हमने उन्हीं के आधार पर किया लेकिन यह केवल खानापूरी होगी । आप उसका चिन्तन करें और न्यायालय को इस भावना से मुक्त करें । आप वकीलों की रक्षा कीजिये, उन पर जो निर्मम प्रहार हो रहे हैं उनको उनकी रक्षा कीजिये । न्यायालय न्याय देने के लिये हैं, आप कानून के रक्षक हैं, न्याय दिलाने के लिये जो हमारे साथी हैं उन पर प्राणघातक हमले हों तो कैसे न्याय मिलेगा ?

इस तरह की अराजकता और अनुशासनहीनता नहीं होगी जब तक ऐसी मनोभावना नहीं होगी तब तक प्रदेश का जन जीवन न्यायालय से भय खाता रहेगा । आप कानून की रक्षा न कर सकें, न्याय को मान्यता न दे सकें, इनके बारे में भी जरा ईमानदारी से सोचिये और इन मुद्दों पर सोचने की पहल कीजिये क्योंकि आज यह सब चीजें नहीं हो पा रही हैं ।

मैंने इस बजट भाषण के विभिन्न मुद्दों पर चिन्तन किया है, आपके जो वायदे थे, इरादे थे, वह इसमें पूरे नहीं हैं । इसलिये जो हमने सुझाव दिये हैं उन पर निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जब तक आप अनुपालन नहीं करेंगे तब तक आप इसको पूरा करने में पहल नहीं कर पायेंगे । बजट भाषण में वह दर्शन नहीं है जो दर्शन आपने नारों में दिया था । आपके नारे जनता के दिल और दिमाग में घूम रहे हैं कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है । इनके बारे में भी जरा सोचिये, पहल करिये । आज नहीं तो कल आपको इस पहलू पर जनता को जवाब देना पड़ेगा ।

यद्यपि मैं चाहता हूं कि आप लम्बी अवधि तक रहें, लेकिन जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ आपको प्रदेश की बागडोर आपके हाथों में दी है उसको आप न भूलें । हम में मनोभावना होनी चाहिए और यह तभी हो सकती है जब आपकी दृष्टि उनकी तरफ होगी । जो घोषणायें आपने की थीं, उनकी तरफ भी आपकी दृष्टि होनी चाहिये ।

आप अपने बजट भाषण का मूल्यांकन करें तो आप पायेंगे कि यह बजट आपकी घोषणाओं के खिलाफ है । मैं आपकी घोषणाओं के खिलाफ हूं । मैं आपकी घोषणाओं का पक्षधर हूं लेकिन इस बजट में वायदाखिलाफी की गयी है । निर्धन धन देने का, ग्राम्य का विकास करने का यह बजट नहीं बन पाया है । इसीलिये आप मेरे सुझावों की ओर ध्यान दीजिये । यह बजट मजदूरों का बजट नहीं है, लीजिये मजदूरों के मंत्री यानी कि मा0 श्रम मंत्री जी भी आ गये हैं, अल्पसंख्यकों का बजट नहीं है, बुनकरों का बजट नहीं है केवल थोथा प्रचार मात्र है । बेरोजगारों के बारे में भ्रामक विचार किया गया है, उनको भत्ता देने के नाम पर इसमें मखौल उड़ाया गया है ।

10 हजार रुपये के नाम पर सहकारिता जगत के साथ न केवल मखौल किया है बल्कि व्यभिचार और बलात्कार किया है । आज भी यह विभाग आपके पास है । यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से–बार-बार वही दुहरा रहे हैं की आवाजें आने पर)

बार-बार इसलिए दूहरा रहा हूं जिससे बल पड़ें । मुख्य मंत्री जी इनको देखने का प्रयास करें । मुख्य मंत्री की दृष्टि प्रायरिटीज पर जानी चाहिए । इसलिये मैं बार-बार कह रहा हूं और बल दे रहा हूं । मैंने नवेली दुल्हन का उदाहरण दिया था, उसकी पूरी छूट है । आप खाद सस्ती दिलवायें, निर्माण कार्य के साधन मुहैया करायें, सीमेंट सस्ती करें, ईंट सस्ती करें और लोहा सस्ता करें । आप सिंचाई के साधन उपलब्ध करायें । बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित करें, तब किसानों का बजट कहा जायेगा, ऐसे ही नहीं कहा जायेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी सुन रहे हैं, उनके सहयोगी मंत्री सुन रहे हैं, जिन्होंने इसको मूर्त रूप दिया है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आपकी बात प्रमोद तिवारी जी नहीं सुन रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं सुन ही नहीं, लिख भी रहा हूं ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

वह सुन ही नहीं रहे हैं, हमारी भावनायें और विचारधारायें एक हैं । आपकी दृष्टि दूर होनी चाहिए । आपके पक्के इरादे होने चाहिए । आपकी चिन्तन शैली होनी चाहिये । प्रदेश के विकास का मानचित्र होना चाहिये । गांधी की आंखों में भारत को देखना चाहिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

हमारी और इनकी तो विचारधारा एक ही है आपके यहां पर जो घटकवाद है, उसको देखें ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं वहां पर तमाम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जिनकी नियत पर मुझे भरोसा है, लेकिन जो माननीय सदस्य प्रतापगढ़ ने कहा कि आप जिस पाये पर खड़े हैं वह पाया गड़बड़ दिखायी पड़ रहा है । मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिखायी पड़ रहा है, आप नहीं मानते हैं । आप कौन सा नया स्रोत खोज रहे हैं । आप सहकारिता मंत्री थे और उस समय मैं भी एक सदस्य था । आप 27 महीने का दस्तावेज लेकर वापस हो गये । इसलिये मेरा इस बात पर बल है कि जनादेश जो आपको मिला है उसको पूरा करें । आप एक निश्चित सरकार के रूप में रहें । प्रदेश की आकांक्षाओं के तहत अपना कार्य कीजिये । यही चिन्ता हमको है और कोई दूसरी चिन्ता नहीं है । लेकिन जो आपका स्वरूप दिखता है, जो आपके लोग दिखते हैं वे ऐसा नहीं हैं । इसलिये नहीं दिखते कि वे पंचगम्य हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं वे दूसरे ढंग की हैं । वहां पर समाजवादी विचारधारा का मूल्यांकन नहीं हो रहा है । वह विचारधारा कमजोर पड़ रही है । उसे आप सशक्त कीजिये, उस दिशा में प्रदेश को ले जाइये । इस प्रदेश के विकास के लिए आपको गांवों की ओर देखना पड़ेगा । उसमें कमी आ रही है । इसीलिये मैं कह रहा हूं कि स्थिरता में सुनिश्चितता होनी चाहिए । इसलिये मैं कह रहा हूं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण के साथ आप सभाओं को बल दें, स्थानीय निकायों को बल दें । इसीलिए मैंने निवेदन किया था और यही पृष्ठभूमि थी कि आप उनको मजबूत करें ।

मान्यवर, मैं आपके बजट को केवल मात्र यही कह सकता हूं कि प्रदेश को आपने बहुत धोखा दिया है, उनके लिये धोखा खड़ा किया है । दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि आपको नारों से नहीं, बल्कि प्रदेश को उनके विश्वास से जीतना चाहिए जिसका प्राविधान बजट में नहीं किया गया है । दूसरे शब्दों में हमारी पंचवर्षीय योजना का जो स्वरूप रहा है, हमारे पुराने साथी जानते हैं, उनको छिपाकर दूसरे आंकड़ों को उसमें प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है । जो हमारी पुरानी योजनायें हैं उनके ऊपर बल दीजिये, नई योजनायें तैयार कीजिये उन

पर अमल करने का प्रयास कीजिये । प्रदेश की गरीब जनता, गरीब किसान, खेतिहर मजदूर, दस्तकार, बुनकर, महिला, युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार, नौजवान जो इस बजट के प्रति आशान्वित थे, यह बजट उनके अनुरूप नहीं हो पाया है । उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप आप फिर से बजट बनाने का प्रयास करें और जो आपका विरोधी रवैया है, शासन का, उस पर आप थोड़ा नियंत्रण लगायें । बदले की भावना से न करें हरिजन विरोधी भावना पर नियंत्रण लगायें जहां अनाचार, पापाचार और उत्पीड़न हो रहा है उसको रोकें । यह जरूरी है । जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनको ऊपर उठाने के बारे में सोचें, उनकी मदद करें, शान्ति व्यवस्था बनाये रखें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

(श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के खड़े होकर बोलने पर)

बहुत-बहुत बधाई ।

श्री अध्यक्ष–

त्रिपाठी जी, आप कल प्रारम्भ करें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, जैसी आज्ञा हो ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली डा0 दिनेश जौहरी की, दूसरी श्री गोमती यादव, मुईद अहमद, राम स्वरूप वर्मा, श्री गुलाब सिंह श्री जिप्पी तिवारी की, तीसरी श्री पंचानन राय, चौथी श्री शारदा नन्द अंचल की, पांचवीं श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, छठी श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, सातवीं श्री राज किशोर सिंह और आठवीं श्री कुंवर सिंह नेगी की है । इनमें श्री गोमती यादव आदि की जो दूसरी सूचना है जिसमें विधायक गोमती यादव एवं उनके अंगरक्षक पर दिनांक 26/27 मार्च, 1990 की रात में कुछ लोगों द्वारा प्राणघातक हमला किये जाने के सम्बन्ध में है, सबसे महत्वपूर्ण है, स्वीकार की गई है ।

अब हम कल 11 बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 5 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

19 जून, 1990
लखनऊ :

नत्थी 'क'

(देखिए अता० प्र० सं० 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1990 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या--11 का संलग्नक

वर्ष	प्रवर वर्ग सहायक के स्थाई पद	प्रवर वर्ग सहायक के अस्थाई पद
1981	1026	126
1982	926	105
1983	979	96
1984	998	104
1985	1065	140
1986	1065	140
1987	1304	215
1988	1219	205
1989	1223	199

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 102 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	1	2
1	मदारी खेड़ा	29	लालपुर
2	भावा खेड़ा	30	जमुरिया
3	बेरी सालपुर	31	मऊ
4	मजगर मऊ	32	गदियाना
5	अकबरपुर बेनीगंज	33	पुरसेनी
6	रघुनाथ खेड़ा	34	शिवदरा
7	राती	35	डड़ौना
8	मंगटइया	36	हरिवंश गढ़ी
9	दयालपुर	37	अहमद पुर खालसा
10	भगवानपुर	38	अतरौली
11	हरिहरपुर पटासा	39	इन्द्रजीत खेड़ा
12	फट्टी खेड़ा	40	डेडवा
13	अमिलिया खेड़ा	41	गौरिया खुर्द
14	रत्नापुर	42	धर मंगल खेड़ा
15	अवइया	43	रायमान खेड़ा
16	मटपुरा	44	खुजौली
17	मटौली	45	डाडा सिकन्दरपुर
18	बीरसिंहपुर	46	कुबहरा
19	निगोहां	47	कमालपुर बिचलवा
20	मीलमपुर	48	कुढ़ा
21	देवरिया भरसवां	49	हुलास खेड़ा
22	कोड़रा रायपुर	50	देवती
23	मीनापुर	51	भट्टी खेड़ा
24	सुरसामऊ	52	मदापुर
25	बगुआ साढ़	53	मेंहदौली
26	भटेसुआ	54	गढ़ी
27	भींवरी	55	हरनाम खेड़ा
28	सिसेंडी	56	मीरानपुर

1	2	1	2
57	गौतम खेड़ा	94	भट्ठी बरकद नगर
58	परसपुर ठट्ठा	95	सदरापुर
59	बरवलिया	96	इचवलिया
60	जबरौली	97	दखिनपारा
61	हसनपुर	98	देई टीकर
62	अब्बास नगर	99	बघौना
63	अमवा मुर्तजापुर	100	केवली
64	गढ़ा	101	भौंरा खुर्द
65	छतौनी	102	करसन्डा
66	कटरा नगराम	103	टिकरा जुगराज
67	शाह मोहम्मदपुर अमइया	104	ममई मऊ
68	अहमद पुर आजम अली	105	हरई
69	असलम नगर	106	दाऊद नगर
70	कांटा करौंदी	107	सिद्धपुरा
71	खवास खेड़ा	108	शिवलर
72	आदमपुर नाबस्ता	109	देहरा मऊ
73	बहरौली	110	सठवारा
74	घोड़सारा	111	भरमावत खेड़ा
75	हसनापुर	112	परेहटा
76	गोमी खेड़ा	113	सहस घाट
77	शाहजादेपुर	114	पहासा
78	रसूलपुर आशिक अली	115	रतिया मऊ
79	बजगहिया	116	शेखनापुर
80	जोखन्डी	117	दाउद पुर सैदापुर
81	मदारपुर	118	सुरिया मऊ
82	करोरका	119	कुरियानी
83	जमालपुर ददुरी	120	जमालपुर कुरमियान
84	सराना	121	सदरपुर करोरा
85	अकद हट्ट	122	जहांगीर पुर
86	हरदोइया	123	मलौली
87	दूल्हापुर हुसैनाबाद	124	देवरिया
88	तमोरिया	125	सुरिया मऊ
89	रायपुर	126	कुतुबपुर
90	पंजसस	127	गढ़ी मुस्तफाबाद
91	सेल्ह मऊ	128	बरुआ
92	कपेरा मदार पुर	129	चौगानपुर
93	सिठौली कलां	130	बसरहिया

1	2	1	2
131	महुरा खुर्द	164	दक्षिनारपुर
132	लखपेड़ा	165	ब्रम्हदासपुर
133	सिफतनगर	166	डिघारी
134	घमरतलिया	167	करनपुर
135	कबीरपुर	168	गोविन्दपुर
136	धौरहरा	169	गौरा
137	अमेठी	170	दहियर
138	बाजूपुर	171	पूरनपुर
139	मलूकपुर	172	मोहीउद्दीनपुर
140	चौरहिया	173	महमूदपुर
141	चौरासी	174	मीसा
142	माडर मऊ खुर्द	175	बलियाखेड़ा
143	मस्ते मऊ	176	मोहम्मदाबाद
144	दुर्धवा	177	निजामपुर
145	दुलार मऊ	178	रसूलपुर टिकनियां
146	सेमनापुर	179	महुरा कलां
147	सल्लाही मऊ	180	सोनई कजेहरा
148	चांद सराय	181	मोहारी कलां
149	बखारी	182	पतौना
150	नूरपुर बेहटा	183	रामपुर गढ़ी जमुनी
151	मीरक नगर	184	रामदास पुर
152	बेन्दौआ	185	मस्तीपुर
153	अहमदपुर अहसास अली	186	उदयपुर
154	हबुआ पुर	187	सिर्स
155	सिठौली खुद	188	कमकहा
156	सेमरा पीतपुर	189	अचली खेड़ा
157	सठवारा	190	सिरथुआ
158	सिकन्दरपुर अमोलिया	191	मगहुआ
159	दोदा मऊ	192	बेली
160	फतेहपुर	193	फरीदपुर
161	बस्तौली	194	सराय करोरा
162	रकीबाबाद	195	मोहारी खुर्द
163	बघोना		

नत्थी "ख -1"

(देखिए अता0 प्र0 सं0 133 का उत्तर आगे पृष्ठ 64 पर)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, विधायक के अतारांकित प्रश्न संख्या 133 विधान सभा के तृतीय सत्र के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्न के उत्तरालेख से सम्बन्धित सूची (प्रथम)

विश्व बैंक परियोजना [एन0 सी0 डी0 सी0 (प्रथम)] के निर्मित गोदाम

क्रम-संख्या	नाम स्थान/समिति
1	गाडकामरगांव
2	मसारगांव
3	बनैखाल
4	पल्लीगांव
5	अंगनीसेण
6	मिरचोड़ा
7	देवलगढ़
8	रमार्द
9	चामी
10	कठुली
11	बिलखेत
12	खिर्सू
13	रतुड़ा
14	पोखड़ा
15	देवराडी देवी
16	गवानी
17	जखाड़ा
18	नगर
19	घुसगलीखाल
20	मधाना
21	श्री कोटगंगानाली
22	कोटा
23	ढ़ोंडियाल पैनो

एन0 सी0 डी0 सी0 (तृतीय) के निर्मित गोदाम

क्रम-संख्या	नाम स्थान/समिति
24	घंडियाल
25	खुलेहु
26	ढौंटियाल
27	चिंडयालुबोंगा
28	पुनाड़
29	पटोटिया
30	कफलटंडा
31	घोलखातखाल
32	कल्जीखाल
33	मुपड़खाल
34	सल्डमहादेव
35	सरणा
36	सिमलगामल्ला
37	कमलपुर
38	सगलियामल्ला
39	अगरोड़ा
40	देहलचोरी
41	विज्याणी
42	स्वाली
43	पांग
44	व्यासचट्टी

एन0सी0डी0सी0 (तृतीय) के निर्माणाधीन ग्रामीण गोदाम

क्रम-संख्या	नाम गोदाम/समिति	कार्य प्रारंभ का दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1	सिन्धीखाल	2-7-85	अपूर्ण, लगभग 3 वर्ष से कार्य बन्द।
2	वड्यूण	20-3-86	,, ,,
3	ज्यांदालूपातल	22-4-87	,, ,,
4	कोट महोदव	15-2-86	,, ,,
5	हल्दूखाल	21-3-86	,, ,,
6	डोबरियालसार	3-1-86	,, ,,
7	बैजरों (जिबई)	31-3-86	,, ,,

टी0 पी0 सिंह,
मुख्य परियोजना अधिकारी।

प्रतिहस्ताक्षरित

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 141 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 66 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित श्री अफजाल अन्सारी के अतारांकित प्रश्न सं0-141 के उत्तर से सम्बन्धित सूची

क्रमांक	ग्राम सभा का नाम	अतिरिक्त घोषित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3
1	भदौरा	0-18
2	टोडरपुर	8-65
3	सजना	0-63
4	मुसहुला	0-77
5	मांचा	1-06
6	भावरकोल	1-05
7	मसोन	6-81
8	रसूलपुर	4-88
9	सुखडेहरा	13-95
10	पहाड़पुर	1-46
11	पखनपुरा	0-35
12	जसदेपुर	0-29
13	परसदा	0-20
14	ढुढिया	0·22
15	मसोनी	0·08
16	गोडउर	1-87
17	तालखुदिया	0·54
18	वंशी	10·47
19	पलिया बुजुर्ग	3-31
20	वीरपुर	2-08
21	मिजांवाद अदाई	0·75
22	बैदौली अदाई	0·22
23	धनेठा	4-84
24	सोनाड़ी	1-35
25	चकवाकर रजेला	0-77
26	आवादान उर्फ वैरान	0·57
27	करमचन्दपुर	1-19
28	राजापुर	2·72
29	भूपतनुर	0·40
30	अमहट	3·19
31	हटवार मुरार सिह	9·15
32	सागापाली	8·54
33	राजापुर	7·28

1	2	3
34	दहेन्दू	9-48
35	अमिरहा	1-08
36	दिलसादपुर	1-45
37	मौरा	0-99
38	कन्धौरा खुर्द	1-33
39	असावर	2-73
40	नसीराबाद	3-05
41	मुबारकपुर	0-97
42	उचौरी	0-18
43	कवलपट्टी	0-46
44	भदसा	0-93
45	सिंघउत	0-93
46	मोहिउद्दीनपुर	22-42
47	दुधौड़ा	0-14
48	शेखनपुर	0-72
49	वडौरा	2-15
50	अवराकोल	1-73
51	सुरवत	14-19
52	रेगा	2-05
53	नगवा	6-84
54	कमसड़ी	29-35
55	परसपुर	1-07
56	गठिया	0-74
57	सेमउर	19-30
58	नकटीकोल	0-30
59	हटवार दयाल सिंह	11-00
60	शेरपुर जलालपुर	96-12
61	नूरमपुर	3-55
62	अवथ ही	1-34
63	सुरतापुर बाड़	15-07
64	बद्धोपुर	3-45
65	गन्धपा	4-81
66	नसीरपुर गन्धपा	11-70
67	वालापुर	0-61
68	कन्धौरा	0-02
69	वथोर	0-28
70	शाहपुर	0-25
71	अमरूपुर	1-36
72	खरडीहा	7-19
73	डुंडिया	7-32
74	मरौली कला	3-25
	सम्पूर्ण योग ..	391-72

नत्थी

(देखिए अता0 प्र0 सं0 142 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 66 पर)

सूची

कर्मचारी का नाम	जाति	पिता का नाम	निवास स्थान	जनपद
		सर्वश्री		
1—श्री शोभ नाथ ..	अनु0 जाति	भवानी भीख	बातूपुर	फैजाबाद
2—श्री श्याम लाल	अनु0 जाति	गिरधारी लाल	पिलखावा	फैजाबाद
3—श्री राम उजागर	अनु0 जाति	मुरली राम	सलेमपुर परसावा	फैजाबाद
4—श्री पलछू राम ..	अनु0 जाति	राम लोटन	अमोला बुजुर्ग	फैजाबाद
5—श्री रवि शंकर	अनु0 जाति	राजेन्द्र नाथ	आयुक्त परिसर कालोनी	फैजाबाद
6—श्री जय कुमार	अनु0 जाति	मोहन लाल	आयुक्त परिसर कालोनी	फैजाबाद
7—श्री कौशलेन्द्र किशोर	अनु0 जाति	बजरंग प्रसाद	खवासपुरा	फैजाबाद
8—श्री अरुण मोहन	पिछड़ी जाति	शिव प्रसाद	कन्धारी बाजार	फैजाबाद
9—श्री मो0 अफरूज खां	अल्प संख्यक	बाबू खां	मित्रोली	फैजाबाद
10—श्री अनिल कुमार दुबे	सा0 जाति	चन्द्रिका प्रसाद दुबे	गोडवा	फैजाबाद
11—श्री प्रदीप कुमार वर्मा	पिछड़ी जाति	हरी राम वर्मा	पूरेडील पुरवा	फैजाबाद
12—श्री बुद्धोपाल	अनु0 जाति	भगवान दीन	मसनिया	फैजाबाद

उत्तर प्रदेश राजपत्र

बी0एस0यू0पी0—एल0 227 वि0सभा (390)—1990—813